खण्ड-112, अंक-1
सोमवार, 21 आश्विन, शक संवत् 1874
(13 अक्टूबर, 1952 ई0)

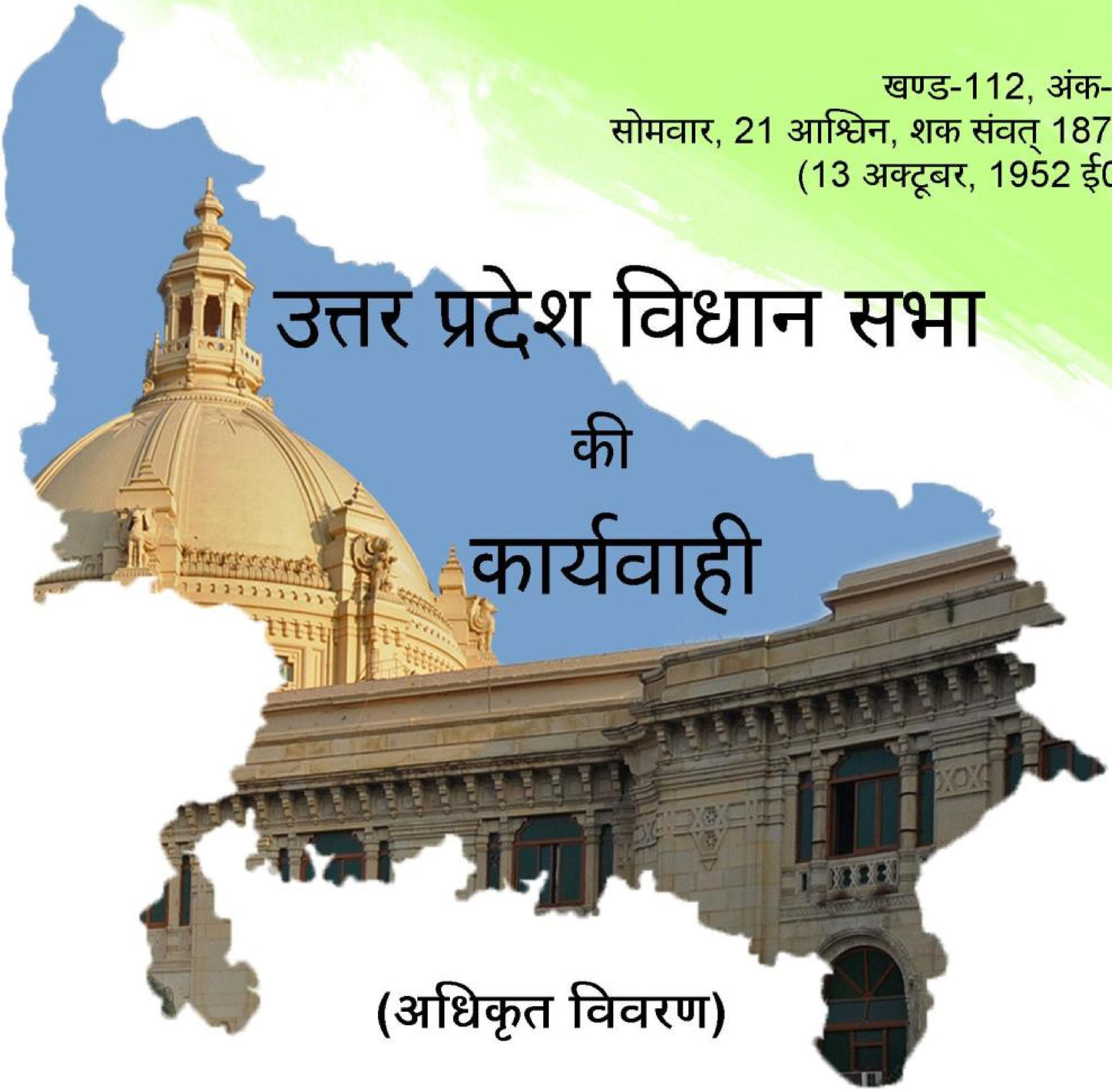

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 112 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

R.A.
789

विषय-सूची

खंड ११२

सोमवार, १३ अक्तूबर, १९५२

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	१-४
प्रश्नोत्तर	५-२६
उत्तर प्रदेश संग्रहालय परामर्शदात्री समिति के एक रिक्त स्थान की पूर्त्ति के लिये निर्वाचन का कार्यक्रम	२६
साप्ताहिक कार्यक्रम	२६
औनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२ (पुरःस्थापित किया गया)	२६
उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक, १९५० (प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित किया गया)	२७
मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियमों के संबंध में संकल्प (स्वीकृत) ..	२७-३०
प्रत्येक स्थायी समिति के लिये १४ सदस्य निर्वाचित करने के संबंध में संकल्प (स्वीकृत)	३१
उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १९५२ (विचार जारी)	३१-६९
११२-५३ के लिये वित्त समिति में रिक्त स्थान पर श्री शुगन चन्द के निर्वाचन की घोषणा	६९
शय्यां	७०-११२

मंगलवार, १४ अक्तूबर, १९५२

स्थित सदस्यों की सूची	११३-११७
नोत्तर	११७-१२९
अक्तूबर १९५२ ई० के कतिपय, अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के संबंध में अध्यक्ष द्वारा स्पष्टीकरण	१२९-१३०
न के स्थगन के संबंध में पूछताछ	१३०
र प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १९५२ (विचार जारी)	१३०-१७७
ी	१७८

बुधवार, १५ अक्तूबर, १९५२

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	१७९–१८३
प्रश्नोत्तर	१८४–२०३
विधान सभा का आगामी कार्य-क्रम	२०३
उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १९५२ (विचार जारी)	२०३–२४८
नत्थियां	२४९–२५१

बृहस्पतिवार, १६ अक्तूबर, १९५२

उपस्थित सदस्यों की सूची	२५३–२५७
प्रश्नोत्तर	२५८–२६७
पहाड़ी क्षेत्रों में कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स जारी करने से अमरीकी साम्राज्यवाद का प्रभाव पड़ने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	२६७
उत्तर प्रदेश संग्रहालय परामर्शदात्री समिति के एक रिक्त स्थान पर निर्वाचित सदस्य के नाम की घोषणा	२६७
२२ सितम्बर, १९५२ को शिक्षा मंत्री द्वारा कथित विशेषाधिकार की अवहेलना के संबंध में स्पष्टीकरण	२६८
उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १९५२ (पारित) ..	२६८–२७७
कार्य-सूची के संबंध में पूछताछ	२७७
उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) विधेयक, १९५२ पर विधान परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये संशोधन (स्वीकृत)	२७७–२८९
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधयक, १९५२ (विचार जारी) ..	२८९–२३
बैठक का कार्यकाल बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	२४
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५२ (पारित) ..	३२४–१८

शासन

राज्यपाल

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी।

मंत्रि-परिषद्

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन और नियोजन मंत्री।

श्री सैयद अली जहीर, बार-ऐट-ला, एम० एल० ए०, न्याय तथा मादक-कर मंत्री।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, वित्त तथा विद्युत् मंत्री।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, एम० एल० ए०, गृह तथा श्रम मंत्री।

श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, उद्योग तथा पुनर्वासन मन्त्री।

श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, एम० एल० ए०, निर्माण मन्त्री।

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, स्वास्थ्य तथा अन्न मंत्री।

श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, माल तथा कृषि मंत्री।

श्री हरगोविन्द सिंह, एम० एल० ए०, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री।

श्री मोहनलाल गौतम, बी० ए० (आनर्स), स्वशासन मन्त्री।

श्री कमलापति त्रिपाठी, सूचना तथा सिंचाई मन्त्री।

श्री विचित्रनारायण शर्मा, परिवहन तथा सहकारी मन्त्री।

उपमंत्री

श्री मंगलाप्रसाद, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, सहकारिता उपमंत्री।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, वन उपमंत्री।

श्री फूलसिंह बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, योजना उपमंत्री।

श्री जगनप्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, कृषि उपमंत्री।

श्री मुजफ्फर हसन, एम० एल० ए०, गृह उपमंत्री।

श्री रामसूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, सिंचाई उपमंत्री।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, निर्माण उपमंत्री।

सभा सचिव

मुख्य मंत्री के सभा सचिव

श्री कृपाशंकर, एम० एल० ए०।

अन्न मंत्री के सभा सचिव

१--श्री बलदेव सिंह आर्य, एम० एल० ए०।

२--श्री बनारसीदास, एम० एल० ए०।

उद्योग मन्त्री के सभा सचिव

श्री रऊफ जाफरी, एम० ए०, एम० एल० ए०।

माल मन्त्री के सभा सचिव

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य, एम० एल० ए०।

शिक्षा मन्त्री के सभा सचिव

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (सिंह), पी० एच० डी०, एम० एल० ए०।

मध्य प्रदेश विधान सभा

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

१—अंसमान सिंह, श्री ... बस्ती (पूर्व)
२—अक्षयवर सिंह, श्री ... गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)
३—अजीज इमाम, श्री ... मिर्जापुर (दक्षिण)
४—अतहर हुसेन ख्वाजा, श्री ... रुड़की (दक्षिण)
५—अनन्तस्वरूप सिंह, श्री ... फतेहपुर (दक्षिण)-खागा (दक्षिण)
६—अब्दुल मुईज खां, श्री .. खलीलाबाद (मध्य)
७—अब्दुल रऊफ खां, श्री ... फतेहपुर (पूर्व)-खागा (उत्तर)
८—अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री ... मिर्जापुर (उत्तर)
९—अमृतनाथ मिश्र, श्री ... उतरौला (दक्षिण)
१०—अली जहीर, श्री सैयद ... लखनऊ नगर (मध्य)
११—अवधशरण वर्मा, श्री ... फतेहपुर (उत्तर)
१२—अवधेशचन्द्र सिंह, श्री .. छिबरामऊ (पूर्व)-फर्रुखाबाद (पूर्व)
१३—अवधेश प्रताप सिंह, श्री ... बीकापुर (पूर्व)
१४—अशरफ अली खां, श्री ... सादाबाद (पूर्व)
१५—आत्माराम गोविंद खेर, श्री ... झांसी (पूर्व)
१६—आर्थर ग्राईस, श्री ... नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय
१७—आशालता व्यास, श्रीमती ... फूलपुर (दक्षिण)
१८—इतिजा हुसेन, श्री ... बुलन्दशहर (उत्तर-पश्चिम)
१९—इसरारुल हक, श्री ... फिरोजाबाद-फतेहाबाद
२०—इस्तफा हुसेन, श्री ... गोरखपुर (मध्य)
२१—उमाशंकर, श्री ... सगरी (पश्चिम)
२२—उमाशंकर तिवारी, श्री ... चंदौली (दक्षिण-पश्चिम)-रामनगर
२३—उमाशंकर मिश्र, श्री ... नवाबगंज (दक्षिण)-हैदरगढ़-रामसनेही घाट।
२४—उम्मेद सिंह, श्री ... उतरौला (उत्तर-पूर्व)
२५—उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री ... ऐतमादपुर-आगरा (पूर्व)
२६—ऐजाज रसूल, श्री ... शाहाबाद (पश्चिम)
२७—ओंकार सिंह, श्री ... दातागंज (उत्तर)-बदायूं
२८—कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री ... शाहाबाद (पूर्व)-हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
२९—कमलापति त्रिपाठी, श्री ... चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०—कमला सिंह, श्री ... सैदपुर
३१—कमाल अहमद रिजवी, श्री ... मोहमदी (पूर्व)
३२—करण सिंह यादव, श्री ... गुन्नौर (उत्तर)
३३—करन सिंह, श्री ... निघासन-लखीमपुर (उत्तर)
३४—कल्याण राय, श्री ... हजूर मिलक (उत्तर)
३५—कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री ... चंदौली (उत्तर)
३६—कालिका सिंह, श्री ... लालगंज (दक्षिण)
३७—कालीचरण टण्डन, श्री ... कन्नौज (उत्तर)
३८—काशी प्रसाद पाण्डेय, श्री ... कादीपुर
३९—किन्दरलाल, श्री ... हरदोई (पूर्व)
४०—किशन स्वरूप भटनागर, श्री ... खुर्जा
४१—कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री ... सुल्तानपुर (पश्चिम)
४२—कृपाशंकर, श्री ... हरैया (पूर्व)-बस्ती (पश्चिम)

४३--कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री	...	सीतापुर (दक्षिण-पूर्व)
४४--कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री	...	ललितपुर (दक्षिण)
४५--कृष्ण शरण आर्य, श्री	...	मिलक (दक्षिण)-शाहाबाद
४६--केदारनाथ, श्री	..	मुरादाबाद (दक्षिण)
४७--केवल सिंह, श्री	..	सिकन्दराबाद (पूर्व)
४८--केशभान राय, श्री	...	बांसगांव (मध्य)
४९--केशव गुप्त, श्री	..	कैराना (उत्तर)
५०--केशव पाण्डेय, श्री	...	गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
५१--केशवराम, श्री	...	सहसवान (पूर्व)
५२--कैलाशप्रकाश, श्री	...	मेरठ नगरपालिका
५३--खयालीराम, श्री	...	अमरोहा (पूर्व)
५४--खुशीराम, श्री	...	पिथौरागढ़-चम्पावत
५५--खूब सिंह, श्री	...	धामपुर (उत्तर-पूर्व)-नगीना (पूर्व)
५६--गंगाधर, श्री	...	चमोली (पश्चिम)-पौड़ी (उत्तर)
५७--गंगाधर जाटव, श्री	...	फीरोजाबाद-फतेहाबाद
५८--गंगाधर शर्मा, श्री	...	मिश्रिख
५९--गंगाप्रसाद, श्री	...	तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)-गोंडा (दक्षिण)
६०--गंगाप्रसाद सिंह, श्री	..	रसरा (पश्चिम)
६१--गजेन्द्र सिंह, श्री	...	बिधूना (पूर्व)
६२--गज्जूराम, श्री	...	मऊ-मोठ (दक्षिण)-झांसी (पश्चिम)-ललितपुर (उत्तर)।
६३--गणेशचन्द्र काछी, श्री	...	मैनपुरी (उत्तर)-भोगांव (उत्तर)
६४--गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री	...	इलाहाबाद नगर (पूर्व)
६५--गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री	...	बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
६६--गिरजा रमण शुक्ल, श्री	...	पट्टी (दक्षिण)
६७--गिरधारी लाल, श्री	...	धामपुर (उत्तर-पूर्व)-नगीना (पूर्व)
६८--गुप्तार सिंह, श्री	...	डलमऊ (दक्षिण-पश्चिम)
६९--गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री	...	खजुहा (पश्चिम)
७०--गुरुप्रसाद सिंह, श्री	...	मुसाफिरखाना (दक्षिण)-अमेठी (पश्चिम)
७१--गुलजार, श्री	...	मुसाफिरखाना (उत्तर)-सुल्तानपुर (उत्तर)
७२--गेंदा सिंह, श्री	...	पडरौना (पूर्व)
७३--गोपीनाथ दीक्षित, श्री	...	इटावा (दक्षिण)
७४--गोवर्धन तिवारी, श्री	...	अल्मोड़ा (दक्षिण)
७५--गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री	...	बरेली नगरपालिका
७६--गौरीराम, श्री	...	फरेंदा (मध्य)
७७--घनश्यामदास, श्री	..	नवाबगंज (दक्षिण)-हैदरगढ़-रामसनेही-घाट
७८--घासीराम जाटव, श्री	...	बिधूना (पश्चिम)-भरथना (उत्तर)-इटावा (उत्तर)
७९--चतुर्भुज शर्मा, श्री	...	उरई-जालौन (दक्षिण)
८०--चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री	...	डलमऊ (पूर्व)
८१--चन्द्रभानु गुप्त, श्री	...	लखनऊ नगर (पूर्व)
८२--चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री	...	तराबगंज (दक्षिण-पूर्व)-गोंडा (दक्षिण)
८३--चन्द्रवती, श्रीमती	...	बिजनौर (मध्य)
८४--चन्द्रसिंह रावत, श्री	..	पौड़ी (दक्षिण)-चमोली (पूर्व)
८५--चन्द्रहास, श्री	...	हरदोई (पूर्व)

८६—चरण सिंह, श्री ... बागपत (पश्चिम)
८७—चित्तर सिंह निरंजन, श्री ... कोंच
८८—चिरंजीलाल जाटव, श्री ... जलेसर एटा (उत्तर)
८९—चिरंजीलाल पालीवाल, श्री ... छिबरामऊ (दक्षिण)-कन्नौज (दक्षिण)
९०—चुन्नीलाल सगर, श्री ... बिसौली-गुन्नौर (पूर्व)
९१—छेदालाल, श्री ... शाहाबाद (पूर्व)-हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
९२—छेदालाल चौधरी, श्री ... लखीमपुर (दक्षिण)
९३—जगतनारायण, श्री ... नवाबगंज (उत्तर)
९४—जगदीश प्रसाद, श्री ... हसनपुर (दक्षिण)-सम्भल (पश्चिम)
९५—जगदीशसरन रस्तोगी, श्री .. सम्भल (पूर्व)
९६—जगनप्रसाद रावत, श्री ... खैरगढ़
९७—जगन्नाथ प्रसाद, श्री ... निघासन-लखीमपुर (उत्तर)
९८—जगन्नाथबख्श दास, श्री ... रामसनेही घाट
९९—जगन्नाथ मल्ल, श्री ... पडरौना (उत्तर)
१००—जगन्नाथ सिंह, श्री ... बलिया (उत्तर-पूर्व)-बांसडीह (दक्षिण-पश्चिम)
१०१—जगपति सिंह, श्री ... मऊ-करवी-बबेरू (पूर्व)
१०२—जगमोहन सिंह नेगी, श्री ... लैन्सडाउन (पश्चिम)
१०३—जटाशंकर शुक्ल, श्री ... पुरवा (उत्तर)-हसनगंज
१०४—जयपाल सिंह, श्री ... रुड़की (पश्चिम)-सहारनपुर (उत्तर)
१०५—जयराम वर्मा, श्री ... अकबरपुर (पश्चिम)
१०६—जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री ... खेन-टेहरी (उत्तर)
१०७—जवाहरलाल श्री .. करछना (उत्तर)-चायल (दक्षिण)
१०८—जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर ... कानपुर नगर (पूर्व)
१०९—जुगलकिशोर, श्री ... मथुरा (दक्षिण)
११०—जोरावर वर्मा, श्री ... महोबा कुलपहाड़-चरखारी
१११—ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री ... गोंडा (पश्चिम)
११२—झारखण्डे राय, श्री ... घोसी (पश्चिम)
११३—टीकाराम, श्री .. संडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
११४—डल्लाराम, श्री .. मिश्रिख
११५—डालचन्द, श्री ... माट-सादाबाद (पश्चिम)
११६—ताराचन्द माहेश्वरी, श्री ... सिधौली (पश्चिम)
११७—तिरमल सिंह, श्री ... कासगंज (उत्तर)
११८—तुलसीराम, श्री ... बदायूं (दक्षिण-पश्चिम)
११९—तुलाराम, श्री ... औरैया-भरथना (दक्षिण)
१२०—तुलाराम रावत, श्री ... मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
१२१—तेजप्रताप सिंह, श्री ... मौदहा (दक्षिण)
१२२—तेजबहादुर, श्री ... लालगंज (उत्तर)
१२३—तेजासिंह, श्री ... गाजियाबाद (उत्तर-पश्चिम)
१२४—त्रिलोकीनाथ कौल, श्री ... बहराइच (पश्चिम)
१२५—दयालदास भगत, श्री ... घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व)
१२६—दर्शनराम, श्री ... मऊ-करवी-बबेरू (पूर्व)
१२७—दलबहादुर सिंह, श्री ... सलोन (दक्षिण)
१२८—दाऊदयाल खन्ना, श्री ... मुरादाबाद (उत्तर)
१२९—दाताराम, श्री ... नकुड़ (दक्षिण)

१३०—दीनदयालु शर्मा, श्री ... अनूपशहर (उत्तर)
१३१—दीनदयालु शास्त्री, श्री ... रुड़की (पूर्व)
१३२—दीपनारायण वर्मा, श्री ... जौनपुर (पश्चिम)
१३३—देवकी नन्दन विभव, श्री .. आगरा
१३४—देवदत्त मिश्र, श्री ... पुरवा (दक्षिण)
१३५—देवदत्त शर्मा, श्री ... बुलन्दशहर (दक्षिण)—अनूपशहर (दक्षिण)
१३६—देवनन्दन शुक्ल, श्री ... सलीमपुर (पश्चिम)
१३७—देवमूर्ति राम, श्री ... बनारस (पश्चिम)
१३८—देवराम, श्री ... सैदपुर
१३९—देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री ... गोरखपुर (पश्चिम)
१४०—द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री ... मुजफ्फरनगर (मध्य)
१४१—द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री .. मड़ियाहूं (उत्तर)
१४२—द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री ... फरेंदा (दक्षिण)
१४३—धनुषधारी पाण्डेय, श्री ... खलीलाबाद (दक्षिण)
१४४—धर्म सिंह, श्री ... बुलन्दशहर (दक्षिण)—अनूपशहर (दक्षिण)
१४५—धर्मदत्त वैद्य, श्री ... बहेड़ी (दक्षिण—पश्चिम)—बरेली (पश्चिम)
१४६—नत्थू सिंह, श्री .. आओं (पूर्व)—फरीदपुर
१४७—नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री ... हाथरस
१४८—नरदेव शास्त्री, श्री ... पश्चिमीय दून दक्षिण—पूर्वीय दून
१४९—नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री ... पिथौरागढ़—चम्पावत
१५०—नरोत्तम सिंह, श्री ... दातागंज (दक्षिण)—बदायूं (दक्षिण—पूर्व)
१५१—नवल किशोर, श्री ... आंवला (पश्चिम)
१५२—नागेश्वर द्विवेदी, श्री ... मछलीशहर (उत्तर)
१५३—नाजिम अली, श्री ... मुसाफिरखाना (उत्तर)—सुल्तानपुर (उत्तर)।
१५४—नारायणदत्त तिवारी, श्री .. नैनीताल (उत्तर)
१५५—नारायण दास, श्री ... फैजाबाद (पूर्व)
१५६—नारायणदीन, श्री ... पवायां—शाहजहांपुर (पूर्व)
१५७—निरंजन सिंह, श्री ... पीलीभीत (पूर्व)—बीसलपुर (पश्चिम)
१५८—निहालुद्दीन, श्री ... बदायूं (उत्तर)
१५९—नेकराम शर्मा, श्री ... सिकन्दराराव (दक्षिण)
१६०—नेत्रपाल सिंह, श्री ... सिकन्दराराव (उत्तर)—कोइल (दक्षिण—पूर्व)।
१६१—नौरंगलाल, श्री ... नवाबगंज
१६२—पद्मनाथ सिंह, श्री ... मुहम्मदाबाद—गोहना (दक्षिण)
१६३—परमानन्द सिन्हा, श्री ... सोरांव (दक्षिण)
१६४—परमेश्वरी राम, श्री ... केराकत—जौनपुर (दक्षिण)
१६५—परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री ... महाराजगंज (उत्तर)
१६६—पहलवान सिंह चौधरी, श्री ... बांदा
१६७—पातीराम, श्री ... छिबरामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पूर्व)
१६८—पुत्तूलाल, श्री .. एतमादपुर—आगरा (पूर्व)
१६९—पुद्दनराम, श्री ... बांसी (उत्तर)
१७०—पुलिनविहारी बनर्जी, श्री ... लखनऊ नगर (पश्चिम)
१७१—प्रकाशवती सूद, श्रीमती ... हापुड़ (उत्तर)
१७२—प्रतिपाल सिंह, श्री ... शाहजहांपुर (पश्चिम)—जलालाबाद (पूर्व)
१७३—प्रभाकर शुक्ल, श्री ... हरैया (उत्तर—पश्चिम)

१७४—प्रभुदयाल, श्री ... बस्ती (पश्चिम)
१७५—प्रेमकिशन खन्ना, श्री ... पवायां–शाहजहांपुर (पूर्व)
१७६—फजलुल हक़, श्री ... रामपुर नगर
१७७—फतेह सिंह, श्री ... जलेसर–एटा (उत्तर)
१७८—फतेह सिंह राणा, श्री ... सरधना (पश्चिम)
१७९—फूल सिंह, श्री ... देवबन्द
१८०—बद्रीनारायण मिश्र, श्री ... सलीमपुर (दक्षिण)
१८१—बनारसी दास, श्री ... बुलन्दशहर (मध्य)
१८२—बलदेव सिंह, श्री ... बनारस (मध्य)
१८३—बलदेव सिंह आर्य, श्री ... पौड़ी (दक्षिण)–चमोली (पूर्व)
१८४—बलवीर सिंह, श्री ... गाजियाबाद (दक्षिण)
१८५—बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री ... उतरौला (उत्तर)
१८६—बलवन्त सिंह, श्री ... मुजफ्फरनगर (पूर्व)–जानसठ (उत्तर)
१८७—बशीर अहमद हकीम, श्री ... सीतापुर (पूर्व)
१८८—बसन्तलाल, श्री ... कालपी–जालौन (उत्तर)
१८९—बसन्तलाल शर्मा, श्री ... नानपारा (उत्तर)
१९०—बाबूनन्दन, श्री ... शाहगंज (पूर्व)
१९१—बाबूराम गुप्त, श्री ... कासगंज (पश्चिम)
१९२—बाबूलाल कुसुमेश, श्री ... रामसनेहीघाट
१९३—बाबूलाल मित्तल, श्री ... आगरा नगर (उत्तर)
१९४—बालेन्दुशाह, महाराजकुमार ... टेहरी (दक्षिण)–प्रतापनगर
१९५—बिशम्भर सिंह, श्री ... सरधना (पूर्व)
१९६—बेचनराम, श्री ... ज्ञानपुर (उत्तर–पश्चिम)
१९७—बेचनराम गुप्त, श्री ... ज्ञानपुर (पूर्व)
१९८—बेनीसिंह, श्री ... कानपुर तहसील
१९९—बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री ... बांसडीह (मध्य)
२००—बैजूराम, श्री ... सिधौली (पश्चिम)
२०१—ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री ... कानपुर नगर (दक्षिण)
२०२—भगवतीदीन तिवारी, श्री ... जौनपुर (उत्तर)–शाहगंज (पश्चिम)
२०३—भगवतीप्रसाद दुबे, श्री ... बांसगांव (पूर्व)–गोरखपुर (दक्षिण)
२०४—भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री ... प्रतापगढ़ (पूर्व)
२०५—भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री ... फतेहपुर (दक्षिण)
२०६—भगवानदीन मिश्र, श्री ... कैसरगंज (उत्तर)
२०७—भगवानदीन वाल्मीकि, श्री ... फतेहपुर (दक्षिण)–खागा (दक्षिण)
२०८—भगवान सहाय, श्री ... तिलहर (दक्षिण)
२०९—भीमसेन, श्री ... खुर्जा
२१०—भुवरजी, श्री ... फूलपुर (पूर्व)–हंडिया (उत्तर–पश्चिम)
२११—भूपाल सिंह खाती, श्री ... अल्मोड़ा (उत्तर)
२१२—भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री .. बांसगांव (दक्षिण–पूर्व)
२१३—भोला सिंह यादव, श्री .. गाजीपुर (दक्षिण–पश्चिम)
२१४—मकसूद आलम खां, श्री ... पीलीभीत (पश्चिम)
२१५—मंगलाप्रसाद, श्री ... मेजा–करछना (दक्षिण)
२१६—मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री ... फर्रुखाबाद (पश्चिम)–छिबरामऊ
२१७—मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री ... बांसी (उत्तर)
२१८—मदनगोपाल वैद्य, श्री ... फैजाबाद (पूर्व)
२१९—मदनमोहन उपाध्याय, श्री ... रानीखेत (उत्तर)

२२०—मन्नीलाल गुरुदेव, श्री ... महोबा–कुलपहाड़–चरखारी
२२१—मलखान सिंह, श्री .. कोइल (मध्य)
२२२—महमूद अली खां, श्री ... सुमर–टांडा–बिलासपुर
२२३—महमूद अली खां, श्री ... सहारनपुर (उत्तर–पश्चिम)–नकुड़ (उत्तर)
२२४—महाजन, श्री सी० बी० ... आगरा नगर (पश्चिम)
२२५—महादेवप्रसाद, श्री ... गोरखपुर (उत्तर–पूर्व)
२२६—महाराज सिंह, श्री ... शिकोहाबाद (पश्चिम)
२२७—महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री ... हंडिया (दक्षिण)
२२८—महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री ... मोहनलाल गंज
२२९—महीलाल, श्री ... बिलारी
२३०—मान्धाता सिंह, श्री ... रसरा (पूर्व)–बलिया (दक्षिण-पश्चिम)
२३१—मिजाजी लाल, श्री ... करहल (पूर्व)–भोगांव (दक्षिण)
२३२—मिहरबान सिंह, श्री ... बिधूना (पश्चिम)–भरथना (उत्तर)–इटावा (उत्तर)
२३३—मुजफ्फर हसन, श्री ... चायल (उत्तर)
२३४—मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री ... पूरनपुर–बीसलपुर (पूर्व)
२३५—मुन्नूलाल, श्री ... बिसवां–सिधौली (पूर्व)
२३६—मुरलीधर कुरील, श्री ... बिल्हौर–अकबरपुर
२३७—मुश्ताक अली खां, श्री ... सहसवान (पश्चिम)
२३८—मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री ... डुमरियागंज (दक्षिण)
२३९—मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री ... बिजनौर (उत्तर)–नजीबाबाद (पश्चिम)
२४०—मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री .. बनारस नगर (उत्तर)
२४१—मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज ... नगीना (दक्षिण-पश्चिम) धामपुर (उत्तर-पूर्व)
२४२—मुहम्मद तक़ी हादी, श्री ... अमरोहा (पश्चिम)
२४३—मुहम्मद नबी, श्री ... बुढ़ाना (पूर्व)–जानसठ (दक्षिण)
२४४—मुहम्मद नसीर, श्री ... टांडा
२४५—मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री ... देवरिया (उत्तर–पूर्व)
२४६—मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री ... सहारनपुर नगर
२४७—मुहम्मद रऊफ जाफ़री, श्री ... मछलीशहर (दक्षिण)
२४८—मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री ... उतरौला (मध्य)
२४९—मुहम्मद सआदत अली खां, राजा नानपारा (दक्षिण)
२५०—मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री ... डुमरियागंज (उत्तर–पूर्व)–बांसी (पश्चिम)
२५१—मोहनलाल, श्री ... सफीपुर-उन्नाव (उत्तर)
२५२—मोहनलाल गौतम, श्री ... खैर-कोइल (उत्तर–पश्चिम)
२५३—मोहन सिंह, श्री ... बुलन्दशहर (उत्तर–पूर्व)
२५४—मोहन सिंह शाक्य, श्री ... अलीगंज (दक्षिण)
२५५—यमुनाप्रसाद, श्री ... बहराइच (पश्चिम)
२५६—यमुना सिंह, श्री ... गाजीपुर (मध्य)–मुहम्मदाबाद (उत्तर–पश्चिम)
२५७—यशोदा देवी, श्रीमती ... बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
२५८—रघुनाथप्रसाद, श्री ... मेजा–करछना (दक्षिण)
२५९—रघुराज सिंह, श्री ... तरबगंज (पश्चिम)
२६०—रघुवीर सिंह, श्री ... बागपत (दक्षिण)
२६१—रणञ्जय सिंह, श्री ... अमेठी (मध्य)
२६२—रतनलाल जैन, श्री ... नजीबाबाद (उत्तर)–नगीना (उत्तर)
२६३—रमानाथ खैरा, श्री ... महरौनी

२६४—रमेश चन्द्र शर्मा, श्री ... मड़ियाहू (दक्षिण)
२६५—रमेश वर्मा, श्री ... किराउली
२६६—राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा ... उतरौला (दक्षिण-पश्चिम)
२६७—राजकिशोर राव, श्री ... बहराइच (पूर्व)
२६८—राजकुमार शर्मा, श्री ... चुनार (उत्तर)
२६९—राजदेव उपाध्याय, श्री ... हाटा (उत्तर)
२७०—राजनारायण, श्री .. बनारस (दक्षिण)
२७१—राजनारायण सिंह, श्री ... चुनार (दक्षिण)
२७२—राजवंशी, श्री ... पडरौना (दक्षिण-पश्चिम)—देवरिया (दक्षिण-पूर्व)
२७३—राजाराम, श्री ... अतरौली (दक्षिण)—कोइल (पूर्व)
२७४—राजाराम किसान, श्री ... प्रतापगढ़ (पश्चिम)—कुण्डा (उत्तर)
२७५—राजाराम मिश्र, श्री ... फैजाबाद (पश्चिम)
२७६—राजाराम शर्मा, श्री ... खलीलाबाद (उत्तर)
२७७—राजेन्द्रदत्त, श्री .. मुजफ्फरनगर (पश्चिम)
२७८—राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री ... बिलग्राम (पूर्व)
२७९—राधामोहन सिंह, श्री ... बलिया (पूर्व)
२८०—रामअधार तिवारी, श्री .. प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)—पट्टी (उत्तर-पश्चिम)
२८१—रामअधीन सिंह यादव, श्री ... पुरवा (मध्य)
२८२—रामअनन्त पाण्डेय, श्री ... बलिया (मध्य)
२८३—रामअवध सिंह, श्री ... फरेंदा (उत्तर)
२८४—रामकिंकर, श्री ... प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)—पट्टी (उत्तर-पश्चिम)
२८५—रामकुमार शास्त्री, श्री ... बांसी (दक्षिण)
२८६—रामकृष्ण जैसवार, श्री ... मिर्जापुर (दक्षिण)
२८७—रामगुलाम सिंह, श्री ... जलालाबाद (पश्चिम)
२८८—रामचन्द्र विकल, श्री ... सिकन्दराबाद (पश्चिम)
२८९—रामचरनलाल गंगवार, श्री ... बरेली (पश्चिम)
२९०—रामजीलाल सहायक, श्री ... मवाना
२९१—रामजीसहाय, श्री ... देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)—हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
२९२—रामदास आर्य, श्री ... बुढ़ाना (पूर्व)—जानसठ (दक्षिण)
२९३—रामदास रविदास, श्री ... अकबरपुर (पश्चिम)
२९४—रामदुलारे मिश्र, श्री ... अकबरपुर (दक्षिण)
२९५—रामनरेश शुक्ल, श्री .. कुण्डा (दक्षिण)
२९६—रामनाथ तिवारी, श्री ... देवरिया (दक्षिण)
२९७—रामनारायण त्रिपाठी, श्री ... अकबरपुर (पूर्व)
२९८—रामप्रसाद, श्री .. रायबरेली-डलमऊ (उत्तर)
२९९—रामप्रसाद देशमुख, श्री .. खैर-कोइल (उत्तर-पश्चिम)
३००—रामप्रसाद नौटियाल, श्री ... लैन्सडाउन (पूर्व)
३०१—रामप्रसाद सिंह, श्री ... महाराजगंज (दक्षिण)
३०२—रामबक्ती मिश्र, श्री ... सुल्तानपुर (पूर्व)—अमेठी (पूर्व)
३०३—रामभजन, श्री ... मोहम्मदी (पश्चिम)
३०४—राममूर्ति, श्री ... बहेड़ी (उत्तर-पूर्व)
३०५—रामरतन प्रसाद, श्री ... रसरा (पूर्व)-बलिया (दक्षिण-पश्चिम)

३०६—रामराज शुक्ल, श्री ... पट्टी (पूर्व)
३०७—रामलखन, श्री .. चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०८—रामलखन मिश्र, श्री ... डुमरियागंज (उत्तर-पश्चिम)
३०९—रामलाल, श्री .. बस्ती (पश्चिम)
३१०—रामवचन यादव, श्री .. फूलपुर (दक्षिण)
३११—रामशंकर द्विवेदी, श्री .. रायबरेली-डलमऊ (उत्तर)
३१२—रामशंकर रविवासी, श्री .. लखनऊ (मध्य)
३१३—रामसनेही भारतीय, श्री ... बबेरी (पश्चिम)
३१४—रामसहाय शर्मा, श्री ... गरोधा-मोठ (उत्तर)
३१५—रामसुन्दर पाण्डेय, श्री .. घोसी (पूर्व)
३१६—रामसुन्दरराम, श्री .. खलीलाबाद (दक्षिण)
३१७—रामसुभग वर्मा, श्री ... पडरौना (पश्चिम)
३१८—रामसुमेर, श्री ... टांडा
३१९—रामस्वरूप, श्री .. दूधी-राबर्ट्सगंज
३२०—रामस्वरूप गुप्त, श्री ... भोगनीपुर (पश्चिम)-डेरापुर (दक्षिण)
३२१—रामस्वरूप भारतीय, श्री .. कुण्डा (दक्षिण)
३२२—रामस्वरूप मिश्र "विशारद", श्री .. महाराजगंज (पश्चिम)
३२३—रामहरख यादव, श्री ... बीकापुर (पश्चिम)
३२४—रामहेत सिंह, श्री .. छत्ता
३२५—रामेश्वरप्रसाद, श्री ... महाराजगंज (पश्चिम)
३२६—लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री .. नैनीताल (दक्षिण)
३२७—लक्ष्मणराव कदम, श्री .. मऊ-मोठ (दक्षिण)-झांसी (पश्चिम)-ललितपुर (उत्तर)
३२८—लक्ष्मीदेवी, श्रीमती .. संडीला-विलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
३२९—लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री ... माट-सादाबाद (पश्चिम)
३३०—लक्ष्मीशंकर यादव, श्री ... शाहगंज (पूर्व)
३३१—लताफत हुसेन, श्री ... हसनपुर (उत्तर)
३३२—लालबहादुर सिंह, श्री ... केराकत-जौनपुर (दक्षिण)
३३३—लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री ... बनारस (उत्तर)
३३४—लीलाधर अष्ठाना, श्री ... उन्नाव (दक्षिण)
३३५—लुत्फअली खां, श्री .. हापुड़ (दक्षिण)
३३६—लेखराज सिंह, श्री ... सम्भल (पूर्व)
३३७—वंशनारायण सिंह, श्री .. ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
३३८—वंशीदास धनगर, श्री ... करहल (पश्चिम) -शिकोहाबाद (पूर्व)
३३९—वंशीधर मिश्र, श्री ... लखीमपुर (दक्षिण)
३४०—वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री ... गाजीपुर (दक्षिण-पूर्व)
३४१—वसी नकवी, श्री ... महाराजगंज (पूर्व)-सलोन (उत्तर)
३४२—वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री ... कानपुर नगर (मध्य-पश्चिम)
३४३—विचित्रनारायण शर्मा, श्री ... गाजियाबाद (उत्तर-पूर्व)
३४४—विजयशंकर प्रसाद, श्री ... मुहम्मदाबाद (दक्षिण)
३४५—विद्यावती राठौर, श्रीमती .. एटा (पूर्व)-अलीगढ़ (पश्चिम)-कासगंज (दक्षिण)
३४६—विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री .. गाजीपुर (पश्चिम)
३४७—विश्वम्भरनाथ पाण्डेय, श्री .. इलाहाबाद नगर (मध्य)
३४८—विष्णु दयाल वर्मा, श्री ... जसराना

३४९—विष्णुशरण दुबिलश, श्री ... मवाना
३५०—वीरसेन, श्री ... हापुड़ (दक्षिण)
३५१—वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री ... बिलग्राम (पश्चिम)
३५२—वीरेन्द्रपति यादव, श्री ... मैनपुरी (दक्षिण)
३५३—वीरेन्द्र वर्मा, श्री ... कैराना (दक्षिण)
३५४—वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री ... नानपारा (पूर्व)
३५५—वीरेन्द्रशाह, राजा ... कालपी–जालौन (उत्तर)
३५६—व्रजभूषण मिश्र, श्री ... दूधी–राबर्टसगंज
३५७—व्रजरानी मिश्र, श्रीमती ... बिल्हौर–अकबरपुर
३५८—व्रजवासीलाल, श्री ... बीकापुर (मध्य)
३५९—व्रजविहारी मिश्र, श्री ... फूलपुर (उत्तर)
३६०—व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री ... घाटमपुर–भोगनीपुर (पूर्व)
३६१—शंकरलाल, श्री ... कादीपुर (मध्य)
३६२—शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री ... बाह
३६३—शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री . चकराता–पश्चिमीदून (उत्तर)
३६४—शिवकुमार पाण्डेय, श्री ... सिराथू–मन्झनपुर
३६५—शिवकुमार मिश्र, श्री ... तिलहर (उत्तर)
३६६—शिवकुमार शर्मा, श्री ... बिजनौर (दक्षिण)–धामपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३६७—शिवदान सिंह, श्री ... इगलास
३६८—शिवनाथ काटजू, श्री ... फूलपुर (मध्य)
३६९—शिवनारायण, श्री ... हरैया (पूर्व)–बस्ती (पश्चिम)
३७०—शिवपूजन राय, श्री ... मुहम्मदाबाद (उत्तर–पूर्व)
३७१—शिवप्रसाद, श्री ... हाटा (मध्य)
३७२—शिवमंगल, श्री ... बांसडीह (पश्चिम)
३७३—शिवमंगल सिंह कपूर, श्री ... डुमरियागंज (पश्चिम)
३७४—शिवराजबली सिंह, श्री .. खजुहा (पूर्व)–फतेहपुर (दक्षिण–पश्चिम
३७५—शिवराज सिंह यादव, श्री ... बिसौली–गुन्नौर (पूर्व)
३७६—शिवराम पाण्डेय, श्री ... डोरापुर (उत्तर)
३७७—शिवराम राय, श्री ... सदर (आजमगढ़) उत्तर
३७८—शिववक्ष सिंह राठौर, श्री ... करहल (पूर्व)–भोगांव (दक्षिण)
३७९—शिववचन राव, श्री ... सलीमपुर (उत्तर)
३८०—शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री . बहराइच (पूर्व)
३८१—शिवस्वरूप सिंह, श्री ... ठाकुर द्वारा
३८२—शुकदेवप्रसाद, श्री ... महाराजगंज (दक्षिण)
३८३—शुगनचन्द, श्री ... रुड़की (पश्चिम)–सहारनपुर (उत्तर)
३८४—श्याममनोहर मिश्र, श्री ... मलिहाबाद–बाराबंकी (उत्तर–पश्चिम)
३८५—श्यामलाल, श्री ... उतरौला (उत्तर)
३८६—श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री ... नरैनी
३८७—श्रीचन्द, श्री ... बुढ़ाना (पश्चिम)
३८८—श्रीनाथ भार्गव, श्री ... मथुरा (उत्तर)
३८९—श्रीनाथराम, श्री ... मुहम्मदाबाद (उत्तर)–घोसी (दक्षिण)
३९०—श्रीनिवास, श्री ... उतरौली (उत्तर)
३९१—श्रीपति सहाय, श्री ... राठ
३९२—सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती .. कासगंज (पूर्व)–अलीगंज (उत्तर)
३९३—संग्राम सिंह, श्री ... सोरों (उत्तर) फूलपुर (पश्चिम)

३९४—सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री ... सलीमपुर (पूर्व)
३९५—सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती ... गोंडा (पूर्व)
३९६—सत्यनारायण दत्त, श्री ... औरय्या-भरथना (दक्षिण)
३९७—सत्यसिंह राणा, श्री ... देवप्रयाग
३९८—सत्यानन्द, श्री ... सगरी (पूर्व)
३९९—सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती ... बरेली (पूर्व)
४००—सम्पूर्णानन्द, डाक्टर ... बनारस नगर (दक्षिण)
४०१—सावित्री देवी, श्रीमती ... मुसाफिरखाना (मध्य)
४०२—सियाराम गंगवार, श्री ... फर्रुखाबाद (मध्य)—कायमगंज (पूर्व)
४०३—सियाराम चौधरी, श्री ... कैसरगंज (मध्य)
४०४—सीताराम, डाक्टर ... देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)—हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
४०५—सीताराम शुक्ल, श्री ... हरैया (दक्षिण-पश्चिम)
४०६—सुखीराम भारतीय, श्री ... सिराथू-मन्झनपुर
४०७—सुन्दरलाल, श्री ... आवंला (पूर्व)—फरीदपुर
४०८—सुरुजूराम, श्री ... सदर (आजमगढ़) (उत्तर)
४०९—सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री ... हमीरपुर-मौदहा (उत्तर)
४१०—सुरेशप्रकाश सिंह, श्री ... बिसवां-सिधौली (पूर्व)
४११—सुल्तान आलम खां, श्री ... कायमगंज (पश्चिम)
४१२—सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री ... कानपुर नगर (उत्तर)
४१३—सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री .. हाटा (मध्य)
४१४—सेवाराम, श्री ... पुरवा (उत्तर)—हसनगंज
४१५—हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री ... सफीपुर-उन्नाव (उत्तर)
४१६—हबीबुर्रहमान आजमी, श्री ... मुहम्मदाबाद (उत्तर)—घोसी (दक्षिण)
४१७—हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री ... शाहजहांपुर (मध्य)
४१८—हमीद खां, श्री ... कानपुर नगर (मध्य-पूर्व)
४१९—हरखयाल सिंह, श्री ... बागपत (पूर्व)
४२०—हरगोविन्द पन्त, श्री ... रानीखेत (दक्षिण)
४२१—हरगोविन्द सिंह, श्री ... जौनपुर (पूर्व)
४२२—हरदयाल सिंह पिपल, श्री ... हाथरस
४२३—हरदेव सिंह, श्री ... देवबन्द
४२४—हरसहाय गुप्त, श्री ... बिलारी
४२५—हरिप्रसाद, श्री ... बिसलपुर (मध्य)
४२६—हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री ... सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)
४२७—हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री ... लखनऊ (मध्य)
४२८—हरिसिंह, श्री ... हापुड़ (उत्तर)
४२९—हुकुमसिंह, श्री ... कैसरगंज (दक्षिण)
४३०—हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री ... करछना (उत्तर)—चायल (दक्षिण)
४३१—होतीलाल दास, श्री ... एटा (दक्षिण)

———

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

उपाध्यक्ष

श्री हरगोविन्द पन्त, एम० एल० ए० ।

सचिव

श्री कैलासचन्द्र भटनागर, एम० ए० ।

सहायक सचिव

श्री कृष्णबहादुर सक्सेना, बी० ए० ।

विशेषाधिकारी

श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी० ।

अधीक्षक

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी० ।

श्री देवकी नन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

श्री भोलादत्त उपाध्याय ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा
R. A.
789

उत्तर प्रदेश विधान सभा

Ref
180
विधान पुस्तकालय
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १३ अक्तूबर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५४)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काली चरण टंडन, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीरअहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)

भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (रामपुर)
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन , श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खंरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री

रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लतीफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वनाथ पांडेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामा चरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरख़याल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

[६ अक्तूबर, १९५२ के परिवहन मन्त्री के स्थगित प्रश्न]

मुजफ्फरनगर में गवर्नमेंट रोडवेज़ स्टैण्ड का निर्माण

*३—श्री वीरेंद्र वर्मा (ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर)—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुज़फ़्फ़रनगर गवर्नमेंट रोडवेज़ स्टैण्ड के निर्माण में क्या देरी हो रही है और कब से यह निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जायगा ?

परिवहन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—मुज़फ़्फ़रनगर में बस स्टैण्ड बनाने के लिये (Land Acquisition Act) के अन्तर्गत भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है । ज्योंही भूमि प्राप्त हो जायगी इमारत बनाने का काम शुरू कर दिया जायेगा ।

* * * * * *

गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील के निवासियों को वर्षा काल में असुविधायें

*१५—श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी (ज़िला गोरखपुर)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि गोरखपुर में तहसील बांसगांव के निवासियों का आना जाना बहुधा हफ्तों तक बरसात के ज़माने में बाढ़ की वजह से ज़िला के अन्य भागों से नहीं रहता है ? यदि हां तो क्या सरकार इस असुविधा को दूर करने का कोई उपाय सोच रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—(क) जी हां ।

(ख) अभी तक कोई योजना नहीं बन पायी है ।

* * * * * *

*२७–२९—श्री केशव पांडेय (ज़िला गोरखपुर) (अनुपस्थिति)—[देखिये आगे पृष्ठ २२–२३ पर]

* * * * * *

*४०—श्री राजाराम किसान (ज़िला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २३ पर]

* * * * * *

*४७–४९—श्री गंगाधर मैठाणी (ज़िला गढ़वाल)—[२७ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये ।]

* * * * * *

रुड़की से मुजफ्फरनगर तक सरकारी बसों का एकाधिकार

*८०—श्री दीनदयालु शास्त्री (ज़िला सहारनपुर)—क्या यह सच है कि रुड़की से मुज़फ़्फ़रनगर तक जिसमें मंगलौर भी शामिल है, केवल सरकारी बसों का एकाधिकार है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां ।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार रुड़की और मुज़फ़्फ़रनगर के बीच में और प्राइवेट कम्पनियों को मोटर चलाने की इजाज़त दे सकती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस बात पर विचार किया जा रहा है लेकिन उस जगह पर सब जगह रोडवेज की मोटर चलाने का ही विचार है और किसी को इजाजत नहीं दी जायगी।

*८१—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह सच है कि सहारनपुर से रुड़की में भी सरकारी बसें चलती हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां ।

*८२—श्री दीनदयालु शास्त्री—यदि दोनों प्रश्नों का उत्तर हां में है, तो क्या कारण है कि सहारनपुर से मंगलौर लंठौरा के लिये प्राइवेट बसों को चलाने का परमिट दिया गया है ? यह परमिट किन सज्जनों को मिला है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—आर० टी० ए० ने एक अतिरिक्त बस की आवश्यकता इस रूट पर अनुभव की और उन्होंने परमिट दिया । यह परमिट सर्व श्री डी० एम० अग्रवाल कम्पनी रुड़की जिला सहारनपुर को मिला है ।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि इसकी आवश्यकता रोडवेज से क्यों पूरी नहीं की गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—बीच में जिस समय बहुत से प्राइवेट आपरेटर्स ने सरकार के खिलाफ मुकदमा हाईकोर्ट में दायर किया था उस समय हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया था कि जब तक कोई नेशनलाइजेशन का ऐक्ट पास न हो जाय तब तक केवल रोडवेज को ही चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती । उसके नतीजे पर आर० टी० ए० ने एक परमिट बढ़ा दिया था।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अन्य उन रोड्स पर जहां रोडवेज की बस चल रही हैं किसी प्राइवेट आपरेटर्स को मोटर चलाने का लाइसेंस मिला ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जिस तरह से यहां पर एक आदमी को परमिट दिया गया ऐसे और जगह भी आर० टी० ए० ने परमिट दिये थे और वह हमारी ख्वाहिश के खिलाफ दिये गये थे और हमारी शिकायत रही लेकिन आर० टी० ए० एक स्वतंत्र संस्था है उसकी क्वासी जुडिशियल की हैसियत है इसलिये हम उनको कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। हमारी ख्वाहिश के खिलाफ भी ऐसी बातें की जाती हैं जिनको हम पसन्द नहीं करते।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार कोई कानून बना कर ऐसे परमिटों को खत्म करना चाहती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस में कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है अब जब से नेशनलाइजेशन ऐक्ट पास हो गया है और उस के बाद से सरकार को अधिकार है कि वह किसी भी रोड को नोटिफाई करने के बाद अपने लिये सुरक्षित कर ले।

* * * * * *

*९४-९५—श्री चन्द्रपाल वाजपेयी (जिला रायबरेली)—[२७ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

[सोमवार, १३ अक्तूबर, १९५२ के प्रश्न]

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

नागर क्षेत्रों के किसानों की बेदखलियां

*१—श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार को पता है कि टाउन एरिया नोटिफाइड एरिया तथा म्युनिस्पैलिटियों के क्षेत्र में रहने वाले काश्तकारों तथा शिक-

मियों के खिलाफ बड़ी तादाद में बेदखलियां दाखिल हो रही हैं। यदि हां, तो क्या सरकार उनके रोकने का प्रबंध करने पर विचार कर रही है ?

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—दफा १७५ व १८०, यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट के अधीन बेदखली के मुकदमे जो पहले रुके हुये थे, खोल दिये गये हैं और सम्भवतः इस प्रकार के कुछ मुकदमे अब दायर हुये होंगे। परन्तु सरकार ने इस विषय में कोई सूचना इकट्ठी नहीं की है। इस प्रश्न पर कि किसी विशेष प्रकार की बेदखलियां रोकना उचित और जनहित में है या नहीं, विचार किया जा रहा है।

श्री लालबहादुर सिंह—क्या सरकार को पता है कि टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया के अन्तर्गत बहुत से ऐसे गांव हैं जहां के किसानों ने दसगुना दिया है और वहां पंचायत-राज एक्ट भी लागू है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—ऐसा तो किराकट टाउन एरिया के बारे में सुना है।

[स्वशासन मंत्री को प्रश्न २ से ४ तक के उत्तर देने के लिये बुलाये जाने पर]

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—मैं अभी हरद्वार से आ रहा हूं। और मेरे पास इन प्रश्नों के उत्तर नहीं हैं।

अध्यक्ष—यह उत्तर न देने का कोई कारण नहीं है। मेरे पास आप के कार्यालय से उत्तर आ गये हैं।

[विधान सभा सचिवालय से उत्तर मिलने पर स्वशासन मंत्री ने इन प्रश्नों के उत्तर दिये।]

जिला बोर्ड मेरठ की चेक बुक के लिये मांग

*२—श्री कैलाशप्रकाश (जिला मेरठ)—क्या यह सही है कि जिला बोर्ड मेरठ सरकार से अप्रैल मास से चेकबुक की मांग कर रहा है? क्या यह चेक बुक अभी तक नहीं भेजी गयी ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—जिला बोर्ड मेरठ ने सरकार को सितम्बर मास के अंतिम सप्ताह में लिखा था कि चेकबुक शासकीय मुद्रणालय से उपलब्ध न होने के कारण उनको स्थानिक प्रेस में मुद्रण कराने की स्वीकृत प्रदान कर दी जावे। इस पर सरकार ने अधीक्षक, शासकीय मुद्रणालय को तुरन्त चेकबुक मुद्रण करने का निदश दे दिया था। सरकार को अधीक्षक का यह आश्वसान प्राप्त हो गया है कि चेकबुक जिला बोर्ड मेरठ के पास ८ अक्तूबर तक अवश्य भेज दी जायेगी।

श्री कैलाशप्रकाश—क्या माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि अप्रैल के महीने में मेरठ जिला बोर्ड ने कोई चेकबुक की मांग की थी या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम—की थी।

श्री कैलाशप्रकाश—उन को क्या उत्तर भेजा गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम—प्रेस को लिखा गया था कि वह जल्द सप्लाई कर दे और उनको सप्लाई जल्द करने के लिये ताकीद की गई थी जिस का जवाब मिला था कि ८ अक्तबर तक अवश्य भेज दी जायंगी।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना—क्या मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि अभी चेकबुक मेरठ बोर्ड को मिली या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम—प्रेस ने लिखा था कि ८ अक्तूबर तक भेज दी जायंगी। इसकी सूचना अभी नहीं है कि अभी भेजी या नहीं।

*३—श्री कैलाशप्रकाश—क्या यह सही है कि उक्त जिला बोर्ड ने स्वयं चेकबुक छपवाने की आज्ञा मांगी, जो अस्वीकार की गयी ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस प्रश्न का उत्तर भी पहले प्रश्न के उत्तर में समन्वित है।

*४—श्री कैलाशप्रकाश—क्या यह सही है कि जिला बोर्ड मेरठ के पास चेकबुक न होने के कारण ही शिक्षकों को जुलाई और अगस्त के वेतन अभी तक नहीं दिये जा सके ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस विषय में सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

श्री बलवन्त सिंह—क्या यह चेकबुक प्रेस भेजता है बोर्ड को, या गवर्नमेंट भेजती है।

श्री मोहनलाल गौतम—प्रेस में छपकर वहीं से सीधे भेज दी जाती है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो यह चेकबुक नहीं भेजी गयी, जिसकी वजह से जो परेशानी हुई और काम रुका, वह किसकी जिम्मेदारी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जितने भी केस में जो देर होती है वह सब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है।

खादी की बिक्री में कमी

*५—श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि खादी की बिक्री कम हो रही है ?

उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—जी हां।

श्री बलवन्त सिंह—गवर्नमेंट को इसका क्या कारण मालूम हुआ कि खादी की बिक्री कम हो रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—लोग जरा पहनने में कोताही कर रहे हैं।

*६—श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार खादी के उद्योग की उन्नति के लिये २०० रुपये माहवार तक वेतन पाने वाले सरकारी अफसरान के लिये आफिस काल (Office Hours) में खादी पहनना अनिवार्य करेगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—सरकार इस पर विचार करेगी।

आयुर्वेदिक इन्जेक्शन्स तैयार करने के लिये लाइसेंस की आवश्यकता

*७—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या यह सत्य है कि आयुर्वेदिक इन्जेकशन के तैयार करने वाले फर्मों को सरकार से लाइसेंस लेने की आज्ञा दी गयी है ?

*८—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाएंगे कि उपरोक्त लाइसेंस न लेने के कारण प्रदेश के विभिन्न औषधालयों को हजारों रुपये के इंजेकशन के एम्पूल्स जब्त कर लिये गये हैं ?

अन्न मन्त्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—सरकार से लाइसेंस लेने की कोई आज्ञा नहीं दी गई है परन्तु ड्रग्स ऐक्ट के अन्तर्गत देश में एक ड्रग्स कण्ट्रोलर हैं, उन्होंने ड्रग्स ऐक्ट की धाराओं के अनुसार आयुर्वेदिक इन्जेक्शनों के निर्माणकर्ताओं से यह प्रमाण मांगा कि उनके इन्जेक्शन बिलकुल शुद्ध और स्तरीय शक्ति के हैं। कोई भी आयुर्वेदिक इन्जेक्शन के निर्माणकर्ता ने आवश्यक प्रमाण और सूचना नहीं दिया। इस कारण से ड्रग्स ऐक्ट के नियमों के अनुसार उनको लाइसेंस नहीं दिया गया। चूंकि बिना लाइसेंस के इन्जेक्शनों की बिक्री के लिये ऐक्ट में इजात नहीं है इसलिये ऐसे इन्जेक्शनों का सारा स्टाक जिलाधीश की इजाजत से ड्रग्स ऐक्ट की धारा २२ (सी) के प्रोवइजों के अन्तर्गत जब्त कर लिया गया। हो सकता है कि उसका मूल्य बहुत रहा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि प्रदेश में ड्रग ऐक्ट आयुर्वेदिक औषधियों के लिये लागू नहीं है ?

श्री बनारसी दास—ड्रग ऐक्ट सब प्रकार के सिस्टम की मेडिसिन्स के लिये लागू होता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—ड्रग ऐक्ट कण्ट्रोलर क्या एक एलोपैथिक आफिसर हैं ?

श्री बनारसी दास—जी हां।

तारांकित प्रश्न

*१–३—**श्री वीरेन्द्र वर्मा**—[इन प्रश्नों के उत्तर ८ सितम्बर, १९५२ को संख्या ९२–९४ के अन्तर्गत दिये गये।]

*४—५—**श्री राम कृष्ण जैसवार** (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)–[देखिये आगे पृष्ठ २३ पर]।

जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् मालगुजारी से आय तथा व्यय

*६—**श्री रमेश वर्मा** (जिला आगरा)—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् मालगुजारी से राज्य की कुल कितनी आय होगी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—लगभग १९ करोड़, परन्तु ज्यों-ज्यों सीरदार काश्तकार भूमिधर बनते जायेंगे त्यों-त्यों यह आय घटती जायगी।

श्री रमेश वर्मा—क्या सरकार कृपा कर के बतलायेगी कि इस मद की जमींदारी उन्मूलन से पूर्व सरकार की कितनी आय थी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—लगभग १२ करोड़ थी।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—क्या सरकार यह सूचित कर सकती है कि जमींदारी उन्मूलन के बाद सरकार को मालगुजारी में कितना घाटा हुआ है ?

श्री हुकुम सिंह—घाटे का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जमींदार लोग क्या लगान वसूल करते थे ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—लगभग १७ करोड़।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि फिर यह १२ करोड़ रुपये की आमदनी क्यों रह गयी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—पहिले जो १७ करोड़ बतलाया था वह जमींदारों को वसूल होने वाला रुपया बताया था। उसमें से सरकार को ६ करोड़ रुपया वसूल होता था।

श्रीमान् की आज्ञा से मैं यह बता देना चाहता हूं कि कुछ काश्तारों से १७ करोड़ रुपया वसूल होता था जिसमें से १२ करोड़ रुपया जमीदार ले लेते थे। और ६-७ करोड़ के दरमियान सरकार को बचत हो जाती थी।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि खुदकाश्त सीर वाले जमीदार जो अब भूमिधर बन गये हैं, उनकी मालगुजारी जो पहले सीर खुदकाश्त से बरामद होती थी वही रहेगी या कम या बेश की जायगी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—रास्टर रेट से लेकर, साकितुल मिल्कियत काश्तकारों का जो लगान होता है उसी रेट से सीर और खुदकाश्त का लगान दर्ज किया जाता है।

*७—श्री रमेश वर्मा—मालगुजारी वसूल करने की सरकार की व्यवस्था के अनुसार उस पर कुल रेवेन्यू का कितने प्रतिशत व्यय होगा?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—४.२ प्रतिशत।

श्री रमेश वर्मा—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि इस व्यय में वह व्यय भी शामिल है जो सरकार चुनी हुई गांव-सभाओं को मालगुजारी वसूल करने के एवज में देगी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मालगुजारी वसूल करने का जितना भी खर्चा है वह सब इसमें शामिल है। गांव सभाओं को देने की इसमें कोई रकम शामिल नहीं है।

*८—श्री रमेश वर्मा—क्या बचत में से कोई अंश सरकार गांव सभाओं को निर्माण कार्यों के लिये देने पर विचार करेगी?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् मालगुजारी से जो आय होगी उसमें से वसूल करने का खर्च, मुआविजे की किश्त, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लोकल रेट के सिलसिले में देय रकम, बक्फ तथा ट्रस्ट की वार्षिक वृत्ति तथा कृषि आयकर में कमी हो जाने वाली रकम को निकालने के बाद कोई बचत नहीं होती है। अतः बचत से गांव-सभाओं को रुपया देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रमेश वर्मा—क्या सरकार कुछ गांव-सभाओं को मालगुजारी वसूल करने का अधिकार देने जा रही है। यदि हां, तो कितनी गांव-सभाओं को ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—सरकार की यह मंशा जरूर है कि मालगुजारी वसूल करने में गांव-सभाओं की मदद ली जाय। इस प्रकार के आदेश भी जिला मैजिस्ट्रेटों को जारी किये गये थे और उन्होंने कुछ गांव-सभाओं के नाम भी सरकार के पास भेजे हैं। लेकिन अभी सरकार ने पूरी तरह निश्चय नहीं किया है। लेकिन वह गांव-सभाओं के जरिये से मालगुजारी वसूल करने का इरादा रखती है।

आजमगढ़ बस स्टेशन के निर्माण का ठेका

*९—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ बस स्टेशन बनाने का ठेका किसको दिया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—आजमगढ़ के बस स्टेशन बनाने का ठेका अभी किसी को नहीं दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय परिवहन मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे आजमगढ़ बस स्टेशन में जो पांच-छः कमरे बनाये गये हैं और गालिबन एक बनने के लिये बाकी है वह किसकी निगरानी में बन रहे हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मेरा ख़याल है कि जिनकी बाबत प्रश्नकर्ता महोदय समझते हैं कि वह बन गये हैं वह पुराने शेड हैं जिनको अभी कायम रखा गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय परिवहन मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पुराने कमरे जो थे वे कितने थे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

आजमगढ़ से मधुबन जाने वाली बसें

*१—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या यातायात मंत्री यह बतलायेंगे कि आजमगढ़ से मधुबन कितनी बसें जाती हैं तथा लोअर और अपर क्लास का किराया क्या-क्या है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—आजमगढ़ से मधुबन के लिये दो मार्ग हैं। एक मऊ से होकर और दूसरा दोहरीघाट होकर। इन दोनों मार्गों पर रोडवेज की एक-एक बस चलती है। इन दोनों मार्गों के लिये आजमगढ़ से मधुबन तक का किराया यह है।

आजमगढ़-मऊ-मधुबन.....	अपर क्लास	२।=)
,, ,,	लोअर क्लास	१।।।≡)
आजमगढ़-दोहरीघाट-मधुबन	अपर क्लास	२।≡)
,, ,,	लोअर क्लास	२-)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय परिवहन मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जुलाई महीने तक मधुबन से आजमगढ़ तक तीन बसें चलती थीं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसकी भी सूचना मेरे पास नहीं है।

*११—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या यह सही है कि जो बस मऊ होकर मधुबन जाती है उसका किराया घोसी से मधुबन तक का, दोहरी घाट से घोसी होकर मधुबन जाने वाली गाड़ी के किराये से एक आना ज्यादा रक्खा गया है। यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं, ऐसा नहीं है।

कानपुर सेंट्रल वर्कशाप के मुअत्तल कर्मचारी

*१२—**श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल** (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कानपुर सेंट्रल वर्कशाप के कितने कर्मचारी कितने समय से मुअत्तल हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कानपुर सेण्ट्रल वर्कशाप में इस समय केवल १७ कर्मचारी मुअत्तल हैं। इनमें से दो कर्मचारी एक साल के ऊपर से और १४ कर्मचारी ६ माह से और एक कर्मचारी ४ माह से मुअत्तल है।

*१३—**श्री भगवती प्रसाद शुक्ल** (बाराबंकी)—क्या सरकार श्री बी०एस० सक्सेना सुपरवाइजर, तथा उनके साथ के मुअत्तल व्यक्तियों के मामले में शीघ्र ही निर्णय देने का इरादा रखती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्री बी० एस० सक्सेना नामक कोई भी सुपरवाइजर सेण्ट्रल वर्कशाप कानपुर में नहीं है। सम्भवतः तात्पर्य श्री बी० एस० श्रीवास्तव से है। जो कि सुपरवाइजर के पद पर काम करते थे और २/४/५२ से मुअत्तल हैं।

इनके तथा अन्य मुअत्तल व्यक्तियों के मामलों में उचित अनुशासन की कार्यवाही हो रही है और निर्णय शीघ्र ही हो जायेगा।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अन्य कौन-कौन से लोग श्री श्रीवास्तव के साथ मुअत्तल हुये थे?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह बहुत बड़ी लिस्ट है। इसकी सूचना माननीय सदस्य मेरे दफ्तर में आकर ले सकते हैं।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)—क्या यह सत्य है कि यह लोग इसलिये मुअत्तल किये गये थे कि उन्होंने वर्कशाप के डिविजनल इंजीनियर की वर्कशाप में अव्यवस्था के विरुद्ध सूचना दी थी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अगर इस पर मुअत्तल हुये होंगे तो वह बरखास्त नहीं होंगे।

अध्यक्ष—माननीय मंत्री अगर मालूम हो तो उत्तर दे सकते हैं, काल्पनिक उत्तर नहीं दे सकते।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मुझे इसकी सूचना नहीं है।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)—क्या मैं जान सकता हूं कि श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध क्या अभियोग है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसकी भी सूचना की जरुरत होगी।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुअत्तल लोगों को मुअत्तली के समय में कुछ वेतन मिलता है, यदि हां, तो कितना?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, एक तिहाई मिलता है।

श्री नेकराम शर्मा—अभी तक जो मुअत्तल हुये थे उनकी बहाली क्यों नहीं हुई?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कुछ समय हर मुकदमे का फैसला करने में लग जाता है। इसके अलावा जिन लोगों के ऊपर चार्जशीट लगाई जाती है उनको मौका दिया जाता है कि अपनी गवाही वह पेश करें और सफाई दें और कई बार तो एसा होता है कि लोग सफाई करने में और गवाह पेश करने में देर लगा देते हैं। कभी-कभी ऐसा हो जाता कि हमारा दफ्तर लोगों को सफाई करने का मौका नहीं देता और जब इसभूल का हमारे टी०सी के दफ्तर को पता चला तो यह हिदायत दी गई कि जो गलती रह गई थी दोबारा उसको अवसर दिया जाय और इस वजह से कभी-कभी देर हो जाती है।

*१४-१६—श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २३-२४ पर]

*१७-१८—श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—[इन प्रश्नों के उत्तर ९ अक्तूबर, १९५२ को संख्या ८२-८३ के अन्तर्गत दिये गये।]

*१९-२०—श्री राजाराम किसान (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २४ पर]

नागर क्षेत्रों की जमींदारी

*२१—श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)—क्या टाउन एरियाओं, म्युनिसिपैलिटियों और नोटिफाइड एरियाओं में जमींदारी का अधिकार अभी शेष है? यदि हां, तो कब तक उसके वर्तमान रहने की सम्भावना है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी हां। जैसा कि इस सदन को मालूम है, इन क्षेत्रों में जमींदारी उन्मूलन के लिये "यू० पी० नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधान, १९५०" अभी हाल ही में प्रवर समिति को विचार के लिये भेजा गया है। विधान मंडल द्वारा पारित होने पर यह विधान उक्त क्षेत्रों में लागू किया जायगा।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)—क्या नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक द्वारा हाट, बाजारों और आबादी के भीतर खाली पड़ी भूमि पर भी टाउन एरिया आदि का अधिकार हो जायगा ?

अध्यक्ष—माननीय सदस्य से मैं यह कहूंगा कि सदन के सामने जब वह विधेयक आने वाला है, तो जो कुछ आने वाला है प्रवर समिति से उस समय वह तय कर सकते हैं, इस सवाल को। इसकी इजाजत नहीं है।

हरिद्वार और देहरादून से दिल्ली जाने वाली ट्रांसपोर्ट मोटरों के कर्मचारियों की असुविधायें

*२२—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह सही है कि हरिद्वार और देहरादून से दिल्ली जाने वाली ट्रांस्पोर्ट की मोटर गाड़ियों तथा बसों के ड्राइवरों और क्लीनरों के दिल्ली में ठहरने का कोई प्रबंध नहीं है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं, प्रबंध है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ड्राइवर और क्लीनरों के लिये दिल्ली में ठहरने की क्या व्यवस्था है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अभी वहां नये मकान बन रहे हैं, उनमें वह लोग ठहर सकते हैं। अभी वरैण्डा वगैरह में उनके लिये थोड़ा-बहुत प्रबंध है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना—क्या सरकार उनके ठहरने के लिये जो थोड़ा प्रबंध बहुत प्रबंध है उस को समुचित बनाने की कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सरकार इसके लिये शीघ्र से शीघ्र कोशिश करना चाहती है, लेकिन इतनी इमारतें सरकार के पास बनाने को पड़ी हैं, इसमें कुछ देर होनी आवश्यक है।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार को ज्ञात है कि वहां पर आफिसर इंचार्ज का तो बंगला बन गया है और ड्राइवर अभी तक बसों में सोते हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—शुरू किया गया है दफ्तर से और उसमें एक कमरा जो बाहर से आने वाले हैं उनके ठहरने के लिये भी बना है। एक कमरा मुसाफिरों के लिये भी बना है।

*२३—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह सही है कि इन ड्राइवरों और क्लीनरों को दिल्ली रहने का भत्ता बहुत दिनों से नहीं मिला ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं।

*२४—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार बतलायेगी कि इस भत्ते की शरह क्या है और क्या वह दिल्ली के लिये पर्याप्त है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—भत्ते की शरह इस प्रकार है: ड्राइवर १ रु०, क्लीनर कण्डक्टर १० आ० और क्लीनर ६ आ० प्रति रात्रि।

यह दर दिल्ली के लिये पर्याप्त है कि नहीं इसके बारे में जांच की जा रही है।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार बतलायेगी कि यह जांच कब तक समाप्त हो जायगी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—टी० सी० के दफ्तर से रीजनल मैनेजर्स को लिखा गया है कि वह अपनी राय दें। उनकी राय आने के बाद सरकार के सामने सवाल पेश किया जायगा और इसके ऊपर विचार किया जायगा।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह सही है कि मार्च, १९५१ को मेरे एक प्रश्न के उत्तर में उन दिनों के परिवहन मंत्री ने भी ऐसी जांच की बात कही थी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मुझे इसकी सूचना नहीं है। लेकिन यह संभव है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना—क्या सरकार, जब तक कि इस भत्ते के संबंध में जांच की बात पूरी हो इस एक रुपये और दस आने की दर को कुछ इंटेरिम पीरियड के लिये बढ़ाने के लिये कोशिश करेगी?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बतलायेगी कि यह जो जांच चल रही है वह किस तारीख से चल रही है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। सिर्फ यह सूचना है कि टी० सी० के दफ्तर से रीजनल मैनेजर को लिखा गया है। अगर आप कहें तो सूचना मंगा सकता हूं।

अलीगढ़ जिले में नियोजन योजना के अन्तर्गत ट्यूब वेल्स तथा पक्के कुओं का निर्माण

*२५—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ में प्लानिंग योजना के अन्तर्गत कितने ट्यूबवेल्स एवम् सिंचाई के लिये पक्के कुएं बनाने की योजना है?

कृषि उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदेश में जिन नल कूपों तथा पक्के कुओं के बनाने का आयोजन है उन सब का अभी जिलेवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। केवल सरकारी नलकूपों में से १४० जिला अलीगढ़ में बनाने का आयोजन है, इसके अतिरिक्त ५० सहकारी नलकूप इस वर्ष अर्थात १९५२-५३ में उसी जिले में बनने हैं।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि ये जलकूप किस प्रकार बनाये जायेंगे?

श्री जगनप्रसाद रावत—सिंचाई के हिसाब से निर्धारित हो जायेंगे।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिरा अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला अलीगढ़ में जो १४४ प्लानिंग योजना के अनुसार नलकूप बनेंगे, ये तहसील वाइज बनेंगे या वैसे ही ?

श्री जगनप्रसाद रावत—तहसीलवार बनाने का कोई सवाल नहीं उठता। जहां आवश्यकता है और जहां ज्यादा ज्यादा से ज्यादा सिचाई नलकूपों से हो सकती है उन्हीं जगहों पर बनाये जायेंगे।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि जिला अलीगढ़ के सिकन्दराराव दक्षिणी क्षेत्र में इस योजना के अन्तर्गत एक भी जलकूप बनाने की व्यवस्था नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—सिकन्दराराव क्षेत्र में नहरों से सिंचाई का काफी प्रबंध है। अलीगढ़ जिले में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां नहरों से सिंचाई नहीं हो सकती और नलकूपों से अच्छी हो सकती है। इसलिये जहां जैसी आवश्यकता होती है उसी के अनुसार कार्य किया जाता है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि दक्षिणी क्षेत्र में हजारों बीघा जमीन बिना सिंचाई के पड़ी रहती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जहां लाखों एकड़ जमीन का सवाल होता है वहां दो एक हजार एकड़ जमीन का कोई सवाल नहीं होता।

*२६—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ में सन् १९४७ ई० तक कितने सिंचाई के पक्के कुएं बनाये गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जिला अलीगढ़ में सन् १९४७ से दिसम्बर, सन् १९५१ तक सरकारी योजना के अन्तर्गत कुल ४५७ सिंचाई के पक्के कुए निर्माण किये गये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले के अन्दर ट्यूबवेल्स के लगाने की औसत कीमत क्या बैठती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस समय इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

गांव सभाओं में हाट और बाजार की झरी वसूल करने के सम्बन्ध में सरकारी परिपत्र

*२७—श्री देवमूर्ति राम (जिला बनारस)—क्या सरकार को पता है कि जमींदारी उन्मूलन अर्थात् १ जूलाई, सन् १९५२ ई० के पश्चात् गांव-सभाओं में हाट और बाजारों की झरी वसूली के सबंध में दो परिपत्र भेजे गये हैं। यदि हां, तो क्या सरकार उनकी प्रतिलिपियां मेज पर रक्खेगी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—१ जुलाई, १९५२ के पश्चात् गांव-सभाओं में हाट और बाजारों की झरी वसूली के संबंध में एक परिपत्र ६-१०-५२ को भेजा गया था उसकी प्रतिलिपि मेज पर रखी जा रही है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७० पर)

श्री देवमूर्ति राम—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि एक जुलाई को एक सरकुलर के द्वारा इस तरह की घोषणा की गई थी जिस के अनुसार हाट-बाजारों की वसूली गांव-सभाओं को सौंपी गई थी और उसके बाद यह दूसरा परिपत्र भेजा गया जिस के द्वारा वही पहले वाला तरीका रखा है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—प्रतापगढ़ जिले के कलेक्टर ने कुछ शंकायें प्रकट की थीं तो उन का जवाब दिया गया था, कोई दूसरा परिपत्र तमाम जिलाधीशों को नहीं भेजा गया।

*२८—श्री देवमूर्ति राम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस दूसरे परिपत्र द्वारा उसने ग्राम-सभाओं के हाथों से झरी वसूली का अधिकार जमींदारों के ठेकेदारों के हाथ सौंप दिया है उसमें ठेकेदार के ठेके की प्रमाणिकता का क्या आधार माना है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—इस प्रश्न का उत्तर मेज पर रखे गये परिपत्र के पैराग्राफ ९ से स्पष्ट हो जायगा।

श्री देवमूर्ति राम—क्या सरकार कृपा करके बतावेगी कि ठेकेदार के ठीके की प्रमाणिकता कैसे मानी जाती है वह डायरेक्टर के जरिये प्रमाणित मानते हैं या जिस को जमींदारों के ठेकेदार कहते हैं उनको ही माना चाता है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—दोनों में से जो ठीक होते हैं वही मान लिये जाते हैं।

*२९-३१—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—[१० नवम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*३२-३३—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २४ पर]

*३४-३६—श्री सत्यनारायण दत्त (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २४-२५ पर]

जमींदारी विनाश के पश्चात् लगान वसूली के लिये अवकाश प्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति

*३७—श्री लालबहादुर सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जमींदारी समाप्त हो जाने पर अब मालगुजारी या लगान वसूल करने के लिये या उसके निरीक्षण के लिये कुछ अवकाश प्राप्त अधिकारी रक्खे गये हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी नहीं।

श्री लालबहादुर सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कोर्ट-आफ़ वार्ड्स या सप्लाई डिपार्टमेंट से जो लोग लिये जा रहे हैं, उनकी सर्विस टर्मिनेट करके उनको लिया जा रहा है, या कांटिन्यु करके लिया जा रहा है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—कोर्ट आफ वाटर्ड्स तो खत्म हो गया उसके टर्मिनेट करने का सवाल नहीं है। सप्लाई डिपार्टमेंट से जो लिये जा रहे हैं वे सप्लाई डिपार्टमेंट से अलग हो करके इसमें आ रहे हैं।

*३८-४०—श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—[१० नवम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

बाढ़ और सूखा से पीड़ित बलिया जिले की जनता को सहायता

*४१—श्री बैजनाथ सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार को मालूम है कि बलिया जिला बाढ़ और सूखा दोनों के कारण पिछले सालों में तबाह हो चला है ? यदि हां, तो सरकार बलिया जिलेकी जनता के रक्षार्थ इस संबंध में कौन-कौन सी कार्रवाई करने का विचार कर रही है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—बलिया जिला में गंगा और सरयू की बाढ़ से प्रायः फ़स्लों को काफ़ी क्षति पहुंचती है । गत वर्ष सूखा के कारण तथा इस वर्ष सूखा और बाढ़ दोनों के कारण कुछ क्षेत्रों में फ़सल को हानि हुई ।

सन् १९४८ में बलिया में गंगा की बाढ़ से बहुत हानि हुई थी । उस बाढ़ के पश्चात् सरकार ने कुछ बांध बनवाये थे जिनसे नदी तट के आस-पास के गांवों की बाढ़ के समय रक्षा होती है । बाढ़ की समस्या का स्थायी हल ढूंढने के लिये सरकार ने एक बाढ़ समिति नियुक्त की है । इस समिति की रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है । रिपोर्ट के तैयार हो जाने पर सरकार उचित कार्यवाही करेगी ।

पूर्वी जिलों की अन्नाभाव स्थिति को स्थायी रूप से दूर करने के लिये सरकार प्रयत्नशील है और बलिया भी इस संबंध में की गयी कार्यवाही से अवश्य लाभान्वित होगा ।

श्री बैजनाथ सिंह—क्या सरकार बतालाने की कृपा करेगी कि यह समिति जो बनी है यह कब बनी, इसके कौन-कौन से लोग सदस्य हैं और इनसे कब तक रिपोर्ट मांगी गयी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह कमेटी तो २५ सितम्बर, सन् १९४८ ई० को बनी थी । सदस्यों के नाम तो इस समय मेरे पास नहीं हैं । उस कमेटी की कुछ सब-कमेटियां बनीं थीं और उन सब की रिपोर्ट आ चुकी है । केवल टेक्निकल सब-कमेटी की रिपोर्ट सरकार को अभी नहीं प्राप्त हुई है । आशा है कि वह बहुत जल्द प्राप्त हो जायगी ।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—सरकार ने जो यह सूचना दी कि समिति नियुक्त हुई है तो उसकी रिपोर्ट इस भवन में कब तक आ जाने की सम्भावना है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जैसा मैंने अभी बताया कि पलड कमेटी की जितनी सब-कमेटीज़ थीं उनकी रिपोर्ट तो मिल गई और उसके अनुसार सरकार कार्यवाही कर रही है, लेकिन टेक्निकल सब-कमेटी की रिपोर्ट अभी तक सरकार के पास नहीं आयी है । इसलिये पूरी रिपोर्ट अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुई है । आशा है वह रिपोर्ट भी बहुत जल्द ही आ जायगी ।

श्री बैजनाथ सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह समिति सिर्फ़ उन्हीं विषयों पर अपनी राय देगी जो कि बाढ़ से उत्पन्न होते हैं या सूखे से ग्रस्त एरिया के लिये भी कुछ विचार इसके सामने आयेगा ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह कमेटी केवल बाढ़ से किस प्रकार रक्षा हो सके इसके लिये बनी है । सूखे का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस कमेटी की सिफ़ारिशों के मुताबिक़ उसका फ़ैसला अगली बरसात से पहले-पहले हो जायगा ?

श्री द्वारक प्रसाद मौर्य—इन्तजार कीजिये, मुमकिन है हो जाय ।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उस कमेटी में सरकारी विशेषज्ञ ही हैं या ग़ैर सरकारी सदस्य भी हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मैंने पहले ही कहा कि मेरे पास इस समय सदस्यों के नाम तो नहीं हैं । जहां तक मुझे ख़याल आता है उसमें ग़ैर-सरकारी लोग भी हैं ।

जमींदारी उन्मूलन कार्य में जौनपुर जिले में हरिजनों की नियुक्ति

*४२—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिला की प्रत्येक तहसील में जमींदारी उन्मूलन के संबंध में जो कार्य किया जा रहा है उसमें कुल कितने कर्मचारी रक्खे गये हैं और उसमें कुल कितने हरिजन हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मांगी गयी सूचना इस प्रकार है—

नाम तहसील	कर्मचारियों की संख्या	हरिजनों की संख्या
जौनपुर	२४	३
मढ़ियाहूं	२८	२
मछलीशहर	३०	३
शाहगंज	३१	२
केराकत	२४	४
योग	१३७	१४

*४३—श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)— [२७ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया।]

*४४-४५—श्री रामलखन (जिला बनारस)—[१० नवम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

तहसील बांसी और खलीलाबाद में बाढ़

*४६—श्री प्रभुदयाल—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील बांसी और खलीलाबाद तहसील के कितने गांव बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गये हैं?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—तहसील बांसी में ३४६ गांव और तहसील खलीलाबाद में ९६ गांव बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुये हैं।

श्री प्रभूदयाल—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि बाढ़-पीड़ितों को कौन सी सहायता अब तक दी गयी है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—बाढ़ क्षति ग्रस्त लोगों को ग़ल्ला बांटना, ग्रट्इशस रेलीफ़ तथा और सब प्रकार की जरूरत का सामान उनको दिया गया है। बीज वग़ैरह का प्रबंध भी उनके लिये किया गया है।

श्री प्रभुदयाल—क्या सरकार को मालूम है कि बांसी तहसील के उत्तरी भाग में और खलीलाबाद तहसील के पूर्वी भाग में बाढ़ आती हैं उसको रोकने के लिये क्या कोई स्थायी प्रबंध किया जा रहा है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—तमाम पूर्वी जिलों में बाढ़ों के रोकने के लिये सरकार विचार कर रही है और एक रिलीफ़ कमेटी कायम हुई है। जब तक यह योजना नहीं आ जाती है सरकार कोई क़दम नहीं उठा सकती है।

देवरिया जिले में सिंचाई के लिये कुओं का निर्माण

*४७—श्री राजवंशी राय (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में सिंचाई सहायक योजना के अन्तर्गत कितने कुयें बने हैं, और कितने कुओं में बोरिंग हुई है?

श्री जगनप्रसाद रावत—देवरिया जिले में सिंचाई योजना के अन्तर्गत जून ३०, १९५२ तक १०२४ पक्के कुएं बनाये गये हैं और ८८९ कुओं में बोरिंग की गई।

श्री राजवंशी राय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करगी कि इन चार सालों में से किन-किन सालों में कितने कुयें बने?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

*४८—श्री राजवंशी राय—क्या सरकार यह बतलायेगी कि कितने मंजूर शुदा कुओं की छूट (सबसिडी) अब तक नहीं दी गयी है?

•श्री जगनप्रसाद रावत—अभी ८३७ कुओं पर छूट देना बाक़ी है।

*४९—श्री राजवंशी राय—क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि देवरिया जिले में कितना रुपया बोरिंग के वास्ते अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा हुआ और उन लोगों के कितने कुओं की बोरिंग नहीं हुई है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—९४९ कुओं की बोरिंग के हेतु ६१,००० रु० अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा हुआ, जिनमें से केवल ६० कुओं की बोरिंग होनी बाक़ी है।

श्री राजवंशी राय—जो कुओं की सब्सीडी देना बाक़ी है वह अब तक क्यों नहीं दी गयी है? क्या कारण है?

श्री जगनप्रसाद रावत—असल में जब कुयें बन जाते हैं तो इस बात का विश्वास होता है कि वास्तव में कुयें बने या नहीं। कहीं-कहीं पर शिकायतें आई हैं कि लोगों ने कुयें बनाने के लिये तक़ावी ली है और कुयें न बना कर दूसरे अन्य कामों में रुपया खर्च किया। इसलिये जब तक यह निश्चय नहीं हो जाता है कि कुवें बन गये हैं तब तक सब्सीडी नहीं दी जाती है और यदि यह पाया जाता है कि कुयें नहीं बनाये गये तो तकावी भी उनसे मालगुजारी के रूप में वसूल कर ली जाती है।

श्री राजवंशी राय—कितने कुओं की इन्क्वायरी हो कर मंजूर हो चुकी है यह बतलाने की कृपा करें।

श्री जगनप्रसाद रावत—प्रश्न के उत्तर में मैं बतला चुका हूं कि ८३७ कुओं पर अभी छूट देना बाक़ी है।

*५०-५२—श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)—[१० नवम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*५३-५४—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे २५ पृष्ठ पर।

*५५-५६—श्री सुन्दरलाल (जिला बरेली)—[१० नवम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*५७-५८—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—[२७ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*५९—श्री हरि सिंह (जिला मेरठ)—[२७ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया।]

*६०—श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—[२७ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया।]

अबवाब की दर बढ़ाने के लिये सरकारी आदेश

*६१—राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या राजस्व मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जब सरकार ने अबवाब की दर बढ़ा कर १८ ३/४ प्रतिशत कर दी थी तो जिला अधिकारियों को आदेश भेजे गये थे कि बढ़े हुये अबवाब में से जमींदार एक पैसा रुपया काश्तकार से वसूल कर सकेगा ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी हां।

*६२—राजा वीरेन्द्रशाह—क्या यह सही है कि अभिदिष्ट अबवाब का एक पैसा रुपया जो जमींदारों ने काश्तकारों से वसूल किया वह पटवारियों ने अपने रजिस्टरों में इन्दराज नहीं किया ? यदि नहीं किया, क्यों नहीं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—अभी तक केवल १८ जिलों से उत्तर प्राप्त हुआ है। इनमें से १० जिलों में पटवारियों ने १ पैसा प्रति रुपया अबवाब जो जमींदारों ने काश्तकारों से वसूल किया है, खतौनी में दर्ज किया है। अन्य जिलों से अभी सूचना प्राप्त नहीं हुयी है। हो सकता है कि ८ जिलों के अलावा और जिलों में भी इंदराज नहीं किया गया हो। इसका कारण यह है कि कोई गश्ती हिदायत माल परिषद ने इस अबवाब के इंदराज के बारे में जारी नहीं की थी।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गश्ती चिट्ठी सरकार ने किस कारण से हिदायती चिट्ठी नहीं भेजी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जैसा कि जवाब में कहा गया है कि यह आदेश नहीं भेजा गया था किन्तु वह एक पैसा खतौनी में दर्ज कर दिया जायगा।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह—क्या सरकार कृपा कर यह बतलायेगी कि यह जो अबवाब वसूल किये गये थे वह उनकी कच्ची निकासी में जोड़े जांयगे ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—यह तो आप जमींदारी अबालिशन ऐक्ट को देखकर मालूम कर सकते हैं।

*६३—राजा वीरेन्द्रशाह—क्या राजस्व मंत्री कृपया यह भी बतलायेंगे कि सरकार जिला अधिकारियों द्वारा पटवारियों को शीघ्र ही इस आशय के आदेश भेजेंगी कि वह काश्तकारों से जमींदारों द्वारा एक पैसा रुपया वसूल किया हुआ अबवाब अपने रजिस्टर में दर्ज कर लें ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी हां। लैंड रिफार्म कमिश्नर को आदेश दिया गया है कि काश्तकारों से वसूल होने वाले अबवाब का इंदराज १३५९ फ़सली की खतौनी में अन्य जिलों में भी शीघ्र करवा दें।

बदायूं जिले में सिंचाई के कुओं के लिये सीमेंट का अभाव

*६४—श्री तुलसीराम (जिला बदायूं)—क्या सरकार को ज्ञात है कि सिंचाई के कुओं के वास्ते बदायूं जिले में सीमेंट नहीं आता है ? यदि हां, तो वह कब तक आयेगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—बदायूं जिले में जून, १९५२ से सिंचाई के कुओं के लिये सीमेंट नहीं आ सका है। आशा की जाती है कि वर्षा के पश्चात् कुएं गलाने का काम प्रारम्भ होने के पहले काफी सीमेंट पहुंच जायगा।

श्री तुलसीराम—क्या सरकार यह बतलायेगी कि १९५०-५१ में बदायूं जिले में कितने कुयें बने ?

श्री जगनप्रसाद रावत—कुओं की तादाद इस समय मेरे पास नहीं है।

तहसील मऊरानीपुर (झांसी) में डीज़िल आयल टैंक में आग लगना

*६५—श्री लक्ष्मणराव कदम (ज़िला झांसी)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि झांसी ज़िले के मऊरानीपुर तहसील में अभी हाल ही में आने वाले डीज़िल आइल के टैंक में आग कैसे और किस वक्त लगी थी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—एक डीज़िल आयल का नया टैंक जो रेलवे वैगन नं० ४२८३४ में था बम्बई से मऊरानीपुर रेलवे स्टेशन पर ७ जून, १९५२ ई० को क़रीब ६ बजे शाम पहुंचा। जब यह टैंक वाली गाड़ी साइडिंग में थी तो ८ जून, १९५२ ई० को क़रीब १ बजे रात को उसमें अचानक आग लग गई।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बतलायेगी कि क्या यह बात ठीक है कि डीज़िल आइल का टैंक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनने वाले सपरार बांध के लिये आया था ? और उसमें लगभग ४०-५० हज़ार रुपये का तेल था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसकी मेरे पास सूचना नहीं है।

*६६—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त आग के लगने से उत्तर प्रदेशीय सरकार को कितना नुक़सान हुआ और क्या उसके संबंध में कोई जांच की गई ? यदि नहीं, तो क्यों, यदि हां, तो क्या सरकार उसकी रिपोर्ट पेश करने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट की है कि प्रदेशीय सरकार को कोई हानि इससे नहीं हुई। यह दुर्घटना सेण्ट्रल रेलवे की हद के अन्दर घटी थी इसलिये रेलवे अधिकारियों द्वारा इसकी जांच हुई थी।

राज्य में जूट की उपज तथा प्रयोग

*६७—श्री कमाल अहमद रिज़वी (ज़िला खीरी)—क्या यह सत्य है कि उत्तर-प्रदेश में पिछले वर्ष जो जूट पैदा हुआ था वह अब तक किसानों के पास रखा हुआ है ? यदि हां, तो कृपा करके यह बताया जाय कि कितना जूट बच रहा और उसकी निकासी के लिये सरकार ने क्या प्रबंध किया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां। यह अनुमान किया जाता है कि लगभग ७० हज़ार मन जूट का रेशा उत्तर प्रदेश की मुख्य मंडियों व देहातों में बिक्री न होने के कारण पड़ा रह गया। जूट के ऊपर कोई नियंत्रण न होने के कारण उसकी निकासी में कोई अड़चन नहीं है इस पर भी जूट विभाग के कर्मचारी इसकी निकासी में मदद करते हैं। जूट की बिक्री शुरू हो गई है और आशा है कि शीघ्र ही सब बिक जायेगा।

श्री कमाल अहमद रिज़वी—क्या सरकार कृपा करके बतावेगी कि जिन किसानों के पास जूट पड़ा रह गया है और इससे उनकी जो हानि हुई है उसके लिये क्या सरकार उनको कम्पेनसेट करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—ऐसा कोई इरादा नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलावेंगे कि पिछले साल कुल कितना जूट पैदा हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत—पिछले वर्ष के आंकड़े इसमें दिये हुये हैं।

*६८—श्री कमाल अहमद रिज़वी—क्या सरकार के पास कोई ऐसा प्रबंध है, जिसके द्वारा जूट की उपज और उसके प्रयोग के सही आंकड़े जमा हो सकें ? यदि हां, तो क्या ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जिन क्षेत्रों में जूट की खेती हो रही है वहां आवश्यकतानुसार जूट विभाग के कमचारी नियुक्त हैं, इन्हीं कर्मचारियों द्वारा उपज का अनुमान लगा कर प्रान्त की उपज के आंकड़े एकत्रित किये जाते हैं। प्रान्त की मुख्य-मुख्य मंडियों में हमारे जूट विभाग के कर्मचारी देख-रेख रखते हैं। और आमद और बिक्री के आंकड़े जमा करते हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि जूट की खेती स्पेशल प्रोपेगंडा के जरिये से बढ़ाई गई थी और उसके मार्केटिंग का ऐसी हालत में अभी तक क्यों प्रबंध नहीं किया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसका प्रबंध हो रहा है और आशा है कि व सब बिक जायगा।

*६९—श्री कमाल अहमद रिजवी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी हमारे प्रान्त की पैदावार का कितना प्रतिशत जूट प्रान्त के बाहर पहिले तीन वर्षों में जाता रहा है और कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश की मिलों ने खरीदा है और वह जूट जो यू० पी० की मिलों ने खरीदा है उन मिलों की आवश्यकताओं का कितना प्रतिशत है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

सन् (फसली)	कुल पैदावार मन	जूट जो प्रान्त के बाहर गया कलकत्ता—	जूट जो प्रांत की मिलों ने खरीदा	जूट जो अन्य एजेंसियों द्वारा खरीदा गया
१९४९–५०	१,०३,२३०	...	६९,७०० ६७.५ प्रतिशत	३३,५३०
१९५०–५१	२,३८,०००	२४,००० १० प्रतिशत	९२,२५५ ३८.७ प्रतिशत	१,२१,७४५
१९५१–५२	४,९२,२०४	१,३१,७६९ २६.८ प्रतिशत	१,२७,७०३ २५.९ प्रतिशत	१,६२,७३२

प्रान्तीय जूट मिलों का साल भर का खर्च ८ लाख मन के है जिसमें से १९४९ में केवल ८.७ प्रतिशत खरीदा, १९५० में ११.५ प्रतिशत और १९५१ में १५.९ प्रतिशत खरीदा।

*७०–७१—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—[देखिये [आगे पृष्ठ २५–२६ पर]

[६ अक्तूबर, १९५२ के परिवहन मन्त्री से सम्बन्धित अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्न]

ट्रैफिक मैनेजर, बनारस के विरुद्ध शिकायत

*२७—श्री केशव पांडेय (अनुपस्थित)—क्या परिवाहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष के बनारस रोड़वेज डिपो इन्चार्ज ने उस समय के स्थानीय ट्रैफिक मैनेजर, रोड़वेज के खिलाफ़ यह रिपोर्ट की थी कि उक्त आफ़िसर पेट्रोल की चोरबाजारी करते हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जेनरल मैनेजर, इलाहाबाद के कार्यालय के पिछले रिकार्ड से विदित होता है कि गत वर्ष में बनारस के डिपो इंचार्ज ने ऐसी कोई रिपोर्ट रोड़वेज के पेट्रोल की चोरबाजारी के विषय में नहीं की।

*२८—श्री केशव पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त ट्रैफ़िक मैनेजर बनारस जाने के पूर्व लखनऊ रोड़वेज में एलाटमेंट आफ़िसर थे और उन पर यहां भी मोटर पार्ट्स के संबंध में अभियोग लगा था ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या किया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह सत्य है कि ट्रैफ़िक मैनेजर इलाहाबाद रीजन जाने के पूर्व लखनऊ रोड़वेज में अलाटमेंट आफ़िसर थे, किन्तु उनके ऊपर मोटर पार्ट्स के संबंध में कोई भी अभियोग लगा हो, इस भांति के कोई भी काग़ज़ जेनरल मैनेजर लखनऊ के दफ्तर में नहीं हैं और न इस विषय में कोई विश्वस्त सूचना ही है।

*२९—श्री केशव पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त आफ़िसर आजकल लखनऊ रोड़वेज में किस उच्च अधिकारी की हैसियत से नियुक्त हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह सत्य है कि यह आफ़िसर आजकल लखनऊ रोड़वेज में असिस्टेण्ट रीजनल मैनेजर के पद पर हैं।

* * * *

प्रतापगढ़-रायबरेली रोड पर बस सर्विस

*४०—श्री राजाराम किसान (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ से रायबरेली रोड पर वह बस सर्विस करने का विचार कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं।

[१३ अक्तूबर, १९५२ के अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्न]

* * * *

मिर्जापुर जिले के ग्राम विसुन्द्रपुर में पड़ाव की भूमि

*४—श्री रामकृष्ण जैसवार (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि जिला मिर्जापुर के अन्तर्गत ग्राम विसुन्द्रपुर में लाइन के पोखरों पर, जिसको पड़ाव कहते हैं क़रीब १०० बीघा से भी अधिक भूमि है, जो एक साल सरकार द्वारा खेती के लिये दी गई थी, परन्तु वह किसानों से फिर ले ली गई और अब उपजाऊ भूमि बेकार पड़ी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां। परन्तु भूमि का क्षेत्रफल केवल ५९ १/२ बीघा है न कि १०० बीघा। यह भूमि भारत सरकार के रक्षा विभाग की सम्पत्ति है। वह १३५३ फ़सली वर्ष में "अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन" के संबंध में ली गयी थी और ४२ में किसानों को पट्टे पर उठाई गई थी। परन्तु वह किसान लगान न दे सके और वसूली में अधिक कठिनाइयां उठानी पड़ीं इसलिये भूमि उनसे ले ली गई और उस पर डेरी फार्मिंग केन्द्र खोलने के लिये एक स्थानीय व्यापारी श्री आर० पी० मुसद्धी को जून, १९४७ में पट्टे पर उठा दी गई थी। उन्होंने भी शर्तनामे के प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया। अतः अप्रैल, १९४९ में उनसे भी भूमि खाली करा ली गई तब से वह भारत सरकार के रक्षा विभाग ने वापस ले ली है। इस जमीन को भारत सरकार से वापस लेने के लिये प्रयत्न किये गये और उनकी आज्ञा प्राप्त होने पर यह भूमि खेती के काम में लाई जा सकेगी।

*५—श्री रामकृष्ण जैसवार (अनुपस्थित)—क्या सरकार उपर्युक्त बेकार पड़ी हुई उपजाऊ भूमि को वहां के भूमिहीन ग़रीब हरिजनों को खेती करने तथा बसने के लिये देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—उपरोक्त परिस्थितियों में भूमि को ग़रीब हरिजनों को देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

* * * *

राज्य के पशु-चिकित्सालय

*१४—श्री श्रीचन्द (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश में कितने पशु-चिकित्सालय हैं और सन् १९५२ ई० में कितने और कहां-कहां नये पशु-चिकित्सालय खुलेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—२२८। वित्त वर्ष १९५२-५३ में तीन नये पशु-चिकित्सालय खोलने की बजट में व्यवस्था की गयी है। इनमें से एक भाव बहादुरनगर जिला बुलन्दशहर और एक छपरौली जिला मेरठ में खोलने का निश्चय किया गया है। तीसरे चिकित्सालय का स्थान अभी सरकार के विचाराधीन है।

*१५—**श्री श्रीचन्द** (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशु-चिकित्सालय, मथुरा में किन-किन प्रदेशों के विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत—उड़ीसा, मैसूर, आसाम, जोधपुर, जयपुर, राजस्थान, काश्मीर, अजमेर, दिल्ली और ट्रावनकोर-कोचीन।

*१६—**श्री श्रीचन्द्र** (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कितने वैटेरेनरी असिस्टेण्ट सर्जनों की आवश्यकता है और कब तक यह आवश्यकता पूरी हो जायगी?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस समय विभाग में १२४ वेटेरिनरी असिस्टेण्ट सर्जनों के स्थान खाली हैं। इस आवश्यकता को पूरी करने का प्रयत्न किया जा रहा है और आशा की जाती है कि क़रीब चार वर्ष में पूरी हो जायगी।

* * * * * *

जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् परती बंजर भूमि तथा वृक्षों का प्रबन्ध

*१९—**श्री राजाराम किसान** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि पहली जुलाई को जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् परती, बंजर तथा उनमें स्थित वृक्ष आदि का प्रबन्ध शासन ने किया या नहीं?

श्री चरण सिंह—जी हां। सरकार ने समुचित इन्तजाम कर लिया है।

प्रतापगढ़ जिले में शासकीय सम्पत्ति को हानि

*२०—**श्री राजाराम किसान** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिले में ऐसी अनेक सूचनायें जिलाधीश को दे गई हैं कि कुछ लोगों ने शासकीय सम्पत्ति को हानि पहुंचायी है? आज तक उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चरण सिंह—जी नहीं। प्रश्न के दूसरे भाग में किया हुआ सवाल पैदा नहीं होता।

* * * * *

इटावा-बढ़नीबाजार (बस्ती) बस सर्विस

*३२—**श्री रामलखन मिश्र** (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मंत्री इटावा से बढ़नी-बाजार तक जिला बस्ती में बस सर्विस चालू करने का इरादा रखते हैं? यदि हां, तो कब से?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं।

*३३—**श्री रामलखन मिश्र** (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मंत्री को यह ज्ञात है कि इटवा से बढ़नी बाजार की सड़क एक मात्रा नैपाल सीमा जाने वाली सड़क है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं। इसके अतिरिक्त और भी सड़कें नैपाल सीमा तक जाती हैं।

इटावा-औरैया रोडवेज बस सर्विस

*३४—**श्री सत्यनारायण दत्त** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रोड़वेज बस सर्विस इटावा-औरैया लाइन पर चलने वाली बसों में सन् १९५१ में कितने [illegible] बसें अपने निश्चित समय से देर में चलीं, और इनका कारण क्या है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—४२.४ फ़ी सदी। कारण यह था कि इस सड़क की दशा अत्यन्त खराब थी।

*३५—श्री सत्यनारायण दत्त (अनुपस्थित)—क्या सरकार ये बताने की कृपा करेगी कि इटावा-औरैया रोडवेज़ बस सर्विस की १९५१ सन् में कितनी बसें रास्ते में फेल हुईं और कुल चलने वाली बसों का फेल होने वाली बसें कितनी प्रतिशत हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—६७ बसें रास्ते में फ़ेल हुईं। फेल होने वाली बसें कुल चलने वाली बसों की १.०८ प्रतिशत थी।

*३६—श्री सत्यनारायण दत्त (अनुपस्थित)—क्या सरकार रास्ते में फ़ेल हो जाने वाली बसों की संख्या कम करने के लिये कोई उपाय सोच रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां। रास्ते में फ़ेल होने वाली बसों की संख्या कम करने के लिये बसों की ओवर हालिंग कर दी गई है और उसकी देख भाल करने के लिये कारीगरों की संख्या बढ़ा दी गयी है। इसके अतिरिक्त बसों के १००० मील चलने के बाद सर्विसिंग की जाती है और पी० डब्लू० डी० से सड़क बनाने को कहा गया है।

* * * * *

बस्ती ज़िले में बाढ़ से हानि

*५३—श्री धनुषधारी पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बस्ती ज़िले में सरयू, कुआनों, राप्ती, कटनैया तथा आमी नदी की बाढ़ से इस वर्ष हज़ारों गांवों की फ़सल तथा बहुत से मकान बरबाद हो गये हैं ?

श्री चरण सिंह—सरयू, राप्ती तथा आमी नदी की बाढ़ से ज़िला बस्ती में इस वर्ष लगभग ३३९ गांवों की फ़सल को हानि हुई है और थोड़े से मकानों को क्षति पहुंची है। कुआनों और कटनैया नदियों से कोई हानि नहीं हुई है।

*५४—श्री धनुषधारी पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार उपरोक्त नदियों की बाढ़ से त्रसित जनता की सहायता की व्यवस्था जो की गयी है उसे बताने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—इस साल बस्ती जिलें में बहुत हल्की बाढ़ आई। तहसील बस्ती और डोमरियागंज के जिस हिस्से पर बाढ़ आई थी उसका कुछ रकबा वह है जहां सूखे की वजह से पहले ही से रिलीफ का काम किया जा रहा था। वहां आस-पास के इलाके में टेस्ट वर्क्स, कुल इलाके में ए० पी० स्कीम, काश्तकारों को बीज और बैल के लिये तकावी बिलकुल मजबूर लोगों के लिये Gratuitous Relief का काम अब भी जारी है। इसके अलावा ५,००० रु० की रकम बाढ़ के इन्तजाम के लिये कलेक्टर जिला को पहले ही दे दी गई है। न सिर्फ बस्ती में बल्कि और जिलों में भी जहां बाढ़ आई थी गिरे हुये मकानों की मरम्मत के लिये तकावी देने का हुक्म जारी हो रहा है। मालगुजारी में माफ़ी व मुलतवी के मुताल्लिक हुक्म उस वक्त जायेंगे जब कलेक्टर की आखिरी रिपोर्ट आ जायगी।

* * * * *

कृषि फार्म, नीलगांव के स्थापन पर व्यय

*७०—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (अनुपस्थित)—क्या कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकारी कृषि फार्म, नीलगांव स्थापन में कुल कितना रुपया अभी तक खर्च किया जा चुका है, उनमें कितना लोहा, ईंटा सीमेंट और मजदूरी लग चुकी है ?

श्री चरण सिंह—

अ—कुल ४,४२,३५३) रु० अभी तक खर्च किया जा चुका है ।

ब—कर्मचारियों इत्यादि के लियें जो इमारतों का निर्माण किया गया तथा उनमें कितना सामान लगा उसका ब्योरा संलग्न सूची में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७४ पर ।)

*७१—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ईंटों के लिये टेंडर आमंत्रित किये गये थे या किसी अन्य उपाय द्वारा ईंटें प्राप्त की गयीं ?

श्री चरण सिंह—जी हां । ईंटों का प्रबन्ध टेंडर आमंत्रित करने के पश्चात् किया गया था ।

उत्तर प्रदेश संग्रहालय परामर्शदात्री समिति के एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये निर्वाचन का कार्यक्रम

अध्यक्ष—मैं यह कार्यक्रम सदन के सामने सूचनार्थ रखता हूं । [उत्तर प्रदेश-संग्रहालय परामर्शदात्री समिति के लिये एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित हुआ है :—

नाम निर्देशन-पत्रों के प्राप्त करने की अंतिम तिथि तथा समय	१३ अक्तूबर, १९५२, ३ बजे दिन तक
नाम. निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा	१३ अक्तूबर, १९५२, ४ बजे दिन तक
नाम वापस लेने की अंतिम तिथि तथा समय	१५ अक्तूबर, १९५२, ३ बजे दिन तक

निर्वाचन यदि आवश्यकता हुई तो सदन में १५ अक्तूबर, १९५२ को ५ बजे सायंकाल ।

साप्ताहिक कार्यक्रम

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सप्ताह का प्रोग्राम नहीं मालूम हुआ है । अगर माननीय मंत्री जी बतला दें तो बड़ी कृपा होगी ।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह के कार्यक्रम में वही बातें ली जावेंगी जो आज के एजेंडा में हैं । अगर कोई विशेष बात आई तो अध्यक्ष महोदय के द्वारा सदन के सामने फिर अर्ज करूंगा ।

जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय में जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२, पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७५ पर ।)

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक, १९५०

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—मैं उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक, १९५०, पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८० पर)

मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संघटन तथा कार्यविधि के नियमों के संबंध में संकल्प (क्रमागत)

अध्यक्ष—अब माननीय न्याय मंत्री के संकल्प पर विवाद जारी रहेगा।

माननीय नारायणदत्त तिवारी जी के संशोधन के लिये उनका भाषण हो चुका है। जो माननीय सदस्य इसके ऊपर कुछ और कहना चाहें वे अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस संशोधन पर बहुत ज्यादा नहीं कहना है। मेरे ख्याल में यह जो रूल्स में रख दिया गया है कि २ बार और अगर जरूरत हो तो ३ बार बैठक बुलाई जाय तो इन बैठकों में काफ़ी मामलात सामने आ सकते हैं। ख्याल रखने की बात यह है कि यह कमेटी हर साल नयी बनेगी। साल भी फाईनेशल ईयर है। तो ऐसी सूरत में ३ दफा से ज्यादा इस कमेटी को बुलाने की जरूरत नहीं होगी। इन कमेटियों में काफी खर्चा भी होता है। लिहाजा मैं इस संशोधन की मुखालिफ़त करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदर्णीय अध्यक्ष महोदय, माननीय न्याय मंत्री जी ने जो मेरे संशोधन के बारे में विचार प्रकट किये हैं वे अस्पष्ट हैं। उनका कहना है कि २ या ३ बैठकों में तमाम कार्यसूची पर विचार हो सकता है। लेकिन, श्रीमन्, हमारे यहां ऐसे-ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके बारे में यह आशा नहीं है की जा सकती है कि उनके ऊपर कोई परामर्श, वास्तविक विचार, २ मीटिंग्स में हो सकता है या ३ मीटिंगों में हो जायगा। जैसे विकास योजना समिति एक विषय को हम ले लें। सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि विकास योजना हमारे प्रान्त के दृष्टिकोण से कितनी महत्वपूर्ण है। मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी से कि वे किस प्रकार इतने महत्वपूर्ण काम को, जिसमें तमाम योजनायें बिजली, एग्रीकल्चर, पशुपालन और २३ विषय हैं, २ या ३ मीटिंग्स में पूरा कर सकेंगे। यह तो बहुत छोटा सा संशोधन है। यदि हमारा काम तीन बार में ही पूरा हो जाता है तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है हम और आगे मीटिंग बुलावें। लेकिन अगर नहीं पूरा होता है तो यह प्रीकाशन के तौर पर मैंने मीटिंग्स की संख्या बढ़ाने का संशोधन दिया है। आशा है माननीय मंत्री जी अब इसे स्वीकार करेंगे।

श्री सैयद अली जहीर—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफ़सोस कि मैं इसे मंजूर नहीं कर सकता। जैसा मैंने कहा, २ या ३ बैठकें काफी होंगी। तजुर्बे की बिना पर यह देखा गया है कि २ और हद से हद ३ मीटिंग्स काफी हुआ करती हैं। एक बैठक कई दिन तक चल सकती है अगर काम ज्यादा हो तो। ऐसी सूरत में यह जरूरी नहीं मालूम होता कि साल में कई दफा समिति बुलाई जाय। कोई माननीय मेम्बर यह भी कह सकते हैं कि नहीं साहेब ४ या ६ बार नहीं १२ बार बुलाई जाय, तो इस तरह तो कोई हद ही नहीं रहेगी।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम ६ की पंक्ति १ में शब्द "दो" तथा शब्द "तीन" के स्थान पर क्रमशः शब्द "चार" तथा शब्द "छः" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—आदर्णीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि नियम ६ की पंक्ति ४ में शब्द "समिति के समक्ष" व शब्द "प्रस्तुत" के बीच शब्द "बैठक की तिथि के कम से कम एक सप्ताह पहले" बढ़ा दिये जायं।

श्रीमन्, अगर हम ध्यानपूर्वक इस नियम ६ को देखें तो इसमें यह संशोधन होना बहुत ही आवश्यक है। इसमें लिखा है कि "सचिव स्थायी समिति की बैठक साधारणतः वर्ष में कम से कम दो बार और यदि हो सके तो तीन बार ऐसी तिथियों पर बुलायेंगे जिन्हें संबंधित मंत्री निर्धारित करें। बैठक का कार्यक्रम सचिव तैयार करेगा और उसे वह ऐसे स्मृतिपत्र के साथ परिचालित करेगा जिसमें वह स्पष्टतया बताया जायगा कि प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही किस प्रकार की है और वह ऐसे पत्रों की प्रतियां भी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिन्हें संबंधित मंत्री प्रस्तुत करने का आदेश दें। सदस्यगण प्रत्येक बैठक के समाप्त होने पर उक्त पत्र सचिव को लौटा देंगे।" तो इससे यह सपष्ट होता है कि जो पत्रों की प्रतियां दी जायेंगी वे केवल इसी मीटिंग के लिये दी जावेंगी, यानी मीटिंग के शुरू होने पर उस विभाग के सचिव उन सभी पत्रों की प्रतिलिपियां सदस्यों को देंगे। उसी बैठक में उन पर विचार भी कर लेंगे, परामर्श दी भी दे देंगे और वापस भी कर देंगे। श्रीमन्, हमने तो यह देखा है कि जितनी भी समितियां हाउस बनाता है उनमें जो जरूरी कागजात होते हैं, जिन पर समिति के मेम्बरान को विचार करना होता है, वे कम से कम २ हफ्ते पहले, और कहीं-कहीं तो १ महीने पहले भी, सदस्यों को दे दिये जाते हैं। अभी माननीय उद्योग मंत्री जी शुगर इंडस्ट्री के बारे में जो कमेटी बनाई थी उसके कागजात १५ दिन से भी ज्यादा पहले से सदस्यों को मिल गये थे। यदि कागजात उसी मीटिंग में दिये जावेंगे तो मैं समझता हूं कि क़रीब-क़रीब यह असम्भव सा हो जायगा कि सदस्य उस पर ठीक से विचार भी कर सकें, परामर्श देना तो दूर रहा। तो मैं यह समझता हूं कि इस संशोधन को मंजूर करने से स्टेंडिंग कमेटी के मेम्बरों को आसानी होगी। आशा है कि हमारे माननीय सदन के सदस्य मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे क्योंकि यह संशोधन भावात्मक नहीं है यह केवल भावनात्मक है तथा नियमों के अनुसार है। मैं माननीय न्याय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री सैयद अली ज़हीर—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस दफा ६ का ताल्लुक है इसमें मैं अगर अंग्रेजी पढ़ दूं तो ज्यादा आसानी होगी और मतलब ज्यादा साफ़ हो जायगा। गो हिन्दी में भी वही है लेकिन वह कुछ फैला कर लिखा गया है। अंग्रेजी में यह है :—

"The agenda of the meeting will be drawn up and circulated by the Secretary to Government with a memorandum stating the nature of each item of business, and copies of such papers as the Minister in-charge may direct to be furnsihed to the committee."

[बैठक का कार्यक्रम सचिव तैयार करेगा और उसे वह ऐसे स्मृति-पत्र के साथ परिचालित करेगा जिसमें वह स्पष्टता बताया जायगा कि प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही किस प्रकार की है और वह ऐसे पत्रों की प्रतियां भी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिन्हें संबंधित मंत्री प्रस्तुत करने का आदेश दें।]

अंग्रेजी अल्फाज़ ये हैं। उसमें ऐजेंडे के लिये कोई हद मुकर्रिर नहीं है कितने पहिले वह सरक्युलेट होगा। अमूमन होता यह है कि ऐजेंडा एक हफ्ते से ज्यादा १५-२० दिन पहले ही सरक्यूलेट कर दिया जाता है और कम से कम एक हफ्ते पहिले तो चला ही जाता है। उसमें जो कागजात होते हैं वे वही होते हैं जो मिनिस्टर इंचार्ज आर्डर करता है वही कागजात कमेटी के सामने पेश होते हैं। यह चीज पहिले भी हाउस के सामने आ चुकी है। पहिले भी इस पर बहस हुई है और पास हो चुकी है। मिनिस्टर को यह अख्तियार होगा कि क्या मामले कमेटी के सामने भेजे जायं और क्या न भेजे जायं। ऐसी सूरत में कोई मियाद मुकर्रर कर देना

ठीक नहीं होगा। मुमकिन है कि मंत्री १ या दो दिन पहिले ही इस बात को महसूस करें कि बाज़ काग़ज़ात कमेटी के सामने और पेश कर दिये जायं तो उसके लिये यह मियाद मुकर्रर कर देना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। अमूमन जो ऐजेंडा मुकर्रर होगा उसके मुताबिक ही काम किया जायगा। लेकिन कागजात के लिये यह कहना कि वह भी एक हफ्ते पहिले भेजे जायं, यह ठीक नहीं होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, माननीय न्यायमंत्री का मेरे संशोधन के विरोध में जो वक्तव्य हुआ वह बड़ा आश्चर्यजनक हुआ। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी पढ़ देने से ज्यादा स्पष्ट हो जायगा। अंग्रेजी में यद्यपि सरक्युलेट नहीं हुआ फिर भी मैं देखता हूं कि उसमें और हिन्दी में कोई फर्क नहीं है। वह भी बिलकुल वैसा ही है अंग्रेजी को भी देखने से वस्तुस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने समिति के सामने काग़ज़ात भेजने के विषय में ऐसा समझा मानों उनके अधिकार का उसमें हनन हो जायगा क्योंकि कुछ अधिकार उनको पहिले ही मिल चुके हैं। संबंधित काग़ज़ात को भेज देने से उनके अधिकारों में कहीं भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह कहा कि आम तौर पर ऐसा होता है कि १ हफ्ते से पहिले ही सूचना भेज दी जाती है तो फिर उसको कानूनी शक्ल दे देना वांछनीय ही है। माननीय न्याय मंत्री जी को कानून बरतना ही चाहिये कानून मंत्री चाहें तो और काग़ज़ात जो जरूरी हों उसी दिन पेश कर सकते हैं उसके लिये माननीय कानून मंत्री को कोई रोक नहीं है। स्पष्ट तौर से आखिर में यह दिया हुआ है कि "समिति की कार्यवाही या उन्हीं मदों तक सीमित रहेंगी जिनका उल्लेख कार्यक्रम में हो तथा और अधिक सूचना की प्रार्थना पर संबंधित मंत्री की आज्ञा से विचार किया जायगा।" तो कार्यक्रम की मदें वही रहेंगी जो कार्यसूची में निर्दिष्ट रहेंगी। तो फिर माननीय मंत्री जी को कोई डर नहीं होना चाहिये। इतना कहने के बाद मैं माननीय न्याय मंत्री जी से दुबारा प्रार्थना करूंगा कि वे इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री सैयद अली ज़हीर—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जरूरत इसलिये पड़ी कि तरमीम से यह मालूम होता है कि गालिबन मेम्बर साहब यह चाहते हैं कि कमेटी के सामने एक हफ्ता पहले ये कागजात पेश हो जायं। अगर इसका मंशा यह है और यह तरमीम मान ली जाय तो कमेटी के सामने समक्ष सब कागजात कम से कम एक हफ्ता पहले पेश करने पड़ेंगे। अगर मेम्बरों के पास भेजने का सवाल होता तो और बात थी लेकिन कमेटी जो उसी दिन बैठेगी फिर उसके सामने एक हफ्ता पहले कागजात कैसे पेश हो। तो जैसा कि मैंने उनका मंशा समझा वह यूं है कि सचिव एक हफ्ता पहले एजेंडा जारी करेगा जैसा कि पहले जिक्र किया गया है और उसी के साथ एजेंडा एक हफ्ता पहले जारी होना चाहिये। इसीलिये मुझे अंग्रेजी से पढ़ने की जरूरत पड़ी। इसमें ज़रा सा फर्क है। मिनिस्टर अपने कागजात को एक हफ्ता पहले दे दे और तब वह पेश हो, हम एजेंडे के लिये एक हफ्ता की मियाद नहीं रखना चाहते हैं। क्योंकि उसके लिये तो अलग क्लाज़ है। मेरे ख्याल में, जैसा कि मैंने बतलाया एजेंडा बहुत पहले जारी हो जाता है लेकिन कागजात एक या दो दिन में ही जब उनकी जरूरत होती है तो भेजे जाते हैं। तो उसके लिये कोई मियाद मुकर्रर करना ना मुनासिब होगा और इसलिये मैं इसकी मुखालिफ़त करता हूं।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य का मतलब तो यह है कि स्मृति पत्र के साथ बैठक की तिथि के कम से कम एक सप्ताह पहले परिचालित करेगा तो इस स्थान पर यह संशोधन होना चाहिये। अगर दूसरे स्थान पर बदल देने से मलतब निकल जाय और इसके लिये माननीय न्याय मंत्री जी भी तैयार हों तो काम चल सकता है। नहीं तो समिति के समक्ष बैठक की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पहले प्रस्तुत करेगा, यह अर्थ हो जाता है जो कि कट्रेडिक्ट्री हो जाता है और न्याय मंत्री जी का कहना उचित मालूम होता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमान, माननीय न्याय मंत्री जी न आफटर थाट जो कुछ कहा उसका मतलब मैंने यही समझा कि समिति के सदस्यों को इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिये। माननीय न्याय मंत्री जी अब मेरे इस संशोधन का शाब्दिक मतलब लगाने लगे। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अभी बहुत सी ऐसी शाब्दिक त्रुटियां निकाल सकता हूं।

अध्यक्ष—ऐसे विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। उसको दुरुस्त करने के लिये अगर माननीय नारायणदत्त जी तैयार हों और माननीय न्याय मंत्री जी भी उसे स्वीकार करलें तो कोई अनुचित नहीं होगा। जिस स्थान पर सात रोज होना चाहिये उस स्थान पर सात रोज कर दिया जाय तो।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं तैयार हूं।

श्री सैयद अली जहीर—लेकिन मैंने तो अर्ज किया कि इस तरमीम की जरूरत ही नहीं है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम ६ की पंक्ति ४ में शब्द "समिति के समक्ष" व शब्द "प्रस्तुत" "के बीच शब्द" बैठक की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पहिले" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि इसके अखिर में यह नवां नियम जोड़ दिया जाय। "इन नियमों के स्वीकार हो जाने के बाद प्रचलित नियम समाप्त हो जायेंगें"। इस नियम की इसलिये जरूरत है कि चूंकि इस वक्त हम नये नियम पास कर रहे हैं तो जो पुराने नियम हैं उनका समाप्त हो जाना बहुत जरूरी है वरन् दोनों नियम नये व पुराने लागू समझे जायेंगे और ऐसी दशा में कार्य में झंझट होगा कि कौन से नियम माने जांय। इसलिये यह चेंज अगर नियम में आ जाय तो उस नियमों को अच्छा बनायेगा और मेरी राय में इस सदन को इस नियम को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी और माननीय मंत्री जी भी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमान्, अगर पुराने नियमों के स्थान पर पुरानी स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियमों कर दिया जाय तो अधिक उचित होगा। मैं यह प्रस्ताव को करता हूं कि संशोधन को इस तरह से संशोधित कर दिया जाय।

श्री सैयद अली जहीर—प्रस्तावक ने जो तरमीम पेश की है उसको और नारायणदत्त जी ने जो उसमें संशोधन पेश किया है दोनों को मिलाकर स्वीकार करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। होता तो यही है कि जब नियम पास हो जायेंगे तो पुराने नियम लागू नहीं रहेंगे। यह आब-जेक्ट को लिख देता है इसलिये इसको स्वीकार करता हूं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम ८ के बाद यह नया नियम ९ जोड़ दिया जाय—

(९) इन नियमों के स्वीकार हो जाने के बाद इस विषय पर प्रचलित स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियम समाप्त हो जायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि निम्नलिखित संकल्प स्वीकार किया जाय—

"यह विधान सभा मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, सगठन तथा कार्यविधि के सदन द्वारा संशोधित नियमों को स्वीकार करती है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रत्येक स्थायी समिति के लिए १४ सदस्य निर्वाचित करने के संम्बन्ध में संकल्प

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

"यह विधान सभा मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन,—संघटन तथा कार्यविधि के नियमों के नियम १ में दी हुई विधि के अनुसार उक्त नियम में उल्लिखित प्रत्येक समिति में वित्तीय वर्ष, १९५२–५३, में कार्य करने के लिये, माननीय अध्यक्ष की आज्ञानुसार, १४ सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि निम्नलिखित संकल्प स्वीकार किया जाय :—

"यह विधान सभा मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन,—संघटन तथा कार्यविधि के नियमों के नियम १ में दी हुई विधि के अनुसार उक्त नियम में उल्लिखित प्रत्येक समिति में वित्तीय वर्ष, १९५२–५३, में कार्य करने के लिये, माननीय अध्यक्ष की आज्ञानुसार, १४ सदस्य निर्वाचित करे"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १९५२

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने के विधेयक, १९५२, पर जैसा कि वह प्रवर-समिति द्वारा संशोधित हुआ है, प्रस्ताव करता हूं कि विचार किया जाय।

श्रीमान्, इस विधेयक को प्रवर समिति के सिपुर्द किया गया था। प्रवर समिति ने इसमें कुछ संशोधन किये हैं। मैं उन संशोधनों को थोड़े में बयान कर देना चाहता हूं।

एक तो यह कि जिन कर्जों के सम्बन्ध में यह विधेयक लागू नहीं होगा उनकी सूची में कोर्ट आफ वार्ड्स का भी कर्जा बढ़ा दिया गया है वैसी सूरत में जब कि कोर्ट आफ वार्ड्स के मैनेजर द्वारा किसी कोर्ट आफ वार्ड्स के वार्ड को ही कर्जा दिया गया हो या उसके मैनेजमेंट में जो दूसरी स्टेट रही हो उस सम्बन्ध में जो कर्जा दिया गया हो उस कर्जे के लिए भी अपवाद किया गया है।

दूसरे छोटे जमींदारों के कर्जे में जो कमी की जायगी उसमें मूल विधेयक में पुनर्वासन अनुदान और मुआविजा दोनों जोड़ करके कमी करने की बात थी। लेकिन इस प्रकार तो छोटे जमींदारों के कर्ज में कम कमी होती और बड़े जमींदारों के कर्ज में ज्यादा कमी होती क्योंकि पुनर्वासन अनुदान और मुआविजा दोनों मिला कर उस प्रोपोर्शन में जो कमी होती वह उनसे कहीं ज्यादा होती जो कि बड़े जमींदारों के पुनर्वासन अनुदान और मुआविजा को मिला कर होती। बड़े जमींदारों को पुनर्वासन अनुदान कम दी गयी है। इसलिये वह प्रप्रोर्शन उनका बहुत ज्यादा हो जाता बनिस्बत छोटे जमींदारों के। इसलिए पुर्नवासन अनुदान निकाल कर केवल मुआविजा की रकम में ही वह प्रोपोर्शन जो कम करने का है वह रखा गया है। इसके अलावा इन्कमवर्ड स्टेट्स ऐक्ट में जो गुणक रक्खा गया था जमीदारों के स्टेट की कीमत का वह पूर्वी जिलों में पश्चिमी जिलों के अपेक्षा बहुत अधिक है। इसलिये उसी प्रकार से प्रकार से, उनके गुणकों के अनुसार कर्जे की कमी रखी जाती। तो इसलिए गुणक में भी ऐसा रख दिया गया कि इन्कमबर्ड स्टेट्स ऐक्ट में जो गुणक रखा गया है कि ४० गुना से ज्यादा किसी भी हालत में गुणक न हो।

तीसरी बात जो खास इसमें संशोधित हुई है वह यह है कि छोटे जमींदारों का जो कर्जा है वह कौन कर्जा है जिसके संबंध में यह लागू हो। कर्जे की परिभाषा में यह बात साफ नहीं कि

* ६ अक्तूबर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

की गयी थी कि वेस्ट होने के पहले वाले कर्जों ही पर यह विधेयक लागू होगा। चुनांचे इस प्रवर-समिति की रिपोर्ट में यह बात साफ हो गयी कि जो कर्जे १ जुलाई, १९५२ के पहले के हैं उन्हीं के संबंध में यह विधेयक लागू होगा। कर्जे की परिभाषा उसी प्रकार बदल दी गयी है। वैसे जो डिग्री बनेगी कर्जे के संबंध में उसमें बंधक किये गये कर्जों के सम्बन्ध में अलग अलग-धनराशि जितनी कम की जाती है या जो दूसरी जायदाद उसमें शामिल की गयी है उसके सम्बन्ध में जो डिग्री होगी वह अलग-अलग साफ कर दी जायगी। इसका एक थोड़ा सा संशोधन किया गया है। यही मूल संशोधन प्रवर समिति के द्वारा हुए हैं और बाकी जो उसके असली सिद्धान्त हैं वह ज्यों के त्यों हैं और मुझे आशा है कि वे सिद्धान्त जिनको प्रवर समिति के सुपुर्द करने से पूर्व इस भवन ने स्वीकार किया है, उसमें जो थोड़े से संशोधन हुए हैं उनको स्वीकार करके यह भवन उनको पास करेगा।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष—क्या आप कोई तरमीम पेश करना चाहते हैं या विरोध करना चाहते हैं ?

श्री बलवन्त सिंह—मैं विरोध नहीं करना चाहता। जितने संशोधन पहले हैं उनपर कुछ सामान्य विचार.....

अध्यक्ष—उसके ऊपर तो बाद में विचार होगा। अगर कोई संशोधन हो या विरोध हो तो आप कृपा करके बताएं।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)—मैं कुछ उसूलों से डिफ़र करता हूं और इसके उसूल के मुताल्लिक मुझे कुछ अर्ज करना है।

अध्यक्ष—नियम १०६ के अनुसार उसका कोई मौका नहीं है। आप विरोध करना चाहते हैं।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—नहीं।

अध्यक्ष—तो अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने के विधेयक १९५२, पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलवन्त सिंह—मैं एक बात जानना चाहता हूं। क्या इसके ऊपर जनरल डिस्कशन नहीं होगा ?

अध्यक्ष—जी नहीं। नियम यह है कि जनरल डिस्कशन होकर जब सिद्धान्त मंजूर हो गया सदन की तरफ से, तभी वह प्रवर समिति के सामने गया। इसीलिये यह १०६ नियम बनाया गया। अगर आप चाहते तो फिर से यह संशोधन पेश कर सकते थे कि यह प्रवर-समिति के पास फिर से भेजा जाय या तो यह संशोधन हो सकता है या इसका विरोध हो सकता है। अगर विरोध नहीं चाहते, संशोधन नहीं करना चाहते तो कोई इसके ऊपर बहस नहीं होगी।

R.A. 180

खंड २

परिभाषाएं।

विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में:—

(क) "य धनराशि (amount due)" का तात्पर्य उस धनराशि से है, जो, यदि यह अधिनियम पारित न होता तो देय होती;

(कक) "केन्द्रीय सरकार" का वही अर्थ है जो जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १८९७ की धारा ३ में "सेंट्रल गवर्नमेंट" को दिया गया है ; ऐक्ट १०, १८९७।

(ककक) "कोर्ट आफ वार्डस" का तात्पर्य यू० पी० कोर्ट वार्ड्स ऐक्ट, १९१२ के, अधीन संघटित कोर्ट आफ वार्ड्स से है।

(ख) "डिक्री" का वही अर्थ है, जो उसे कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में दिया गया है ;

(ग) "डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होगा" का तात्पर्य ऐसी डिक्री से है जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व अथवा पश्चात् ऐसे बाद में दी गई हो जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता हो (a suit to which this Act applies) ; ऐक्ट ५, १९०८।

(घ) "ऋण (debt)" का तात्पर्य किसी भी ऐसे ऋण (advance) से है जो नकद या वस्तु के रूप में दिया गया हो और उसके अन्तर्गत कोई भी ऐसा संव्यवहार (transaction) हो जो वास्तव में (in substance) ऋण के रूप में हो किन्तु इसके अन्तर्गत ऊपर कहा गया कोई ऐसा ऋण (advance) जिसका १ जुलाई १९५२ को या उसके यदि अस्तित्व हुआ हो, अथवा निम्नलिखित को देय ऋण नहीं है —

(१) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य की सरकार,
(२) स्थानिक अधिकारिकी (local authority) ;
(३) शेड्यूल्ड बैंक ;
(४) सहकारी संस्था (co-operative society), तथा
(५) वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) जो केवल दानोत्तर अथवा धर्मोत्तर हों।
(६) संरक्षित व्यक्ति (Ward), यदि ऋण उसकी ओर से कोर्ट आफ वार्ड्स द्वारा किसी संरक्षित व्यक्ति दिया गया हो।

(ङ) "दानोत्तर", "आस्थान", "प्रतिकर", "पुनर्वासन अनुदान" तथा "धर्मोत्तर" का ही अर्थ है जो उन्हें क्रमशः १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में दिया गया है और प्रतिकर के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा २९ के अधीन देय अन्तरिम प्रतिकर भी है। उत्तर प्रदेश अधिनियम १ १९५१।

(च) "स्थानिक अधिकारिका" के अन्तर्गत कैन्टूमेंट बोर्ड भी है ;

(छ) "बन्धक" का अपने अनुरूप पदों सहित वही अर्थ होगा जो ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ में 'mortage' को दिया गया है और उसके अन्तर्गत ऐसा भार भी है जिसकी परिभाषा "charge" के रूप में उक्त ऐक्ट की धारा १०० में की गई है ;

(ज) "बन्धककर्त्ता (mortgagor)"—

(१) के अन्तर्गत यदि बन्धक किसी संयुक्त हिन्दू परिवार के प्रबन्धक कर्ता के रूप में अथवा प्रतिनिधि के रूप में निष्पादित किया गया (executed) हो, तो सभी सहभागी (co-parceners) अथवा वे व्यक्ति जिनका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया गया है, भी हैं; और

(२) का तात्पर्य, यदि बन्धक कर्त्ता के अधिकार, आगम तथा स्वत्व फ़रीकैन (parties) के कृत्य अथवा विधि के व्यापार (operation of law) से दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में संक्रामित हो गये हों, तो ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से है ;

(झ) किसी आस्थान में मातहतदार (under proprietor), अदना मालिक (sub-proprietor), ठेकेदार, अवध का पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी (permanent lessee in Avadh) या दवामी काश्तकार (permanent tenure holder) के स्वत्व के बन्धक के संबंध में "स्वामी (proprietor)" का तात्पर्य धारा ३ और ४ और अनुसूची १ में, उक्त आस्थान के, यथास्थिति, मातहतदार, अदना मालिक, ठेकेदार, पट्टेदार इस्तमरारी या दवामी, या दवामी काश्तकार से, है ;

(ञ) "शेड्यूल्ड बैंक" का वही अर्थ है जो रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, १९३४ में उसे दिया गया है ;

(ञञ) "सुरक्षित ऋण (secured debt)" का तात्पर्य किसी आस्थान के बन्धक द्वारा अथवा किसी आस्थान तथा दूसरी अचल सम्पत्ति द्वारा सुरक्षित ऋण से है ;

(ट) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ;

(ठ) "वाद जिसके विषय में यह अधिनियम प्रयुक्त होता है" का तात्पर्य किसी ऋण से संबंध वाद अथवा व्यवहार (suit or proceeding) से है चाहे उक्त ऋण सुरक्षित हो अथवा अन्यथा ; और

(ठठ) "संरक्षित व्यक्ति" का अर्थ वही होगा जो शब्द "वार्ड (Ward)" का यू० पी० कोर्ट आफ वार्ड्स ऐक्ट, १९१२ की धारा ३ की उपधारा (३) में किया गया है।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (घ) की प्रथम पंक्ति के अन्तर्गत शब्द "ऋण" के स्थान पर शब्द "अग्रिम" रख दिया जाय।

श्रीमान् जी, इस उपखंड (घ) में जहां "ऋण" की परिभाषा की गयी है वहां पर "ऋण" के लिये अंग्रेजी का शब्द "डेट" आया है और फिर इसी शब्द से "ऐडवान्स" शब्द की भी परिभाषा की गयी है। इस प्रकार दोनों के लिये "ऋण" का ही प्रयोग किया गया है। दोनों शब्दों के अर्थ में तो कोई अन्तर नहीं है, लेकिन प्रयोग में कुछ अन्तर होना अवश्य चाहिये। यह अन्तर करने के लिये "ऐडवांस" के स्थान पर मैंने "अग्रिम" रखा है। अगर "अग्रिम" शब्द रखा जाय तो उपयुक्त होगा।

अध्यक्ष---तो आप यह चाहेंगे कि "एडवांस" के अर्थ में जहां-जहां शब्द "ऋण" का प्रयोग किया गया है इस विधेयक में, वहां हर जगह, "अग्रिम" रख दिया जाय।

(श्री जयराम वर्मा ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रस्तावक महोदय ने स्वयं कहा है कि दोनों शब्दों के मतलब में कोई अन्तर नहीं है। "ऐडवांस" अंग्रेजी में है और उसके लिये उन्होंने "अग्रिम" रखा है, लेकिन जो हिन्दी में "ऋण" रखा गया है वह ज्यादा उचित मालूम होता है। क्योंकि उसको श्रीमान्, अगर स्वयं पढ़ें तो देखेंगे कि "ऋण" का तात्पर्य किसी भी ऐसे ऋण से है "तो अगर इसको इस तरह से पढ़ा जाय कि "किसी ऐसे 'अग्रिम' से है" यह अच्छा नहीं लगता और जब उन्होंने स्वयं कहा कि अन्तर दोनों में कुछ नहीं है तो यही ज्यादा सुन्दर मालूम होता है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि वह अपने संशोधन को वापस लेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमान् जी, जो माननीय जयराम वर्मा जी का संशोधन है और जो माननीय मंत्री जी का सुझाव है उसके बारे में सामंजस्य हो सकता है यदि "ऋण का तात्पर्य किसी भी ऐसे अग्रिम ऋण से है" यह रख दिया जाय। इससे माननीय जयराम वर्मा जी के शब्दों में "ऐडवांस" और "डेट" का जो फर्क है वह भी करीब-करीब इस अर्थ में आ जाता है और कोई फर्क इस बिल में नहीं आता है।

श्री जयराम वर्मा---श्रीमान् जी, हमारे यहां बजट के भी लिटरेचर में ऐडवांस के लिये अग्रिम धनराशि का प्रयोग हुआ है, लेकिन उसके साथ रुपये का भी अभिप्राय है। यहां पर सिर्फ धन का मतलब नहीं है। और भी कोई चीज जो पहले दी गयी है उसका भी मतलब है। इसलिये मैंने "धनराशि" शब्द निकाल दिया है और केवल "अग्रिम" शब्द का प्रयोग किया है। "अग्रिम" शब्द के ठीक-ठीक माने ऐडवांस के होते हैं। इस लिये भाषा को ठीक करने के लिये मैंने "अग्रिम" शब्द का प्रयोग किया था। मैं यह समझता हूं कि उपयुक्त यही है, लेकिन अगर माननीय मंत्री जी मानने के लिये तैयार नहीं हैं तो मैं वापस ले लूंगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि "अग्रिम" शब्द की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आगे साफ कर किया गया है "ऐसा ऋण जिसका १ जुलाई, १९५२ को या उसके बाद अस्तित्व हुआ हो, अथवा निम्नलिखित को देय ऋण नहीं है।" तो यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वह ऋण नहीं है। इसलिये "अग्रिम" शब्द रिडेंडेंट है और उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे आपने कहा कि बजट में "अग्रिम" शब्द का प्रयोग बजट में हुआ है। बजट में कुछ भी रहा हो लेकिन यहां यही सुन्दर है कि 'ऋण' शब्द ही रहे।

श्री जयराम वर्मा---मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जयराम वर्मा---श्रीमान् जी, मैं दूसरे संशोधन को अब कुछ संशोधित रूप में पेश करूंगा। अब "अग्रिम" की जगह "ऋण" हो जायगा और कुछ भाषा बदल जायगी।

[श्री जयराम वर्मा]

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (घ) की पंक्ति ६,७ तथा ८ के सब शब्दों के स्थान पर शब्द "कोई ऐसा ऋण जो १ जुलाई, १९५२ को या उसके बाद दिया गया हो अथवा ऐसा ऋण जो निम्नलिखित को देय हो, नहीं है" रख दिये जायं।

इससे भाषा अच्छी हो जाती है। जो भाषा इसमें लिखी हुई है वह अच्छी नहीं है। उसका अर्थ समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। इसलिये भाषा को सुधारने के लिये मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, इसमें जो आखिरी सतर में 'देय ऋण नहीं' है उसके बीच में "हो" मालूम होता है छूट गया है। वह "हो" स्वीकृति करने के लिये मैं तैयार हूं। संभव है कि "हो" अगर होता हो तो वे संशोधन न उपस्थित करते।

अध्यक्ष—वह तो उन्होंने कह दिया है कि "निम्नलिखित को देय हो"।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जो दिया हुआ है विधेयक में ...

अध्यक्ष—विधेयक में जो मूल में है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां, विधेयक में केवल "हो" मानने के लिये मैं तैयार हूं। बाकी जो शब्द हैं वे ज्यों के त्यों रखे जायं।

अध्यक्ष—"अथवा निम्नलिखित को देय हो ऋण नहीं है" यों आप चाहते हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, इसमें जो ये शब्द हैं प्रयुक्त हुये हैं यह सिर्फ अंग्रेजी से अनुवाद किया गया है, लेकिन अगर माननीय मंत्री जी इसको खुद देखें तो जो अंग्रेजी में शब्द प्रयुक्त हुये हैं उनका यह अनुवाद ठीक नहीं है। यह एक साहित्यिक भाषा जरूर हो सकती है लेकिन लीगल फार्म में इस तरह से भाषा रखने की आवश्यकता नहीं थी। जिस तरह से भाषा की प्रयुक्ति अंग्रेजी में हुई है उसी तरह से यहां भी करना चाहिये था। उसमें है "ऐडवांस मेड" और यहां इस तरह से है" "अस्तित्व हुआ हो"। यह लिट्रेरी भाषा हो सकती है लेकिन लीगल भाषा अच्छी नहीं है इसके अलावा इसके पहले भाग का जिस तरह से कांस्ट्रक्शन है दूसरे भाग का उस तरह से नहीं है और जब कांस्ट्रक्शन एक नहीं है तो अर्थ ठीक नहीं निकलता है। इसलिये मैंने दोनों भागों का कांस्ट्रक्शन एक कर दिया है और इससे अर्थ ठीक निकलता है। यह अगर ऐसी ही रहने दिया गया तो भाषा ऐसी रह जाती जो अच्छी नहीं मालूम पड़ती।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मुझे और कुछ नहीं कहना है। केवल "हो" बढ़ाने के लिये मैं तैयार हूं।

अध्यक्ष—माननीय जयराम वर्मा जी, क्या आप अपने संशोधन को वापस लेना चाहते हैं?

श्री जयराम वर्मा—मंत्री जी क्या "हो" बढ़ाना चाहते हैं?

अध्यक्ष—वह चाहते हैं कि विधेयक में खंड २ के उपखंड (घ) में जो आखिरी लाइन है उसमें यह हो जाय कि "निम्नलिखित को देय हो।"

श्री जयराम वर्मा---अगर वह मानते नहीं हैं तो मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

अध्यक्ष---(श्री द्वारका प्रसाद मौर्य से) "हो" वाला आपका संशोधन मैं आपकी तरफ से पेश कर देता हूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी, बहुत अच्छा।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (घ) की पंक्ति ८ में शब्द "देय" और "ऋण" के बीच में शब्द "हो" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से यह पेश करता हूं खंड २ में उपखंड (घ) का भाग (३) निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, इस संशोधन द्वारा जो मैंने पेश किया है मैं सदन का ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। इसमें एक ऐसा सवाल है जिसके लिये मुझे संशोधन पेश करने के लिये मजबूर होना पड़ा। सवाल यह है कि यह बिल जो पेश है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जमींदारों का कर्जा कम किया जाय। इसके मतलब यह होते हैं कि जिन क्रेडीटर्स ने रुपया दिया है उनकी रकम कम की जाय और इसकी वजह यह है कि जब जमींदारों की प्रापर्टी ले ली गई और उसका मुआवजा जो उनको दिया जा रहा है वह उतना नहीं है जितनी कि उसकी कीमत थी। जब हमने यह उसूल मान लिया है कि कर्जा कम करना है तो एक व्यक्तिगत आदमी का तो बैंक के मामले में उसको एक्जेम्प्ट कर देना मेरी समझ में कोई तर्क नहीं आता है क्योंकि मैं मानता हूं कि जहां तक कोआपरेटिव बैंक का सवाल है उससे तो जनता को नुक्सान होगा लेकिन शिड्यूल बैंक का जहां सवाल है उसको तो मैं कर्जा देने वालों का एक गुट मानता हूं। १००/५० कर्जा देने वाले मिल गये और एक बैंक बना लिया। जब ज्यादा पूंजी हो गई तो शिड्यूल बैंक बना लिया। जब हम इंडिवीजुअल्स का कर्जा कम कर रहे हैं तो कोई वजह नहीं मालूम होती है कि बैंक का कर्जा कम क्यों न करें बैंक्स का कर्जा जरूर कम किया जाना चाहिये क्योंकि यह ज्यादा एक्स्प्लायट करने का ज़रिया है। मैं जानता हूं कि मौर्य जी जैसे रैडीकल व्यूज़ के आदमी इस संशोधन को जरूर मान लेंगे और उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप मौर्य जी को अपील नहीं कर सकते हैं बल्कि राजस्व मंत्री से अपील कर सकते हैं।

श्री भगवान सहाय---मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और माननीय राजस्व मंत्री से अपील करता हूं कि आपके द्वारा कि इसकी स्प्रिट को समझकर इसको वापस ले लें। यह एक मजबूत संगठन के मुकाबिले में एक कमज़ोर आदमी को मदद करता है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री भगवान सहाय जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। श्रीमन् जहां तक बैंक का ताल्लुक़ है मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज तक जो पिछले ऐक्ट बनाये गये थे जैसे कि यू० पी एग्रीकल्चरल रिलीफ ऐक्ट, जिसमें काश्तकारों और किसानों को कर्जा कम करने के लिये सुविधा की गई थी या यू० पी० एंकम्बर्ड स्टेट ऐक्ट जो कि १९३४ में इनऐक्ट किया गया था जिसमें जमींदारों का ऋण कम किया गया था और उसके बाद एग्रीकल्चरल क्रेडिट ऐक्ट १९३५ में आया। जितने पुराने ऐक्ट इस सूबे में बने थे उसमें बैंक का कहीं भी ताल्लुक़ नहीं था और बैंक्स को अधीरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। अब जब कि यह विधेयक आया है तो उसमें यह दिया गया है। यही कांग्रेस मिनिस्ट्री थी जबकि एग्रिकल्चरिस्ट्स

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

क्रेडिट ऐक्ट आया था और वह ऐक्ट बन चुका था। लेकिन दफा ९३ की वजह से उसमें गवर्नर की एसेंट जरूरी थी। इसके पूर्व कांग्रेस मिनिस्ट्री का बनाया हुआ यह विधेयक था जिसमें कहीं इसका नामोनिशान नहीं पाया जायगा कि बैंक्स के लिये भी कोई सहूलियत या अधिरक्षण प्राप्त किया गया हो। अब जबकि जमींदारों के ऋण का सवाल उठता है और उसमें यह कहना कि बैंक्स के दिये हुए ऋण में कोई कमी न की जायगी, मैं इसे न्यायसंगत नहीं समझता। ये ऐक्ट्स जो श्रीमान, मैं आप के द्वारा कोट कर रहा हूं मेरे पास मौजूद हैं, अगर आज्ञा हो तो राजस्व मंत्री के सामने पेश कर दूं और उसमें वह देख लें कि कांग्रेस मिनिस्ट्री के बनाये हुये नियम जो कि ऋण से संबंध रखते थे जिनमें किसानों के ऋण कम किये गये थे उसमें बक्स का कोई हवाला नहीं था। १९३४ में एनकम्बर्ड स्टेट ऐक्ट पास किया गया उसमें जमींदारों के दिये हुये ऋण का प्रश्न उठा तो बैंक्स के दिये हुये ऋण पर कोई प्रभाव उस ऐक्ट का नहीं हुआ और उसमें उनको किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। इन परिस्थितियों में मैं इसका घोर विरोध करता हूं और मैं यह समझता हूं कि शेड्यूल बैंक्स के ऋण में कोई कमी न होना यह न्यायसंगत नहीं है और जमींदारों के साथ अन्याय किया जा रहा है। हमारे पूर्वज तो रहें नहीं, आने वाले वंशज जो हैं वह अच्छी तरह से समझ लेंगे कि कांग्रेस मिनिस्ट्री हमारी जमींदारी लेने के बाद भी हमारे साथ अन्याय करने पर तुली हुई है। इन थोड़े से शब्दों से मैं उनसे संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इस विधेयक के जरिये से कर्जा कम किया जा रहा है उन लोगों का जो स्वतंत्र रूप से कर्जे का व्यवसाय करते थे किन्तु हमारे प्रदेश में और देश के अन्दर ऐसी बहुत सी बैंकिंग संस्थायें हैं जो सामुहिक रूप से कर्ज का व्यवसाय करते थे और यह शेड्यूल बैंक्स में समझता हूं इनमें सबसे मुख्य एक संस्था है। जब कि हम छोटे छोटे कर्ज देने वालों के कर्ज में कमी में कर रहे हैं तो फिर शेड्यूल बैंक्स जैसी बड़ी संस्थाओं के कर्ज में क्यों न कमी की जाय। यह बात तो न्यायसंगत प्रतीत नहीं होती। हां, कोआपरेटिव जैसी संस्थाओं के कर्ज में कमी न करनी चाहिये थी, यह बात तो समझ में आ सकी है। लेकिन शेड्यूल बैंक्स जैसी बड़ी बड़ी सूद लेने वाली संस्थाओं को इस कानून से मुक्त कर दिया गया यह बात न न्यायसंगत है और न समझ में आने वाली है। इसलिये मैं भी अपने मित्र भगवान सहाय जी के संशोधन की पुरजोर ताईद करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे माननीय माल मंत्री जी इस संशोधन की उपयुक्तता को देखते हुए शेड्युल बैंक्स को जरूर इसमें से निकाल देंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—शेड्यूल बैंक की परिभाषा वह है जो रिजर्व बैंक में रजिस्टर्ड है और वैसे ही बैंक्स के लिये यहां संरक्षण दिया गया है। इसके अलावा बहुत से बैंक्स हो सकते हैं मगर उनके बारे में यह बात नहीं है। डेट रिडेम्पशन् ऐक्ट में लोन की परिभाषा दी हुई है और उसमें यह दिया गया है कि जो कर्जा शेड्यूल बैंक्स का होगा वह कर्जा कर्जा नहीं माना जायगा और उसमें कर्जा कम नहीं होगा। इसी प्रकार जमींदारी एब्रोलीशन ऐक्ट की रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशंस दी हुई है उसमें यह साफ कर दिया गया है कि जो कर्जे में कमी होगी वह शेड्यूल बैंक्स के कर्जे में नहीं होगी। इस बात को कई बार इस सदन के सम्मुख साफ किया जा चुका है कि जनहित की दृष्टि से जो कर्जे शेड्यूल बैंक्स के हैं उनमें कमी करने से व्यवसाय में गड़बड़ी हो जायगी क्योंकि रिजर्व बैंक से संम्बधित जो शेड्यूल बैंक हैं उनके जरिये हमारे यहां की इकानमी बहुत कुछ गवर्न होती है, इसलिये बहुत विचार विमर्श के बाद यह बात रक्खी गई कि शड्यूल बैंक्स के कर्जे में कोई कमी न होगी। तो जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं। श्री भगवान सहाय जी सेलेक्ट कमेटी के सदस्य थे, वहां भी उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शित किया था। उन्होंने जो कहा कि वह अपील करते हैं कि उनकी बात पर पुर्नविचार किया जाय, तो सिलेक्ट कमेटी में पूर्ण रूप से विचार हुआ था, लेकिन उनकी बात मानी नहीं गई।

अध्यक्ष--उसका जिक्र यहां न होना चाहिये ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य-- मैं उसको वापस लेता हूं और सदन से सिफ़ारिश करता हूं कि इस संशोधन को अस्वीकार किया जाय ।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--जनाब स्पीकर साहब, मुझे अफसोस है कि मैं भी इस सिलेक्ट कमेटी में मेम्बर था जिसने इस बिल पर विचार किया था लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से मैं उसमें शरीक न हो सका और मुझे इस बात का मौका नहीं मिल सका कि मैं कमेटी के सामने अपने विचार रखता । जो तरमीम इस वक्त मेरे दोस्त भगवान सहाय जी ने पेश की है मैं भी उसकी ताईद करता हूं शायद इस भवन के अन्दर कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो उसूल इस बिल के अन्दर बर्ता गया है, उसे हमें खास तौर से ध्यान में रखना है और उसको सामने रखते हुए ही इस संशोधन पर गौर करना है । उसूल इस बिल के अन्दर यह रक्खा गया है कि जिन लोगों की प्रापर्टी ले ली गई है उनको कम्पेनसेशन दिया जाय और उसके बाद यह बात भी दी गई है कि १ जुलाई जो वेसिटंग की तारीख है उससे पहिले जो कर्जे थे उस कर्जे में रियायत की जाय और उसको इस तरह से कम किया जाय कि जिस तरह से वैलुएशन कम होने के बाद उस जायदाद की या उस डेटर की पेइंग केपेसिटी कम हो गई है । यह उसूल जिसके मातहत एक अर्से से यह कानून आने वाला था वह आज हमारे सामने है और हम इस पर गौर कर रहे हैं । बिल के स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एंड रीजन्स पर गौर किया जाय तो उसमें भी इस बात को माना गया है--

"The Bill does not provide for the reduction of debts due to.....
(1) Central Government,
(2) Government of any State,
(3) a local authority,
(4) a scheduled bank,"

[इस विधेयक में निम्नलिखित को देय ऋण के कम करने की व्यवस्था नहीं है :

(१) केन्द्रीय सरकार,
(२) किसी राज्य की सरकार,
(३) स्थानिक अधिकारिकी (लोकल अथरिटी),
(४) अनुसूचित बैंक,]

अध्यक्ष--यह तो हिन्दी में पढ़ना चाहिये ।

श्री सुल्तान आलम खां--मैं आपकी इजाजत से पढ़ रहा हूं । हिन्दी की कापी मेरे पास है नहीं । तो जिस उसूल को , हाउस ने और गवर्नमेंट ने माना है और जिसकी वजह से यह रिआयत गवर्नमेंट देना चाहती है वह कम्पेनसेशन के बाद दूसरी सूरत में कर्जे में कमी करने की है । अब एक सवाल यह बाकी रह जाता है कि शेड्यूल बैंक्स का कर्जा कम किया जाय या न किया जाय ।

मैं तो जाती तौर पर यह समझता था कि जब हमने उसूली हिसाब से कर्जे को कम करने का उसूल तसलीम कर लिया है और इस बुनियाद पर तसलीम किया है कि वैलुएशन जितनी कम हुई और जितनी पेइंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई उतने ही हिसाब से कमी कर दी जाय । अगर हम इस उसूल पर गौर करते हैं तो कोई वजह नहीं मालूम होती है कि क्यों कर्जे में डिस्क्रिमिनेशन किया जाय । वह भी कर्जा है जो महाजन देता है और वह भी कर्जा है जो गवर्नमेंट आफ इंडिया देती है या स्टेट गवर्नमेंट देती है । तो ऐसी सूरत में यह उसूल हमने सामने रखा कि उन लोगों को कम्पन्सेट करना है तो इस बात पर गौर करना चाहिये कि किस हद तक हमें उनके कर्जे में रिलीफ करना है । यह बिल जो हमारे सामने है उसका मकसद सिर्फ़ यह है कि

[श्री सुल्तान आलम खां]

रिलीफ़ किस बुनियाद पर दी जाय लेकिन अगर इसके साथ साथ यह चीज़ भी शामिल की जाय कि फला शख्स के कर्ज में रिलीफ दी जाय और फलां शख्स के कर्ज में रिलीफ न दी जाय तो मैं यह अर्ज करूंगा कि शिड्यूल बैंक का कर्जा, जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा, क्यों न काम किया जाय । अच्छा तो यह था कि तमाम कर्जों पर यह बिल हावी होता लेकिन फिर भी इस बिल के अन्दर जितनी भी चीजें दी गई हैं और जितने भी कर्ज दिये गये हैं उनमें मैं समझता हूं कि सब से कम शिड्यूल बैंक का ही कर्जा हो सकता है । शिड्यूल बैंक एक वाणिज्य बैंक है जो जहां पर स्टेट नुकसान उठा रही है और उनको रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट दे रही है और कम्पन्सेशन दे रही है तो वहां कर्ज के मामले में बैंक भी क्यों न कुछ रिलीफ देने का उसूल अपने सामने रखे । इसलिये मैं इस तरमीम की ताईद करता हूं और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इस पर गौर फरमायेगी ।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस समय भवन के सामने इस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक इस उसूल का प्रश्न है कि एक कर्जदार और दूसरे कर्जदार में या एक ऋणदाता और दूसरे ऋणदाता में कोई फर्क नहीं होना चाहिये मैं यह समझता हूं कि इस बात पर कुछ अधिक कहना भवन का समय नष्ट करना होगा और मैं यह भी समझता हूं कि सरकार इस बात का विरोध नहीं करेगी कि कोई फर्क होना चाहिये। मैं सब से पहले यह निवेदन करूंगा कि इस उसूल का कि एक ऋणदाता और दूसरे ऋणदाता के बीच फर्क न करने का संशोधन मंजूर करने की जो आपत्ति सरकार की ओर से दिखाई गई उसमें कुछ भी नहीं बताया गया कि शिड्यूल बैंक को क्यों इससे निकाला जाता है यानी शिड्यूल बैंक का कर्जा क्यों इस विधेयक के अन्दर कर्जा न माना जाय। जब एक उसूल पर कुठाराघात हो तो उसके लिये कारण ऐसे होने चाहिये जो मान्य हों जिससे इस माननीय भवन के सदस्य या इस भवन के बाहर जनता यह समझ सके कि अगर किसी उसूल पर कुठाराघात किया गया है तो वह इसलिये किया गया कि यह कारण थे और यह मजबूरी थी। श्रीमन् आप स्वयं देखें कि सरकार की ओर से यह भी नहीं बताया गया और सरकार को यह भी पता नहीं है कि कितने शिड्यूल बैंक हमारे प्रदेश में हैं जिन्होंने कर्जा दिया है और कौन-कौन बैंक ने कितना कर्जा दिया है और अगर हम उस कर्ज को निकाल देते हैं तो उनको क्या धक्का पड़ेगा और इससे इस प्रान्त की economy बरबाद होने का अन्देशा है या नहीं ? और मुझे याद है कि सरकार की ओर से एक बार इसी भवन में यह कहा जा चुका है कि सरकार ने यह कोशिश की कि पता लगाया जाय कि कौन-कौन से शिड्यूल बैंकों ने कर्ज दिया है और उनका कितना कर्जा है और श्रीमन् इस बारे में शायद यह कहा गया था कि उन शिड्यूल बैंकों ने यह इत्तला देने से इन्कार कर दिया और इत्तला देना पसन्द नहीं किया। मुझे नहीं मालूम शायद सरकार जानती हो कि शिड्यूल बैंकों का कर्जा करोड़ों लाखों या हजारों में है और जबकि कोई कागजात या सूचना हमारे पास नहीं है तो ऐसी हालत में मेरी समझ में नहीं आता है कि सरकार क्यों इस पर जिद्द कर रही है कि शिड्यूल बकों का कर्जा कर्जा न माना जाय।

अभी सरकार की तरफ से कहा गया कि जमींदारी अबोलीशन कमेटी ने भी अपनी सिफारिश में यह कहा था कि शिड्यूल बैंक का कर्जा इस बिल में नहीं आना चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि किसी कमेटी की रिपोर्ट या उसकी सिफारिश ऐसी कभी नहीं होती कि सरकार उनको पूरे तौर से मान ही ले। कमेटी की सिफारिशों के बारे में कुछ कहना तो इस समय भवन का समय नष्ट करना होगा लेकिन इतना मैं निवेदन कर दूं कि उन्होंने कुछ नहीं कहा और कोई उसूल की बात नहीं कही कि शिड्यूल बैंकों का कर्जा क्यों बाहर कर दिया जाय। उन्होंने यही कहा कि शिड्यूल बैंकों में जो छोटे छोटे लोग हैं जिनका रुपया जमा है उनके रुपये का मारा जाना वह पसन्द नहीं करते। कहा जाता है कि देश की भलाई के लिये यह आवश्यक था कि जमींदारी का विनाश किया जाय और जमींदार कुछ सेक्रीफाइस करें। मैं आपके द्वारा सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जब देश की भलाई के लिये एक इतना बड़ा तबका बरबाद किया

जा सकता है और उससे इतनी बड़ी सेक्रेफाइस कराई जाती है तो क्या सेक्रेफाइस का पूरा भार जमींदारों पर ही पड़ना चाहिये और जो शिड्यूल बैंक हैं या उनके शेयर होल्डर हैं जिन्होंने कर्जा दिया उनके ऊपर इस सेक्रीफाइस का तनिक भी भार न जाना चाहिये ?

तीसरी बात यह है कि ऋणदाता की बात तो अलग रही यहां जमींदार और जमीदार में भी डिसक्रिमेशन हो रहा है। एक जमींदार जिसने अपना क़र्जा किसी बनिये या ऋणदाता से लिया है और जमींदारी उन्मूलन के बाद अगर उसके पास उसे चुकाने के लिये पैसा न रहा हो तो वह बच जायेगा परन्तु यदि उसने किसी शिड्यूल बैंक से कर्जा ले लिया तो ऐसी हालत में भी कि वह उसको अदा नहीं कर सकता, जैसा कि सरकार मानती है कि वह नहीं दे सकता क्योंकि इसीलिये यह बिल लाया गया है, लेकिन चाहे वह तबाह हो जाय उसे शिड्यूल बैंक का कर्जा देना ही होगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी हमें कुछ इस पर भी सूचना देंगे कि अगर शिड्यूल बैंक को भी इस में लिया जाय तो जनहित का इससे क्या नुकसान होता है। कौन सी वह जनता है ? कौन वह बैंक है और किसके उनमें शेयर हैं और उनका उनमें कितना रुपया है। यदि यह सूचना सरकार के पास नहीं है या उसे नहीं मिल सकती है या बैंक सूचना देने से इन्कार करते हैं तो यह कहां का न्याय होगा कि हम कहते जांय कि शिड्यूल बैंकों का कर्जा इस विधेयक में नहीं रहेगा। मैंने पहले ही निवेदन किया था कि उसूल के ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है। मुझे दुख है कि इस उसूल को मानते हुये कि वे जमींदार जिनके पास जमींदारी उन्मूलन के बाद इतना रुपया न रह जायगा कि वे अपना क़र्जा अदा कर सकें, तो उनकी सुविधा के लिये एक विधेयक लाया जाय और शेड्यूल्ड बैंक्स को इसलिये निकाल दिया जाय कि वह जनहित के खिलाफ होगा और जनहित इस मामले में क्या चीज है शायद सरकार को नहीं मालूम है और न उन्होंने अभी तक बतलाया ही है। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करें।

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मेरे मित्र श्री भगवान सहाय जी ने रखा है उसका समर्थन करते हुये हमारे जमींदार मित्रों ने जिस बात की दुहाई दी उसको अगर वे थोड़ी गहराई में जाते तो शायद इस हद तक उन्हें सरकार की नीति की मुखालिफत करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने देखा होगा कि जो ४, ५ संस्थायें इस सिलसिले में एग्जैम्प्ट की गई हैं उनमें सरकारी लोकल अथारिटीज, धर्मोत्तर सम्पत्तियां और कोर्ट आफ वार्ड्स के कर्जे को छोड़ा गया है। यह इसलिये किया गया है कि जनता के पैसे को काम में लगा कर ये उसकी वृद्धि करती रहती हैं। हमारे प्रदेश के बैंकों के पास भी इसी जनता द्वारा संग्रह किया हुआ रुपया है। बहुत से बैंकों में सरकारी रुपया और सिक्योरिटीज भी जमा हैं। इसलिये अगर बैंकों को इस तरह के कर्जे से एग्जैम्प्ट न किया जाय तो इससे आम जनता को बहुत बड़ा खतरा पहुंच सकता है।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—कैसे ?

श्री कालीचरण टंडन—यह तो आपकी ही बहस से जाहिर हो जाता है कि अगर शेड्यूल्ड बैंक उससे निकाल दिये गये हैं तो आपको तकलीफ पहुंचती है क्योंकि जिन बड़े-बड़े जमींदारों का कर्जा इन बैंकों के अन्दर है उनके उन बैंकों के क़र्जे के एग्जैम्प्ट न होने से उनका कर्ज उतना का उतना ही रहेगा। साधारण क़र्जा देने वाले लोग काफी कम मार्जिन से रुपया लेते देते हैं और उनका ब्याज भी काफी अधिक होता है। लेकिन बैंकों का ब्याज कम होता है। साधारण लोग १०० रुपये का गहना रखकर ९० रु० तक दे देते हैं परन्तु बैंक ४० या ५० रुपये से ज्यादा नहीं देते। जो पैसा बैंक लगाते हैं वह जनता से आता है और उसके किसी तरह से जोखिम में पड़ने से हमारे प्रान्त की आर्थिक दशा को धक्का लगता है चूंकि बैंकों का बहुत सा रुपया उद्योग-धंधों में भी लगा रहता है। इसलिये सरकार ने जो एग्जेंशन की लिस्ट बनायी है उसमें शिड्यूल बैंक का नाम है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर शिड्यूल शब्द नहीं होता तो सभी के सभी बैंक्स इसमें आ जाते वह और

[श्री काली चरण टंडन]

भी ज्यादा अच्छा होता लेकिन जिस स्थिति में भी हम लोग इस बिल को सरकार की ओर से आया हुआ देख रहे हैं यदि उसमें से शिड्यूल शब्द हटा दिया जाय तो किसी तरह से भी जनहित की दृष्टि से नामुनासिब नहीं होगा। अतः मैं भगवान सहाय जी से अपील करूंगा कि वे अपना प्रस्ताव वापिस लेने की कृपा करें।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोबिन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हमारे मित्र श्री भगवानसहाय जी ने पेश किया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि सिवाय एक के जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं सब इसके समर्थन में ही बोले हैं। जो बातें मंत्री जी ने बताई हम उनसे जरा भी प्रभावित नहीं हुये और मैं समझता हूं कि वे बिलकुल नाक़ाफ़ी हैं। मैं आपके जरिये सरकार को यह बतलाना चाहता हूं कि जहां सरकार इस उसूल को मानती है और उसे मानकर उस पर अमल करने जा रही है कि कर्ज उसी तरह कम किया जाय जिस तरह जमीदारियां ली गई हैं और उनकी क़ीमत लगाई गई है और घटाई गई है। ऐसी सूरत में कोई वजह नहीं मालूम होती कि अब आप शेड्यूलड बैंकों को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं। यह खास रियायत क्यों दी जा रही है? मैं मंत्रीजी को याद दिलाना चाहता हूं कि इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने सन् १९३७ में ८ करोड़ रुपया किसानों को माफ़ कर दिया। उस समय आपने यह नहीं देखा कि किसका बाकी था और किसका बाकी नहीं था। बैंकों में चन्द ही बैंक आवेंगे जो इतना रुपया रखते थे कि उन्होंने जमीदारों को कर्ज दिया होगा जिन्होंने यह समझा कि जमीदारियों पर रुपया दिया जाय। ऐसा सिर्फ एक ही बैंक है जो इलाहाबाद बैंक है। आज सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि वह फारेन बैंक है। उसमें हमारे प्रान्त का एक भी डाइरेक्टर नहीं है। सब अंग्रेज हैं। उस बैंक की स्थिति ऐसी नहीं है कि आज सरकार उसकी रक्षा करने को जनहित बतलाये। जैसा मंत्रीजी ने कहा कि यदि शेड्यूल्ड बैंकों को नहीं छोड़ा गया तो बड़ी गड़बड़ी मचेगी, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह क्या गड़बड़ी मचेगी। उन्होंने यह नहीं बतलाया कि इसमें कितना घाटा पड़ेगा या बैंकों की ओर से कोई दरख्वास्त भी है। जहां तक हमें मालूम है छोटे बैंकों की तरफ से अर्जियां आई भी हैं लेकिन इलाहाबाद बैंक की ओर से कोई दरखास्त या रिप्रेजेन्टेशन नहीं आया है। उन्होंने यह भी नहीं बतलाया कि उनका कितना रुपया जमीदारियों पर लगा हुआ है। फिर भी सरकार चाहती है कि उन्हें एक्सेम्पट किया जाय जो माननीय सदस्य सरकार के पक्ष में बोले उन्होंने कहा कि बैंकों में बड़ी गड़बड़ी होगी क्योंकि उनमें जनता का पैसा है और उन्होंने यह भी कहा कि इसीलिये यह जनहित है। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि जिन बैंकों ने जमीदारियों पर रुपया दिया हुआ है वे छोटे-छोटे बैंक नहीं जिनके अन्दर भारत की जनता का पैसा लगा हुआ है या जो हमारे लोगों के देखरेख में चल रहे हैं। यह वह बैंक हैं जिनके डाइरेक्टर फ़ारेन हैं और जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपया मुनाफ़ा खा लिया है। इलाहाबाद बैंक ने कम से कम ४०, ४५ वर्ष से सूद लिया है। चाहिये तो यह था कि सारा का सारा कर्जा माफ़ कर दिया जाता लेकिन अगर सरकार अनुपात से घटाना चाहती है तो उसे बैंकों कि कोई लिहाज नहीं होना चाहिये। फिर बैंकों में भी आपने शेड्यूल्ड और नान शेड्यूल्ड सरका फ़र्क रखा है। सरकार की ओर से ऐसी चीज आना ठीक नहीं है। इससे केवल दो एक बैंकों पर असर होगा और वह इतना थोड़ा होगा कि जैसे दाल में नमक। और मैं समझता हूं कि क्यों उन पर बहुत कम असर पड़ेगा इसलिये उन्होंने सरकार से अनुरोध नहीं किया या दरख्वास्त दी। न सरकार ने हमें यह बात बताई है कि उनके पास कोई रिप्रेजेंटेशन आया है। छोटे बैंकों ने तो रिप्रेजेंटेशन दिया है कि हमारा नाम भी रखा जाय। यदि सरकार कोई चीज किसी उसूल के मातहत करने जा रही है तो उसे पूरे उसूल से करना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि आपने एक मुश्त सबको छूट दे दी और अब यहां आ कर कहते हैं कि शेड्यूल्ड बैंकों को निकाला जाता है उनपर यह लागू नहीं होगा। हमारी समझ में नहीं आया कि जनहित से आप इसे

कैसे मिलाते हैं । मैं तो कहता हूं कि यदि आप इसे जनहित मानते भी हैं तो दोनो जनहितों को तौल कर देखिये कि कौनसा बड़ा है आया इन जमीदारों का बड़ा है जो १८ लाख हैं और जिनकी जायदादें आप बहुत कम क़ीमत में हड़पना चाहते हैं जनहित का नाम लेकर, या उन बैंक वालों का जनहित बड़ा है जो लाखों और करोड़ों रुपया सूद का खा चुके हैं और जिनके डाइरेक्टर विदेशी लोग हैं। एक तरफ़ तो आप कहते है कि जनहित में आपने जमीदारी ली और दूसरी ओर कहते हैं कि इससे भी बड़ा जनहित यह है कि इन बैंकों का क़र्जा महफ़ूज रहे । मंत्रीजी ने कहा कि उनकी रिजर्व बैंक से कुछ अन्डरस्टैंडिंग है तो इससे तो यह जो बांड्स दिये जारहे हैं इनमें भी कठिनाई पड़ सकती है । इनमें सरकार ने गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से ली अगर हमारी सरकार इस समय भी सेंट्रल गवर्नमेंट से राय लेती तो वे गौर करके जरूर इस बात को मानते कि शेड्यूल्ड बैंकों को न निकला जाय। लेकिन चूंकि मंत्री जी ने या सरकारी लोगों ने त्रुटि डाल दी तो यह नहीं किया गया । हमको तो मालूम नहीं है क्या कारण है कि शेड्यूल्ड बैंकों को जनहित माना गया है और क्या गड़बड़ी मच जावेगी। ऐसा करने से बहुत से जमीदार तबाह हो जावेंगे जिनके पास खाने को या मकान तक भी नहीं रहेगा । दूसरी तरफ बैंकों को १ फीसदी भी हानि नहीं होगी । हालांकि मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और सरकार को बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं लेकिन धन्यवाद तो देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको बरबाद करके यह रियायत शेड्यूल्ड बैंकों को दी जा रही है । जब सरकार इतना बड़ा कार्य करने जा रही है तो कौनसी चीज़ पैदा हो गई जिसके लिये सरकार को शैड्यूल्ड बैंकों से इतना घनिष्ट सम्बन्ध होगया ? हमारे राजस्व मंत्रीजी यहां मौजूद नहीं हैं । उनकी जगह जो मंत्रीजी काम कर रहे हैं मैं समझता हूं कि वह ये बातें ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और यह मामला अगर न गौर कर सकें कैबिनेट से पूछने की इजाजत समझें तो इसको पोस्टपोन करें और थोड़ी देर बाद, समझने के बाद हमलोगों को बतलावें। मैं यह भी कहूंगा कि अगर वे इसको स्वीकार नहीं कर सकते तो कम से कम इस भवन में हर सदस्य को इस पर राय देने के लिये स्वतन्त्र कर देना चाहिये। मैं सरकार की पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से अपील करूंगा कि इसको कोई पार्टी क्वेश्चन न बनाया जाय । हर मेम्बर जो यहां आये हैं इस पर उनका खुले दिल से वोट लेना चाहिये । यह चीज भी जनहित में ही है । इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी इस पर गौर करेंगे और सिर्फ गड़बड़ी कह कर हमें समझाने की कोशिश नहीं करेंगे ।

श्री राधा मोहन सिंह (जिला बलिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन अभी सदन के सामने पेश किया गया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । अभी जो माननीय सदस्यों ने इस संशोधन के समर्थन में बातें कही हैं उनमें बार बार यह पूछा गया है कि आखिर क्या वजह है कि गवर्नमेंट शेड्यूल बैंक के कर्जों को कमी करने से बरी कर रही है। गवर्नमेंट की तरफ से माननीय सभा सचिव ने जब इस संशोधन का विरोध किया था उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि यह कोई पहले पहल या नयी बात नहीं है जो हम करने जा रहे हैं इसमें पहले भी सन् १९४० में जब लोन्स को कम करने का प्रश्न आया था तो बहुत विचार के बाद गवर्नमेंट ने शेड्यूल बैंक्स बैंक के कर्जों को उससे मुक्त कर दिया था । वह बिना वजह नहीं था और वह वजह आज भी मौजूद है ।

इसमें कई तरह के उसूल इनवाल्ड हैं। सदन की जानकारी के लिये मैं बतलाना चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि शेड्यूल बैंक्स की शौडोई डीलिंग नहीं होती है । उनका जो व्यवहार होता है वह ओपेन होता है और यह भी किया जाता है कि वह साफ भी रखा जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से इसकी काफी जांच पड़ताल भी होती है । जिससे उनके व्यवहार पर सरकार को बहुत भरोसा है। इसलिये भी के उनके कर्ज को और बैंक के कर्जे से अलाहदा होना पड़ा है। दूसरी बात यह है कि शेड्यूल बैंकों का रेट आफ इन्टरेस्ट भी और बैंकों से कम है और उनका व्यवहार भी ठीक है । उन बैंकों का रेट आफ इन्टरेस्ट काफी कम है, यही कारण है कि बहुत से जमींदार लोगों ने और बैंकों को छोड़ कर शेड्यूल बैंकों से ही कर्जा लिया ।

[श्री राधा मोहन सिंह]

इसमें रेट आफ इंटरेस्ट का सवाल है और साथ ही गवर्नमेंट पालिसी का भी सवाल है। वैसे तो सरकार ने साधारणतया इस उसूल को मानलिया है कि जब जमींदारी हम खत्म कर रहे है और उसके एवज में मुआविजा उसकी कीमत के अनुसार नहीं बल्कि कम दे रहे है ऐसी सूरत में जो कर्जे कि जमींदारी पर आधारित थे, सुरक्षित थे वे कर्जे भी कम होने चाहिये। इस सिद्धान्त को हमारी सरकार ने साधारण तया स्वीकार कर लिया है लेकिन जब हम देखते हैं कि इसमें मैटर आफ पालिसी भी इनवाल्व्ड है, अगर हम खंड २ के उपखंड घ को जिस पर कि यह संशोधन पेश किया गया है, गौर से देखें तो मालूम होगा कि कुछ विशेष बातें हैं जिसकी वजह से हम उनके लिये एक्सेप्शन करने जा रहे हैं। सेन्ट्रल अथारिटी का लोन, लोकल अथारिटी का लोन, कोआपरेटिव सोसाइटीज का लोन हम क्यों छोड़ रहे है, इसको अगर आप देखें तो मालूम होगा कि इसमें पालिसी आफ इंटरेस्ट भी है। शेड्यूल बैंक्स में पब्लिक पालिसी भी है। हम समझते हैं कि और जैसा कि माननीय सभा सचिव ने बतलाया है कि आज भी हम देखते हैं कि बहुत से आदमियों के रुपये इनमें जमा हैं जो कि इन बैंकों का एसेट है तो इसका असर पब्लिक फाइनेंसेज पर भी बिना पड़े नहीं रहेगा। इसलिये इस बात को सोचना पड़ेगा कि उनको किस कैटेगरी में रखा जाय

मै समझता हूं यह तीन बातें है इंटरेस्ट का कम होना, उनके व्यवहार का साफ होना और साथ ही पब्लिक पालिसी का इन्वाल्व होना, पब्लिक इंटरेस्ट के लिये जरूरी होना है। सरकार ने इन्हीं बातों का लिहाज करके शिड्यूल्ड बैंक को अलहदा रखा और इसीलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात का ख्याल रखेंगे और उसी आधार पर संशोधन का विरोध करने के लिये लाचार हूं और मैं समझता हूं आप सब उस संशोधन को स्वीकार कर देंगे।

श्री बिशम्भर सिंह (जिला मेरठ)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री भगवान सहाय जी का जो प्रस्ताव पेश है उसकी मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमान् जी, सबसे बड़ा करम जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है जमींदारों के साथ वह यह है कि जब जमींदारियां खत्म की गई तो वह मुआविजे के साथ जिसकी किसी दूसरी जगह मिसाल नहीं है। अब दूसरा करम जो वह करने जा रही है। वह जमींदारों के ऋण के लिये है। मैं अर्ज करूंगा कि उनको मालूम होना चाहिये कि उनका जो कर्जा है वह सिर्फ ऐशो इशरत को जिन्दगी बसर करने के लिये लिया गया था। मेरा ख्याल है कि कोई भी इस बात से मुनकिर नहीं हो सकता कि उन्होंने किसी ऐसे काम के लिये कर्जा नहीं लिया जिसमें मुल्क को किसी सूरत में फायदा पहुंचा हो। मैं अर्ज कर दूं कि शिड्यूल्ड बैंक्स को जो एक्जेम्प्ट किया जा रहा है इस कानून में वह सही है क्योंकि बैंकों को देश की इकनामिक लाइफ में बहुत बड़ा हिस्सा है और वह मुल्क के डेवेलपमेंट के लिये बहुत जरूरी है बैंक के काम में किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिये और मैं कहता हूं कि यह जो एक्जेम्प्शन है वह सही है और उसको रहना चाहिये।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सदन को यह बतला देना चाहता हूं कि मैं जो प्रस्ताव भगवान सहाय जी ने पेश किया है उसका सख्त विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने इन जमींदारों के साथ क्या क्या किया। ३७ की गवर्नमेंट ने इनका पटौंधन किया। लाखों करोड़ों रुपया इनका पट गया। गरीब किसानों ने जिन्होंने गाढ़े पसीने की कमाई इन्हें दे रखी थी वह भी पट गया और उसके बाद भी उन गरीबों के खेत निकाल लिये गये। क्या कोई भी अपने कल्ब पर हाथ रखकर यह कह सकता है कि यह गलत है। यह बिलकुल सत्य है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं और पूरा सदन ध्यानपूर्वक सुने कि हमारी सरकार ने जितने भी उपकार किये हैं वह सब इन जमींदार भाइयों के लिये और सब इनको फैसिलिटीज दी है। जमींदारी का अबालीशन मुआविजा देकर किया है जिसका रिकर्ड वर्ल्ड की हिस्ट्री में दूसरा नहीं है। आज तक किसी गवर्नमेंट ने जमींदारी का अबालीशन

मुआविजा देकर नहीं किया है। आज भी हमारे लाल टोपी के भाई गांव-गांव में नारे लगा रहे हैं कि मुआविजा देकर जमींदारी तोड़ी गई है। मैं स्वयं कहता हूं कि जमींदारी बिला मुआविजा दिये ही खत्म होनी चाहिये थी। इनको मुआविजा देने की कतई जरूरत नहीं थी। यहां पर ८ अगस्त सन् ४६ को जमींदारी के अबालीशन का बिल पेश हुआ और जमींदारी खत्म हुई जाकर जुलाई सन् ५२ में। इन ६,७ सालों के बीच में उन्होंने अपने काका, चाचा, भाई भतीजे, नाना नानी जितने रिश्तेदार थे सबको जमीनें लिख दीं। इन्होंने जंगल काटे, पेड़ काटे, बाग बगीचे काटे। लेकिन फिर भी इनको फैसिलिटीज़ दी गई। लेकिन जितनी फैसिलिटीज़ हो इन्हीं को दे दी। गरीब किसान के लिये कुछ भी नहीं। मई के महीने से जब से हमने शपथ ली है तब से मैं बराबर यह देखता हूं जमींदारों के लिये यह कर दो और वह कर दो।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह--मैं एक वैधानिक आपत्ति उठाता हूं कि पास हुये विधेयक का विरोध इस वक्त नहीं किया जा सकता,

श्री शिवनारायण--मैं यह बतला रहा था कि यह इनके साथ किया और इसी के कारण अब यह रियायत इनको न मिलनी चाहिये। मैं विधेयक का विरोध नहीं कर रहा हूं। विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। मैं तो संशोधन का विरोध कर रहा हूं।

आपने जितना रुपया किसानों से वसूल किया हम उसे जानते हैं। इस प्रांत की एक तिहाई आमदनी सरकार के पास आती थी और दो तिहाई बर्लिंग्टन होटल में खर्च होती थी, मोटरों में खर्च होती थी।

मैं कहता हूं कि सरकार जो प्रस्ताव सेडयूल्ड बैंक्स के बारे में उपस्थित किया है कि उनका हिसाब किताब अलग रखा जाय, वह निहायत ही सुन्दर है। हमने १९३७ से आज तक आप को सहूलियतें देने की कोशिश की। लेकिन हर जगह आपने नाना प्रकार के झगड़े फिसाद पैदा किये। पानी क्यों नहीं बरसता है। तमाम जंगल के जंगल कटवा दिये गये हैं पिछले हफ्ते छुट्टियों में मैं अपनी कांस्टीटुयेंसी गया था। मालूम हुआ है तमाम पेड़ करना दिये गये हैं। जिस सूरत से भी पैसा मिल सकता था उन्होंने खींचने की कोशिश की। उसके बाद चाहते हूं कि हमको कर्ज माफ कर दिया जाय।

इन शब्दों में साथ जो संशोधन रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं अगर बिल का समर्थन करता हूं।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)----माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो संशोधन इस समय पेश है उसमें एक वैधानिक आपत्ति आपके सामने पेश करना चाहता हूं। और उस आपत्ति को दृष्टि में रख कर हाउस के लिये यह जरा मुश्किल हो जायगा कि वह इस संशोधन को पास करे।

शेड्यूल्ड बैंक्स की शाखायें केवल एक प्रान्त में नहीं होतीं। वे इंटर प्राविन्शल होती हैं। ऐसी दशा में मेरा ख्याल यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के अधिकार में शायद यह नहीं है कि उन शेड्यूल बैंक्स के मामलों में हस्तक्षेप कर सके। इसका एक उदाहरण भी मेरे पास यह है कि पिछली गवर्नमेंट ने इस बात का प्रयत्न किया कि हमारे सूबे में जो शेड्यूल बैंक्स के एप्लाइज़ हैं उनकी हालत को सुधारा जाय। इसलिये उन्होंने एक ट्राइबुनल मुकर्रर किया और उसने एक अवार्ड भी दिया। वह अवार्ड इन्हीं शड्यूल्ड बैंक्स के बारे में था। अवार्ड पेश होने के बाद फौरन ही शेड्यूल बैंक्स के मालिकान ने इसके खिलाफ अपील कर दी। उन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि जहां तक शेड्यूल्ड बैंक्स का ताल्लुक है उनके किसी मामले में प्रदेशीय सरकार को कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इसलिये उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर ट्राइबुनल मुकर्रर किया और उसकी कार्यवाही चल रही है।

[श्री नौरंग लाल]

तो मेरा शक है, कि इसमें हममें जरा सोचना पड़ेगा, और जमींदारों को खुद यह सोचना चाहिये कि अगर यह संशोधन पास भी हो गया तो बैंकों के पास कानूनी राय की तो कमी है नहीं अगर उन्होंने अपील कर दी तो यह कानून कोल्ड स्टोरेज में पड़ जायगा, खटाई में पड़ जायगा। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जायगा और कहीं ऐसा न हो कि आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न सारी पावे। जो थोड़ा सा मिला था वह भी चला जाय और साल दो साल तीन साल तक यह कानून झमेले में पड़ जाय। इसलिये मैं यह पेश करने आया हूं कि इस संशोधन पर ज्यादा जोर न दें क्योंकि यह आप के ही नुक्सान की चीज होगी।

श्री राधामोहन सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बहस समाप्त की जाय।

उपाध्यक्ष--कोई बोलने वाला है नहीं है।

श्री भगवान सहाय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन् जो संशोधन मैंने पेश किया था उसके ऊपर मुआफकत और मुखालिफत में तरह-तरह की बातें सदन के सामने आईं। मैंने उन तमाम आर्गूमेंटस् को बहुत गौर से सोचा और समझने की कोशिश की। हमारे एक माननीय सदस्य ने अभी कहा कि इसमें कुछ वैधानिक आपत्ति है। मैं वकील नहीं हूं और इसलिये वैधानिक आपत्ति से मुझे कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि लेजिस्लेटर की हैसियत से मैं यह समझता हूं कि अगर कोई वैधानिक आपत्ति हो तो हमारे लीगलरिमेंबरेसर उसको बतायें और उसको हम सब लेजिस्लेटर रफा करें। अगर उसूलन यह बात मान ली जाय कि यह बात सही है तो यह जो मैंने संशोधन रखा है। इसमें उसूल का सवाल है। इसके सामने कोई वैधानिक आपत्ति कोई आपत्ति नहीं हो सकती, यहां से लेकर गवर्नमेंट आफ इंडिया तक। हम इस काबिल हैं और हम में वह ताकत है कि हम उस वैधानिक आपत्ति को रफा कर दें।

दूसरे हमारे एक माननीय सदस्य ने यह दलीलें पेश कीं कि बैंक हमारी इकोनामिक लाइफ में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। मैं मानता हूं कि आज की कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बैंक हमारी इकानामिक लाइफ का एक बड़ा अंग है, लेकिन हम यहां पर कैपिटलिस्ट सोसाइटी नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि यहां पर किसान और मजदूरों का राज्य हो और ऐसे मुल्कों में जहां पर यह व्यवस्था है वहां प्राइवेट बैंक्स हों या इंडिविज्वल बैंक्स हों ऐसी कोई नजीर हमारे सामने नहीं है। तो इस में अगर बैंक आड़े आते हैं तो उस आप इकोनामिक लाइफ चेंज करने जा रहे हैं। इस बात को मानने में हमें कोई शर्म की बात नहीं। यह अकीदा है, उसूल का सवाल है।

फिर हमारे एक माननीय सदस्य ने यह कहा और शायद कहते वक्त जमींदारों का भूत उनको इस कदर दिखाई दिया कि वह दलील से बे दलील हो गये। उन्होंने फरमाया कि बैंक से जनहित है। मैं उन से सिर्फ दो तीन बातें पूछना चाहता हूं श्रीमान्, कि जनहित का सवाल क्या बैंक के सवाल में आता है? मैं इस सदन के तमाम सदस्यों से श्रीमान् आपके द्वारा यह पूछना चाहूंगा कि घनश्यामदास बिड़ला का हित जनहित है? टाटा परिवार का हित जनहित है? फिर इलाहाबाद बैंक के जो शेयर होल्डर्स इंगलैंड में बैठे हुये हैं उनका हित हमारे देश का जनहित कैसे है? मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन हो। तो जहां तक जनहित की बात है वह हमारे सामने कुछ नहीं आता। जो छोटे बैंक्स हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया इस बिल में ऐसे भी हैं जो बैंकिंग ऐक्ट के मातहत रजिस्टर्ड बैंक्स हैं, लेकिन चूंकि उनका कैपिटल छोटा है वह शेड्यूल की मद में नहीं आते इसलिये वह शेड्यूल्ड बैंक नहीं कहलाते। ऐसे बैंक्स को आपने मुस्तसना नहीं किया इस मद से। तो आपने भी उसूल माना इस बात का कि बैंक व्यक्तिगत मनुष्य के दिये गये करजे में कोई फर्क नहीं।

श्रीमान् आपके द्वारा मुझे यह अर्ज करना है कि यू० पी० इंकम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट, १९३४ के मातहत हमने शेड्यूल्ड बैंक्स के करजों को एग्जेम्प्शन नहीं दिया, उनपर

भी वह ऐक्ट लागू हुआ। इस चीज को हम ने माना। यह मैं मानता हूं कि यह ऐक्ट जमींदारों का बनाया हुआ था लेकिन अगर उसमें कोई गलत चीज थी तो उसमें कोई संशोधन नहीं किया दूसरे हम उस ऐक्ट को आज भी हम मान रहे हैं। ऐग्रिकल्चरिस्ट्स रिलीफ ऐक्ट, १९३४ में भी शेड्यूल्ड बैंक्स के मामले में उनको एग्जेम्पशन नहीं दिया। यह ऐक्ट भी उन पर उतना ही लागू होगा जितना कि दूसरे पर। इसके अलावा यू० पी० ऐग्रिकल्चरिस्ट्स रेगुलेशन आफ क्रेडिट ऐक्ट, जो १९४० में लागू हुआ, इसका कांग्रेस मिनिस्ट्री ने निषेध किया, लेकिन चूंकि हम आफिस से बाहर चले गये थे इसलिये हैलट रोजिम ने अल्टीमेटली उसको लागू किया। तो हमने यह उसूल मान लिया कि इन मामलों में जहां तक कर्जा कम करने का सवाल है या रेगुलेट करने का सवाल है, शेड्यूल्ड बैंक्स को कोई तरजीह नहीं देंगे। तो श्रीमान् इस संशोधन के द्वारा जो मैं मांग कर रहा हूं वह यही है कि इस विधेयक में जो आपने उनको तरजीह दी है वह न दी जाय। फिर यों देखिये कि बैंक का सवाल जहां तक आता है यह कहा गया है कि इसमें छोटे डिपाजिटर्स का हित है, उनके हित को नुकसान पहुंचता है यह मेरी समझ में नहीं आया कि जो छोटे डिपाजिटर्स हैं उनको कैसे नुकसान पहुंचता है यह तो मैं मानता हूं कि छोटे डिपाजिटर्स से रुपया जमा करके बैंक्स के शेयर-होल्डर्स या मालिक लोग उस रुपये को ज्यादा सूद के ऊपर लगा करके उनको भी एक्सप्लायट करते हैं। यह जो उनको रिलीफ दी जाने वाली बात कही जा रही है वह ऐसी नहीं है। ये छोटे डिपाजिटर्स के चैम्पियन नहीं हैं, उनके संरक्षित नहीं हैं, ये तो उनका उतना ही खून चूसने वाले हैं जितना और किसी का चूसने वाले हैं क्योंकि उन्हीं के रुपये से ये ज्यादा सूद के ऊपर रुपया उठा करके फ़ायदा उठाते हैं।

फिर यह सवाल है कि अगर इस विधेयक में जमींदार के मुकाबिले में किसी काश्तकार का फ़ायदा पहुंचता होता तो मैं काश्तकार का हामी होता लेकिन इसमें वह जमींदार जो आज अपनी रोजी से वंचित कर दिया गया अपने किसी कसूर पर नहीं। बल्कि जमाने की मांग पर, उसके मुकाबिले हम उसको कैसे सपोर्ट करें जो मालदार है, जिसकी हैसियत बनी हुई है और जो आज भी समाज के अन्दर शोषण कर रहा है। तो शोषण करने वाले आदमी को हम कैसे सपोर्ट करें उस आदमी के ख़िलाफ़ जिसमें शोषण करने की ताकत अब नहीं रही। उसमें शोषण करने की ताकत जब थी तब थी लेकिन आज वह समाज का उतना ही सीधा और उच्च अंग है जितना कोई दूसरा है। आज अगर समाज को डर है तो उन आदमियों से है जो अब भी शोषण कर रहे हैं और जिनकी शोषण करने की ताकत अब भी बदस्तूर है। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड बैंक उन्हींकी हैसियत में आता है। खंड २ के उपखंड (४) में बहुत सी ऐसी मदें हैं जिनमें इग्जेम्प्शन दिये गये हैं। जब मैंने इस चीज को सोचा तो मेरे दिमाग में यह बात आयी कि इन सबको एक्जेम्पशन देना गलत काम है। उसके लिये मेरा तर्क यह था कि एक व्यक्तिगत आदमी की नैतिकता का स्तर भिन्न है और सरकार की नैतिकता का स्तर भिन्न है। ऐसी बात नहीं है अगर किसी इंडिविजुअल के लिये कोई बात गलत है तो सरकार के लिये भी गलत है और अगर किसी इंडिविजुअल के लिये कोई बात सही है तो सरकार के लिये सही है। जब उसकी असली हालत पर मैंने गौर किया तो मैंने यह सोचा कि यह जो दो-तीन करोड़ रुपये के इकंमबर्ड स्टेट्स ऐक्ट के मातहत बांड्स इश्यू हो गये हैं उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार का नुक्सान होगा और वह नुक्सान हम पर आयेगा टैक्स के रूप में क्योंकि उतनी रेवेन्यू कम हो जायगी और वह हम से पूरी की जायगी। इसलिये मैंने उस प्वाइण्ट को नहीं उठाया। क्योंकि उसमें एक इंडिविजुअल का फ़ायदा होता और समाज का नुकसान होता लेकिन बैंक के नुकसान में मैं किसी हालत में समाज का नुकसान नहीं मानता। कुछ इंडिविजुअल सदस्यों की राय कुछ भी हो लेकिन मैं बैंक के नुकसान नहीं मानता हूं। मैं समझता हूं कि यह एक आदमी के नफ़ा या नुकसान के मुकाबिले में एक गुट का नफ़ा या नुक़सान है और वह गुट ऐसा है जो शोषण करने वाला है और उसका आदी है। इसलिये जो दलीलें सदन के सामने आयीं हैं मैं उनसे कतई प्रभावित नहीं हुआ। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय भगवान सहाय जी की तकरीर मैंने बहुत ध्यान से सुनी विशेषकर इस कारण कि मैंने उनकी पहली तकरीर नहीं सुनी थी और जो सज्जन उनके संशोधन के अनुकूल बोले थे उनकी भी तकरीर मैं अधिक सुन नहीं सका। मैं जानना चाहता था कि उनके प्रस्ताव या संशोधन के हक में क्या दलायल उनके पास हैं। लेकिन मुझे सिवाय जज़बात के और कुछ मिला नहीं। आपने कहा यह कि अगर कोई इसमें वैधानिक आपत्ति है तो वह केन्द्रीय सरकार से इसको अलाहिदा करा सकते हैं। वैधानिक आपत्ति से आपका मतलब कांस्टीट्यूशनल डिफिकल्टी से था। तो आप इस हद तक जाने को तैयार हैं कि उसके लिये संविधान बदला जाय। कहां तक इस छोटी सी बात के लिये संविधान बदलना संभव है, यह मैं कह नहीं सकता। लेकिन अगर छोटी-छोटी बातों के लिये संविधान बदला गया तो उसके साथ खिलवाड़ करना होगा। खैर, यह बात तो दूसरी रही। यह तो महज उनके जोश की एक नाप थी। लेकिन मैं यह नहीं समझता हूं कि इसमें कोई वैधानिक आपत्ति है। हम चाहें तो यह बेशक कर सकते हैं कि शेड्यूल्ड बैंक्स का भी कर्जा घट जायगा। लेकिन सोचना हमको केवल यह है कि क्या ऐसा करना मुनासिब है या नहीं। मैं यह समझता हूं कि संशोधन को स्वीकार करना ठीक नहीं होगा। उसकी सबसे बड़ी दलील का खुद उन्होंने ही जिक्र किया कि बैंकों के पास, मैं ठीक आंकड़े तो नहीं जानता और न मुझको बैंकिंग बिजनेस का बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन मेरा अनुमान यह है कि ज्यादातर उनका काम डि-पाजिट्स से चलता है और छोटे छोटे लोग अपनी अपनी बचत का रुपया बैंकों में रखते हैं। उन डिपाजिटर्स को खतरा पहुंचने की आशंका इस प्रकार है कि अगर उन बैंकों का कर्जा घट गया तो बैंक फेल हो सकते हैं और छोटे आदमियों के डिपाजिट्स मारे जा सकते हैं। क़र्जा कि घटने की संभावना इसमें केवल १/५ तक है, यानी जो क़र्जा हो उसका १/५ ही वह पाये, क्योंकि जैसा मल्टिपुल है, आप देखें इनकम्बर्ड स्टेटस ऐक्ट, उसमें हमने कहा है कि ८/४० तक हो सकता है, यानी १/५। वैसे ही डेट रिडैम्शन ऐक्ट वगैरह के अधीन मिलता है या ऐग्रीकल्चरल रेलीफ़ ऐक्ट के अधीन भी और यूजूरिअस लोन्स ऐक्ट वगैरह इन सब के मातहत सूद घटता है और हो सकता है कि किन्हीं-किन्हीं सूरतों में असल के भी घटने की नौबत आ जाती हो। तो इस सब घटत के बाद भी इस कानून के मातहत जो कर्जा तय हो वह २० फ़ी सदी तक किया जा सकता है। तो अगर बैंकों ने जो क़र्जा ऐडवांस किया हुआ है, मैं समझता हूं कि बहुत कम ऐडवांस किया है, मुझे जो इल्म है वह केवल एक दो बैंकों का है, ज्यादा तर शेड्यूल्ड बैंक्स ने इस तरह कर्जा नहीं दिया है मान लो कि उन थोड़ों ने जिन्होंने दिया हुआ है उनका अगर २० फ़ीसदी हो गया तो उनके बजट पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है और बैंक के फेल होने की नौबत आ सकती है। माननीय सदस्य यह कहेंगे कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है चूंकि बैंक पूंजीपतियों के हैं, बिरला आदि के हैं। नाम ले देने से आमतौर पर एक आदमी की हमदर्दी हो जाती है और अगर इस सदन के बाहर तकरीर की जाय तो उसमें जरूर ही हमको तालियां मिल जाया करती हैं। तो केवल यह कह देना कि वे फेल हो जायं तो उन्हें कोई चिन्ता नहीं है, यह ठीक नहीं है। अगर बैंक फेल हो जाय तो उससे देश को ही हानि होती है। इससे तो अच्छा यह है कि जो मौजूदा बैंकिंग सिस्टम है आप उसको नेशनलाइज़ कर दीजिये, उसको खत्म कर दीजिये। लेकिन इस तरीके से वे फेल हों और जनता के छोटे आदमियों को भी हानि पहुंच जाय तो यह तो कोई बैंकों को खत्म करने का अच्छा तरीका नहीं है। उनको खत्म करने का अच्छा तरीका तो उनका राष्ट्रीयकरण है। और यह कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में इस तरह के बैंक्स होते हैं और सोवियट सिस्टम में नहीं होते। मुझे इसकी बाबत ज्यादा कुछ कहना नहीं है लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि रूस के अन्दर बैंक्स हैं और वे साढ़े ७ फीसदी लोगों को इंटरेस्ट देते हैं। तो बैंक वह भी हैं। अब केवल यह है कि यह एक स्टेट की तरफ से रन किया जाता है और एक प्राइवेट कम्पनी की तरफ से रन किया जाता है। उनके शोषण में कोई फर्क पड़ता है। यह भी मेरे लिये कहना "टू मच" होगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अल्टीमेट एनेलेसिस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक फैक्टरी स्टेट चलाती है और एक प्राइवेट कम्पनी चलाती है

लेकिन मजदूर को कोई फर्क नहीं पड़ता है । जो फैक्टरी स्टेट द्वारा चलाई जाती उसमें बल्कि मजदूर घाटे में रहता है । खैर इसकी बहस में मैं नहीं जाना चाहता हूं । खैर इन बैंक्स को इस प्रकार के टेढ़े तरीके से हानि पहुंचाई जाय यह बात तो मेरी समझ में नहीं आती है ।

शिड्यूल बैंक्स के लिये यह ठीक है कि एग्रीकल्चरल रिलीफ़ ऐक्ट और एकम्बर्ड स्टेट ऐक्ट में कोई ख्याल नहीं किया गया है । लेकिन जैसा कि खुद उन्होंने कहा कि उस समय जमींदारों का प्राबल्य था । लेकिन पहले पहल कांग्रेस मिनिस्ट्री आई तो उसने डैट रिडम्पशन ऐक्ट बनाया और उसमें उन्होंने बैंक्स के कर्जों को मुस्तसना किया है और फिर जमींदारी अबालीशन कमेटी को इसी पार्टी की गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया था । उसने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि शिड्यूल बैंक्स के कर्जा को मुस्तसना करना चाहिये । रही उसूल की बात तो उसूल कहां खत्म होता है और तफसील कहां आरम्भ होती है या तफसील कहां खत्म होती है और उसूल कहां शुरू होता है । यह कहना बड़ा मुश्किल होता है । अगर शिड्यूल बैंक्स के कर्जा को मुस्तसना न किया जाय तो गवर्नमेंट कर्जे या कोआपरेटिव सोसाइटीज के कर्जे किस उसूल के अधीन आ जायेंगे कि उनको भी मुस्तसना करें । यह भी बड़ी मुश्किल बात तय करना है । इसलिये इसमें बहुत बारीकी में जाने से काम नहीं चलेगा कि यह प्रिंसपिल की बात है या डिटेल की बात है । मैं समझता हूं कि यह खूब सोच-समझकर रखा गया है कि शिड्यूल बैंक्स के कर्जे मुस्तसना रहें । इसलिये मैं संशोधन को अस्वीकार करता हूं ।

उपाध्यक्ष---क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ।

श्रीभगवान सहाय---जी हां, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं ।

(सदन की अनुमति से हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार संशोधन वापस लिया गया

पक्ष में---११३

विपक्ष में---४)

उपाध्यक्ष---(श्री अवधेश प्रताप सिंह से) मामूली तौर पर मेरा ऐसा ख्याल था कि भवन ने जिस सिद्धांत को अभी स्वीकार कर लिया है उस सिद्धांत को सामने रखते हुये एक तरह से यह संशोधन उपस्थित नहीं हो सकता था परन्तु कम से कम शब्द "तीन" जिसके बारे में अभी बहस हो चुकी है उसको छोड़ कर आप अपना संशोधन पेश कर सकते हैं ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं:---

खंड २ से उपखंड (ब) के भाग (१) (२) तथा (४) निकाल दिये जायं ।

इसमें भाग १ में केन्द्रीय सरकार व किसी राजकीय सरकार, भाग २ में स्थानिक अधिकारी की और भाग ४ में सहकारी संस्था है । श्रीमन्, इसी सदन में एक दूसरी बहस के दौरान में एक महानुभाव ने यह कहने की तकलीफ़ थी कि इसमें बहुत सी वैधानिक आपत्तियां हैं । मुझे यह भय है कि मेरे भाषण के उपरान्त फिर वही प्रश्न उठेगा और लोग यह कहेंगे कि वैधानिक आपत्तियां हैं क्योंकि हमारी सरकार को यह अधिकार नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार है । लेकिन श्रीमन्, इस जगह पर मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर जमींदारी तोड़ने के लिये आर्टिकिल ३१ संशोधित किया जा सकता था, जबान बन्द करने के लिये आर्टिकिल १९ संशोधित किया जा सकता है तो क्या जमींदारी तोड़ना इतना आसान और सरल समझ रखा था कि उसके तोड़ने के बाद जो नतीजे होंगे उनके लिये आप तैयार नहीं थे । यह तो एक साधारण सी बात हुई कि जमीदारी आपने तोड़ डाली और उसकी वसूलयाबी का आप इंतजाम करेंगे । वसूलयाबी का इन्तजाम सरकार करेगी क्योंकि सरकार का उसमें फ़ायदा है । लेकिन जब जमीदारों का प्रश्न उठता है और उनके हित का सवाल आता है तो उस समय तो संविधान के अन्दर संशोधन करना भी अनुचित प्रतीत नहीं होता

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

है। उस समय जब कि सरकार का हित होता है तो संविधान बदल दिया जाता है लेकिन जब दूसरों के हित का सवाल आता है तो ऐसी चीज में उनको अन्याय दिखाई देता है। जहां तक पुराने डैट का हवाला दिया गया कि यू० पी० डैट रिडम्पशन ऐक्ट में शिड्यूल बैंक का एग्जम्पशन था। मगर श्रीमन् वह भी एक वक्त था और आज दूसरी तरह की परिस्थिति है। उस समय जमींदारों के कर्जे या काश्तकारों के कर्जे की परिस्थिति दूसरी थी। उस समय जमींदारों के पास जमीदारी थी और काश्तकारों के पास काश्तकारी थी लेकिन अब जमींदारों के पास कुछ भी नहीं रहा है। आपने उनकी सम्पत्ति को ले लिया है एक मुआविजे की आड़ में जब कि मुआविजा बिलकुल नहीं के बराबर है। आपने उनकी जमीदारियों को अपहरण कर लिया जब कि उनको मुआविजा आपने कुछ भी नहीं दिया। ऐसी परिस्थिति में मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि मेरे संशोधन में जहां पर वैधानिक बात है उनको आप अमेंडमेंट करें। जो भी कांस्टीट्यूशन हो उसको बदला जा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि जहां पर सरकार को जरूरत हो वहीं पर बदला जाय और दूसरे की जरूरत के लिये नहीं बदला जाय। आप सेंट्रल गवर्नमेंट से सिफारिश कर सकते हैं और नहीं तो आसान नुस्खा यह है कि आप जमीदारी अबालिशन ऐक्ट का सेक्शन ६ संशोधित कर दें तो यह झगड़ा सब खत्म हो जायगा। जो कुछ हमको मिलना था वह सब साफ तौर पर मिल जायगा। इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो सरकार के पास एक दूसरा तरीका हो सकता है और वह यह है कि अगर उनमें साहस है और जमींदारों के अन्दर बदनियती नहीं है महज मजबूरी है तो आप इस चीज को स्वीकार करें। जब कि हमारी जमींदारी ले ली गई और जब हमने दूसरों से ऋण लिया था तो उस समय उन जमींदारियों की कीमत और थी उस वक्त हम अपना ऋण चुका सकते थे। अब उन जमींदारियों की कीमत कुछ भी नहीं रही। ऐसी परिस्थिति में उस पुराने ऋण का भार हमारे लिये असहय है। हम उसको बरदास्त नहीं कर सकते हैं। हमारी नेकनियती होते हुये भी हम उसको देने के लिये योग्य नहीं हैं इस बात को मद्देनजर रखते हुये जब कि हम दे नहीं सकते हैं तो इससे क्या अन्तर हो सकता है चाहे ऋणदाता कानपुर का हो, चाहे बिड़ला हो और चाहे वह प्रांतीय सरकार हो प्रश्न यह उठता है कि हमारी आर्थिक अवस्था अब ऐसी नहीं है कि हम उस ऋण की अदायगी कर सकें और उस भार को उठा सकें। । किसी महाजन के जातीपन में बदल जाने से इसमें क्या फर्क हो सकता है।

आपने एक तरफ तो जमींदारियां ले लीं और अब वह मालियत मिलकियत की नहीं है लिहाजा चाहे ऋणदाता कोई न हो हम उसको अदा करने से मजबूर हैं और यह एक ऐसी बात है कि जिस को सरकार समझ सकती है। वह दिल से और अपनी ईमानदारी से जरा असलियत की तरफ देखें और देखें कि न्याय किधर है। यह दूसरी बात है कि सरकार की भी मजबूरियां हों लेकिन जब जमींदारियाँ तोड़ना आप ने मुनासिब समझा तो जो उसके नतायज हैं और आगे होंगे उनके लिये भी आप को तैयार रहना चाहिये। आपके लिये अब कांस्टीट्यूशन का बदलना असुविधाजनक है और उसमें आप को दिक्कतें हैं, लेकिन यह तो कोई जवाब या दलील नहीं है।

साथ ही साथ एक बात और करना है। मैं कोई वैधानिक आपत्ति नहीं कर रहा हूं और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि संविधान के आर्टिकल १४ के यह बिल इनफलिक्ट कर रहा है लेकिन एक जमींदार की हैसियत से मुझे शंका है कि कौन सी ऐसी बात है जो सीक्योर्ड डेब्ट और इनसीक्योर्ड डेब्ट में फर्क कर रही है। मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह इस विषय पर एडवोकेट जनरल या जो और लीगल हैड हों उन उनसे भी सम्मति ले लें ताकि ऐसा न हो कि महाजनों के पास तो रुपये की कमी नहीं है, वह दफा २२६ के द्वारा हाईकोर्ट और सुपरीम कोर्ट में रिट दाखिल कर दें,

उनके लिये यह सरल काम है। यह महाजन लोग इस बिल को चैलेंज करेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी देख लें कि इस में आर्टिकल १४ का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि यह क्लासिफिकेशन में आ जायगा और सुपरीम कोर्ट की रूलिंग वगैरह हैं जिनमें साफ है कि क्लासिफिकेशन हो सकता है। मैं समझता हूं कि यह जनहित में है क्योंकि २२ लाख जमींदार इस जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट से प्रभावित हुये हैं और जनरल पालिसी और जनरल इन्टरेस्ट वाली बातें बहुत से माननीय सदस्यों ने इस सदन में उठाई हैं। मैं समझता हूं कि पब्लिक पालिसी और पब्लिक इन्टरेस्ट के बारे में एक क्या हजारों किताबें पड़ी हुई हैं। अमरीका के सुपरीम कोर्ट में यह रोज की बातें हैं जहां पर पब्लिक पालिसी और पब्लिक इंटरेस्ट डिसकस किया जाता है चाहे यहां के लिये यह भले ही नई चीज हो। क्या पब्लिक इन्टरेस्ट में बैंक या कोआपरेटिव सोसाइटी रखी जायंगी। मैं बतलाना चाहता हूं कि जनहित यह नहीं है कि २२ लाख जमींदारों की जीविका का जरिया नष्ट कर दिया जाय और आगे भी उनकी जीविका के लिये कोई उपाय न रखा जाय और महाजन जो कि हर तरह से धन से और रुपये से सुसज्जित है और जो हर तरह से आपकी सरकार को भी प्रसन्न कर सकता है आज उनके लिये यह कहना है कि वह मुट्ठी भर भारत में हैं और जनहित के माने उनका इन्टरेस्ट नहीं हो सकता, जनहित तो बहुत बड़ी चीज है। पब्लिक इन्टरेस्ट का मिसयूज किया जा रहा है और गलत माने उसके लगाये जा रहे हैं। इसलिये अच्छा हो कि किसी उच्च कोटि के लीगल हेड से इस मामले में सलाह ले ली जाय। लेकिन साथ ही साथ हमको यह शिकायत भी है कि जितना सरकार को करना चाहिये था उतना सरकार नहीं कर रही है। आज के बाद हमारे वंशज यह देखेंगे कि आज कांग्रेस सरकार ने यह अन्याय किया है। यू० पी० डेट रिडेंप्शन ऐक्ट में आपने बैंक्स को इंक्लूड किया था तथा इसके साथ ही साथ में आपका ध्यान यू० पी० एग्रीकल्चरलरिस्ट रिलीफ ऐक्ट की तरफ भी दिलाऊंगा। वह कांग्रेस सरकार के जमाने में आया था बाद को उसने रिजाइन कर दिया और एडवाइजरी रिजीम थी उस वक्त हैलट ने उसको अपनी अनुमति दी थी।

श्रीमन्, लोकल अथारिटीज, कोआपरेटिव सोसाइटीज, गवर्नमेंट चाहे वह केन्द्रीय हो या सेंट्रल उनको एक्जम्पट कर दिया गया है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमसे अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं।

मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं?

श्री चरण सिंह—मैंने आपका अन्याय का शब्द ध्यान से सुना है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—क्योंकि माननीय मंत्री जी को हमसे अधिक अनुभव है, साधन है, वे एडवोकेट जनरल से पूछ सकते हैं और हमारी इन मुसीबतों को दूर कर सकते हैं हमारे सोशलिस्ट भाइयों से और हमसे कहा जाता है कि रचनात्मक तरमीम लाइये लेकिन सरकार ऐसी जगह पर है जहां वह हर एक चीज को समझ सकती है। लेकिन यह जरूर है कि अन्याययुक्त बात है। इस दोष को जिस प्रकार से आप मुनासिब समझें दूर कीजिये। इन सब बातों को देखते हुये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि विशिष्ट रूप से इन बातों पर ध्यान दें। यह न समझें कि केवल यह संशोधन इसलिये रख दिया गया है कि हमको एक सहूलियत और प्राप्त हो जाय। बल्कि असलियत यह है कि हम जो बात कहते हैं दिल से कहते हैं। श्रीमन्, हम देखते हैं कि हमारा सर्वस्व छिन गया और फिर भी इन थोड़े से महाजनों के हाथ से हमारा गला नहीं छूट रहा है और अब भी हम उनके हाथ के चंगुल में हैं। शरणार्थियों और जमींदारों में अब कोई फर्क नहीं रहा है। कंपेंसेशन और रिहैबिलिटेशन दोनों से कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इतना ही नहीं जमींदार का घर जिसमें उसकी रिहायश होगी वह भी ऋणदाता के चंगुल से

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

बच न सकेगा। ऐसी हालत में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारी बातों पर ध्यान देने का कष्ट करें। किसी भी बात का महत्व केवल इसी बात से नहीं घट जाता कि वह विरोधी दल की ओर से कही गयी है। जमींदार लोग विरोधी दिल से बातें नहीं कहते हैं दिल से कहते हैं।

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने बड़े जोश के साथ तकरीर की और मालूम ऐसा होता है कि अगर उनकी तकरीर को पूरी स्थित को न जानते हुये कोई शख्श असेम्बली के बाहर सुन रहा हो जहां से उनका चेहरा उसको दिखाई न देता हो तो सुनने वाला इस नतीजे पर पहुंचेगा कि तकरीर करने वाला बहुत दुबला पतला इस गवर्नमेंट का मारा हुआ, परेशान किया हुआ, बहुत दिनों से जिसे खाने को नहीं मिला है, वह न्याय की दुहाई दे रहा है। लेकिन सच्चाई बिलकुल दूसरी है। जमींदारों के साथ कोई अन्याय किसी प्रकार का नहीं किया गया है। न्याय का माने क्या होता है? जमींदार लाखों की आमदनी अब तक इस्तेमाल करते रहे हैं और बिना कमाये इस्तेमाल करते रहे हैं। जो लोग अपने खेतों में दिन रात परिश्रम करते थे, मय अपनी स्त्री के, अपने बच्चों के उनको खाने को अन्न नहीं मिलता था, उनकी बहू-बेटियों को अपनी शर्म ढकने के लिये कपड़ा नहीं मिलता था, उनकी कमाई कानूनी तरीके से और गैरकानूनी तरीके से जो लोग अब तक खाते रहे, उन्हें जिस हद तक बिना कमाई के आमदनी होती है उनको अगर हम बिना मुआविजा दिये भी ले लेते तो भी दुनियां में बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस काम को नामाकूल नहीं कहते। लेकिन हमने तो आपको मुआविजा दिया। जिस हद्द तक सीर खुदकास्त थी वह जनाब के पास छोड़ा आपके बागात छोड़े, आपके पेड़ छोड़े, आपके कुएं छोड़े आपके मकानात छोड़े और आपकी मोटरें भी छोड़ीं। लेकिन फिर भी जनाब की शिकायत यह है कि साहब, इस गवर्नमेंट ने बड़ा अन्याय किया है, बड़ा अन्याय किया है और फिर जनाब के जो कर्जे हैं वे सब कर्जे भी घटाये जा रहे हैं। जितने कर्जे आपके पहले थे, पहले जो कानून बनाया गया था सूद उनसे बहुत घट गया था। उसके बाद आपके कर्जे २० प्रतिशत तक हो जायेंगे। और फिर भी अगर आपके कर्जे इतने ज्यादा हैं जो आपके मुआविजे और रिहैबिलिटेशन ग्रांट से वसूल न हो सके तो वह भी ३/४ मुआविजे और पुनर्वासन अनुदान से लिये जायेंगे। फिर भी जो बचेगा वह राइट आफ कर दिया जायगा। इस हद तक यह बिल जा रहा है। जहां छोटे छोटे जमींदार हैं, जिनके पास सीर और खुदकाश्त है उन्हें तो मुआविजा भी कम ही मिलेगा, तो उन पर जिन महाजनों के कर्जे हैं वे समझ लें कि बिलकुल ही खत्म हो गये। रही मकानों की बात। जाब्ता दीवानी की दफा ७ के मातहत जमींदारों के मकान कुर्की और नीलाम से मुस्तसना हैं। उनको कर्जे में नीलाम नहीं किया जा सकता है। जो आड़ी कर्जे हैं यानी मकफूल हैं तो भी वे नीलाम नहीं होंगे। इन्कमवर्ड स्टेट यह दरख्वास्त दे दे कि जमींदार के जो बांड्स हैं वे उसे दे दिये जायं तो उसका मकान भी मुस्तस्ना है। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि कौन से मकान रह जाते हैं जिनके मुस्तस्ना करने की जरूरत रह जाती है। सिवा लखनऊ में जिनके महल हैं उनको वे मुस्तसना कराना चाहते हों। यह जो बार बार दोहाई दी जाती है कि अन्याय है, अन्याय है, हरगिज किसी तरीके से कोई अन्याय नहीं है बल्कि यह उदारता की चरम सीमा है जो हमने आपके साथ बरती है।

रहा यह कि जमींदारों को कोई तकलीफ न हो, तो यह नामुमकिन है। समाज को हमें बदलना है और हम समाज को धीरे-धीरे बदलेंगे। जो आपका पहले का पैमाना था, जिसमें छोटाई-बड़ाई, ऊंचाई और निचाई थी उन सबको हमें-धीरे धीरे बदलना है। कोशिश हमारी केवल यह है कि हम इस तरीके से बदलें ताकि बेजा तकलीफ न हो। लेकिन आपकी कोशिश से मालूम होता है कि वह बदला न जाय।

आप चाहते हैं कि पहले कैसा हो ऐश इशरत में डूबे और आस्ट्रेलिया तथा स्वीटजरलैंड के कुत्ते पालते रहें और वह ऐश भी उठाते रहें यह चीज नामुमकिन है। किसको न्याय कहते हैं, किसको अन्याय कहते हैं। गांवों में जाकर देखिये कि जो थोड़ी-थोड़ी जमीन वाले किसान हैं और भूमिहीन हैं लाखों की संख्या में उनकी पहले चिन्ता करनी है या कि जमींदारों के लिये हमको चिन्ता करनी है, उनका कर्जा भी मुआफ हो और यही नहीं बल्कि गवर्नमेंट का भी कर्जा मुआफ हो। यानी गवर्नमेंट ने जो तकावी दी है वह भी मुआफ हो नहीं तो क्यों गवर्नमेंट ने कोई दस्तावेज दिये हैं तकावियां दी हैं वह भी मुआफ हो। और आपके न्याय का पैमाना देखिये कि सिर्फ आइटम दो तीन चार निकाल दीजिये और ६ को निकालने के लिये क्यों नहीं कहते।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---हमें वह भी मंजूर है।

श्री चरण सिंह---अब बहस के लिये तैयार हैं। एक वार्ड ने दूसरे वार्ड को जो कर्ज दे दिये उनको सेलेक्ट कमेटी ने संशोधन करके शामिल कर दिया लेकिन जनाब उसके लिये संशोधन नहीं करना चाहता लेकिन गवर्नमेंट का जो कर्जा है उसको मुआफ कराना चाहते हैं। यह आपके इंसाफ का पैमाना है। दुनियां में जिन अल्फाज में जिन अल्फाज के साथ सबसे ज्यादा बेइंसाफी हुई है उनमें एक अल्फाज इंसाफ भी है। क्या इंसाफ है और क्या बेइंसाफी है यह केवल अपने दुख सुख और अपने कष्ट और आराम से नापना चाहे तो वह सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। आदमी जहां रहता है वहां पड़ोसी को भी देखे उनको क्या कष्ट है, उनको क्या सुख है उनको क्या तकलीफ है उन चीजों से मुकाबिला करके तब कहे कि क्या इंसाफ है और बेइंसाफी हो रही है। तकलीफ मुझे इस बात की होती है कि जितना फायदा उनका हो सकता था उतना होने के बाद भी आज तक किसी भी जमींदार ने न तो इस सदन में और न विधान परिषद् में यह कहा कि कितना तुम कर सकते थे उतना किया गया। मुझे ईमानदारी से इस बात में तकलीफ होती है। आप कहते हैं किसी जमींदार का दिल बोल रहा है। मालूम होता है कि जमींदार के ही दिल है और जो लाखों और करोड़ों आदमी हैं वे दिल रखते ही नहीं। मैं इन शब्दों के साथ कड़ा विरोध करता हूं इस संशोधन के पीछे एक वर्ग का स्वार्थ है और कोई उसूल और कोई सिद्धांत नहीं है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विचार पहले इस विवाद में भाग लेने का नहीं था लेकिन इस संशोधन पर अपने मित्र एक पुराने जमींदार साहब की बातों को सुनकर कुछ बोलने को जी चाहता है और उससे भी ज्यादा जी इस बात के लिये चाहा जब हमारे राजस्व मंत्री जी ने उनका जवाब दिया। दरअसल बात तो यह है कि कभी-कभी जी यह चाहता है कि इस सारे कानून की मुखालिफत की जाय। क्योंकि यह साफ जिस तरह की परिभाषा और जिस तरह का ख्वाब वह देखना चाहते हैं उसका क्या जवाब आखिर हो। उपाध्यक्ष अगर वे सचमुच इंसाफ देखना चाहते हैं कि जमींदार या जमींदारियों के साथ क्या हुआ है तो अतीत के इतिहास को उठाकर देखें। कुछ लोगों का ख्याल है और मैं समझता हूं कि वह बहुत हद तक सही है कि सही इंसाफ जमींदार और जमींदारियों के साथ जैसा रूस में हुआ वहां की क्रान्ति के बाद, क्या उस इंसाफ को वह सही इंसाफ मानते हैं। जब यहां इंसाफ की दुहाई देते हैं, फ्रांस की राज्यक्रांति के बाद जो व्यवहार हुआ वह इंसाफ क्या काफी नहीं था। दुनियां के ख्यालात और दुनियां के जजबात और रास्ते पर हुआ करते हैं और इतिहास के पन्नों पर वह अकसर एक ही कलम और एक ही दावात से लिखे जाते हैं।

लेकिन अचम्भे की बात जो दुनियां में हुई है वह हिन्दुस्तान के अन्दर हुई है। अगर यहां पर वह विभूति न उत्पन्न होती जिसके नेतृत्व में उस बड़ी संस्था का निर्माण हुआ जिसके उसूलों की साया में आज भी वह लता पनप रही है जिसमें हिन्दुस्तान के शरीर

[श्री रामनरेश शुक्ल]

के साथ सारे वृक्ष के रस को चूस लिया। इतना करने पर भी आज यहां इंसाफ की दुहाई दी जाती है, जैसा कि अभी राजस्व मंत्री जी ने बताया, जमींदारी खत्म करने के बाद क्या यह सच नहीं है कि अब भी इस प्रांत में किसी भी गांव के अन्दर देख लीजिये, एक आधी जगह शायद गलत हो जाऊं अगर एक व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वह पुराना जमींदार है इतनी जमीन आज भी उनके पास मौजूद है जिसको वह खुद नहीं जोत पा रहे हैं। और राष्ट्र का भी आज नुक्सान हो रहा है क्योंकि उससे गल्ला नहीं पैदा होता। आज तो मैं यह पसन्द करता कि हमारी तरफ कोई ऐसा न कानून आता कि उनकी जमीनों को कम कर दिया जाता, उन को छीन कर उन लोगों को दिया जाता जिनके पास जमीन नहीं है। क्या यह बात सही नहीं है कि जितना बंजर था, पटवारियों और मुन्शियों से मिल कर बाग लगवा लिया। सीर के अलावा अगर हिसाब लगाया जाय तो काफी जमीन बागों की सूरत में पड़ी हुई है।

अब मैं उनकी जमीन और सम्पत्ति को छोड़ कर नैतिकता पर आता हूं। यह जो कर्जा उन्होंने लिया कौन सी भागवत सुनने के लिये कर्जा लिया है। जिन्दगी के किस पहलू को ऊंचा करने के लिये लिया गया है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं मजबूर हूं कि स्पष्ट रूप से मैं उसको इस सदन में रख नहीं सकता। केवल इतना कह सकता हूं कि वह कर्जा ऐसा था जिससे जिन्दगी के मजे उड़ाये गये। जब ऐसी भावनाओं से वह कर्जा लिया गया तो आज इंसाफ की दुहाई दी जा रही है और आज भी वे क्या कर रहे हैं। यह वाकयात हैं। यह कोई कल्पना नहीं है। आज भी मौरूसी और भूमिधरों की जमीन पर उनके आदमी दिनदहाड़े जबरदस्ती कर लेते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि उनके पास जो काफी जायदाद थी उस को भविष्य में उनको बचाना है। अगर उनके तरीके ऐसे ही रहे तो किसी भी हुकूमत के लिये उनकी जायदादों का बचाना मुश्किल हो जायगा।

इन शब्दों के साथ इन तमाम बातों को विचार करने के बाद मुझे इस बात का आश्चर्य है कि वे यह भी कहते हैं कि कोआपरेटिव सोसाइटियों ने जो हमें कर्जा दिया है वह भी माफ कर दिया जाय। कोआपरेटिव सोसाइटी हैं क्या, आपने इस पर गौर नहीं किया। कोआपरेटिव सोसाइटी गांव का वह संगठन है जिसमें गांव के गरीब किसान उसके सदस्य होते हैं। सदस्यता का एक दो रुपया दे कर कुछ पैसा जमा करते हैं और वह लोग अपनी सोसाइटी बनाते हैं वह सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक से कर्जा लेती है और उसका वे इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी जो जनता के आन्दोलन की सोसाइटियां, डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव सोसाइटीज और बैंक्स हैं उनका कर्जा भी माफ होना चाहिये। यह सब से बड़ा मखौल करते हैं, मजाक करते हैं और मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये करते हैं कि यह सरकार थोड़ी सी उनके लिये नर्म दिल रखती है। थोड़ी सी गरमी अगर इधर से टपक पड़ती, अगर थोड़ी चमक इधर से हो जाती और फिर वह वाकयात जो दुनियां में हुये हैं उनकी झलक दिखायी पड़ती तो जो कुछ आज पास है उसी को बचाने की फिक्र पड़ती। आज वह जनता का आंदोलन तोड़ना चाहते हैं कर्जे की माफी के बहाने यह जानते हुये भी कि सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत उम्दा और अच्छी नहीं है, और चाहते हैं कि जो पुराने जमाने में अपने ऐश के लिये जो पैसा लिया था आज उसको भी सरकार से माफ करा लें। मालूम पड़ता है कि जैसे पुराने आंदोलनों में बड़ा भाग लिया था इस देश के आजाद करने में। इस सरकार को इतनी मदद पहुंचाई थी कि वह देश आजाद हो गया और उसके इनाम में उनको माफी मिलनी चाहिये इस कर्जे की। उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं सोचते हैं कि हजारों और लाखों मुल्क के नौजवान जो इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में शामिल हुये थे उन्हें यह सरकार कुछ नहीं दे पाई है, यह सही है अपनी जगह पर। उसका ख्याल नहीं

करते हैं। उसको छिपाते हैं। उनकी सेवाओं को अलग करने के बाद अपनी उन सेवाओं के बदले आज प्रांतीय सरकार और केन्द्रीय सरकार से चाहते हैं कि पुरस्कार, जबकि उस हैलेट रेजीम के साथ, जिसका नाम मजाक के सिलसिले में मेरे मित्र ले रहे थे, उस हैलट और बटलर और न जाने क्या-क्या नाम हैं मुझे याद नहीं उनकी दोस्ती लम्बी और पुरानी है। उनका साथ देने के बाद, उसका आज इनाम चाहते हैं और यह कहने की हिम्मत करते हैं कि हमको लूट लिया गया, हम बेकार हो गये हैं, आपकी जिम्मेदारी है, हमको खड़ा रखिये? यह कहां का इंसाफ है? किसने लूटा उनको और क्या लूटा यह बात समझ में नहीं आती है। मेरी समझ में उनको तो सब कुछ दे करके यह सरकार जो कुछ थोड़ी बहुत कमजोर हुई, जो कुछ थोड़ी-बहुत गालियां उसको खानी पड़ीं कि इनको मुआविजा मिले, तो गालियां हम खायें दो वर्ष तक मुआविजा वसूल करने के लिये, सारी की सारी कांग्रेस संस्था और सरकार दो वर्ष तक गालियां खाती रहे, मालूम होता था कि कहीं रिश्तेदारी में गये हुये हैं और वहां गालियां मिल रही हैं, तो वह गालियां खाना अच्छी लगीं थीं, कुछ अपने लोगों की गालियां थीं, तो गालियां हम खायें और मुआविजा उनको मिले और फिर आज आ करके यह कहें कि आपने हमको इस जगह पर ला दिया है कि हमारे लिये कुछ और प्रबंध कीजिये। आप लोगों के लिये सारा इन्तजाम हुआ, सब कुछ दिया गया, फिर भी आज आप बेइंसाफी की दुहाई देते हैं। आप जरा अपनी पुरानी किताबों को निकाल कर देखिये कि क्या इन्साफ था और गौर कीजिये कि क्या इंसाफ था। दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ष किसानों को बेदखल करना, नजर लेना, मुर्गा बनाना डंडे मारना बेंत मारना, यही इंसाफ था। आज उन इंसाफ के पन्नों को भूल गये? और जब यहां से इतनी चीजें दी गयीं फिर भी बेइंसाफी की दुहाई ?

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में उनसे प्रार्थना करूंगा कि भइया, आपके काम बहुत अच्छे नहीं थे। जो बचे उसको ले करके चुपचाप घर में बैठो और अगर ज्यादा झंझट किया तो वह भी चला जायगा।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी भाई साहब से हमारे माननीय सदस्य जो कि दूसरी तरफ बैठे हुये हैं, उन्होंने यह दरयाफ्त करना चाहा था कि वह कर्ज किस लिये लिया गया। श्रीमन्, उनको थोड़ी सी लज्जा आई, लेकिन मैं साफ-साफ बता दूं कि बहुत से जमींदारों ने, यह सही कि मद्यपान के लिये लिया, व्यभिचार के लिये लेकिन बहुत से जमींदार ऐसे थे कि जिनको सही जरूरत थी और उसकी पूर्ति के लिये लिया और जहां पर यह कहा जाता है कि कौन से जमींदार और ताल्लुकेदारों के खाने वाले थे तो हुजूर वाला, वह बहुत से ऐसे हैं कि उन्होंने खा लिया, पी लिया और अब उसके बाद रंग बदले हुये हैं और नैतिकता की आवाज बुलंद किया करते हैं। यह भी शिकायत है कि जमींदारों के पास सीर है खुदकाश्त है और बागात भी हैं। अगर वे यह चाहते हैं, अगर दिल उनका पूरा नहीं हुआ है तो सीर भी लें, खुद-काश्त भी लें और बागात भी लें। वास्तविकता यह है कि जिस तरह से आप सीर पर और खुदकाश्त पर लगान बांधने के लिये उतारू हुये हैं उससे जमींदार खुद भाग कर वह जमींन आपके सुपुर्द कर देगा जैसे कि ठेकेदारों की या उन लोगों की जिनकी आमदनियां काफी थीं ऐग्रीकल्चरल इंकम टैक्स बांधकर के कमर तोड़ डाली थी और महज एक जमींदारी का नाम रह गया था और सारी आमदनी सरकार के घर जाती थी।

तीसरी बात आप यह फरमाते हैं कि वर्नमेंट सख्त नहीं है। थोड़ी सी अगर सख्ती बरती जाय तो इन जमींदारों की जबान ब हो सकती है। हमारे लिये उच्च कोटि की कृपा और रियाअत की इंतहा की गयी है, यह सच है या गलत है यह भविष्य बता

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

सकेगा। यह दुनियां देख सकेगी कि इस सरकार ने जमींदारों के साथ क्या किया है। आप यह कहते हैं कि हमने बहुत कुछ दे दिया, हम कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं मिला। अब तुर्रा यह है कि हम चाहते तो जमींदारों को मुआविजा भी नहीं देते। मैं यह कहता हूं कि अगर कान्सटीट्यूशन में आर्टिकल ३१ नहीं होता तो इसमें शुबहा नहीं है कि आप मुआविजा नहीं देते।

एक सदस्य---आप ही ने बनाया है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---यह कहा जाता है कि हमने बनाया है। नहीं साहब, बनाया तो आप ही लोगों ने है लेकिन कुछ मजबूरियां थीं जिनकी वजह से आप मुआविजा हजम नहीं कर सकते थे। कहा जाता है कि इंसाफ क्या है। इंसाफ की परिभाषा यह हो सकती है कि जस्टिस को आप दूसरी तरह से डिफाइन करें और उसको दूसरा स्वरूप दें लेकिन श्रीमन् जहां पर एलिमेंट्री प्रिन्सिपल आफ जस्टिस का प्रश्न है, जहां पर नैसर्गिक न्याय का प्रश्न है उस जगह पर दो मत होना असंभव सा प्रतीत होता है। यह कहना कि जमींदारों के साथ सख्ती की जाय, आज जमींदार छाती खोले हुये तैयार बैठा है कि चाहे अन्याय उस तरफ से हो चाहे इस तरफ से हो वह बरदाश्त करने के लिये तैयार है। जो कुछ उसके पास था वह तो आप लोगों ने ले लिया अब दुगुना मुआविजा आप देने जा रहे हैं। मैं आप से यह कहता हूं कि पांच वर्ष के बाद यह कांग्रेस मिनिस्ट्री यह कहेगी कि हममें वह एलिमेंट आ गया है जो मुआविजा के लिये तैयार नहीं है। इनकी तो दूर रही यह मुद्दतों के बाद आयेंगे लेकिन इसी तरफ के लोग पांच साल के बाद यह फरमाना शुरू कर देंगे कि एक ऐसा एलिमेंट हमारे अन्दर आ गया है जो यह चाहता है कि आप के पूर्वजों ने चार करोड़ रुपया कमा लिया है और हमें जो कुछ देना था वह दे दिया, अब आपको क्या जरूरत है। हमारे मिनिस्टर महोदय तब यह फरमायेंगे कि भाई देखो, हमने तुम्हारे लिये बहुत कुछ किया और अब तुम मुझसे किस मुंह से मांगते हो। मशकूर तो हम हमेशा रहेंगे लेकिन यह बात सबतुब सही है कि हमको तकलीफ हुई है और यह मानव स्वभाव है कि आदमी जो थोड़ा सा दुखी होता है तो संभव है कि वह उतना संयम न रख सके जितना होना आवश्यक होता है। वैसी दशा में अब दूसरी तरफ सब कुछ अपहरण करने के बाद अन्याय न सही न्याय करने के बाद, आप हमारी जबान बन्द कर देना चाहते हैं। अगर जमींदारों को आप जेलखाने में ले जाना चाहते हैं तो ले जाइये, मुआविजा खत्म करना चाहते हैं तो खत्म कर दीजिये और जिस तरह हमारे माननीय सदस्यों की ज्वाला की भीषण अग्नि को तृप्ति और शान्ति पहुंचे वे जमींदार के खून से शांति कर लें। अब वह मौका नहीं आयेगा जब कि जमींदारों को जबा किया जा सकेगा। अभी अर्बन एरिया की जमींदारी और बची हुई है वह भी दो चार दिन के बाद मंत्री महोदय सदन के सामने प्रस्तुत कर देंगे और वह भी हमेशा के लिये समाप्त हो जायगी। रूस की दुहाई दी जाती है चीन की दुहाई दी जाती है। मैं यह कहता हूं कि जमींदारों को हलाक करने के लिये आज चीन आपको पसन्द है लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या चीन कि और भी चीजें आप मानने के लिये तैयार हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जो अच्छी चीजें हैं उनको मानने के लिये तैयार हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---अब अच्छी और बुरी की परिभाषा संसार में कौन करे। श्रीमन् वैसे तो आप कम्युनिज्म के नाम से भागते हैं, वह आपका सब से बड़ा दुश्मन है। लेकिन जबकि मुआविजा न देना हो तो चीन के उसूल, रूस के उसूल आपको प्रिय लगते हैं। क्या हमारे माननीय सदस्य जो कि उसूलों की बात अभी कह रहे थे क्या उनका

उसूल यही रहा कि जहां पर उनका हित हो जो उनको प्रिय हो तब तो रूस की दुहाई दें साम्यवाद उनको प्रिय लगने लगे नहीं तो वह बुरी चीज है ? ऐसी बातें इस सदन में कहना जिनका कोई प्रयोजन न हो हम नहीं कह सकते कि इससे वे कहां तक इस सदन की इज्जत को रख सकेंगे, भगवान ही जाने । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री को यह मेरा कहना कुछ बुरा मालूम हुआ क्योंकि उनके मुख पर एक तरह की लालिमा थी जब मैं यह कह रहा था। लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं । मैं उनसे यह कहूंगा कि वह जरा ठंढे दिल से सोचें तो समझें गे कि उस जगह की बजाय आज वे मेरी जगह पर बैठे होते तो शायद वही चीजें कहते जो आज मैं कह रहा हूं। अब इन थोड़े से शब्दों में मैं समाप्त करना चाहता हूं और फिर आखिरी अनुरोध करता हूं कि इस संशोधन को वह मजाक न समझें, यह एक सा मौका न समझें जब कि एक जमींदार बुग्ज निकाल रहा है बल्कि मैं यह बता रहा हूं कि अब जमींदार के पास कोई सहारा न होते हुये एक मजबूरी सी है कि वह ऋण चाहे जिसका हो उसके शक्ति में कोई उन्नति और वृद्धि नहीं होती ।

श्री चरण सिंह—मुझको कुछ कहना नहीं है ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (घ) के भाग (१), (२) तथा (४) निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्री लक्ष्मी रमण आचार्य द्वारा प्रस्तावित संशोधन को उपस्थित करना चाहता हूं। संशोधन इस प्रकार है :—

खंड २ के उपखंड (घ) के भाग ६ की पंक्ति १ में शब्द 'संरक्षित व्यक्ति' के स्थान पर शब्द "व्यक्ति" रख दिया जाय। जो पहले विधेयक सेलेक्ट कमेटी से जिस प्रकार आया था था उसमें शब्द थे 'संरक्षित व्यक्ति, यदि ऋण उसकी ओर से कोर्ट आफ वार्ड्स द्वारा किसी संरक्षित व्यक्ति को दिया गया हो"। संरक्षित व्यक्ति से मतलब वार्ड्स है। तो इंटर कोर्ट आफ वार्ड्स में जो ट्रैन्जैक्शंस हुये हों वही इसमें सुरक्षित किये थे। लेकिन ऐसे भी केसेज हो सकते हैं जब कि किसी वार्ड का राज्य उस समय कोर्ट आफ वार्ड्स के मातहत रहा हो जिस समय को कर्जा दिया गया हो। और बाद को वह राज कोट आफ वार्ड्स से मुक्त हो गया हो और आज वह कर्जा किसी कोर्ट आफ वार्ड्स के जिम्मे हो तो इस तरह का कर्जा भी इसमें आ जाना चाहिये। इस तरह के कर्जे लाने के लिये शब्द 'संरक्षित' निकाल कर सिर्फ व्यक्ति रख दिया गया है। इससे यह हो जायगा कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट आफ वार्ड्स रहा हो उस जमाने में जब कि कर्जा दिया गया था और जब कि कोर्ट आफ वार्ड्स में राज था। आज उनकी रियासत मुक्त हो गई है तो उनके द्वारा जो कर्जा दिया गया था वह इस दफा २ के मातहत आ जायगा। इसलिये यह संशोधन आवश्यकीय हो गया है। हमारी समझ से यदि संशोधन उपस्थित न किया जाता तो बहुत बड़ी हानि की सम्भावना थी क्योंकि वह व्यक्ति नाबालिग रहा है, या पागल रहा है या किसी तरह की उसमें डिसएबिलिटी रही है, कोर्ट आफ वार्ड्स के मातहत रहा है तो उसको कर्जा देने की जिम्मेदारी कोर्ट आफ वार्ड्स पर रही है। तो उसके चले जाने से उसके साथ अन्याय होगा। इसलिये यह निहायत आवश्यक है। मैं समझता हूं कि सरकार और माननीय राजस्व मंत्री इसको स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह—यह संशोधन मुझे स्वीकार है। सिलेक्ट कमेटी का मंशा यह था कि अगर उन्होंने एक वार्ड की जायदाद से कर्जा लेकर दूसरे वार्ड को दे दिया है तो वह मुस्तस्ना रहना चाहिये चाहे आज वह शख्श वार्ड हो या न हो। लेकिन जो लफ्ज थे, जो सिलेक्ट कमेटी से रिपोर्ट आई है। अगर वही लफ्ज संरक्षित व्यक्ति रहें तो

[श्री चरण सिंह]

इस तरह से मतलब निकाला जा सकता है। उसके कर्जे को मुस्तस्ना करने के लिये जरूरी है। आज भी वह वार्ड है यह उसकी मंशा नहीं है। केवल मंशा यह थी कि जब कर्जा दिया गया तो उस वक्त वार्ड हो। चाहे आज उसका स्थान मुक्त हो गया हो या न हो गया हो। इसलिये यह मुनासिब है और मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से शाब्दिक स्पष्टीकरण चाहता हूं। पहले तो यह है कि लक्ष्मी रमण जी की ओर से जो संशोधन रखा गया है उसमें कहा गया है कि संरक्षित व्यक्ति के स्थान पर व्यक्ति रख दया जाय, खाली व्यक्ति रख देने से असंगत होगा। कोई शब्द और इससे पहले होता तो ज्यादा स्पष्ट होता। इसके बाद दूसरी पंक्ति में यदि ऋण उसकी ओर से कोर्ट आफ वार्ड्स द्वारा किसी संरक्षित व्यक्तियों को दिया गया हो। यहां पर कोई के रहने से संरक्षित व्यक्ति आ जाता है और वह व्यक्ति भी आ जाता है। केवल संरक्षित व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति हो।

श्री चरण सिंह—मैं माननीय मित्र को बतलाना चाहता हूं कि ऊपर आया है। "खंड (घ) का आखिरी लफ्ज है कि निम्नलिखित ऋण नहीं है"

(१) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य की सरकार
(२) स्थानिक अधिकारी की
(३) शेडयूल बैंक
(४) सहकारी संस्था

(५) वक्फस, न्यास या निबन्ध जो केवल दोनोंत्तर अथवा धर्मोत्तर हों, तो इसमें आप देखेंगे कि कहीं भी यह नहीं कि कोई सहकारी संस्था या कोई शेडयूल बैंक वगैरह ऐसा नहीं आया है। इसलिये व्यक्ति के साथ एक या कोई जोड़ना अनावश्यक है।

दूसरी बात वह चाहते हैं कि संरक्षित व्यक्ति के बाद दूसरी पंक्ति में जो संरक्षित शब्द आया है उसको हटा दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—निकालना नहीं चाहता, बल्कि यह कि या संरक्षित व्यक्ति के ही लिये है या कोई भी व्यक्ति के लिये है।

श्री चरण सिंह—संरक्षित व्यक्ति के लिये ही है। लेकिन उसकी तरफ से कर्जा संरक्षित व्यक्ति को दिया गया है चाहे आज वह संरक्षित हो या न हो। कर्जा लेते वक्त वह संरक्षित हो।

उपाध्यक्ष—शब्द 'वार्ड' का क्या होगा।

श्री चरण सिंह—'वार्ड' शब्द निकल जायगा। दूसरी पंक्ति में शब्द 'संरक्षित' के सामने वार्ड कर दिया जायगा।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (घ) के भाग (६) की पंक्ति १ में शब्द 'संरक्षित व्यक्ति' के स्थान पर शब्द 'व्यक्ति' रख दिया जाय तथा उसी पंक्ति में कोष्ठकों सहित शब्द (Ward) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं खंड २ के उपखंड (घ) के भाग (६) के बाद निम्नलिखित नये भाग (७) तथा (८) बढ़ा दिये जायं :—

(७) भारतीय बीमा अधिनियम सन् १९३५ के अन्तर्गत रजिस्टर्ड बीमा कम्पनियां,
(८) विधवायें।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह विश्वास था कि आज जो भाषण जमींदार पक्ष की तरफ से मेरे दोस्तों के होंगे उनमें माननीय चरण सिंह जी को हृदय से बधाई और धन्यवाद दिया जायगा परन्तु मुझे अफसोस है कि आज के भाषण जो इस पक्ष की तरफ से हुये वे अत्यन्त खेदजनक और दुख को पैदा करने वाले थे।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—आन ए प्वाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन। श्रीमान् आपके जरिये यह बतलाना चाहता हूं कि हम लोगों में से कोई यहां पर कुछ कहे वह किसी तरह से जमींदारों की आवाज नहीं समझी जा सकती। जमींदारों पर यह अनर्थ नहीं होना चाहिये। जो कुछ कहा जाय वह हम लोगों के लिये कह लिया जाय।

श्री देवकीनन्दन विभव—मुझे खुशी हुई कि मेरे भाई जो उस तरफ भाषण हुये उसकी ताईद नहीं करते और मुझे उनके इस क्लेरिफिकेशन से प्रसन्नता हुई। परन्तु एक बात है और वह यह है कि जमींदारों के लिये जो कुछ किया गया वह, अन्याय हुआ, जुल्म हुआ और उनके लड़के पोते यह करेंगे, वह करेंगे यह होगा और वह होगा, यह सब कुछ जो कहा जाता है, इस सदन में वह कहां तक उचित है? माननीय उपाध्यक्ष, महोदय मैं कोई अप्रिय शब्द इस सदन में नहीं कहना चाहता और विशेषकर जब कि जमींदारी प्रथा का अन्त हो चुका है परन्तु मैं अपने उन भाइयों को यह याद दिलाना चाहता हूं जिस त्याग की बात है वे कहते हैं उनको यह याद होना चाहिये कि यह बड़ी-बड़ी जमींदारियां आखिर इस देश में किस तरह से प्राप्त की गई थीं।

१८५७ में आजादी के लिये लड़ने वाले लोगों की जमींदारियां छीन कर जमींदारों को यह मिली थीं। उसके बाद १९३० में स्वतंत्रता के अहिंसक सेवकों पर लाठियों की बौछार के इनाम में यह इन्कमबर्ड स्टेट ऐक्ट और एग्रीकल्चरल ऐक्ट प्राप्त किया था, जिसके जरिये से करोड़ों और लाखों रुपया इस देश का लूटा गया। उनकी कहानियां आज भी हमको याद हैं और हम यह भूल नहीं सकते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश हुकूमत ने १८५७ में हमारे उन लोगों से जो स्वतंत्रता के लिये लड़े, उनसे जमींदारी छीन कर उन लोगों को दी जिन्होंने इस देश के साथ गद्दारी की और यह भी हम भूल नहीं सकते हैं कि १९३४ में इन्कमबर्ड स्टेट एक्ट के जरिये हमारे देशवासियों के साथ क्या-क्या जुल्म हुये थे और हमारे भाइयों से करोड़ों और लाखों रुपया लूटा था तो वह त्याग और तपस्या की कहानी जो कही जाती हैं वह तो हिस्ट्री बतलाती है कि आपने कितना त्याग किया है। मैं छोटे जमींदारों की बात मान सकता हूं, लेकिन आप तो अपनी जमींदारियों का रुपया प्राप्त कर चुके हैं जो अपनी जमीदारियों पर कर्जा ले चुके हैं और जिनको आज यह सुविधा प्राप्त है कि उस ऋण को कम करके उसमें से भी कुछ आपको दिया जा रहा है। तो इसमें कौन सा आपका त्याग है? क्या यह भी सही नहीं है कि बहुत से जमींदार अपनी जमीदारियों को बेच कर एक बड़ा हिस्सा पहले ही पेशगी रुपया में प्राप्त कर चुके हैं और कुछ हिस्सा रख कर इस कानून का भी फायदा उठाना चाहते हैं! मैं उन भाइयों को बतलाना चाहता हूं कि जहां आप न्याय ही बात कहते हैं और त्याग की बात कहते हैं वहां इस बात को भी देखिये कि अगर आपने कर्जा लिया और वह रुपया आपके पास नहीं रहा तो इसका दोष किस पर है? इसका दोष तो आपके ऊपर है जिन्होंने पैसा लेकर गुलछर्रे उड़ाये और रंगरेलियां कीं। क्या इसमें दोष कांग्रेस सरकार का है या माननीय मंत्री जी का है?

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—यह बातें आपने कीं या सरकार ने कीं?

श्री देवकीनन्दन विभव—मैं इस बहस में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं श्रीमन् आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता था कि अगर यह अधिनियम बनाकर जमींदार साहबान को कुछ सुविधा दी जा रही है तो उनको तो सरकार का आभारी होना चाहिये था।

उपाध्यक्ष--'आप' शब्द के प्रयोग से भ्रांति हो सकती है।

श्री देवकीनन्दन विभव--आपके द्वारा मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि जहां तक बीमा कम्पनियों का संबंध है इस समय देश के अन्दर बीमा कम्पनियां सभी नेशनलाइज्ड हो चुकी हैं। उनके पैसे के एक बड़े भारी भाग सरकार के कहने के अनुसार लगाया जाता है और उसका संचालन भी सरकार के कहने के अनुसार ही होता है। उन कम्पनियों का पैसा अधिकतर गरीब आदमियों से ही प्राप्त होता है जो छोटी-छोटी नौकरियों पर रहते हैं और किसी तरह से वहां से पैसा बचाकर अपने बुढ़ापे के लिये इकट्ठा करते हैं बाद म्यूचुअल कम्पनी में १०० फीसदी उसका जितना लाभ होता है वह उन्हीं गरीब लोगों को चला जाता है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि हालांकि बीमा कम्पनियों का कोई ज्यादा तादाद में रुपया जमींदारी ऋण में नहीं है लेकिन फिर भी ऋण ऐसे हैं जिससे बीमा कम्पनीज पर असर पड़ेगा। जिस तरह से शिड्यूल बैंक की बात है तो टेक्निकल प्वाइंट जो बैंक के साथ है वही इन बीमा कम्पनियों के साथ है। अगर इन्श्योरेन्स कम्पनीज को अलग न किया गया तो सम्भव है यह अधिनियम ही बेक़ानूनी हो जाय या इस पर मुक़दमेबाजी हो। एक और अपील मैं करना चाहता हूं और वह बात यह है कि विधवाओं को भी इनमें शामिल कर लिया जाय और मुझे विश्वास है कि यह प्रश्न ऐसा है कि जिसको हमारे जमींदार भाई भी खुशी स्वीकार करेंगे। इस देश में कुछ विधवायें हैं जो निराश्रित हैं और बहुत से केसेज में बहुत थोड़ा-थोड़ा रुपया उनके पास है और वही उनका आश्रय है तो यदि उनका यह रुपया भी कम किया गया तो उन पर बड़ा अन्याय होगा और विशेष कर उन जमींदार भाइयों के लिये जिनके पास बड़े बड़े साधन हैं और मैं सोशल जस्टिस के लिये कहता हूं कि उन विधवाओं को छोड़ देना चाहिये। एक आपत्ति इस पर उठाई जा सकती है और कहा जा सकता है कि विधवाओं के नाम पर और क़र्जे भी पास किये जायेंगे। तो मैं समझता हूं कि यह असम्भव है। जो पहले क़र्जे हैं वह सब लिखे-पढ़े हैं उनमें अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, इसलिये यह शंका निर्मूल है। इसलिये मुझे आशा है कि इस सदन में कोई भी ऐसा व्यक्ति न होगा, क्या जमींदार क्या सोशलिस्ट भाई और कांग्रेस पक्ष के बारे में तो कहना ही क्या है कि जो विधवाओं के केसेज पर अपना हाथ न उठावें।

श्री चरण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय मुझे खेद है कि मुझे इस संशोधन का विरोध करना पड़ रहा है। जहां तक इंश्योरेंस कम्पनीज का संबंध है वह तो किसी प्राइवेट व्यक्ति को क़र्जा दे ही नहीं सकतीं। उनका जो क़ानून है उसकी एक धारा के अनुसार तो जितना रुपया इंश्योरेंस कम्पनियों के पास होता है उसमें से ५५ फीसदी रुपया गवर्नमेंट सीक्योरिटीज में या ऐसी सीक्योरिटीज में जिनको गवर्नमेंट एप्रूव करती है और बाक़ी ४५ प्रतिशत रुपया में से केवल जिन लोगों ने अपनी पालिसियां उस कम्पनी में ली हुई हैं उनके आधार पर यानी उनकी जमानत पर उन पालिसी होल्डर्स को क़र्जा दिया जा सकता है या बैंकों को कर्जा दिया जा सकता है और किसी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता इसलिये कोई जमींदार इन्टरमीडियरी किसी इंश्योरेंस कम्पनी का क़र्जदार नहीं हो सकता। इसलिये यह संशोधन ग़ैर जरूरी है।

दूसरे जहां तक विधवाओं के लिये कहा गया, उसमें भी बड़ी कठिनाइयां हैं। एक यह कि क़र्जा जिस वक्त लिया गया था उस वक्त विधवा थी या आज विधवा है। बिल में आप देखें तो यह है कि "जो वाजिब हो या जो उसके पति ने दिया हो, तो विधवा के क्या मानी हों।" अब प्रश्न यह है कि विधवा कौन हो? आया वह विधवा जिसके १० जवान लड़के हों कमाने वाले। मां-बाप में से बाप मर गया हो, बेटे रह गये हों जिनमें ३-४ मालदार हों और अपना रोजगार कर रहे हों उनकी मां रह गयी हो वह विधवा तो क्या इससे यह मतलब है कि उनका क़र्जा न घटाया जाय और जिस आदमी ने क़र्जा दिया है अगर वही मौजूद हो तभी वह घटाया जाय या यह मान लिया जाय कि वह विधवा है, जो उस समय विधवा हो जब वह ऐक्ट

पास हो लेकिन अगर वह बाद में शादी कर ले तो ? वह विधवा रहेगी या न रहेगी। यह भी एक कठिनाई है । जो विधवा ऐसी होती हैं जो शादी नहीं करतीं और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है लेकिन ऐसी विधवा क़र्जा वग़ैरह नहीं देती हैं। पड़ोसी को भी वह मालूम नहीं होने देतीं । उनके क़र्जे घटने की नौबत ही नहीं आयेगी । अगर आप ऐसी ऐसी चीजें सूची में जोड़ेंगे तो सूची बहुत लम्बी हो जायगी । इसके अतिरिक्त इसमें कुछ विशेष कठिनाइयां भी हैं तथा वैसे भी मैं उसको उचित नहीं समझता । वैसे विधवा का नाम ही ऐसा है जिस पर समाजवादी या और भी किसी दल का हो सबको सहानुभूति हो आती है खासतौर से हिन्दुओं में जिनमें विवाह नहीं होता है लेकिन मैं समझता हूं यहां यह सवाल ठीक नहीं है इसलिये इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री देवकीनन्दन विभव---उपाध्यक्ष जी इंश्योरेंस कम्पनीज़ के संबंध में जो राजस्व मंत्री जी ने कहा है उस संबंध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कानून के अन्तर्गत सिर्फ ५५ फीसदी सरकार की सिक्योरिटीज़ में जमा करना पड़ता है और ४५ प्रतिशत दूसरे क़र्जों में कम्पनी दे सकती है और वह दूसरे क़र्जे दिये जाते हैं । यह मुझे मालूम है कि कुछ कम्पनियां ऋण देती हैं। मैं भी एक कम्पनी का मेनेजिंग डायरेक्टर था। वह कम्पनी तो कर्जे नहीं देती थी, लेकिन मुझे मालूम है कि दूसरी कम्पनियों ने ऐसे क़र्जे दिये हैं और अब भी उनके कुछ क़र्जे ज़मींदारों के पास होंगे।

श्री चरण सिंह---मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप के ज़रिये से माननीय सदस्य का ध्यान इंश्योरेंस कम्पनीज़ ऐक्ट की धारा २९ की तरफ़ दिलाना चाहता हूं जिसमें यह लिखा हुआ है ---

" No insurer shall grant loans or temporary advances either on hypothecation of property or on personal security or otherwise eccept loans on life policies issued by him within their surrender value to any director, manager etc.,

Provided that nothing here in contained shall apply to loans given by an insurer to a banking company. "

अतः जिन आदमियों को क़र्जा दिया गया है हो सकता है उनमें कुछ ज़मींदार भी हों लेकिन यह क़र्जा उनको उनकी पालिसी की ज़मानत पर दिया गया होगा इसलिये उसको घटाने की बात नहीं होनी चाहिये।

श्री देवकीनन्दन विभव---कानून में जो प्राविज़न है वह केवल ५५ फीसदी की लाइबिलिटी पर है अगर यह जो संशोधन हुआ है यह बाद को हुआ है इससे पहिले भी बहुत से क़र्जे दिये गये हैं।

विधवाओं के संबंध में मेरा कहना यह है कि मेरा मतलब उसी विधवा से है जो अकेली है। आख़िर जिसके लड़के हैं वह तो अकेली नहीं रही।

श्री चरण सिंह---वह विधवा हुई कि नहीं ?

श्री देवकीनन्दन विभव---मेरा मतलब तो सिर्फ उन्हीं विधवाओं को प्रोवाइड करने से है जो कि अकेली रह गयी हैं। तो मेरा ख़याल यह था कि माननीय मंत्री जी इसको देख लेते और यदि वे समझते कि यह अनुचित है तो मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)

उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ९ और ११ नम्बर के दोनों संशोधनों को साथ साथ पेश कर देते तो अच्छा होता।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (ज़िला फ़ैजाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, अलग अलग लेने से थोड़ी ग़लतफ़हमी होती इसलिये मैंने भी तय किया था कि इसको साथ ही लूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाज़त से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं।

खंड २ के उपखंड (ङ) की पंक्ति १ से शब्द "पुनर्वासन अनुदान" निकाल दिये जायं।

खंड २ के उपखंड (ङ) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (ङङ) बढ़ा दिया जाय।

(ङ) 'पुनर्वासन अनुदान' का तात्पर्य किसी ऐसे पुनर्वासन अनुदान से है, जो १९५० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अनुसार २५० रुपये से अधिक सालाना मालगुजारी देने वाले जमींदारों को दिया गया हो"।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का मतलब है कि ऐसा पुनर्वासन जो कि २५० रुपये से कम के जमींदार को मिलता हो, वह ऋण की अदायगी के लिये इस्तेमाल न किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, काफ़ी देर से इस विधेयक पर विवाद हो रहा था और हमारे दल के लोग बिलकुल चुपचाप दोनों पक्षों की बातें सुन रहे थे। आज मुझे इस बात को देख कर खुशी हुई जब कि माननीय राजस्व मंत्री और माननीय रामनरेश शुक्ल ने हमारे दिल की बात कही। हम तो पहले ही से बतलाते थे कि आप ग़लती पर ग़लती किये जा रहे हैं। इनके लिये आप लोगों ने ऐसी ग़लतियां की लेकिन ये एहसान मानने वाले नहीं हैं। जिस समय हमने यह कहा कि कम्पेनसेशन देने की बात बिल्कुल न की जाय उस वक्त इन्हीं लोगों की हमदर्दी के लिये हमारी कांग्रेस सरकार ने हमारी बात नहीं मानी जो कि जाहिर है कि आज कई सदस्यों ने अपने दिलों के उद्गार निकाले हैं कि वे यह दिल से नहीं चाहते थे लेकिन कुछ विधान की मजबूरियां थीं, कुछ और दिक्क़तें थीं जिनसे न चाहते हुये भी उनको दिया गया। लेकिन साथ ही साथ इस विधेयक को देख कर मैं तो चाहता था कि हमारी तरफ से इस विधेयक का ही विरोध किया जाता तो अच्छी बात होती क्योंकि इस विधेयक में हर क़िस्म के ज़मींदारों को एक ही श्रेणी में रखा गया है। यह हमारी बात नहीं है, कांग्रेस सरकार की ही पुरानी बात है। हमेशा से कांग्रेस मंच से जब हम और हमारे सरकारी दल के लोग साथ थे, यह बात कही जाती थी कि २५० रुपया तक मालगुजारी देने वाले जमींदारों को हम किसान ही समझते हैं। तो यह विधेयक सिर्फ उन लोगों के लिये ही होता तो हम उसका हार्दिक स्वगत करते। लेकिन यह भूल भी कांग्रेस सरकार की तरफ़ से ही की गयी है। दूसरी बात यह कि हर जमींदार चाहे लखपति हो, करोड़ पति हो, चाहे हजारों बीघे सीर उसके पास हो, लाखों की सम्पत्ति हो, कम्पनियों में शेयर्स हों, बैंकों में शेयर्स हों, मिलों में शेयर्स हों, उसके साथ भी वही व्यवहार किया गया है जो कि एक ग़रीब जमींदार के साथ किया गया है। अगर इस फ़र्क के साथ यह विधेयक लाया जाता तो सम्भवतः हम दोनों एक तरफ होते और इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं होती। लेकिन एक मौका अपना संशोधन उपस्थित कर के मैंने फिर सरकारी दल के लोगों को दिया कि जो वे भूल पर भूल कर गये हैं, वह आप की ही बात है और उस समय की बात है जब हम और आप साथ थे और जब बड़े भारी प्रतिक्रियावादी शासक ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हम जंग कर रहे थे उस समय हम यह कह रहे थे जब कि आज कांग्रेस सरकार की इन तमाम रियायतों के बावजूद भी उसको भला बुरा कहने वाले ये जमींदार उसी प्रतिक्रियावादी सरकार के अखाड़े में थे और हर तरह से उनकी मदद कर रहे थे। तो ऐसी सूरत में आप की पुरानी बातों को याद दिलाते हुये मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं। यह संशोधन का सीधा सादा मतलब यह है कि २५० रु० से जिनकी कम मालगुजारी होती थी उनका जो रिहैबिलिटेशन ग्रांट है उनकी वह रक़म इस क़र्ज़ की अदायगी के लिये न इस्तेमाल की जाय और इसमें एक बहुत बड़ा उसूली मतभेद है क्योंकि प्रतिकर से तो हम सहमत हो सकते हैं कि आप उसको क़र्ज़ की अदायगी के लिये दें तो हमें कोई एतराज नहीं है क्योंकि हम तो कम्पेंसेशन देना नहीं चाहते थे

इसके बावजूद अगर कम्पेंसेशन को किसी ऋणदाता के कर्ज अदायगी में दिला देते हैं तो हमें उससे मतभेद नहीं है । लेकिन रिहैबिलिटेशन ग्रांट वह तो इसलिये दिया गया था कि उनको फिर से बसने का मौका दिया जाय । जब प्रतिकर का सवाल उठा था तो हमारी तरफ से कहा गया था कि प्रतिकर न दिया था लेकिन रिहैबिलिटेशन ग्रांट दिया जाय और पुनर्वासन के लिये एक बड़ी दलील थी उसके पीछे एक लाजिक थी कि एक नयी व्यवस्था सरकार लाने जा रहे हैं और उसमें ढाई सौ नीचे वाले ऐसे जमींदार हैं मुझे बस्ती जिले की हर्रैया तहसील के आंकड़े याद हैं जिसमें १ लाख २६ हजार जमींदार ऐसे हैं और उनमें भी ऐसे जमींदार हैं जिनके खाते ६,६ पैसे और १,१ आने के थे और जिन्होंने आज तक सरकारी खजाने में मालगुजारी नहीं जमा की उनसे बड़े खातों वालों से ही मालगुजारी ली जाती थी तो ऐसी सूरत में २५० रुपये वालों को अगर देखा जाय कि मुनाफा कितना हुआ तो वह भी बहुत कम । ऐसी सूरत में इस संशोधन द्वारा हम यह प्रावजन लाना चाहते हैं कि २५० रुपये से नीचे वालों का जो पुनर्वासन भत्ता दिया जाय वह न लिया जाय । पुनर्वासन भत्ता तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिये, ट्रांजीशनल पीरियड में उनके लिये नये सिरे से कारोबार करने के लिये दिया जाता है । एक जगह से डिस्प्लेस कर देने, एक स्थान से अपदस्त कर देने के कारण दिया जाता है ताकि वह छोटे मोटे रोजगार करके आटे की चक्कियां चला करके, १०,१५ आदमी कोआपरेटिव सोसाइटी वगैरह बना कर अपना रोजगार कर सकें और नये सिरे से अपनी जिन्दगी बसर कर सकें इसलिये दिया गया था वह पुनर्वासन अनुदान जो उनको नये सिरे से बसने के लिये दिया गया था अगर सूद खोरों को दे दी जाय तो वह ज्यादती होगी और सूदखोरों का नाम लेते समय तो मुझे फ्रान्टियर के काबुलियों की याद आ जाती है जो एक सौ रुपया कर्जा देते थे और ४०,५०,७५ प्रतिशत सूद हर साल लेते रहे और न दे सके तो फिर उनसे जबरदस्ती वसूल कर लिया करते थे । किसान से और जमींदार ही सही क्योंकि जमींदार ऐसा लफ्ज है जो बहुत मिस्लीड कर देता था । छोटा जमींदार भी जब राजा महाराजाओं के यहां जश्न देख कर आता था, बड़ी बड़ी बारातों से वापिस आता था तो उसको भी एक शौक पैदा होता था कि चाहे हमारा घर बरबाद हो जाय हम किसी न किसी तरीके से कर्ज उगाह कर कर्ज लेकर शानो शौकत से रहें । वह यह नहीं समझ सका राजा साहब अयोध्या, राजा साहब जगम्मनपुर के मुकाबिले की बात क्यों की जाय और जब और कहीं कर्जा नहीं मिलता था तो वह काबुलियों से लेते थे और अगर कानून न बन जाता और कर्ज पिछले क़ानूनों से राइट आफ न हो जाते, तो प्रलयकाल तक कर्जा ही अदा होता और आप को उपाध्यक्ष महोदय मालूम है कि एक एक रुपये कर्जा का सौ-सौ रुपया होता था और वह कर्जा काबुलियों की ही तरह जमींदारों ने भी किसानों को खेतिहर मजदूरों को दिया १० रुपये के बदले जिन्दगी भर बिना खाना और कपड़े दिये रातो दिन उससे गुलामी कराते रहे और जब न मिले तो धमकी दे कर उसकी सारी चीजें रख लेते थे और कहते कि पुलिस से बन्द करा देंगे । ऐसी सूरत में माननीय राजस्व मंत्री से मैं अनुरोध करूंगा और सरकारी दल के सारे माननीय सदस्यों से अपील करना चाहूंगा कि यह मेरी बात नहीं है यह उनके दल की बात है । हमारे और उनके विचारों में आज मतभेद हो सकता है किसी बात पर लेकिन जब पुनर्वासन का प्रश्न आता है तो उस समय हम और वह एक ही हैं । नये सिरे से डिस्प्लेस्ड परसन्स को जो जमींदारी व्यवस्था को लाने की वजह से अपने कारोबार से अपदस्थ हो गये थे उनको फिर से दूसरा रोजगार दिलाने के लिये कारोबार कराने के लिये आप ने एक सहारा दिया । तो एक सहारा आप ने दिया । यह तो ऐसा ही होगा कि किसी अंधे को लाठी दी और जहां गली में पहुंचा कर लाठी छीन ली जाय और वह चारों खाने चित्त हो जाय । अंतरिम कंपेंसेशन के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते । क्योंकि हम मुआविजे के खिलाफ़ हैं । २५० रुपये के कम के जो मालगुजार थे उनके लिये हमने और आप ने मिल कर एक रेखा खींच दी थी । मैं उसको याद दिलाता हूं । मैं चाहता हूं कि राजस्व मंत्री और सरकारी दलों के तमाम सदस्य अपनी पुरानी बातों को याद करें और जैसा संशोधन हमारा है उसको मंजूर करें और जो इस विधेयक में कमी रह गयी है छोटे जमींदारों के बारे में, उनके साथ भूल से जो ज्यादती हो रही है उसको दुरुस्त कर लें ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामनारायण त्रिपाठी के संशोधन का समर्थन करने हेतु खड़ा हुआ हूं और मुझे सचमुच हार्दिक प्रसन्नता है कि आज बावजूद इसके चाहने के वह ग़लती न करें फिर भी वह हमको मदद पहुंचाने के लिये मजबूर हो गये या मुमकिन है कि वह गलती हो। समझ न पाये हों। खैर किसी न किसी प्रकार से यह हम लोगों के हित में है।

पुनर्वासन अनुदान और मुआविजा यह दोनों चीजें बिलकुल अलग हैं। श्रीमन्, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहूंगा कि जब जमींदारों ने जमींदारी अबालिशन ऐंडलैंड रिफार्मस ऐक्ट को चैलेंज किया था तो उस वक्त उस पक्ष से बार बार कहा गया कि पुनर्वासन अनुदान और मुआविजा दो अलग अलग चीजें हैं। पुनर्वासन अनुदान आप लोगों को इसलिये दे रहे हैं और उन लोगों को दे रहे हैं जिनकी मालगुजारी दस हजार से कम है और उसकी तादाद छोटे जमींदारों के लिये ज्यादा है और जैसे कि मालगुजारी बढ़ती जाती है पुनर्वासन अनुदान का मल्टिपिल भी घटता जाता है। पुनर्वासन द्वारा आप जमींदारों को रिहैबिलिटेड कराना चाहते हैं। इसमें भी अगर महाजनों का चंगुल आ फंसता है, महाजन तो श्रीमन्, बहुत रुपया खाये हुये हैं.....

श्री चरण सिंह--जैसे जमींदार।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--श्रीमन्, जमींदार तो खाये हुये हैं। लेकिन महाजन अगर हमें दो हजार देता था तो चार हजार का प्रोनोट लिखा लेता था। हम अपनी आदतों से मजबूर थे और इसलिये कि महाजन कहीं यह न कह दे कि हमने रुपया क़र्ज लिया है उसको एक हजार का प्रोनोट और लिख देते थे। ऐसी परिस्थिति में मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि रिहैबिलिटेशन इस बेसिस पर न ट्रीट करें और यह किसी भी कर्जे में अटैचेबिल न किया जाय।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं भवन के सम्मुख उपस्थित इस संशोधन के समर्थन में कुछ निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और इस संशोधन पर निवेदन करते हुये मैं इस अवसर का फायदा उठाऊंगा और आप के द्वारा कुछ माननीय राजस्व मंत्री और सरकारी दल के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा।

श्रीमन्, ऊपर के भवन में चार साल मैंने जमींदारों का प्रतिनिधित्व किया और जब मैं वहां था उसी समय जमींदारी उन्मूलन विधेयक भी आया और पास हुआ। उसके बाद इस भवन में न मालूम कितने विधेयक जमींदार और काश्तकार से संबंध रखते हुये लाये गये और पास हुये, परन्तु मुझे खेद है कि किसी समय भी मैंने सरकार की ओर से और सरकारी दल के माननीय सदस्यों से वह बातें नहीं सुनी जो आज मैंने सुनीं। मुझे खेद है कि माननीय राजस्व मंत्री को कुछ बातों पर जो इधर से कही गई हों, दुःख हुआ। इसका मुझे अत्यन्त दुःख और खेद है और वह इस लिये है, वैसे तो मुझे किसी के लिये अपोलोजाइज करना नहीं, परन्तु मुझे अत्यन्त खेद और दुःख इसलिये है कि इधर से जो कुछ भी कहा जाय और उसके जवाब में जो कुछ कहा जाता है, बार बार मेरे इस भवन में माननीय सदस्यों से हाथ जोड़ कर अनुरोध करने पर भी वह भूल जाते हैं कि जो कुछ वह आक्षेप करते हैं, जो कुछ वह लांछन लगाते हैं, जो कुछ भी पाप किये गये हैं केवल ३९० जमींदारों ने किया है और उन ३९० जमींदारों को गालियां देते हुये, लांछन लगाते हुये, ३९० को पापी ठहराते हुये श्रीमन् कहां का यह न्याय है कि उन १८ लाख जमींदारों को जो ढाई सौ से नीचे के मालगुजार हैं, जिनके लिये पं० जवाहर लाल नेहरू से लेकर यहां के राजस्व मंत्री तक कहते हैं कि वह जमींदार जमींदार नहीं हैं, उनको भी बटोर लिया जाय? माननीय सदस्य प्रतापगढ़ ने बतलाया कि जमींदारों ने यह बड़े बड़े क़र्ज़े क्यों लिये थे। मैं थोड़े समय के लिये उनके इस भाषण का समर्थन करूंगा

श्री राम नरेश शुक्ल--मैंने नहीं बताया, अवधेश प्रताप ने बताया था ।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह--चाहे माननीय अवधेशप्रताप ने बताया था, चाहे आपने बताया कि यह क़र्ज़े क्यों लिये गये । श्रीमन्, आपके द्वारा क्या मैं अपने माननीय मित्र से यह पूछ सकता हूं कि वह जमींदार जो ढाई सौ रुपये के मालगुज़ार हैं क्या उनके पास इतना रुपया है या इतने शैतान और बदमाश थे कि अपने ऊपर क़र्ज़ा लाद लिया , इसलिये कि वह जीवन और जिन्दगी के मज़े लूटें ? अभी माननीय प्रस्तावक महोदय ने बतलाया था कि छोटा जमींदार क़र्ज़ा क्यों कर लिया करता था । श्रीमान्, ग़लत चीज़ हो, यह मानता हूं, क्या काश्तकार शादी के ख़र्चों के लिये क़र्ज़ा नहीं लेता? हम लोगों को चाहिये कि अपने जीवन में परिवर्तन करें, अपने ट्रेडीशंस में परिवर्तन करें, शादी ब्याह में इतना रुपया खर्च न करें, परन्तु इसमें श्रीमन्, जमींदार भी ग़लती करता है, काश्तकार भी करता है । ढाई सौ से नीचे जो मालगुजारी देता है उसने जिन्दगी का कौन सा मज़ा लूट लिया होगा, कौन सा क़र्ज़ लिया होगा जो अनैतिक हो ? अब जो लांछन है, जो आक्षेप है, जो पाप है वह केवल १० हजार से ऊपर वालों पर रहा और वह हैं ३९० ।

एक माननीय सदस्य ने अपने भाषण में कहा कि हम वह उन छोटे जमींदारों के बारे में भूल जाते हैं जब यहां जमींदार महोदय बातें करते हैं। श्रीमन्, मैं भूलता नहीं। मैं तो बार बार हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि अपने माननीय सदस्यों से क्या ३९० को लेकर आप १८ लाख जो ढाई सौ से कम के जमींदार हैं उनका गला तो न घोटें, उनके ऊपर तो आप अन्याय न कीजिये, अनर्थ न कीजिये ।

यहां पूछा गया, श्रीमन् कि जमींदारों ने आजादी की लड़ाई में क्या भाग लिया ? यह बात ३९० जमींदारों को मद्देनज़र रख कर कही जाती है, जब कि मैं यह कहूंगा कि यह जो छोटे छोटे जमींदार हैं यही कांग्रेस की नींव थे, जड़ थे और इसके समर्थन में उन्हीं के नेता जैसे श्री प्रकाश जी का नाम लूंगा कि उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा है जमींदारों के लिये और कांग्रेस के बारे में। श्रीमान्, जमींदार शब्द कहा जाय, जमींदार का नाम आवे, तो यह ग़लत है कि केवल उन्हीं ३९० जमींदारों को माननीय सदस्य अपने ध्यान में रखें। क्या माननीय सदस्य को यह नहीं मालूम है कि इस कांग्रेस दल में यहां पर ९० प्रतिशत जमींदार बैठे हुए हैं ? तो क्या ये जमींदार रंडियों का नाच देखते हैं ? क्या यह जमींदार मोटरों पर घूमते फिरते हैं या औरों की तरह इन्होंने भी त्याग किया है, देश की सेवा की है और अब जनता की सेवा कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं कि ऐसे जमींदार जो हैं वे ढाई सौ से चार सौ पांच-सौ तक के मालगुजार हैं, दस हजार के मालगुजार नहीं हैं। किस मुंह से श्रीमन् कहा जाता है कि जमींदारों ने क्या भाग लिया है इस देश की लड़ाई में। मैं कहता हूं कि जमींदार अगर भाग न लेते, सहायता न देते तो यहां पर कोई ताकत नहीं थी जो ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म की सत्ता को यहां से हटा सकती। इसके कुछ कारण थे और कारण ये थे कि कौन भाग ले सकता था आजादी की लड़ाई में, कौन बर्सों जेल काट सकता था जिसकी बीबी और बच्चे मरने लग जायं अगर वह छै महीने के लिये भी जेल चला जाय। इस कारण यही लोग साथ दे सकते थे। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि मैंने साथ दिया है या मैंने कोई त्याग किया है या राजा साहब जगम्मनपुर ने कोई त्याग किया है लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जमींदारों ने त्याग किया है, जमींदार लोग आजादी की लड़ाई में लड़े हैं, जमींदारों ने कांग्रेस का साथ दिया है और अब भी जमींदार कांग्रेस में हैं।

एक सदस्य--एक का ही नाम बता दीजिये।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह--कुछ लोग नाम की सूची चाहते हैं। यह तो कहना मेरे लिये बेकार है कि दस हजार से ऊपर मालगुजारी देने वालों में भी कुछ लोग

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

ऐसे हैं जिन्होंने आपका बहुत बड़ा साथ दिया है। जो ऐसे ३९० जमींदार हैं मैं उनको आप ही के लफ्जों में थोड़ी देर के लिये कंडेम करता हूं। थोड़ी देर के लिये आप जो कुछ कहते हैं उसको मानता हूं और उसको मानते हुये यह कहता हूं कि यह बात बिल्कुल ग़लत है जो कही जा रही है कि जमींदारों ने इस आज़ादी की लड़ाई में कोई भाग नहीं लिया है और जमींदारों ने इस देश की कोई सेवा नहीं की है, इसलिये कि जो कुछ सेवा की गयी है, जो कुछ इस आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया गया है, जो कुछ कांग्रेस की मदद की गयी है वह सब जमींदारों के द्वारा हुई है। मैं बार बार आपके द्वारा इस सदन के सामने रिपीट करता हूं कि फर्क केवल इतना ही है कि आप इन ३९० का चश्मा लगा करके जमींदारों को देखते हैं और ढाई सौ से नीचे के जो १८ लाख जमींदार हैं उनको लेकर जमींदारों को नहीं देखते हैं हालांकि यह वह जमींदार हैं जिनके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लंदन में अपने एक वक्तव्य में कहा था कि इनको उजाड़ने का कोई सवाल नहीं है, इनको तो रिहैबिलिटेड करने का सवाल हमारे सामने है और यह उन्होंने उस वक्त कहा था जब कि वे प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया नहीं हुये थे, जब कि कांग्रेस के हाथ में सरकार नहीं आयी थी। तो श्रीमन् इतना निवेदन करने के बाद मैं आपके द्वारा सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि इस संशोधन को वह स्वीकार करे और इसलिये स्वीकार करे कि इस संशोधन के द्वारा वह फलाने राजा साहब और फलाने महाराजा साहब की मदद नहीं कर रही है। इस संशोधन के द्वारा वह उन छोटे छोटे जमींदारों की मदद कर रही हैं जिनके लिये उन्हें यह आवश्यकता पड़ी कि जमींदारी उन्मूलन के बाद उन्हें रिहैबिलिटेशन ग्रांट दिया जाय। श्रीमन् जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट में रिहैबिलिटेशन ग्रांट तो पांच रुपये की मालगुजारी से दस हजार तक की मालगुजारी वालों तक दिया जा रहा है लेकिन यहां पर प्रस्तावक महोदय ने इसीलिये साफ कर दिया है कि उन्हें अन्देशा था कि अगर यह साफ नहीं कर दिया गया तो उन बड़े जमींदारों के साथ छोटे-छोटे जमींदार भी पिस जायेंगे। इसके साथ साथ श्रीमन् ढाई सौ रुपये वाले को रिहैबिलिटेशन ग्रांट मिलेगी क्या, यह भी तो देखना चाहिये। कम मालगुजारी वाले जमींदारों को रिहैबिलिटेशन ग्रांट इसलिये दिया गया था ताकि उनको मदद मिल जाय और वे अपनी जिन्दगी सुधार सकें। ऐसी दशा में उस रिहैबिलिटेशन ग्रांट में से कर्जा देय कर देना अन्याय नहीं होगा तो फिर क्या होगा, और फिर जब उसको कम्पेंसेशन मिलना ही है तो उस कम्पेंसेशन में से कर्जे की अदायगी हो सकती है। इसलिये जो ढाई सौ तक मालगुजार हैं उनके रिहैबिलिटेशन ग्रांट में से कर्जे का रुपया अदा कराना मैं समझता हूं कि अन्याय नहीं तो ज्यादती अवश्य होगी।

श्री राधामोहन सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, जो संशोधन सदन में पेश किया गया है उसका विरोध करना चाहता हूं। कारण यह है कि यह जो विधेयक आज सदन में उपस्थित है और इस समय जो बहस हो रही है उनके अन्दर एक स्कीम है, एक योजना है और उस योजना को न देखने के कारण ही यह संशोधन लाया गया है। हमारी स्कीम यह है कि पुनर्वासन अनुदान, प्रतिकर और अन्तरिम प्रतिकर ये तीनों चीजें एक ही हैं और एक ध्येय से ये दिये जा रहे हैं। इन तीनों को मिला कर जो रक़म दी जा रही है उसमें से तीन चौथाई भाग महाजनों को मिल सकता है और एक चौथाई उनके लिये सुरक्षित रखा गया है। यह हमारी स्कीम इस विधेयक के अन्दर है जिसको प्रवर समिति ने भी स्वीकार किया है। जो संशोधन भवन के सामने है उसको देखने से यह मालूम होता है कि जो हमारा ध्येय है उसी को बदलना इस संशोधन का विषय है इसलिये हम इसका विरोध करने के लिये लाचार हैं। हमारे सम्मुख पुनर्वासन अनुदान और प्रतिकर के सम्बन्ध में

जो बातें कही गयी हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जमींदारी एबालिशन कमेटी की जो रिपोर्ट है या जो इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट में बहस हुई थी उसको भी अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि कांग्रेस का हमेशा यही ध्येय था कि जो छोटे जमींदार हैं उनको कुछ प्रतिकर अधिक मिले। लेकिन कानून के अन्दर हम मजबूर थे एक फ्लैट रैट देने के लिये। अगर हम उसको सिर्फ प्रतिकर कहते तो हम छोटे जमींदारों को कुछ अधिक न दे पाते। तो इससे बचने के लिये हमको पुनर्वासन का शब्द लाना पड़ा तब जाकर छोटे और बड़े जमींदारों के बीच में हम भेद कर पाये। हम चाहते यह हैं कि महाजनों को जो रक़म उपलब्ध की जाय उसमें इस सबका सामाञ्जस्य हो और महाजनों के लिये तीन चौथाई जो रक़म दी गयी है और एक चौथाई सुरक्षित की गयी है तो इस विधेयक का जो ध्येय है वह इसी पर आधारित है। मैं समझता हूं कि इसको देखते हुये यह बहुत ही अनुचित है कि हम पुनर्वासन को महाजनों के क़र्ज़े से निकाल दें। अगर ऐसा किया गया तो जो रक़म उनके लिये उपलब्ध होगी वह बहुत ही कम होगी। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं, जैसा कि माननीय मंत्री ने दूसरे संशोधन के सम्बन्ध में कहा था कि यह विधेयक लागू तब होगा जब तमाम कानून जो हैं उनके जरिये से रकम कम करने के बाद यह लागू होगा। अब हमारे जमींदार भाई यह चाहते हैं कि सबके ऊपर यह लागू कर दिया जाय। यह उचित नहीं है। सब कानूनों के द्वारा कम करने के बाद जो रक़म बचती है उसको हम इस कानून के अनुसार कम करना चाहते हैं। मैं समझता हूं जो व्यवस्था इस विधेयक में की गयी है वह बहुत उचित है और मैं उसका समर्थन करता हूं और संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री बलवन्त सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जो बहस इस संशोधन पर हुई मैं समझता हूं कि बिल्कुल ग़ैरजरूरी है। जिस धारा के अन्दर यह अन्वय है वह धारा २ है और वह परिभाषाओं की धारा है। मेरी यह बात समझ में नहीं आयी कि यदि किसी एक चीज की परिभाषा किसी ऐक्ट के अन्दर या विधेयक के अन्दर कर दी जाती है तो उससे किसी का क्या नुक़सान होता है और उस पर बहस के लिये क्या आवश्यकता होती है। इसके अन्दर पुनर्वासन अनुदान और धर्मोत्तर आदि बातें रखी गयी हैं। यह परिभाषा की चीजें हैं और जो परिभाषायें हमारे जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट वग़ैरा में की गयी हैं वही यहां पर रखी गयी हैं। एक बात तो मानने के काबिल थी कि अगर हमारे मित्रों की तरफ से यह कहा जाता कि इसके जितने आपरेटिव भाग हैं वह निकाल दिये जायं तो मैं समझता कि इसके अन्दर कोई सार था। अगर परिभाषायें आ जाती हैं तो उससे किसी का नुकसान नहीं होता है। परिभाषायें हैं और होनी चाहिये तथा विस्त्रित रूप से होनी चाहिये, चाहे जरूरत पड़े या न पड़े। बहस इस बात पर हो रही है कि जो परिभाषा पुर्नअनुदान को है उसको निकाल दिया जाय। मैं समझता हूं न तो उसको निकालने की जरूरत है और न उस पर बहस ही होनी चाहिये। इसके जितने आपरेटिव सेक्शन हैं वह रहने चाहिये या न रहने चाहिये थे इस पर बहस की जानी चाहिये थी। इसलिये मैं अर्ज कर रहा हूं कि यहां पर इसकी जरूरत नहीं थी इसलिये मैं अपने मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि वह इस स्थान पर अपना संशोधन वापिस ले लें।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सोशलिस्ट पार्टी के नेता श्री रामनारायण त्रिपाठी ने इस संशोधन को सदन में उपस्थित करके जमींदारों की ओर और खास करके २५० रुपये से कम मालगुजारी वालों की तरफ अपनी सहानुभूति दिखायी है। वैसे तो इस सम्बन्ध में छोटे जमींदारों के प्रति हम सभी लोगों की सहानुभूति है और हमेशा इस बात का लिहाज किया गया है और जमींदारी अबोलीशन ऐक्ट में भी अगर माननीय सदस्य देखें तो इसका ही लिहाज करके उनको पुनर्वासन अनुदान

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

अधिक मात्रा में दिया गया है। लेकिन जहां तक संशोधन का प्रश्न है इस संबंध में म यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसी बात का लिहाज करके पुनर्वास अनुदान को केवल २५० रुपये तक ही नहीं बल्कि सारे पुनर्वासन अनुदान को अलहदा रखा गया है कि जो कर्जे कम किये जायेंगे उनमें इसका कोई लिहाज किया जाय यानी ८ गुना जो मुआविजा है उसी पर कर्जा कम किया जायगा। इस प्रकार जो पुनर्वासन अनुदान है वह कर्जे की कमी या बढ़ोत्तरी को पैदा नहीं करेगी। इसलिये बिल में यह कोशिश की गयी है कि पुनर्वासन अनुदान बच जाय, यानी उनका कर्जा इस अनुपात में कम न हो जिस अनुपात में कि उनको पुनर्वासन अनुदान या मुआविजा मिल रहा है।

अब रह गया पुनर्वासन अनुदान का कि २५० रुपये से नीचे वालों को संरक्षण दिया जाय, इस बात को जरूर ख्याल किया गया। जो कुछ मुआविजा और पुनर्वासन अनुदान उनको दिया जा रहा है उसमें से तीन चौथाई कर्जे में वसूल होगा और एक चौथाई सुरक्षित रखा गया है। वह किसी प्रकार के कर्जे में वसूल नहीं होगा। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि यह जो तीन चौथाई रकम वसूल होगी उसके अलावा जो सुरक्षित ऋण है उसमें उससे अधिक और किसी प्रकार से वसूल न हो सकेगा। तो इस बिल की जो मंशा है वह तो कर्जे को कम करने की है और कर्जा कम करने म यह प्रश्न नहीं उठता कि वह पुनर्वासन अनुदान जो २५० रुपये से नीचे की है उससे कर्जा वसूल न किया जाय। फर्ज कीजिये जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट न होता। जो एक सेक्योर्ड स्टेट थी उससे कर्जा वसूल होता। उस स्टेट के न रहने पर जितना उसको बदले में मिल रहा है वह सारा सेक्योर्ड हुआ, स्टेट खत्म हो गई, उसके बदले में मुआविजा और पुनर्वासन अनुदान दिया गया, नाम जरूर भिन्न भिन्न है लेकिन उतनी पूरी रकम उस स्टेट के खत्म करने के बदले में मिली। अब वह सारी रकम कानून की दृष्टि में सेक्योर्ड है। अगर पूरे कर्जे से स्टेट सुरक्षित नहीं थी तो यह पुनर्वासन अनुदान या मुआविजा भी सुरक्षित नहीं होती। लेकिन फिर भी इस बात का ख्याल रक्खा गया है कि वह पूरे का पूरा खत्म न हो जाय कर्जे में। १/४ को सुरक्षित रक्खा गया है। जैसे मैंने पहले कहा, पुनर्वासन मुआवजे में जितनी रकम रक्खी गई है उसी अनुपात से कर्जे को कम किया गया है और पुनर्वासन अनुदान और मुआवजे की १/४ रकम को सुरक्षित किया गया है। इसलिये मैं समझता हूं कि पूर्ण रूप से छोटे जमींदारों के साथ न्याय किया गया है और इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है और मैं आशा करता हूं कि वह इसे वापस ले लेंगे।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण जी ने जो संशोधन सदन के सामने रक्खा है मैं समझता हूं कि वह बहुत उचित है बावजूद इसके कि माननीय मौर्य जी ने उसके विरुद्ध कुछ दलीलें दी हैं? मैं ऐसा समझता हूं कि कोई कानून जो बनता है वह इन्सान की जिन्दगी को सहूलियत पैदा करने के लिये बनता है और हमारी सरकार का तो यह दावा भी है। कि वह उसी विचार से कुछ करती है। जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट जो बनाया गया है उसकी भी यही मंशा थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहूलियत पहुंचाई जाय और कुछ थोड़े से लोगों जो बअख्तियार थे उनको उस अख्तियार से महरूम किया जाय। सन् ३९ में जब काश्तकारी कानून को कांग्रेस हुकूमत ने पास किया तो उसकी कुछ बातें मुझे याद हैं। उस वक्त से नहीं बहुत पहले से आज तक जो कांग्रेस हुकूमत की नीति रही वह यही रही कि ढाई सौ रुपये या इससे कम जो जो जमींदार हैं उनको राहत पहुंचे। सन् ३९ में जो कानून सीर खुदकाश्त का बनाया गया उसमें बहुत सफाई के साथ ढाई सौ रुपये के जमींदार को जमीन को जोतने

वाले शिकमी काश्तकारों को मौरूसी काश्तकार होने से बचाया गया है । मैं यह मानता हूं कि कांग्रेस हुकूमत में भी जब कभी कर्जे का कानून बनाया गया तो छोटे जमींदारों की हिफाजत वह नहीं कर पाई और उनको कम राहत मिली। बदकिस्मती की बात यह थी कि कांग्रेस का जो नक़शा बना हुआ था लेकिन कानून पर मोहर लगाने का नाम कांग्रेस हुकूमत न कर पाई, उसको इस्तीफा दे देना पड़ा और कर्जे का जो कानून बना मेरा ऐसा ख्याल है कि उसमें बड़े जमींदारों को ज्यादा मौका मिला अपनी जायदाद को बचाने का, कर्जे से छुटकारा पाने का लेकिन उसमें जो छोटे जमींदार थे उनको इस तरह का मौका नहीं मिला। तो मैं यह समझता हूं कि कांग्रेस की जो घोषित नीति है यह उसके विरुद्ध गया और आज भी कर्जे को कम करने के लिये जो विधेयक सदन के सामने है वह कांग्रेस की घोषित नीति के विरुद्ध है। पुनर्वासन अनुदान को कर्जे की वसूली में शामिल करना मैं समझता हूं कि यह कांग्रेस की नीति नहीं है बल्कि जैसा कानून हमने बनाया उस कानून के भी हम उलटे जा रहे हैं। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि पुनर्वासन अनुदान के लब्जी मायने हम लोगों को समझा देने की कोशिश करें। मैं नहीं समझता हूं कि पुनर्वासन अनुदान से कोई कर्जा लिया जा सकता है और कर्जे की वसूली के लिये उसकी गिनती हो सकती है। तो ऐसी हालत में पुनर्वासन अनुदान के हक में मैं किसी तरह से नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को यह बतलाऊं कि आज हम एक ऐसी चीज करने जा रहे हैं जो हमारे पहिले के वादों और रीति नीति के विरुद्ध है।

उपाध्यक्ष—क्या माननीय सदस्य अधिक समय लेंगे।

श्री गेंदा सिंह—जी हां, मुझे कुछ और कहना है।

उपाध्यक्ष—तो आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा।

१९५२-५३ के लिये वित्त समिति के रिक्त स्थान पर श्री शुगन चन्द्र के निर्वाचन की घोषणा

उपाध्यक्ष—उठने के पहले मैं माननीय सदस्यों के लिये यह घोषणा करना चाहता हूं कि १९५२-५३ के लिये निर्वाचित वित्त समिति के सदस्य श्री राजाराम के त्याग पत्र दे देने के कारण रिक्त स्थान के लिये श्री दीनदयालु शर्मा व श्री शुगन चन्द्र के नामांकन पत्र प्राप्त हुये थे। श्री दीनदयालु शर्मा ने अपना नाम वापस ले लिया और केवल श्री शुगनचन्द्र नामांकित रह गये हैं और उनको उचित रूप से निर्वाचित घोषित किया गया जाता है।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कौलसचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१३ अक्तूबर, १९५२ ।

नत्थी 'क'

(देखिये १३ अक्तूबर, १९५२ ई० के तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५ पर)

No. 7938/I-A-450/1951

FROM

SRI ZAHURUL HASAN, I.A.S.,
SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

TO

ALL THE DISTRICT OFFICERS,
EXCEPT THOSE OF ALMORA, GARHWAL
AND TEHRI-GARHWAL.

REVENUE (A) DEPARTMENT *Dated, Lucknow October* 6, 1952.

Subject :—MANAGEMENT OF *hats*, BAZARS AND MELAS IN AREAS TO WHICH THE NOTIFICATION UNDER SECTION 4 OF THE U. P. ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS ACT APPLIES.

SIR,

I AM to refer to my D.-O. no. 3989/I-A-450/51 dated June 29, 1952 to the Land Reforms Commissioner, Uttar Pradesh, copy endorsed to you by him under endorsment no. 50/ZAC—5 dated July 2, 1952 directing that *hats*, bazars and melas with an annual income of Rs.2,000 or more should be provisionally made over to the District Boards and other *hats*, bazars and melas to the Goan Samajes. Instructions regarding the manner in which the income from such *hats*, bazars and melas would be appropriated are contained in Top Secret G. O. no. 1549/I-A-1952 dated April 10, 1952.

2. I am to point out that this arrangement is only provisional and that final instructions about the *hats*, bazars and melas to be made over to the District Boards or to the Goan Samajes and the part of the income to which the District Boards would be entitled will be sent shortly.

3. A number of references have been received from District Officers regarding the difficulties experienced by them in complying with these orders.

4. It has been pointed out that some of these *hats*, bazars and melas are held partly on land to which clauses *(a)* to *(c)* of sub-section (1) of section 18 apply (i.e., *sir*, *khudkasht*, land in personal cultivation or groves of intermediaries, holdings of fixed-rate tenants and rent-free grantees) and partly on other land, i.e., waste-lands, holdings or groves of tenants, roads and road *patris*. Enquiries have been made whether such *hats*, bazars and melas should be deemed to have vested in the State Government wholly or partly, the management of these *hats*, bazars and melas and whether the income from such *hats*, bazars and melas has to be apportioned between the intermediaries and local bodies and, if so, in what manner.

5. As regards the legal position I am to state that the part of the *hat*, bazar or mela held on *sir khudkasht* and grove, etc. continues in the ownership of the intermediary and the part held on other land has vested in the State Government. Legally it is, there-

fore, possible to allow two different agencies to manage these *hats,* bazars and melas, i.e., the intermediaries can continue to manage them in so far as they are held on their land and the local bodies (the District Boards or the Goan Samajes as the case may be) can take over the management of the other part of the mela. Such an arrangement, however, is bound to lead to serious difficulties and involve the danger of disputes. I am, therefore, to advise that in such cases an attempt should be made to arrive at an amicable settlement with the intermediaries. These settlements can take one of two shapes. Firstly, the management may left over entirely to the intermediary on condition that he pays to the Goan Samaj or the District Board the part of the income corresponding to land other than *sir, khudkasht* or grove, etc. The total income may be apportioned according to the area. For instance, if the total area of the land on which the mela is held is 100 acres of which 50 acres are *sir, khudkasht* or grove the annual income in 1359 *fasli* may be ascertained and distributed into two equal portions. Zamindars may be given a licence for holding the mela on waste-lands etc. at an annual rent equal to half the total income of the mela. Secondly by a similar arrangement the management could be taken over by the local bodies concerned, in which case it would be the intermediary who would give a licence on similar terms for the mela being held on his *sir, khudkasht* or grove.

6. In cases where such an arrangement cannot be arrived at there is no option except for the local body to take over the management of the part of the mela which is held on waste-lands, roads or road *patris* without in any way interfering with the part of the mela held by the intermediary on his own land.

7. In cases where such melas are held partly on zamindar's *sir, khudkasht* or grove and partly on tenancy holdings or grove-holder's grove it will be for the parties concerned to make some arrangement themselves. It is evident that in such cases *hats,* bazars and melas do not vest in the State Government.

8. There are some cases where *hat,* bazar or mela is held partly on land to which the notification under section 4 applies and partly on land to wihch the notification does not apply: Since in the land to which the notification under section 4 does not apply the rights of the zamindars remain unchanged, such areas may for the purposes of deciding such cases be treated as if it was *sir, khudkasht* or grove and any of the alternatives mentioned above may be adopted.

9. Some District Officers have enquired whether contracts given by the intermediaries before the date of vesting in respect of *hats,* bazars and melas should be deemed to be void. I am to say that there is no provision in the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 terminating such contracts. Contracts whose period has not yet expired should therefore be allowed to continue. The contractors will, however, be liable to pay to the State Government (and not to the intermediaries) money due on the contract for any period after the date of vesting in respect of the *hats,* bazars and melas which have vested in the State.

10. Enquiries have also been made about cases where zamindars have built *pucca* buildings, temporary structures, *chabutaras* or walls enclosing the areas where the mela is held. I am to advise that *pucca*

buildings, mud buildings with thatched roofs, and surrounding walls with or without *chabutras* inside them should be treated as "buildings," but open *chabutras* whether made of mud or bricks and without a surrounding wall should not be regarded as a building. Since buildings and the land appurtenant thereto have been settled under section 9 and the Rule 26 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Rules, the *hats,* bazars and melas held therein will continue to belong to the persons to whom the buildings belong. *Hats,* bazars and melas held wholly on land other than buildings (provided of course that such land is not *sir* or *khudkasht,* etc.) have vested in the State Government. Where the mela is held partly in a building and partly outside it one of the alternative arrangements mentioned in para. 5 may be adopted.

11. A specific reference has been made about a mela which is held on land in front of a zamindar's house. The zamindar is said to have planted trees on the land. The question has been asked whether the land should be deemed to be appurtenant to the zamindar's building. It is very difficult to lay down any general rules about the interpretation of the word "appurtenant" as it depends upon the circumstances of each case. In the case under reference the decision would depend upon two questions, namely, (1) whether the trees planted by the zamindar constitute a grove, and if they do, the land should be treated as intermediary's grove or (2) whether the land is appurtenant to the building, i.e., whether it is used by the zamindar for purposes connected with his residence and is subject to other rights of easement of the zamindar connected with the house.

12. There appears to be some misapprehension regarding *hats,* bazars and melas held on tenants holdings or groves. I am to say that the provisions of section 6 (*a*) (1) do not effect such melas and they have not vested in the State Government by the notification. In cases where *bhumidhari* rights have been acquired in such land the *bhumidhar* thereof has the right to use the land for any purpose whatsoever including, of course, holding a mela. *Sirdars* on the other hand are not entitled to use their land for a non-agricultural purpose. If, therefore, they hold melas on such land the Gaon Samajes may, if they consider it expedient, take action against them under section 206 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.

13. A reference has been received also about *hats,* bazars and meals of a religious nature, which were managed in some cases by religious institutions or of which the income was wholly or partly utilised for religious purposes. In so far as such melas are held on land other than *sir, khudkasht* or grove, etc. they have vested in the State Government. It would be desirable, however, to make an arrangement for their management in such a manner as not to offend the religious susceptibilities of the community concerned. I am, therefore, to suggest that the Gaon Samajes or the District Boards should be advised to form small sub-committees composed exclusively of persons of the religion concerned to manage such fairs. Where the management of religious fairs is in the hands of a well-organised body such as a duly registered society, the District Officer may, where he considers it expedient allow the management to remain unchanged. The income, however, should be credited to the State Government. Further instructions regarding religious fairs will be sent subsequently when all the reports in com-

pliance with G. O. no. 3989-I/1-A-450/1951 dated August 8, 1952 have been received.

14. There are some cases where the zamindars had previous to the date of vesting obtained injunctions from Civil Courts prohibiting District Boards from holding parallel markets at places adjacent to the markets held by zamindars. The question has been asked whether the injunction orders should be deemed to have been vacated. I am to say that in all such cases the orders of the court issuing the injunction should be obtained.

Yours faithfully,
ZAHURUL HASAN,
Secretary

No. 7938 (i)/I-A-450-1952

COPY forwarded for information to the :—

(1) Secretary to Government, Local Self-Government and Panchayat Raj Departments.

(2) Land Reforms Commissioner, Uttar Pradesh, Lucknow.

(3) Director of Panchayat Raj, Uttar Pradesh, Lucknow.

By order,
ZAHURUL HASAN,
Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

उत्तर प्रदेश पत्रिका

नत्थी 'ख'

(देखिये १३ अक्तूबर, १९५२ के तारांकित प्रश्न ७० का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर)

(अ) इमारतों का ब्यौरा

पक्की इमारतें

१—बीज गोदाम तथा औजार गृह	१
२—ट्रक, ट्रैक्टर और औजार गृह	१
३—कूटने का फर्श	२
४—चौकीदार का निवास स्थान	१
५—कर्मचारियों का निवास स्थान	४
६—फार्म मैनेजर का निवास स्थान	१
७—पशु शाला	१
८—बछड़ों के रहने का स्थान	१

कच्ची इमारतें (हटमेंट्स)

कुलियों, बैलों, बछियों इत्यादि के रहने की जगह

(ब) सामान वगैरह जो (अ) में दी हुई इमारतों में लगा उसका ब्यौरा

१—सीमेंट	४,३१८ बोरे
२—ईटें	१०,७८,९५३
३—लोहा	३३ टन ३ हंडरवेट १ क्वार्टर
४—मजदूरी लगभग	६४,०००) रु०

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिए पीछे पृष्ठ २६ पर)

जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख, विधेयक, १९५२

देहरादून जिले के परगना जौनसार बाबर में भौमिक अधिकारों की सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेखों (land records) को तैयार करने की व्यवस्था का

विधेयक

यह आवश्यक है कि देहरादून जिले के परगना जौनसार बावर में भौमिक अधिकारों की सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेखों की तैयार करने की व्यवस्था की जाय।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है?

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख अधिनियम, १९५२ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार देहरादून जिले के समस्त परगना जौनसार बावर में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

परिभाषायें।

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में—

(क) "कलेक्टर" का तात्पर्य देहरादून जिले के कलेक्टर से है और इसके अन्तर्गत कोई भी ऐसा प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर है जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर के कार्य करने के लिये अधिकार प्रदान करे।

(ख) "खाता" और "क्षेत्रपति" के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः "holding" और "land holder" को यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ में दिये गये हैं।

(खख) "विधि" (law) के अन्तर्गत कोई भी आदेश (Order), अध्यादेश (ordinance), नियम (Rule), विनियम (Regulation), रिवाज (Custom) अथवा प्रथा (usage) है जिसे परगना जौनसार बावर में विधि का बल प्राप्त हो।

(ग) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(घ) "काश्तकार" (tenant) के अन्तर्गत जौनसार बावर के दस्तूर-उल-अमल में माने गये मौरूसी काश्तकार या गैर-मौरूसी काश्तकार हैं अथवा ऐसा काश्तकार जिसके पास भूमि सेवा के उपलक्ष में हो।

अध्याय २

काश्तकारों की बेदखली ।

३—किसी विपरीत विधि के होते हुये भी, कोई भी काश्तकार अपने खाते से अथवा उसके किसी भाग से निम्नलिखित में से एक अथवा दोनों आधारों के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर बेदखल न किया जायगा, अर्थात्—

(१) कि उस पर दो वर्ष से अधिक का लगान बकाया है, या

(२) कि उसने कोई कार्य किया है जो खाते की भूमि के लिये हानिकर हो।

काश्कारों द्वारा शिकमी पर दिया जाना ।

४—कोई भी काश्तकार अपने सम्पूर्ण खाते या उसके किसी भाग को तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये अथवा किसी शिकमी के पास किसी भाग के रहने से तीन वर्ष के भीतर, नहीं उठायेगा, केवल उस दशा को छोड़कर जब कि पट्टेदार (lessee) निम्नलिखित में से कोई हो—

(१) अविवाहिता स्त्री,

(२) अवयस्क (minor) जिसका पिता मर गया हो,

(३) पागल या जड़,

(४) ऐसा व्यक्ति जो अन्धेपन या अन्य किसी शारीरिक निर्बलता के कारण खेती करने में अक्षम हो,

(५) संघ की स्थल सेना, नौसेना, या वायु सेना संबंधी सेवा में व्यक्ति, या

(६) तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये कारावास भोग रहा व्यक्ति;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई खाता एक से अधिक व्यक्तियों के पास संयुक्त रूप से हो तो यह अपवाद उन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वे सभी व्यक्ति पट्टे के प्रारम्भ से ही उपर्युक्त एक या एक से अधिक अक्षमताओं से ग्रस्त हों।

अध्याय ३

अभिलेख सम्बन्धी कार्यवाहियां (Record Operations)

५—राज्य सरकार धारा ६ में निर्दिष्ट अभिलेखों (record) को तैयार करने के लिये अथवा उनके सामान्य अथवा आंशिक पुनरीक्षण (revision) के लिये—

(क) एक अधिकारी (जिसे यहां आगे चलकर स्पेशल रिकर्ड आफ़िसर कहा गया है) नियुक्त कर सकती है जो परगना जौनसार बावर की अभिलेख संबंधी कार्यवाहीयों का इन्चार्ज होगा और अन्य ऐसे अधिकारियों को भी नियुक्त कर सकती है जो स्पेशल रिकर्ड आफिसर को सहायता देने के लिये आवश्यक हों,

(ख) इस प्रकार नियुक्त अधिकारियों की प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है किन्तु इस प्रकार नहीं जिससे कि ऐसे किसी क्षेत्र में समय विशेष पर प्रचलित किसी विधायन (enactment) के व्यापार (operation) में रुकावट पड़े।

(ग) अभिलेख संबंधी कार्यवाहियों (record operation) से आनुषंगिक (incidental to) वे अधिकार और कर्त्तव्य निर्दिष्ट कर सकती है जिनका ऐसे अधिकारी प्रयोग या पालन करेंगे।

अभिलेख जो तैयार किये जायंगे।

६—(१) परगना जौनसार बावर के प्रत्येक गांव के लिये जो अभिलेख (records) तैयार किये जायेंगे उनमें निम्नलिखित होंगे:—

(क) नक्शा और फील्डबुक,

(ख) रजिस्टर,

(१) सभी स्वामियों का,

(२) उन सभी व्यक्तियों का जो भूमि पर खेती करते हों या अन्य किसी प्रकार से उस पर काबिज (occupying) हों, तथा

(३) उन सभी व्यक्तियों का जिनके खाते की मालगुजारी माफ हो, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के स्वत्व का प्रकार तथा सीमा निर्दिष्ट की गई हो,

(२) अभिलेख में निम्नलिखित ब्योरे भी निर्दिष्ट किये जायेंगे

(क) स्वामी द्वारा देय मालगुजारी,

(ख) काश्तकार द्वारा देय लगान,

(ग) प्रत्येक खातेदार (tenure holder) का प्रकार तथा वर्ग, और

(घ) खाते से संबंध अन्य कोई शर्तें या ब्योरे जिन्हें राज्य सरकार अभिलिखित कराये।

इन्दराज का प्रमाणीकरण और विवादों का निर्णय।

७—(१) अभिलेखों के सभी विवादहीन इन्दराज स्वत्व रखने वाले पत्रों द्वारा प्रमाणित किये जायेंगे और ऐसे इन्दराजों से संबद्ध सभी विवाद कब्जे के आधार पर निर्णीत किये जायेंगे।

(२) यदि इस धारा के अन्तर्गत विवाद जांच करते समय स्पेशल रेकर्ड आफिसर अपने को संतोषप्रद ढंग से यह निर्णय करने में असमर्थ हो कि किस पक्ष का कब्जा है तो वह सरकारी तौर से जांच करेगा कि कौनसा व्यक्ति सम्पत्ति का सबसे अधिक हकदार है और ऐसे व्यक्ति को कब्जा दिला देगा।

(३) कब्जे के संबंध में इस धारा के अन्तर्गत दिया गया कोई आदेश किसी भी व्यक्ति को किसी क्षेत्राधिकार प्राप्त (having jurisdiction) दीवानी अथवा माल न्यायालय में संपत्ति से संबद्ध अपना अधिकार स्थापित करने से बंचित न कर सकेगा।

इंदराज के बारे में परिकल्पना।

८—इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार तैयार किये हुये अभिलेखों के सभी इन्दराज तब तक सत्य परिकल्पित किये जायेंगे (shall be presumed to be true) जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हों।

वैधीकरण
(Validation)

९—जौनसार बावर में भौमिक अधिकारों में सुधार करने तथा उनको स्थायी बनाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में निर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुसार उक्त क्षेत्र के लिये भौमिक अभिलेख तैयार करने और उनके पुनरीक्षण के लिये आदेश दे दिया था,

और राज्य सरकार ने उक्त प्रयोजन के निमित्त नियम, आदेश तथा अनुदेश (instructions) प्रचारित कर दिये हैं ;

और कुछ क्षेत्रों के संबंध में यह अभिलेख तैयार हो चुके हैं और अन्य क्षेत्रों के संबंध में तैयार किये जा रहे हैं ;

और यह आवश्यक है कि इस प्रकार प्रचारित नियमों, आदेशों और अनुदेशों को तथा अभिलेखों को जहां तक कि वे ऊपर बताई गई विधि से तैयार किये जाये जा चुके हैं, विधिक वैधता (legal validity) प्रदान की जाय ;

अतएव एतद्द्वारा प्रख्यापित (declared) किया जाता है कि उक्त अभिलेखों को तैयार करने में तथा उनके पुनरीक्षण के निमित्त प्रचारित सभी नियम, आदेश तथा अनुदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तीन मास के भीतर गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किये जायेंगे और ऐसे प्रकाशन के पश्चात् इस प्रकार प्रकाशित नियम, आदेश और अनुदेश जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसार या विधिवत् निर्मित या प्रचारित नियम, आदेश अथवा अनुदेश समझे जायेंगे, तथा किया हुआ प्रत्येक कार्य या कार्यवाही इन्दराज अथवा बात प्रयोग में लाये गये अधिकार तथा क्षेत्रधिकार विधि की दृष्टि में उचित तौर वैध होंगे माना कि इस अध्याय के सभी उपबन्ध ऐसे सभी दिनांकों पर सप्रभाव थे जिनका उस विषय में कोई महत्व हो।

अधिकारों का सौंपना।

१०—राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा अपने को प्राप्त कोई भी अधिकार अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी (authority) को ऐसे प्रतिबन्धों सहित अथवा ऐसी दशाओं में जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट हों, प्रयोग में लाने के लिये सौंप (delegate) सकती है।

नियम।

११—राज्य सरकार आदेश द्वारा निम्नलिखित के लिये नियम बना सकती है :

(क) धारा ३ के अन्तर्गत बेदखली के निमित्त अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया :

(ख) काश्तकार द्वारा खातों को शिकमी पर देने से संबंधित विषय,

(ग) इस अधिनियम के अन्तर्गत तैयार किये जाने वाले अभिलेखों के आकार (form) और विषय, तैयार करने के ढंग, प्रमाणीकरण तथा रखरखाव ;

(घ) इस अधिनियम के अन्तर्गत वादों, प्रार्थनापत्रों तथा अन्य कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ङ) अवधि जिसके भीतर इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र तथा अपील प्रस्तुत की जाय ;

(च) इस अधिनियम के अन्तर्गत अपीलों और प्रार्थना पत्रों के संबंध में देय शुल्क ;

(छ) इस अधिनियम के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार प्राप्त किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्त्तव्य तथा ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली अनुसरण प्रक्रिया ;

(ज) किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के यहां से दूसरे अधिकारी अथवा प्राधिकारी के पास कार्यवाहियों का संक्रमण;

(झ) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये सामान्यतः अधिकारियों के लिये पथ प्रदर्शन ;

(ञ) अन्य कोई विषय जिसके संबंध में राज्य सरकार के मतानुसार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये व्यवस्था की आवश्यकता हो।

उद्देश्य और कारण

देहरादून जिले के परगना जौनसार बावर में भौमिक अधिकार अब तक रूढ़ि जनित विधि के रूप में थे जोकि अधिकतर 'दस्तूरुल अमल' में वर्णित है और कुछ दशाओं में तो लिपिबद्ध भी नहीं थे। इन विधियों ने एक ऐसे वर्ग का निर्माण कर दिया है जिनमें अधिकतर कोल्टा और बाजगी हैं जो दासता के स्तर तक गिर गये हैं। इस क्षेत्र में जो संविधान लागू होने से पूर्व अनुसूचित क्षेत्र था, कोई भौमिक अभिलेख भी नहीं है। १९५० ई० में अभिलेख संबंधी कार्यवाही इस क्षेत्र में आरम्भ कर दी गई थी, किन्तु यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ इस क्षेत्र में लागू नहीं था इसलिये तैयार किये हुये अभिलेख यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा ५७ के अन्तर्गत सही नहीं माने जा सकते साथ ही क्षेत्रपति भूमि जोतने वाले किसानों को खातों से स्वच्छन्दता पूर्वक बेदखल भी कर रहे थे। इनकी सुरक्षा करना आवश्यक है। अतएव भूमि जोतने वाले किसानों की सुरक्षा के निमित्त भौमिक अधिकारों से सम्बद्ध विधि को स्थिर करने तथा इस क्षेत्र के अधिकार अभिलेखों को विनियमित करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

चरण सिंह,
माल मन्त्री।

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २७ पर)

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक के सम्बन्ध में नियुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन

हम प्रवर समिति के सदस्य जिन्हें उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक विचारार्थ सौंपा गया था, विधेयक पर विचार कर चुके हैं और अब हम अपनी इस रिपोर्ट का विधेयक के साथ जैसा कि हमने उसे संशोधित किया है और जो इसके साथ संलग्न है, प्रस्तुत करते हैं।

२—यह विधेयक विधान सभा द्वारा पहले १३ अक्तूबर, १९५० को एक प्रवर समिति को सौंपा गया था किन्तु उस समिति के अपने विचार विमर्श को पूरा करने के पहले ही नई विधान सभा संगठित हुई और तदनुकूल २ सितम्बर, १९५२ को प्रवर समिति का फिर से संगठन किया गया।

३—पुनःसंगठित समिति ने अपनी बैठकें विधान भवन में ५ तथा ८ अक्तूबर, १९५१ ई० को कीं।

४—हमने इस विधेयक पर एक-एक खंड को लेकर विचार किया है और पिछली समिति की सिफारिशों पर विचार करके हमने बहुत से संशोधनों के सुझाव दिये हैं किन्तु उनमें से सब बराबर महत्व के नहीं हैं। हमने विधेयक में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं उनका उल्लेख नीचे किया जाता है :—

(१) विधेयक के खंड १ (२) में यह व्यवस्था की गई है कि यह विधेयक उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जिन पर यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट लागू नहीं है। हमारा विचार है कि सरकार को यह अधिकार प्राप्त होना चाहिये कि वह इस विधेयक के निदेशों को बिना किसी नये विधायन के उन क्षेत्रों पर जिन पर यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट लागू नहीं है और विलीन स्टेटों तथा अन्तरक्षेत्रों पर भी लागू कर सकें। तदनुसार हमने खंड १ के उपखंड (२) तथा (३) को परिष्कृत कर दिया है और एक नया खंड १(क) बढ़ा दिया है, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के तत्स्थानी निदेश के अनुरूप ही है।

(२) खंड २(क) में हमने यह व्यवस्था की है कि इस विधेयक के प्रयोजनों के लिये कृषि क्षेत्र में (१) बागदारों और (२) यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट की धारा ४७ की उपधारा (४) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकारों की जोतों का भी अन्तर्भाव होगा।

हमारा यह भी विचार है कि खंड २(क) में उल्लिखित काश्तकारों के वर्गों में ऐसी भूमि के काश्तकार को सम्मिलित कर लिया जाय जो ऐसे मध्यवर्ती की सीर अभिलिखित हो जिस पर ३० जून, १९५२ ई० को उत्तर प्रदेश में २५० रु० से अधिक वार्षिक मालगुजारी लगी थी और यदि मालगुजारी नहीं लगी थी तो इतना स्थानिक कर लगा हो जो २५० रुपये से अधिक की वार्षिक मालगुजारी पर देय थी।

(३) हमने खंड २(क) में यह व्यवस्था की है कि ऐसी भूमि जिस पर यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट में दी हुई "सुधार" की परिभाषा में न जाने वाले भवन स्थित हों और ऐसी भूमि जो उक्त भवनों के आसपास हो, कृषि क्षेत्र में सम्मिलित न की जायगी।

(४) विधेयक के खंड ४ में नागर क्षेत्र की पैमाइश के बाद कृषि क्षेत्र तथा अकृषि क्षेत्र दोनों ही के परिच्छेद करने की व्यवस्था की गई थी। हमारा विचार है

कि कुल नागर क्षेत्रों की पैमाइश करना अव्यवहारिक और अनावश्यक रूप से व्यय-कारी होगी और यह कि केवल कृषि क्षेत्रों के परिच्छेद से ही काम चल जायगा। तदनुसार हमने खंड ३ को परिष्कृत कर दिया है।

(५) हमने एक नया खंड ५(क) बढ़ दिया है जिसमें परिच्छेद कमिश्नर की आज्ञा के विरुद्ध अपील करने की व्यवस्था की गई है।

(६) हमारा विचार यह है कि मध्यवर्तियों को प्रतिकर जो दिया जाय वह पक्की निकासी का एक समवेश (Uniform) गुणनफल होना चाहिये और यह गुणनफल बारह (१२) हो। हमने तदनुसार खंड ३७ को परिष्कृत कर दिया है और अनुसूची को हटा दिया है।

(७) उपर्युक्त महत्वपूर्ण संशोधनों के अतिरिक्त इस विधेयक में कुछ छोटे-मोटे तथा परिणामिक परिवर्तन भी किये गये हैं।

५—यह विधेयक २० जनवरी, १९५० ई० के आसाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था। हमारी राय है कि जैसा कि इस विधेयक को अब हमने संशोधित किया है उस रूप में फिर से प्रकाशित किया जाय।

चरण सिंह	भीमसेन
द्वारका प्रसाद मौर्य	परिपूर्णानन्द वर्मा
बंशीधर मिश्र	बाबूलाल मित्तल
वसी नक़वी	त्रिलोकी नाथ कौल
गणेश प्रसाद जायसवाल	*नारायण दत्त तिवारी
महाबीर प्रसाद श्रीवास्तवा	*रामनारायण त्रिपाठी
रामस्वरूप गुप्त	*उम्मेद सिंह
वीरसेन	*अवधेश प्रताप सिंह

श्री रामनारायण त्रिपाठी तथा श्री नारायण दत्त तिवारी की असहमति टिप्पणी

जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था विधेयक, १९५१ के लागू होने के बाद नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक से यद्यपि यह बहुत ही देर से सदन के सामने लाया गया, आशा थी कि नागर क्षेत्र में हर प्रकार की जमींदारी के विनाश का प्रबन्ध किया जायगा। परन्तु इस विधेयक से हमें घोर निराशा हुई।

नागर क्षेत्र में मकान मालिकों और किरायेदारों की भी एक विषम समस्या है। एक तरफ तो ऐसे मकान मालिक हैं जो हजारों रुपये महीने बतौर मकानों के किराये से वसूल करते हैं, दूसरी तरफ ऐसे मकान हैं जो सैकड़ों वर्षों से किराये पर उठे हैं और मकान की कीमत का कई गुना मकान मालिक को किराये के रूप में मिल चुका है। परन्तु मकान मालिक की मिल्कियत ज्यों की त्यों है।

इस विधेयक से इस समस्या का हल होना चाहिये था।

प्रदेश के जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५१ द्वारा यद्यपि वह हमारे दृष्टिकोण से बहुत ही त्रुटिपूर्ण है, मध्यवर्तियों की परती जमीन, सायर, बाजार या मेले के स्थान भी मध्यवर्तियों से ले लिये गये हैं, परन्तु इस विधेयक में ये सभी चीजें मध्य-वर्तियों के पास छोड़ी जा रही हैं।

ऐसी जमीन जिन पर खेती हो सकती है और इस समय नहीं हो रही है उनकी भी मिल्कियत मध्यवर्तियों से नहीं ली जा रही है। इसके अलावा मध्यवर्त्तियों की सीर, खुदकाश्त या काश्तकार के शिकमियों की मनमाना बेदखली का अधिकार भी अछूता रह गया है।

---

*असहमति टिप्पणी सहित।

मेले-हाट आदि मध्यवर्त्तियों के हाथ से ले लिये जाते और लोकल बोर्ड को दे दिये जाते तो स्थानीय अधिकारियों (लोकल अथारिटीज़) की आमदनी में काफी वृद्धि हो सकती थी।

उपरोक्त विषयों का समावेश करते हुये नया विधेयक लाया जा सकता था। परन्तु इसलिये नहीं लाया गया कि पुराने विधेयक को ही विचारार्थ उपस्थित कर कानून बनाने से प्रादेशिक सरकार भारतीय संविधान की धारा ३१ की उपधारा (४) के अनुसार पूरा मुआविजा देने की जिम्मेदारी से बरी हो सकती है। तिस पर भी मुआविजा मध्यवर्ती की वार्षिक लाभ का १२ गुना दिया गया है। मुआविजे की यह रकम जनता के खजाने पर एक बहुत बड़ा तथा अनावश्यक बोझ होगा।

मुआविजे की रकम नाममात्र को इसलिये भी दी जा सकती थी कि इमारती क्षेत्रों सायर, बाजार और मेले के स्थान तथा ऐसे क्षेत्र जिन पर खेती हो सकती है और इस समय नहीं हो रही है, के रूप में इस विधेयक द्वारा मध्यवर्त्तियों के लिये हम बहुत कुछ छोड़ रहे हैं।

रामनारायण त्रिपाठी,
नारायण दत्त तिवारी।

श्री उम्मेद सिंह तथा श्री अवधेश प्रताप सिंह की असहमति टिप्पणी

हम लोग नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक, १९५०, पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई प्रवर समिति की बैठकों में उत्तर प्रदेश विधान सभा के संयुक्त दल के सदस्यों के रूप में सम्मिलित हुये। हमारी यह हार्दिक इच्छा थी कि हम इस विधान को इस प्रकार से परिवर्तित करने में सहायता दें कि किसानों को कुछ न कुछ लाभ अवश्य पहुंचे और जमींदारों के साथ भी जिनकी सम्पत्ति को सरकार नगण्य प्रतिकर देकर हस्तगत करना चाहती है, भारी अन्याय न हो। हमें खेद से इस बात का उल्लेख करना पड़ता है कि ६ तथा ८ अक्तूबर, १९५२ ई०, को प्रवर समिति में जिसमें हमने भाग लिया था (श्री अवधेश प्रताप सिंह केवल ८ अक्तूबर की बैठक में ही सम्मिलित हुये थे) वाद विवाद के अवसर पर हमारी एक भी महत्वपूर्ण बात स्वीकार नहीं की गई और प्रवर समिति द्वारा स्वीकृत किया गया यह विधेयक जिसमें उसकी सब पुरानी भद्दी विशेषतायें तो विद्यमान हैं ही और भी भद्दा हो गया है। हमारे सामने बहुसंख्कों की रिपोर्ट से, विधेयक की अधिकतर धाराओं के संबंध में, विमति व्यक्त करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। अब हम अपने वैमत्य के कारणों पर प्रकाश डालना चाहते हैं और इस विधेयक के कतिपय प्रमुख दोषों की ओर संकेत करना चाहते हैं। जब प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक विधान मंडल के सामने रखा जायगा तो हम ऐसे संशोधनों को जिन्हें हम आवश्यक समझें, प्रस्तुत करने के लिये पूर्णतः स्वतंत्र होंगे।

सब से पहले हम इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि यह विधेयक अपने वर्तमान स्वरूप में वर्तमान विधान मंडल के सामने कभी प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये था। यह विधेयक पुरानी विधान सभा में (अर्थात् साधारण निर्वाचन से पूर्व की विधान सभा में) २० जनवरी, १९५० ई० को प्रस्तुत किया गया था। १३ अक्तूबर, १९५० ई०, को प्रायः १० महीनों के बाद यह विधेयक उसी सदन की एक प्रवर समिति को विचारार्थ सौंपा गया था। पुरानी प्रवर समिति ने अपनी बैठकें २८ नवम्बर, १३, २०, तथा २१ दिसम्बर, १९५० ई०, तथा ४ जनवरी, १९५१ ई०, को कीं।

हम लोगों को जो कागज पत्र दिये गये हैं उनसे यह प्रतीत होता है कि पुरानी प्रवर समिति ने उन ४६ धाराओं के संबंध में जिन पर उसने विचार किया था, ३१ संशोधनों के सुझाव किये थे। इस बात की कोई वजह नहीं बताई गई है कि पुरानी प्रवर समिति ने जनवरी

१९५१ और १९ मई, १९५२ के बीच में अर्थात् एक या डेढ वर्ष की अवधि में, जिसके बाद पुरानी विधानसभा इस वर्ष के प्रारम्भ में हुये साधारण निर्वाचनों के फलस्वरूप भंग कर दी गई, विधेयक की शेष १७ धाराओं और अनुसूची के संबंध में क्यों विचार नहीं किया। १९ मई, १९५२ ई०, से वर्तमान विधान मंडल ने काम करना आरम्भ किया। इस समय तक पुराना विधान मंडल विद्यमान था। जब पुराना विधान मंडल आम चुनावों के फलस्वरूप भंग किया गया था तो यह विधेयक भी अपने आप ही समाप्त हो जाना चाहिये था। किन्तु उन कारणों के आधार पर जिन्हें वही भलीभांति जानती होगी, सरकार ने इस विधेयक को वर्तमान विधान मंडल के सामने प्रस्तुत किया। ऐसा करने में उसने उस परम्परा की उपेक्षा की, जिसके अनुसार भारतीय संसद में काम होता है और जहां हिन्दू कोड बिल जैसे विधेयक, जिनके पारित किये जाने या पारित न किये जाने पर तत्कालीन केन्द्रीय सरकर का अस्तित्व या पतन अवलम्बित था, पुरानी संसद के भंग होने के साथ ही समाप्त हो गये। श्री उम्मेद सिंह ने गत सितम्बर, में जब यह विधेयक विधान सभा में फिर से अपने पुराने रूप में पेश किया गया था, इस बात की ओर ध्यान दिलाया था। सरकार ने इस बात का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया कि उसने अपने विधिक परामर्शदाताओं के साथ इस प्रश्न पर विचार विमर्श कर लिया है कि आया यह विधेयक पुराने विधान मंडल के भंग होने के साथ साथ समाप्त हो गया है या नहीं। वर्तमान विधान सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय ने २ सितम्बर १९५२ को यह व्यवस्था दी थी कि उनकी राय में आम चुनाओं के फलस्वरूप पुराने विधान मंडल के भंग हो जाने पर नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक, १९५० ई०, समाप्त नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष की इस व्यवस्था (रूलिंग) की वैधता या अवैधता के बारे में हमें इस समय कुछ नहीं कहना है। सम्भवतः यह ऐसा विषय है जिस पर भविष्य में किसी उपयुक्त विधिक न्यायालय को विचार करना पड़े।

हम अपने कर्त्तव्य की उपेक्षा करेंगे, यदि हम सरकार की कुछ अन्य भूलों की ओर संकेत न करें। हमारे सामने ऐसी कोई भी सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे नागर क्षेत्रों में भी सरकार की जमींदारी विनाश की चेष्टा को समर्थन प्राप्त हो सके। सरकार ने हमें निम्नांकित में से एक के विषय में भी आंकड़े देने की चिन्ता नहीं की (१) नागर क्षेत्रों में भूमि के स्वामी जमींदारों की कुल संख्या, (२) जमींदारों द्वारा देय मालगुजारी की धनराशियों के अनुसार उनकी विभिन्न श्रेणियों की संख्या, (३) नागर क्षेत्रों की जमींदारियों के संबंध में सरकार को देय कुल मालगुजारी, (४) अवबाब और कृषि आयकर की कुल धनराशि, (५) वार्षिक लगान की कुल धनराशि, (६) नागर क्षेत्रों की जमींदारियों का कुल क्षेत्रफल, (७) सीर और खुदकाश्त का अलग अलग क्षेत्रफल, (८) विभिन्न वर्गों के काश्तकारों को लगान पर उठायी गयी भूमि का क्षेत्रफल, (९) खातों की संख्या, (१०) खातों का औसत क्षेत्रफल, (११) अलाभकर खाते वाले काश्तकारों की संख्या जैसे ६ १/४ एकड़ से कम क्षेत्रफल के खाते रखने वाले काश्तकार, (१२) काश्तकारों द्वारा जमींदारों को दिये गये लगान के साथ प्रति रुपये की दरसे बाजार में बिकी हुई उपजके मूल्य का अनुपात, (१३) जमींदारों की कच्ची तथा पक्की निकासियों की कुल धनराशि, (१४) नागर क्षेत्रों की जमींदारियों के विनाश के फलस्वरूप सरकार द्वारा जमींदारों को प्रतिकर के रूप में देय कुल धनराशि, (१५) नागर क्षेत्रों की जमींदारियों के विनाश के बाद सरकार की मालगुजारी में वृद्धि या कमी के संबंध में विस्तृत ब्योरे। हमने यहां पर आंकड़ों संबंधी केवल कुछ बातों का ही उल्लेख किया है। इन आंकड़ों को सरकार को विधान मंडल को नहीं तो कम से कम प्रवर समिति के सदस्यों को तो देना ही चाहिये था। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारी विनाश के संबंध में काफी सामग्री प्रस्तुत की थी।

विधेयक की अन्य विशेषता जिसकी ओर हम विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, यह है कि विधेयक में काश्तकारों को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। अखंडनीय सत्य क्या है? निर्विवाद तथ्य यह है कि सरकार लाभ उठाने के प्रलोभन से आकर्षित

हुई है और इसी कारण उसकी यह भी इच्छा है कि नागर क्षेत्रों की जमींदारी का विनाश किया जाय। काश्तकार के लगान में किसी प्रकार की भी कमी नहीं हो रही है। यदि वर्तमान अवस्था से उनकी अवस्था खराब न भी हुई तो उनकी अवस्था ज्यों की त्यों बनी ही रहेगी। हम लोगों को बड़ा सन्देह है कि नागर क्षेत्रों की जमींदारियों के काश्तकारों की अवस्था वैसी ही बनी रहेगी जैसी कि आज है। उनके लगान में वृद्धि अवश्य होगी क्योंकि जैसा १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २५१ में व्यवस्था की गई थी कि वर्तमान लगान में वृद्धि न होगी वैसी व्यवस्था इस विधेयक में कहीं नहीं की गई है।

इसमें एक बात और है जिसका हम अवश्य उल्लेख करेंगे वह यह है कि जब सरकार के पास प्रतिकर देने के लिये रुपया नहीं है और जब मध्यवर्तियों के अधिकारों के उन्मूलन से उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी, जब पृथ्वी पर स्वर्ग नहीं बनेगा तो वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन की क्या आवश्यकता है।

उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह उल्लेख किया गया है "उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक, १९४९ ई० अधिनियम बन जाने पर नागर क्षेत्रों में काश्तकारों के अधिकार के सुधार के लिये एक अलग विधायन प्रस्तुत किया जायगा" विधान मंडल में अब तक इस प्रकार का कोई विधायन पुरस्थापित नहीं किया गया है। क्यों?

चूंकि यह विधेयक लगभग सभी माने में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५१ ई० का एक प्रतिरूप है, इसलिये नयी आलोचनायें करने की अधिक गुंजाइश नहीं है क्योंकि उस अधिनियम के संबंध में काफी आलोचना की जा चुकी है। किन्तु हम यहां एक दो बातों के ही संबंध में कहेंगे।

अध्याय १

खंड २(क) में (१) शरह मुअइयन काश्तकार (२) माफीदार (३) मौरूसी काश्तकार का अन्तर्भाव और प्रवर समिति द्वारा बागदार इत्यादि का प्रस्तावित अंतर्भाव समझ में नहीं आता। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५१ ई०, के अधीन शरह मुअइयन काश्तकार, माफीदार और मौरूसी काश्तकार "भूमिधर" प्रख्यापित किये गये हैं और वे अपनी भूमि को किसी भी प्रयोजन के लिये काम में ला सकते हैं। किन्तु इस खंड के अधीन उनके द्वारा काम में लाने का अधिकार "कृषि के प्रयोजन के लिये" और अब प्रवर समिति द्वारा उद्यानकरण तक सीमित कर दिया गया है। हम इस बात का विरोध करते हैं कि उनके अधिकारों पर कोई प्रतिबन्ध लगाये जायं।

अध्याय २

परिच्छेद कमिश्नर के निर्णय पर खंड ५(३) के अन्तर्गत किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकती। इस निबन्ध का कोई वैध कारण नहीं है और न्याय तथा ईमानदारी की दृष्टि से हम चाहते हैं कि न्यायालय के दरवाजे खुले रखे जायं।

अध्याय ३

इस अध्याय के अन्तर्गत की गई व्यवस्था से हम आमतौर पर सहमत नहीं हैं और विशेष रूप से हम खंड ९(क) और (ख) खंड १०, खंड ११, खंड १२, प्रस्तावित नया खंड १२ (क) और खंड १३ के निदेशों से सहमत नहीं है। हम यहां एक बात कहेंगे: यह कि प्रस्तावित नये खंड १२(क) के अधीन ७ जुलाई, १९५० ई० के बाद किसी कृषि क्षेत्र या उसके भाग का विक्रय या दान द्वारा संक्रामण अवैध होगा, सिवाय उस दशा के जबकि रुपये भुगतान के लिये किसी न्यायालय की आज्ञा के अन्तर्गत किसी डिगरी या आदेश के निष्पादन के लिये

संक्रामण किया जाय, अथवा किसी वक्फ, न्यास, निबन्ध या सोसायटी जो पूर्णतः दानोत्तर हो, के पक्ष में संक्रामण किया जाय।

हम इन असंगत सुझावों से सहमत नहीं हो सकते।

अध्याय ४

प्रतिकर निर्धारण—स्वत्वाधिकार के दिनांक से अवधारण के दिनांक तक प्रतिकर पर प्रति वर्ष २.१।२ प्रतिशत ब्याज मिलेगा अतिरिक्त प्रतिकर का भी भुगतान किया जायगा। यदि स्वत्वाधिकार के दिनांक से ९ मास समाप्त होने पूर्व किसी प्रतिकर का भुगतान न किया गया हो। प्रतिकर के संबंध में अग्रिम अध्याय में हम कुछ कहेंगे।

कच्ची निकासी का निकाला जाना—खंड २४(ख) के अधीन "सायर आय" स्वत्वाधिकार के निदांक से ठीक पहले के १२ कृषि वर्षों की कुल आय के १।१२ भाग के बराबर होगी। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भू-व्यवस्था अधिनियम, १९५१ ई०, की धारा ३९ (ग) के अधीन यह आय स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के १० कृषि वर्षों की कुल आय के १।१० भाग के बराबर होगी। हम यह नहीं समझ पाते कि सरकार ने किस कारण नागर क्षेत्र जमींदारियों के संबंध में ऐसा भेद भाव किया है। हम खंड २४(ख) के निदेशों से सहमत नहीं हैं। हमें इसके तथा कच्ची निकासियों के निकालने से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में उपयुक्त संशोधनों के लिये प्रस्ताव करना पड़ेगा।

अध्याय ५

प्रतिकर भुगतान—प्रथम प्रवर समिति ने खंड ४६ को इस प्रयोजन से संशोधित किया कि प्रतिकर नकद में या बन्धों में या अंशतः नकद में और अंशतः बंधों में, जैसा नियत किया जाय, दिया जा सके। यह वही पुरानी व्यवस्था है जैसी कि ग्रामीण क्षेत्र जमींदारियों के संबंध में प्रतिकर के लिये भी थी। यह स्पष्ट है कि ४० वर्ष तक २ १।२ प्रतिशत ब्याज देने वाले बंधों को जारी करने का सरकार का प्रस्ताव है। हम यह नहीं समझ पाते कि जब सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों को उनकी सम्पत्तियों से वंचित कर दिया है और उनको वस्तुतः कोई प्रतिकर नहीं देना चाहती, तो वह उन जमींदारों को क्यों नहीं छोड़ देती जिनकी नागर क्षेत्रों में थोड़ी जमींदारी है, जिससे कि वे अपना भरण पोषण कर सकें। हमारा यह सुझाव है कि नागर क्षेत्र जमींदारियों के लिये नकदी प्रतिकर दिया जाय, नहीं तो सरकार स्वामियों को उनकी सम्पत्ति से वंचित करने का इरादा छोड़ दे। वर्तमान प्रवर समिति ने उस अनुसूची में संशोधन किया है, जिसमें दिये जाने वाले प्रतिकर के गुणक की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने एक नियत दर के लिये सिफारिश की है जो पक्की निकासी के १२ गुने के बराबर होगी। हम इस संशोधन से सहमत नहीं हैं। या तो पहले वाली अनुसूची ज्यों की त्यों रखी जानी चाहिये थी या गुणक पक्की निकासी के २५ गुनी पर नियत की जानी चाहिये। हमारे इस सुझाव का कारण यह है कि यू० पी० जमींदारी डेट रिडक्शन बिल, १९५२ ई०, के अन्तर्गत उक्त विधेयक की प्रवर समिति ने यह सिफारिश की कि जमींदारों के ऋण को कम करने के लिये यू० पी० इन्कम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट में निर्दिष्ट सम्पत्ति के मूल्याकन के गुणक को ध्यान में रखा जाना चाहिये। उस गुणक का औसत प्रत्येक जिले के लिये भिन्न है किन्तु अंततः इसका औसत ३२ आता है। डेट रिडक्शन बिल की प्रवर समिति ने यह सिफारिश की है कि इसे बढाकर ४० तक कर दिया जाय। अतः हमारी समझ में नहीं आता कि इस विधेयक के अन्तर्गत प्रतिकर निकालने के प्रयोजन के लिये पक्की निकासी के १२ गुने के बराबर एक नियत दर निर्धारित

करने का क्या अभिप्राय है। यह भली भांति विदित है कि कृषि भूमि का बाजार का मूल्य, विशेषतः नागर क्षेत्रों में बहुत अधिक है। इसके संबंध में अधिक कहना व्यर्थ है क्योंकि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि सुधार अधिनियम, १९५१ ई०, और उनके अन्तर्गत बनाये जाने वाले नियमों पर वादविवाद के दौरान में काफी कहा जा चुका है किन्तु हम अपने कर्त्तव्य से विमुख होंगे यदि हम यह नहीं कहते कि सरकार वस्तुतः बिना किसी प्रतिकर के नागर क्षेत्र जमींदारी को जब्त कर लेना चाहती है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि सुधार अधिनियम १९५१ ई०, के अनुसार प्रतिकर तथा पुनर्वासन अनुदान का संयुक्त गुणक अधिक से अधिक ८+२० अर्थात् २८ और कम से कम ८+१ अर्थात् ९ है। हमने यह सुझाव दिया था कि गुणक २५ रखा जाया। किन्तु बहुमत ने हमारे प्रस्ताव को गिरा दिया। हम समझते हैं कि गुणक १२ का रखना केवल आंसू पोंछना है। और इस प्रकार जो प्रतिकर दिया जायगा वह वस्तुतः कोई प्रतिकर न होगा।

हम यह बतला देना चाहते हैं कि मंत्रियों तथा विधान मंडल के अनुयायी व्यक्तियों को यह स्मरण रखना चाहिये कि कम से कम जहां तक प्रस्तुत विधायन का संबंध है वे मतदाताओं के विचारों को व्यक्त नहीं करते। वे अल्पमतों द्वारा ही निर्वाचित हुये हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों के उन किसानों ने जिन्होंने उनके पक्ष में मतदान दिया, अब अपनी भूल समझने लगे हैं।

आगामी म्युनिसिपल निर्वाचन, हम विश्वास करते हैं, वर्तमान सत्तारूढ दल की आंखें खोल देगा।

इसके पूर्व कि हम समाप्त करें हम यह कहना चाहेंगे कि उद्देश्य और कारणों के विवरण में अभिदिष्ट वाक्य "ऐसे क्षेत्र जिन पर कोई इमारत बनी हो" की परिभाषा विधेयक में कहीं नहीं की गई है। यह बहुत ही आवश्यक है कि ऐसा किया जाय।

उपसंहार

इस विधेयक पर हमने स्थूल रूप से अपने विचार प्रकट कर दिये हैं। इससे नागर जमींदारी क्षेत्रों के किसानों की स्थिति नहीं सुधरेगी। देहातों में भारी असंतोष, भूख और अव्यवस्था के लक्षण पहले ही से वर्तमान हैं। उन व्यक्तियों से जो हिंसात्मक उपायों द्वारा वर्तमान व्यवस्था को उलट देने में विश्वास करते हैं भय बढ़ता ही जा रहा है। देश की संकटपूर्ण आर्थिक स्थिति से खेलने का यह समय नहीं है। अनेकों ऐसी आवश्यक और महत्वपूर्ण समस्यायें हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। राज्य की भूमि व्यवस्था में अत्याधिक परिवर्तन करने का यह प्रयोग उचित नहीं है जबकि इन परिवर्तनों से किसानों की न केवल कोई दशा ही न सुधरेगी किन्तु लाखों निर्धन और उन्मूलित जमींदारों में निराशा तथा द्वेष की भावना भी प्रबल हो जायगी और वे विनाशकारी मत तथा सिद्धांतों के अनुषक्त हो जायंगे। हम जानते हैं कि झूठे नारों द्वारा किसानों को जमींदारों के विरुद्ध भड़काना तथा उनको बुरा कहना सरल है। हम उस निर्दयता तथा अत्याचार से अनभिज्ञ नहीं हैं जो एक प्रबल राजनीतिक दल कर सकता है जब कि कोई जोरदार विरोध न हो और जब कि अज्ञानता में डूबे हुये लोग सरकार को ऐसा समझते हों, जो स्वेच्छानुसार उनका दमन कर सकती हो और जो चाहे कर सकती हो, न कि ऐसा जिसे वह स्वयं बना तथा तोड़ सकते हो। प्रवर समिति में हम अल्पसंख्या में हैं और विधान सभा में भी। तो भी हम उनके प्रति अपना कर्त्तव्य करने में न चूकेंगे जिन्होंने हमें निर्वाचित किया है।

लखनऊ, दिनांक, ९ अक्तूबर, १९५२ ई०।

उम्मेद सिंह,
अवधेश प्रताप सिंह।

(संयुक्त प्रान्तीय) उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश (विधान) विधेयक, १९५० ई०

(जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया। समिति द्वारा निकाला गया विषय कोष्ठकों "[ ]" में है तथा बढ़ाया गया विषय रेखांकित है।)

नागर-क्षेत्रों (अर्बन एरियाज) में स्थित कृषि-क्षेत्रों (ऐग्रीकल्चरल एरियाज) में की जमींदारी के विनाश की तथा ऐसे क्षेत्रों में कृषक और राज्य के बीच वाले मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व (राइट, टाइटिल ऐण्ड इण्टरेस्ट) हस्तगत करने की व्यवस्था के लिए

विधेयक (बिल)

यह उचित और आवश्यक है कि नागर-क्षेत्रों में स्थित कृषि-क्षेत्रों में की जमींदारी की विनाश की तथा ऐसे क्षेत्रों में कृषक और राज्य के बीच वाले मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व हस्तगत करने की व्यवस्था की जाय, इसलिए इस [विधान] अधिनियम (ऐक्ट) द्वारा निम्नलिखित प्रकार से विहित किया जाता है :

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारंभ

१—(१) यह [विधान] अधिनियम (ऐक्ट), १९५० ई०, का नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश विधान कहलायेगा।

सं० प्रा० ऐक्ट २, १९१६।

(२) इसका प्रसार उन क्षेत्रों में होगा जो सातवीं जुलाई, १९४९ ई०, को यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ ई०, के निदेशों के अधीन किसी म्युनिसिपैलिटी या नोटिफ़ाइड एरिया अथवा यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ के अधीन टाउन एरिया अथवा कैन्टूनमेंट्स ऐक्ट, १९२४ के निदेशों के अधीन कैन्टूनमेंट के अन्तर्गत हो [सिवाय उनके जो ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जहां युनाइटेड प्राविंसेज टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ लागू नहीं होता है।]

सं० प्रा० ऐक्ट २, १९१४ ऐक्ट २, १९२४।

[(३) यह विधान तुरन्त प्रचलित हो जायगा।]

(३) यह तुरन्त प्रचलित हो जायगा, किन्तु उन क्षेत्रों में जो धारा १—क खंड (क) से खंड (घ) तक में आते हैं, यह धारा १—क के अधीन किये गये अपवादों और परिष्कारों को बाधित न करते हुए, ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करदे और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के इस अधिनियम के भिन्न भिन्न निदेशों के लिए भिन्न भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

१—क—राज्य सरकार ऐसे अपवादों (exceptions) या परिष्कारों (modifications) के साथ जिनसे कोई मौलिक अन्तर न पड़ता

हो और जो वस्तु-स्थिति के अनुसार अपेक्षित हों, यह पूरा अधिनियम या इसका कोई निदेश गजट में विज्ञप्ति द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों या आस्थानों में प्रसारित कर सकती है :—

(क) यूनाइटेड प्राविंसेज़ टेनेंसी ऐक्ट, १९३९, की प्रथम अनुसूची (schedule) में दिये क्षेत्र,

(ख) बनारस ज़िले का परगना कसवार राजा,

(ग) कोई क्षेत्र जो ३० नवम्बर, १९४९ ई० को निम्नलिखित के अन्तर्गत रहा हो :—

(१) बनारस स्टेट (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९, में दी हुई परिभाषा के अनुसार बनारस स्टेट।

(२) रामपुर (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९, में दी हुई परिभाषा के अनुसार रामपुर स्टेट।

(३) टेहरी-गढ़वाल (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९, में दी हुई परिभाषा के अनुसार टेहरी गढ़वाल।

(४) प्राविंसेज़ ऐण्ड स्टेट्स (एब्सार्पशन आफ़ एन्क्लेव्ज़) आर्डर, १९५० में दी हुई "एन्क्लेव्ज़" की परिभाषा में आने वाले ऐसे एन्क्लेव्ज़ (अन्तरक्षेत्र) जो उक्त आर्डर के अनुसार उत्तर प्रदेश में अन्तर्भूत हो गये हों।

(घ) देहरादून ज़िले का परगना जौनसार बावर और मिर्ज़ापुर ज़िले के कैमूर श्रेणी के दक्षिण के क्षेत्र।

परिभाषाएं।

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस (विधान) अधिनियम में—

(क) "कृषि-क्षेत्र" (ऐग्रीकल्चरल एरिया) का तात्पर्य किसी नागर-क्षेत्र (अर्बन एरिया) के सम्बन्ध में उस क्षेत्र से है जो ऐसे दिनांक को ध्यान में रखते हुए जिसे इस सम्बन्ध में (प्रान्तीय) राज्य सरकार विज्ञापित कर दे निम्नलिखित में से किसी के खाते के अन्तर्गत हो और जो उसके काश्तकार (या) माफ़ीदार या बाग़दार द्वारा कृषि या उद्यानकरण के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाया जाता हो।

(१) स्थिर दर का काश्तकार (फ़िक्स्ड रेट टेनेंट),

(२) साक़ितुल मिल्कियत काश्तकार (एक्स-प्रोप्राइटरी टेनेण्ट),

(३) दख़ीलकार काश्तकार (आक्युपेंसी टेनेण्ट),

(४) अवध में विशेष शर्तों वाला काश्तकार (टेनेंट होल्डिंग आन स्पेशल टर्म्स इन अवध),

(५) माफ़ीदार (रेण्टफ्री ग्रान्टी),

(६) काश्तकार रियायती लगान (ग्राण्टी ऐट ए फ़ेवरेबिल रेट आफ़ रेंट), या

(७) मौरूसी काश्तकार (हेरिडेटरी टेनेंण्ट) [और "अकृषि-क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो कृषि क्षेत्र न हो], या

(८) बाग़दार,

(९) यूनाइटेड प्राविंसेज़ टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा ४७ की उपधारा (४) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी भूमि जिस पर यूनाइटेड प्राविंसेज़ टेनेंसी ऐक्ट, १९३९, की धारा ३ में दी हुई "उन्नति" की परिभाषा में न आने वाले भवन स्थित हों और उनसे मिली हुई भूमि कृषि क्षेत्र में सम्मिलित न की जायगी।

स्पष्टीकरण १—ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जो सीर हो और काश्तकार के पास पट्टा दवामी या इस्तमरारी पर हो, इस विधान के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायगा कि वह ऐसे काश्तकार के पास उस भूमि के मौरूसी काश्तकार के नाते रही है।

स्पष्टीकरण २—ऐसी कोई भूमि में जो किसी काश्तकार के कब्जे में हो और जो ऐसे मध्यवर्ती की सीर अभिलिखित हो जिस पर ३० जून, १९५२ ई०, को उत्तर प्रदेश में २५० रु० से अधिक वार्षिक मालगुजारी लगी थी, और यदि मालगुजारी नहीं लगी थी तो इतना स्थानिक-कर (local rate) लगा था जो २५० रु० से अधिक की मालगुजारी पर देय था और वह मध्यवर्ती स्त्री, अवयस्क, पागल, जड़ (idiot) अन्धेपन या शारीरिक दुर्बलता (physical infirmity) के कारण खेती करने में असमर्थ हो अथवा भारतीय संघ की सैनिक, नौसैनिक या वैमानिक सेना में नौकर न हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायगा कि वह ऐसे काश्तकार के पास उस भूमि के मौरूसी काश्तकार के नाते रही है।

स्पष्टीकरण ३—माल अभिलेखों में चालू परती (current fallow) के रूप में दिखायी गयी भूमि के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह कृषि के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लायी जाती है।

(ख) "प्रतिकर कमिश्नर" का तात्पर्य धारा (५२) ४९ के अधीन नियुक्त प्रतिकर कमिश्नर से है।

(ग) "प्रतिकर अधिकारी" का तात्पर्य धारा (५२) ४९ के अधीन नियुक्त प्रतिकर अधिकारी से है।

(घ) "डिक्री" का वही अर्थ है जो उसे सिविल प्रोसीड्योर कोड, १९०८ द्वारा दिया गया है। ऐक्ट ५, १९०८।

(ङ) "परिच्छेद कमिश्नर" और "परिच्छेद अधिकारी" का तात्पर्य धारा (५२) ४९ के अधीन नियुक्त क्रमशः परिच्छेद कमिश्नर और परिच्छेद अधिकारी से है।

(च) "मध्यवर्ती" का तात्पर्य किसी कृषि-क्षेत्र के सम्बन्ध में ऐसे क्षेत्र या उसके भाग के स्वामी (प्रोप्राइटर), मातहतदार (अंडर प्रोप्राइटर), अदना मालिक (सब प्रोप्राइटर), ठेकेदार अवध में पट्टेदार इस्तमरारी (पर्मानेंट लेसी इन अवध) और दवामी काश्तकार (पर्मानेंट टेन्यूर होल्डर) से है।

ऐक्ट ५, १९०८। (छ) "विधिक प्रतिनिधि" का वही अर्थ है जो उसे कोड आफ़ सिविल प्रोसीड्योर, १९०८, में दिया गया है।

(ज) "नियत" का तात्पर्य इस विधान के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है।

(झ) "पिछली कृषि-वर्ष" (प्रीविपस ऐग्रीकल्चरल इयर) का तात्पर्य उस कृषि-वर्ष से है, जो उस कृषि-वर्ष से ठीक पहले हो, जिसमें स्वत्वाधिकार का दिनांक पड़ता हो।

(ञ) "स्वामी" (प्रोप्राइटर) का तात्पर्य किसी कृषि-क्षेत्र के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार, [प्रान्तीय] "राज्य" सरकार तथा स्थानिक अधिकारीकी (लोकल अथारिटी) को छोड़ कर ऐसे व्यक्ति से है, जो ब्यासी के रूप में (इंटरेस्ट) या अपने ही लाभ के लिये किसी कृषि-क्षेत्र में स्वामित्व रखता हो और "स्वामी" के अन्तर्गत स्वामी के दाय के उत्तराधिकारी (एअर) और स्वत्व के उत्तराधिकारी (सक्सेसर इन इन्टरेस्ट) है।

(ट) "[प्रान्तीय] राज्य सरकार" का तात्पर्य [संयुक्त प्रान्त] उत्तर प्रदेश की सरकार से है और "केन्द्रीय सरकार" का अर्थ वही होगा जो जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १८९७, में दिया गया है।

सं० प्रा० ऐक्ट २, १९१६। सं० प्रा० ऐक्ट २, १९१४ ऐक्ट २, १९२४। (ठ) "नागर-क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो ७वीं जुलाई, १९४९, ई० को यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६, ई० के अधीन म्युनिसिपैलिटी या नोटिफ़ाइड एरिया अथवा यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४, के अधीन टाउन एरिया अथवा कैंटूनमेंट ऐक्ट, १९२४, के निदेशों के अधीन कैण्टूनमेंट था [सिवाय उनके जो ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जहां यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेंसी ऐक्ट, १९३९, लागू नहीं होता]।

सं० प्रा० ऐक्ट १७, १९३९। (ड) इस विधान में प्रयुक्त हिन्दी के उन शब्दों और पदों का जिनकी परिभाषा इसमें नहीं दी है पर जिनके अंग्रेजी पर्याय यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेंसी ऐक्ट, १९३९, में प्रयुक्त हुए हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त विधान में उन अंग्रेजी पर्यायों को दिया गया है।

(ढ) इस विधान में प्रयुक्त उन हिन्दी शब्दों और पदों का जिनकी परिभाषा इस विधान में नहीं दी है और न जिनके अंग्रेजी पर्यायों की परिभाषा यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेंसी ऐक्ट, १९३९, में दी है पर जिनके अंग्रेजी पर्याय यूनाइटेड प्राविंसेज लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, में प्रयुक्त हुए हैं, वही अर्थ होगा, जो उक्त विधान में उन अंग्रेजी पर्यायों को दिया गया है। सं० प्रा० ऐक्ट १७ १९३९। सं० प्रा० ऐक्ट ३, १९०१।

अध्याय २

कृषि-क्षेत्रों का परिच्छेद

(डिमार्केशन आफ़ ऐग्रीकल्चरल एरियाज)

कृषि-क्षेत्रों के परिच्छेद की आज्ञा देने का अधिकार।

३—(१) नागर क्षेत्रों (अर्बन एरियाज) में मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व को इस अधिनियम [विधान] के निदेशों के अधीन हस्तगत करने के अभिप्राय से राज्य [प्रान्तीय] सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निदेश कर सकती है कि किसी नागर क्षेत्र में स्थित कृषि क्षेत्रों का परिच्छेद कर दिया जाय [ऐसी रीति से और ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो नियत कर दिये जायं, नागर-क्षेत्रों का परिच्छेद कृषि-क्षेत्रों और अकृषि-क्षेत्रों में कर दिया जाय।]

(२) उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के बाद यथाशीघ्र परिच्छेद अधिकारी नियत रीति से जांच करेगा तथा नागर क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों को अवधारित करेगा और उनका परिच्छेद करेगा। [उसके बाद यथाशीघ्र परिच्छेद अधिकारी (डिमार्केशन आफ़िसर), नागर क्षेत्र के पर्यालोकन में प्रवृत्त होगा (शैल प्रोसीड टु सर्वे) और तत्सम्बन्धी स्थानिक अधिकारकी (लोकल अथारिटी) से परामर्श करने के बाद पूर्वोक्त परिच्छेद के लिये अपने प्रस्ताव निर्मित करेगा (शैल फ्रेम हिज प्रोपोजल्स।]

प्राथमिक प्रस्तावों का प्रकाशन और उनके विरुद्ध आपत्तियां।

४—(१) धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई हुई अवधि के भीतर, जिसे [प्रान्तीय] राज्य सरकार निश्चित करदे, परिच्छेद अधिकारी कारणों सहित अपने प्रस्तावों का परिच्छेद कमिश्नर (डिमार्केशन कमिश्नर) के सम्मुख प्रस्तुत करेगा; परिच्छेद कमिश्नर उसमें ऐसे परिष्कार कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(२) उक्त प्रस्तावों पर विचार करने के बाद परिच्छेद कमिश्नर नियत रूप में गजट में तथा ऐसी अन्य रीति से जो इस सम्बन्ध में नियत की जाय, एक नोटिस प्रकाशित करेगा कि कृषि क्षेत्रों के परिच्छेद के सम्बन्ध में प्रस्ताव बना दिये गये हैं और उनका निरीक्षण उक्त नोटिस में निर्दिष्ट स्थानों में किया जा सकता है (उसके बाद परिच्छेद कमिश्नर गजट में, तथा अन्य ऐसी रीति से, जो नियत कर दी जाय, उक्त

प्रस्तावों को उपधारा (३) के अधीन परिष्कृत रूप में एक ऐसे रेखा चित्र के साथ, जिसमें कृषि-क्षेत्रों और कृषि-क्षेत्रों का परिच्छेद दिखलाया गया हो, प्रकाशित करेगा।]

(३) स्वत्व रखने वाला कोई भी व्यक्ति या स्वत्व रखने वाली स्थानिक अधिकारिकी (लोकल अथारिटी) उपधारा (२) में प्रकाशन के दिनांक के एक मास के भीतर [दिये दिनांक पर, या उसके पहले,] उक्त प्रस्ताव [प्रस्तावों] के विरुद्ध नियत रीति से आपत्ति (आब्जेक्शन) प्रस्तुत कर सकती है।

अन्तिम परिच्छेद।

५—(१) धारा ४ की उपधारा (२) में उल्लिखित एक मास की अवधि [के अधीन प्रकाशित विज्ञप्ति में दिये दिनांक] की समाप्ति के बाद परिच्छेद कमिश्नर आपत्तियों[पर] का नियत रीति से निर्णय करेगा और तब [विचार कर लेने के बाद] कृषि-क्षेत्रों [और अकृषि-क्षेत्रों] का अन्तिम रूप से परिच्छेद कर देगा।

[(२) इस प्रकार किया गया परिच्छेद गजट में या ऐसी अन्य रीति से, जो नियत की जाय, प्रकाशित किया जायगा।]

(३) उपधारा (१) के अधीन अन्तिम रूप से कृषि-क्षेत्र का परिच्छेद करने के बाद परिच्छेद कमिश्नर एक नोटिस गजट में तथा ऐसी अन्य रीति से जो इस सम्बन्ध में नियत की जाय, प्रकाशित करेगा कि कृषि क्षेत्रों का अन्तिम रूप से परिच्छेद कर दिया गया है और उनके ब्योरों का निरीक्षण नोटिस में निर्दिष्ट स्थानों में किया जा सकता है। [इस प्रकार प्रकाशित परिच्छेद अन्तिम और निश्चायक होगा तथा उस पर किसी न्यायालय में कोई आक्षेप न किया जा सकेगा।]

५—क—धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन दी गयी परिच्छेद कमिश्नर की आज्ञाओं के विरुद्ध अपील माल बोर्ड को की जायगी।

अधिकार-अभिलेखों का पुनरीक्षण।

६—यदि [प्रान्तीय] राज्य सरकार किसी नागर क्षेत्र के विषय में ऐसा करना आवश्यक समझे, तो वह आज्ञा द्वारा निर्देश कर सकती है कि यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, के निदेशों के अनुसार ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में अधिकार (अभिलेख रिकार्ड आफ राइट्स) तैयार या पुनरीक्षित (रिवाइज्ड) किये जांय।

अध्याय ३

मध्यवर्तियों के अधिकारों का हस्तगत किया जाना और उसके परिणाम

कृषि क्षेत्रों का [महामहिम] राज्य के अधिकार में आना।

७—धारा ५ [६] के अधीन कृषि-क्षेत्र का परिच्छेद हो जाने के बाद (प्रान्तीय) राज्य सरकार किसी समय भी विज्ञप्ति द्वारा यह प्रख्यापित कर सकती है कि निर्दिष्ट किये जाने वाले नागर क्षेत्र में स्थित ऐसे सब क्षेत्र, उस दिनांक से, जो निर्दिष्ट किया जाय, [महामहिम] राज्य

के स्वत्वाधिकार में आ जायेंगे और इस प्रकार निर्दिष्ट दिनांक से (जिसे आगे चल कर स्वत्वाधिकार का दिनांक कहा गया है) ऐसे सब कृषि क्षेत्र सब भारों से मुक्त (फ्री फ्राम आल इन्कम्ब्रेंसेज) [इस प्रान्त के प्रयोजनों के लिये महामहिम] राज्य को हस्तान्तरित होकर उनके स्वत्वाधिकार में, उस दशा को छोड़ कर जिसकी आगे व्यवस्था की गयी है, आ जायेंगे।

विज्ञप्ति का गजट में प्रकाशित किया जाना।

८—धारा ७ में अभिदिष्ट विज्ञप्ति गजट में [तथा ऐसे अन्य प्रकार से, जो नियत किया जाय] प्रकाशित की जायगी और इस प्रकार का प्रकाशन इस बात का निश्चायक प्रमाण होगा कि उसका यथावत् प्रकाशन हो गया है।

[किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गजट में विज्ञप्ति का हिन्दी में प्रकाशन इस बात का निश्चायक प्रमाण (कन्क्लूसिव प्रूफ) होगा कि उसका यथावत् (ड्यू) प्रकाशन हो गया है।]

स्वत्वाधिकार के परिणाम।

९—जब किसी कृषि-क्षेत्र के विषय में धारा ७ के अधीन गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाय, [तब] किसी संविदा (कान्ट्रैक्ट) लेख्य (डाकुमेंट) या उस समय प्रचलित किसी अन्य विधि (एनी अदर ला फ़ार दि टाइम बीइंग इन फ़ोर्स) में किसी बात के रहते हुए भी और इस [विधान] अधिनियम में किसी भिन्न व्यवस्था के न होने पर [सेव ऐज अदरवाइज प्रोवाइडिड इन दिस ऐक्ट] स्वत्वाधिकार के दिनांक के प्रारम्भ से ऐसे क्षेत्र में आगे लिखे परिणाम उत्पन्न होंगे :

(क) ऐसे क्षेत्रों के अन्तर्गत खानों और खनिज पदार्थों तथा भूमि के नीचे यदि कोई अधिकार हों, तो उनके सहित, मध्यवर्तियों के सब अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे, और सब भारों से मुक्त होकर राज्य [प्रान्त के प्रयोजनों के लिये महामहिम] के स्वत्वाधिकार में आ जायेंगे;

(ख) इस प्रकार हस्तगत किये गये क्षेत्र के, तथा ऐसे क्षेत्र या उसकी मालगुजारी से सम्बन्ध रखने वाले अधिकारों और विशेषाधिकारों के सभी अनुदान और आगम के पुष्टीकरण, चाहें वे वापस लिये जा सकते हों या नहीं, समाप्त हो जायेंगे;

(ग) (१) इस प्रकार हस्तगत किये गये क्षेत्र से संबंध रखने वाले ऐसे सभी लगान (रेंट्स), अबवाब (सेस), स्थानिक-कर (लोकल रेट्स) और सायर, जो स्वत्वाधिकार के दिनांक के बाद के हों और जो उक्त क्षेत्र के हस्तगत न किये जाने की दशा में मध्यवर्ती को देय होते, [प्रान्तीय] राज्य सरकार के स्वत्वाधिकार में आ जायेंगे और उसको देय होंगे, न कि मध्यवर्ती को, और यदि इस खंड के निदेश के विपरीत कुछ दिया जाय तो देने वाला अपने दायित्व से वैध रूप से मुक्त न होगा।

"(ग) (२) यदि स्वत्वाधिकार के दिनांक से पूर्व किये गये किसी अनुबन्ध या संविदा के अधीन कोई लगान, अबवाब या स्थानिक कर उक्त दिनांक के बाद किसी अवधि के लिये किसी मध्यवर्ती को दिया गया हो या उसके द्वारा अभिसंधित या अभित्यक्त (रिलीज्ड) हुआ हो तो ऐसे अनुबन्ध या संविदा के रहते हुए भी उक्त लगान, अबवाब या स्थानिक कर राज्य सरकार द्वारा ऐसे मध्यवर्ती से वसूल किये जाने योग्य होंगे, और वसूली के अन्य ढंगों को बाधित न करते हुए ऐसे मध्यवर्ती को अध्याय ४ के अधीन मिलने वाले प्रतिकर की धनराशि में से काट कर वसूल किये जा सकेंगे।"

(घ) इस प्रकार हस्तगत किये गये क्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाली सभी मालगुजारी (रेवेन्यू), अबवाब (सेस) या अन्य देयों की सब बक़ाया, जो मध्यवर्ती से स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले के किसी समय के लिये प्राप्य हो, ऐसे मध्यवर्ती से वसूल की जाने योग्य रहेगी और वसूली के अन्य ढंगों को बाधित न करते हुए (विदआउट प्रेजुडिस टू एनी अदर मोड आफ़ रिकवरी) ऐसे मध्यवर्ती को अध्याय ४ के अधीन मिलने वाले प्रतिकर की धनराशि से काट कर वसूल की जा सकेगी;

सं० प्रा० ऐक्ट २५, १९३४।

"(घघ) ऐसी सब धनराशियां जिनकी राज्य सरकार को, अदायगी के लिए मध्यवर्ती को, यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४, की धारा २७ तथा २८ के अधीन आज्ञा दी गयी हो, और ऐसी सब धनराशियां जिनका वह लैंड इम्प्रूवमेंट लोंस ऐक्ट, १८८३ या ऐग्रीकल्चरिस्ट्स लोंस ऐक्ट, १८८४, के अधीन देनदार हो, उक्त विधानों में किसी बात के रहते हुये भी तुरन्त देय हो जायंगी और वसूली के अन्य ढंगों को जिनकी व्यवस्था उक्त प्रयोजन के लिये की गयी हो, बाधित न करते हुए ऐसे मध्यवर्ती को अध्याय ४ के अधीन मिलने वाले प्रतिकर की धनराशि में से हटाकर वसूल की जायगी।"

(ङ) इस प्रकार हस्तगत किये गये क्षेत्र में मध्यवर्ती का हस्तगत किया गया स्वत्व किसी दीवानी या माल (सिविल और रेवेन्यू) न्यायालय की किसी डिक्री या अन्य प्रसर (प्रोसेस) के निष्पादन (एक्सिक्युशन) में कुर्क या नीलाम न हो सकेगा और स्वत्वाधिकार के दिनांक पर वर्तमान (एक्सिस्टिंग) प्रत्येक क़ुर्की और उस दिनांक के पहले दी गयी क़ुर्की की आज्ञा ट्रांस्फ़र आफ़ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२, की धारा ७३ के निदेशों (प्राविजन्स) को बाधित न करते हुए, ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में निष्प्रभाव हो जायगी;

(च) (१) ऐसा प्रत्येक भोगबन्धक (मार्गेज विद पज़ेशन) जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर इस प्रकार हस्तगत किये गये किसी क्षेत्र या उसके किसी भाग पर हो, धारा ७ के निदेशों के अधीन [प्रान्तीय] राज्य सरकार के अधिकारों को बाधित न करते हुए, उस धनराशि के लिये, जो इस प्रकार हस्तगत क्षेत्र या उसके भाग पर सुरक्षित हो, दृष्टिबन्धक (सिम्पिल मार्गेजी) में परिवर्तित (सब्स्टीटयूटेड) समझा जायगा;

(२) बन्धक-पत्र (मार्गेज डीड) या किसी दूसरे अनुबन्ध (ऐग्रीमेंट) में किसी बात के रहते हुए भी उपखंड (१) के अनुसार परिवर्तित दृष्टिबन्धक के सम्बन्ध में प्रख्यापित धनराशि पर ब्याज ऐसी दर से और ऐसे दिनांक से चलेगा, जो नियत किये जायं;

(छ) किसी ऐसे रुपये के लिये जो इस प्रकार हस्तगत किये गये किसी क्षेत्र या उसके भाग के बन्धक से सुरक्षित (सिक्योर्ड) हो या उस पर भाररूप (चार्ज्ड) हो, कोई दावा (क्लेम) जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले मध्यवर्ती के विरुद्ध किया जा सकता हो या दायित्व जो उसने स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले उपगत (इन्कर्ड) किया हो, ट्रांस्फ़र आफ़ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२, की धारा ७३ में दी हुई रीति से भिन्न किसी रीति से, उक्त क्षेत्र में उसके स्वत्व के विरुद्ध व्यवहार में न लाया जा सकेगा (शैल नाट बी इन्फ़ोर्सेबिल);

(ज) नियत किये जाने वाले प्रकार के ऐसे सब वाद (सूट्स) और व्यवहार (प्रोसीडिंग्ज़) जो किसी न्यायालय में स्वत्वाधिकार के दिनांक पर विचाराधीन (पेंडिंग) हों [और स्वत्वाधिकार के दिनांक पर विचाराधीन (पेंडिंग) हों] और स्वत्वाधिकार के दिनांक से पूर्व ऐसे किसी वाद या व्यवहार में हुई डिक्री या आज्ञा से सम्बन्ध रखनेवाली सब कार्यवाहियां स्थगित कर दी जायंगी (शैल बी स्टेड);

(झ) प्रत्येक ठेका, वहां तक जहां तक उसका सम्बन्ध ऐसे क्षेत्र से हो, निष्प्रभाव हो जायगा।

कुछ अधिकारों के संबंध में अपवाद।

१०—स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले की लगान (रेंट), अबवाब (सेस), सायर या अन्य देयों की बक़ाया (एरियर्स) की वसूली के अधिकार पर, इस अध्याय में कही गयी किसी बात का प्रभाव न होगा और उक्त बक़ाया, इस अधिनियम [विधान] में किसी बात के रहते हुए भी, पहले की तरह, ऐसे व्यक्ति के द्वारा वसूल की जा सकेगी, जो उसका अधिकारी हो।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि लगान की बकाया की कोई डिक्री या लगान की बक़ाया न देने के कारण बेदखली की आज्ञा किसी खाते से वाद-ऋणी (जजमेंट डेटर) की बेदखली अथवा उसके विक्रय द्वारा निष्पादित (एक्सिक्युटेड) नहीं की जायगी,

और यह भी प्रतिबन्ध है कि जिस मध्यवर्ती का ऐसे क्षेत्र में, जिसके विषय में बक़ाया देय है, स्वत्व इस अधिनियम [विधान] के निदेशों के अधीन हस्तगत कर लिया गया हो, उसके द्वारा देय लगान, अबवाब, स्थानिक कर, सायर या पूर्वोक्त अन्य देय उसे मिलने वाले प्रतिकर में से वसूल किये या चुकाये जा सकते हैं और पाने वाले व्यक्ति को वसूली के दूसरे साधनों के अतिरिक्त यह साधन भी प्राप्त रहेगा।

खाते की भूमि का उसके काश्तकार के साथ बन्दोबस्त होना।

११—ऐसे कृषि क्षेत्र या उसके भाग के विषय में जो स्वत्वाधिकार के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर किसी व्यक्ति के पास नीचे लिखे नाते हो या रहा समझा जाय, यह समझा जायगा कि उसका बन्दोबस्त [प्रान्तीय] राज्य सरकार ने उस व्यक्ति के साथ कर दिया है और उस व्यक्ति को अधिकार होगा कि उक्त क्षेत्र इसी नाते [प्रान्तीय] राज्य सरकार की ओर से अपने पास रखे :—

(१) स्थिर दर का काश्तकार (फ़िक्स्ड रेट टेनेंट)
(२) साक़ितुलमिल्कियत काश्तकार (एक्स-प्रोप्राइटरी टेनेंट)
(३) दख़ीलकार काश्तकार (आकुपेंसी टेनेंट)
(क) अवध में विशेष शर्तों वाला काश्तकार
(ख) माफ़ीदार
(४) मौरूसी काश्तकार (हेरिडिटरी टेनेंट)
(५) काश्तकार रियायती (ग्राण्टी ऐट फ़ेबरेबिल रेंट आफ़ रेंट)
(६) बाग़दार
(७) यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट १९३९ ई०, की धारा ४७ की उप-धारा (४) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार।

१ जुलाई, १९४८, को या उसके बाद हुए लगान का परिवर्तन का न माना जाना।

१२—यद्यपि इस अधिनियम [विधान] के अधीन हस्तगत किये गये क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भूमि के सम्बन्ध में १ जुलाई, १९४८ ई०, को या उसके बाद किसी मध्यवर्ती या किसी काश्तकार द्वारा या उसकी ओर से कोई संविदा (का ट्रैक्ट) की गयी हो या कोई बात की गयी या होने दी गयी हो तब भी उस भूमि के सम्बन्ध में स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर काश्तकार द्वारा देय लगान उस लगान के बराबर समझा जायगा जिसका वह काश्तकार या उसका पूर्वाधिकारी (प्रिडिसेसर-इन-टाइटिल) देनदार रहा हो और यदि उक्त दिनांक के बाद किसी न्यायालय की डिक्री या आज्ञा के अतिरिक्त किसी और प्रकार से कोई कमी हो या छूट मिले, तो उस पर विचार नहीं किया जायगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त डिक्री या आज्ञा के अनुसार कम किया हुआ लगान उपर्युक्त सर्किल रेट के अनुसार लगाये गये लगान से कम हो तो इस प्रकार लगाया गया लगान ही देय लगान होगा।

कलेक्टर द्वारा कृषि-क्षेत्रों का अवधान में ले लिया जाना।

१३—धारा ७ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर, कलेक्टर या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में, नियुक्त किसी अधिकारी के लिए यह वैध (लाफुल) होगा कि वह—

(क) इस अधिनियम [विधान] के अधीन हस्तगत किया गया क्षेत्र या क्षेत्र का कोई भाग, जो इस अध्याय के निदेशों के अधीन राज्य [महामहिम] के स्वत्वाधिकार में आ गया हो अपने अवधान (चार्ज) में ले ले और ऐसे कार्य करे या कराये, और ऐसा बल प्रयोग करे या कराये जो कलेक्टर या उक्त प्रकार से नियुक्त अधिकारी के मतानुसार इस प्रयोजन के लिये आवश्यक हो ;

(ख) इस अध्याय के निदेशों के अनुसार हस्तगत किये गये क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भूमि, इमारत या दूसरे स्थान में प्रवेश कर और उसका पर्यालोकन (सर्वे) या पैमाइश (मेजरमेंट) करें या कोई दूसरा ऐसा कार्य करे, जो उसके विचार में इस अधिनियम [विधान] (ऐक्ट) के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो;

(ग) किसी व्यक्ति के इस प्रकार हस्तगत किये गये क्षेत्र या उसके भाग से सम्बन्ध (रिलेटिंग टु) वही (बुक्स), हिसाब (एकाउंट्स), या अन्य लेख्य (डाकुमेंट्स) निर्दिष्ट (स्पेसिफ़ाइड) अधिकारी के सामने प्रस्तुत करने की, और ऐसे अधिकारी को ऐसी और सूचना जो निर्दिष्ट की जाय या मांगी जाय, देने की आज्ञा दे; और

(घ) यदि बही, हिसाब और अन्य लेख्य आज्ञा के अनुसार प्रस्तुत न किये जायं, तो किसी भूमि, इमारत या दूसरे स्थान में प्रवेश करे और ऐसी बही, हिसाब तथा दूसरे लेख्य लेकर अपने क़ब्ज़े में कर ले।

अध्याय ४

प्रतिकर का निर्धारण

उसके स्वत्व हस्तगत किये जाने के लिए मध्यवर्ती का प्रतिकर पाने का अधिकारी होना।

१४—प्रत्येक मध्यवर्ती, जिसका किसी कृषि-क्षेत्र में निहित अधिकार (राइट), आगम (टाइटिल), या स्वत्व (इन्टरेस्ट) इस विधान के निदेशों के अधीन हस्तगत कर लिया जाय, आगे की गयी व्यवस्था के अनुसार प्रतिकर पाने का अधिकारी होगा और उसको प्रतिकर दिया जायगा।

प्रतिकर देय होने का दिनांक।

१५—(१) प्रतिकर स्वत्वाधिकार के दिनांक से देय हो जायगा, किन्तु यह बात उसको मात्रा के अवधारण पर उपाश्रित रहेगी,

(२) इस प्रकार अवधारित मात्रा पर [प्रान्तीय] राज्य सरकार स्वत्वाधिकार के दिनांक से—[अवधारण के दिनांक (डेट आफ़ डिटरमेशन) तक २ १।२ प्रतिशत ब्याज प्रति वर्ष देगी।]

(१) नक़द दी जाने वाली धनराशि के विषय में, अवधारण के दिनांक तक,

(२) बन्धों के रूप में दी जाने वाली धनराशि के विषय में, बन्धों के निष्क्रय के दिनांक तक २ १/।२ प्रतिशत ब्याज प्रतिवर्ष देगी।

अन्तरिम प्रतिकर।

१६—(१) [प्रान्तीय] राज्य सरकार ऐसी मात्रा में और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, अन्तरिम (इन्टरिम) प्रतिकर देने का निर्देश कर सकती है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि स्वत्वाधिकार के दिनांक से नौ मास के भीतर मध्यवर्ती को देय प्रतिकर इस अधिनियम [विधान] के निदेशों के अनुसार अवधारित न किया जाय, तो मध्यवर्ती की प्रार्थना पर [प्रान्तीय] राज्य सरकार को उसे ऐसा अन्तरिम प्रतिकर दिये जाने का निर्देश करना होगा।

(२) यदि इस प्रकार हस्तगत किये गये किसी क्षेत्र या उसके किसी भाग में किसी मध्यवर्ती के अधिकार, आगम और स्वत्व के विषय में कोई व्यक्ति विवाद करता हो (डिस्प्यूट्स), तो ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में दिया जाने वाला अन्तरिम प्रतिकर ऐसी रीति से, ऐसे व्यक्ति को, और ऐसे प्रतिबन्धों और निरोधों (रेस्ट्रिक्शन्स) के अधीन जो जमानत, वापसी या दूसरी बातों के विषय में नियत किये जायं, दिया जायगा।

अन्तरिम प्रतिकर का संधान।

१७—धारा [१८] १६ के अधीन दिया गया अन्तरिम प्रतिकर इस अधिनियम [विधान] के अधीन देय प्रतिकर का भाग समझा जायगा और उसी में से काट कर संधानित (एडजेस्टेड) कर दिया जायगा।

प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान की प्रक्रिया।

१८—प्रतिकर निर्धारण से, तथा प्रतिकर पाने के अधिकारी मध्यवर्ती को उसके भुगतान से सम्बन्ध रखने वाले सब व्यवहार ऐसे प्रतिकर अधिकारी के सामने होंगे, जिसके अधिक्षेत्र में हस्तगत किया गया कृषि-क्षेत्र स्थित हो।

प्रतिकर निर्धारण तालिका।

१९—प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान के लिए प्रतिकर अधिकारी एक ऐसी प्रतिकर निर्धारण तालिका (कम्पेंसेशन एसेसमेंट रोल) तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित बातें दिखायी जायेंगी:—

(क) उक्त कृषि-क्षेत्र की प्रत्येक मध्यवर्ती से सम्बन्ध रखने वाली कच्ची और पक्की निकासी (ग्रौस असेट्स ऐंड नेट असेट्स),

(ख) स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले के किसी काल के लिए उक्त क्षेत्र के सम्बन्ध में मध्यवर्ती द्वारा देय लगान, मालगुजारी, अबवाब, तथा अन्य देयों (ड्यूज) की बक़ाया,

(ग) प्रत्येक मध्यवर्ती द्वारा उक्त क्षेत्र में उसके अंश या स्वत्व के सम्बन्ध में पिछले कृषि वर्ष में देय मालगुजारी, और

(घ) ऐसे दूसरे ब्योरे जो नियत किये जायं।

प्रतिकर निर्धारण तालिका पर प्रतिकर अधिकारी के हस्ताक्षर होना।

२०—धारा ९ के अधीन तैयार की गयी प्रतिकर निर्धारण तालिका पर प्रतिकर अधिकारी (कम्पेंसेशन आफ़िसर) के हस्ताक्षर होंगे और उक्त तालिका उन बातों के प्रमाण में जो उसमें लिखी हों, ग्राह्य होगी।

२१—उस दशा को छोड़ कर, जिसकी व्यवस्था धारा २८ में की गयी है, यूनाइटेड प्राविंसेज लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के निदेशों के अधीन तैयार किये गये या पुनराक्षित (रिवाइज्ड) अधिकार-अभिलेखों (रेकार्ड आफ राइट्स) में पिछले कृषि-वर्ष के प्रत्येक इन्दराज के विषय में, इस विधान के अधीन प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायगा कि वे उससे सम्बन्ध रखने वाले क्षेत्र में प्रत्येक मध्यवर्ती के अधिकार आगम और स्वत्व (राइट, टाइटिल, ऐंड इण्टरेस्ट) को ठीक-ठीक व्यक्त करते हैं। अधिकार-अभिलेखों के इन्दराजों के सम्बन्ध में परिकल्पना (प्रीज़म्पशंस)।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि धारा ६ के, या यूनाइटेड प्राविंसेज लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के, निर्देशों के अधीन या किसी न्यायालय की डिक्री या आज्ञा के परिणामस्वरूप अधिकार-अभिलेखों (रेकार्ड आफ राइट्स) में किये गये किसी परिष्कार (माडिफ़िकेशन), परिवर्तन (आल्टरेशन) अथवा संशोधन (करेक्शन) पर, चाहे वह स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले हुआ हो या बाद में, प्रतिकर अधिकारी ध्यान रखेगा।]

२२—यूनाइटेड प्राविंसेज लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ या समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के रहते हुए भी यदि प्रतिकर अधिकारी को यह सन्तोष हो जाय कि [पिछले कृषि-वर्ष के] अधिकार-अभिलेख में कोई लेख या गणना की अशुद्धि (क्लरिकल और अरिथमेटिकल मिस्टेक) या ऐसी भूल है जो बिल्कुल प्रत्यक्ष हो (एरर अपेरेंट आन दि फ़ेस) तो वह स्वयं अथवा किसी स्वत्व रखने वाले व्यक्ति की प्रार्थना पर उसको शुद्ध कर सकता है। अधिकार- अभिलेखों में लेख या गणना की अशुद्धि का ठीक किया जाना।

२३—धारा [२१ और] २२ में कही गयी बात का प्रभाव किसी व्यक्ति के इस अधिकार पर नहीं होगा कि वह किसी अधिक्षेत्र प्राप्त न्यायालय में उचित विधिक व्यवहार (ड्यू प्रोसेस आफ़ ला) द्वारा इस विधान के अन्तर्गत हस्तगत किये गये किसी कृषि-क्षेत्र के सम्बन्ध में अपना स्वत्व स्थापित कर सके। दीवानी न्यायालय में स्वत्व स्थापित करने का अधिकार।

२४—किसी कृषि-क्षेत्र के सम्बन्ध में मध्यवर्ती की कच्ची निकासी (ग्रौस असेट्स) उक्त क्षेत्र में उसके अंश या स्वत्व से सम्बन्ध रखने वाली कुल कच्ची आय (ऐग्रिगेट ग्रोस इन्कम) होगी और उसमें [निम्नलिखित] का अन्तर्भाव होगा (शैल इन्क्लूड) (क)—) काश्तकारों, धारा (२) (क) में अभिदिष्ट माफ़ीदारों, या बाग़दारों, मातहतदारों (अन्डर प्रोप्राइटर्स), अदना मालिकों (सब-प्रोप्राइटर्स), दवामी काश्तकारों (पर्मनेंट टेन्योर होल्डर्स), [या] और अवध के दवामी पट्टेदारों (पर्मनेंट लेसीज़ इन अवध) द्वारा या उनकी ओर से देय अबवाबों और स्थानिक करों (लोकल रेट्स) सहित— कच्ची निकासी की गणना।

(१) नक़दी लगान, या

(२) यदि लगान जिन्सी है, या अंशतः नक़दी और अंशतः जिन्सी है, तो वह लगान जो यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ के निर्देशों के अनुसार लगाया जाय, और

(३) यदि लगान देय हो, किन्तु अवधारित न हुआ हो तो किसी मातहतदार, अदना मालिक और साक़ितुलमिल्कियत काश्तकारों के सम्बन्ध में साक़ितुलमिल्क़ियत दरों से अवधारित लगान और दूसरों के सम्बन्ध में मौरूसी दरों से अवधारित लगान [का अन्तर्गत होगा।]

[(ख) सायर, जिसके अन्तर्गत हाटों, बाज़ारों और मेलों की आय होगी और जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के बारह कृषि-वर्षों की उसी प्रकार की आय के जोड़ के बारहवें अंश के बराबर हो।]

ठेकेदार की कच्ची निकासी।

२५—जहां स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किसी कृषि क्षेत्र में मध्यवर्ती का स्वत्व या अंश किसी ठेकेदार के पास हो, वहां धारा २४ में दिये सिद्धान्तों के अनुसार लगायी जाने वाली उस ठेकेदार की कच्ची निकासी, चाहे वह मध्यवर्ती को देय न भी हो, ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में उस मध्यवर्ती की कच्ची निकासी समझी जायगी।

पक्की निकासी।

२६—प्रतिकर निर्धारण तालिका की तैयारी के प्रयोजनों के लिये किसी मध्यवर्ती की पक्की निकासी ऐसे मध्यवर्ती की कच्ची निकासी में से निम्नलिखित घटा कर निकाली जायगी—

(क) ऐसी धनराशि को नियत रीति से लगायी जाय और जो पिछले कृषि-वर्ष में उसके द्वारा [प्रान्तीय] राज्य सरकार या प्रवर क्षेत्रपति (सुपीरियर लैंड होल्डर) को क्षेत्र के सम्बन्ध में मालगुजारी या लगान तथा अबवाब या स्थानिक कर के निमित्त देय [थी] हो,

(ख) प्रबन्ध व्यय (कास्ट आफ़ मैनेजमेंट) और लगान की ऐसी बक़ाया जो वसूल न हो सकती हो, दोनों मिल कर कच्ची निकासी से १५ प्रतिशत के बराबर,

(ग) ऐसी धनराशि, यदि कोई हो, जो मध्यवर्ती द्वारा उस क्षेत्र के सम्बन्ध में नियत रीति से लगायी गयी कृषि-आय-कर के कारण पिछले कृषि वर्ष के लिये भुगतान की गयी है या की जाने वाली है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसी मालगुजारी, जो [महामहिम (हिज मैजेस्टी) या प्रान्तीय राज्य सरकार या किसी दूसरे समर्थ अधिकारिक (कम्पीटेंट अथारिटी) द्वारा या उसकी ओर से दिये गये अनुदान (ग्रांट) या किये गये पुष्टिकरण (कन्फरमेशन) के कारण अभ्यर्पित (एसाइण्ड) अभित्यक्त (रिलीज्ड), अभिसंधित (कम्पाउंडेड) या निष्क्रीय (रिडीम्ड) की गयी हो, [प्रान्तीय] राज्य सरकार को देय मालगुजारी नहीं समझी जायगी।

मातहतदारों, अदना मालिकों, दवामी काश्तकारों और

२७—ऐसे स्वामियों पर, जिन्हें यूनाइटेड प्राविंसेज लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ७८ लागू होती है या जिन्हें मालगुजारी अभ्यर्पित है और जिनके नाम उक्त अधिनियम की धारा ३२ के खंड (ए) से (डी)

तक के अनुसार रक्खे गये अधिकार अभिलेखों में दर्ज हैं, मातहतदारों (अन्डर प्रोप्राइटर्स), अदना मालिकों (सब-प्रोप्राइटर्स), दवामी काश्तकारों (पर्मानेंट टेन्योर होल्डर्स) और अवध के दवामी पट्टेदारों (पर्मानेंट लेसीज़ इन अवध) पर धारा २४ से २६ तक के निदेश ऐसे आनुषंगिक (इन्सीडेंटल) परिवर्तनों (चेंजेज़) और परिष्कारों (मोडिफ़िकेशन्स) के साथ, जो नियत किये जायं, लागू होंगे और फिर ऐसे मध्यवर्तियों की कच्ची और पक्की निकासी तदनुसार लगायी जायगी। अवध के दवामी पट्टेदारों की कच्ची और पक्की निकासी निकालना।

२८—(१) किसी मध्यवर्ती के विषय में प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका तैयार हो जाने पर प्रतिकर अधिकारी : प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका का प्राथमिक प्रकाशन।

(क) गज़ट में और ऐसी अन्य रीति से, जो नियत की जाय, उस सम्बन्ध में, नोटिस प्रकाशित करेगा, और

(ख) प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका की प्रति (कापी) के साथ पूर्वोक्त नोटिस की एक प्रति उससे सम्बन्ध रखने वाले मध्यवर्ती पर तामील करेगा या करायेगा।

(२) स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को उपधारा (१) के अधीन नोटिस द्वारा आज्ञा दी जायगी कि वे उपस्थित होकर दो मास के भीतर ऐसी तालिका के विषय में आपत्ति (आब्जेक्शन) प्रस्तुत करें,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई आपत्ति इस आधार पर, ग्राह्य नहीं होगी (शैल नाट बी इण्टरटेंड) कि कृषि क्षेत्र में मध्यवर्ती का अधिक या कम अंश है या उसका कोई अंश नहीं है, किन्तु यह बात उस दशा में न लागू होगी जब उक्त आपत्तिधारा (२१ अथवा) २२ के अधीन दी गयी किसी आज्ञा (या डिक्री) के अनुसार की गयी हो।

२९—दिये गये समय के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत होने पर प्रतिकर अधिकारी उसको रजिस्टर में दर्ज करेगा और उसकी सुनवाई के लिये दिनांक निश्चित करके उसकी सूचना उससे सम्बन्ध रखने वाले मध्यवर्ती को और स्वत्व रखने वाले ऐसे व्यक्ति (पर्सन इन्टरेस्टेड) को देगा, जो धारा २८ के अधीन नोटिस के प्रतिवाद (रिप्लाई) में उपस्थित हुआ हो। आपत्ति सुनने का दिनांक।

३०—धारा २८ के अधीन प्रस्तुत की गयी आपत्तियों (आब्जेक्शन) की सुनवाई और निर्णय करने में प्रतिकर अधिकारी को दीवानी न्यायालय (सिविल कोर्ट) के सभी अधिकार, जहां तक के वे लागू हो सकें और इस अधिनियम (विधान) के निर्देशों के असंगत (इनकन्सिस्टेंट) न हों, प्राप्त होंगे और ऐसे परिष्कारों (मोडिफ़िकेशन्स) को बाधित न करते हुये, जो नियत किये जायं, वह उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में अचल सम्पत्ति (इम्मूवेबल प्रापर्टी) सम्बन्धी वादों को सुनवाई और निस्तारण (डिस्पोज़ल) के लिए दी गयी है। आपत्तियों की सुनवाई और निर्णय।

ऐक्ट ५, १९०८

३१—प्रतिकर अधिकारी द्वारा किसी आपत्ति के सम्बन्ध में धारा ३० के अधीन दी गयी निर्णयात्मक आज्ञा दीवानी न्यायालय की डिक्री समझी जायगी और उसमें मुक़दमे का संक्षिप्त विवरण, विचारणीय विषय, उनका निर्णय और ऐसे निर्णयों के कारण दिये जायेंगे। धारा ३० के अधीन हुई आज्ञा का दीवानी न्यायालय की डिक्री समझा जाना।

डिस्ट्रिक्ट जज को अपील।

३२—किसी विधि में किसी बात के रहते हुए भी, धारा ३१ के अधीन प्रतिकर अधिकारी द्वारा दी गयी आज्ञा के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट जज के सामने अपील हो सकेगी।

हाई कोर्ट को अपील

३३—धारा ३२ के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा दी गयी अपील की डिक्री के विरुद्ध, कोड आफ़ सिविल प्रोसीजर १९०८ की धारा १०० में दिये गये आधारों में से किसी आधार पर हाईकोर्ट में अपील हो सकेगी। ऐक्ट ५, ५, १९०८

पुनरीक्षण।

३४—हाई कोर्ट प्रतिकर अधिकारी द्वारा निर्णित किसी ऐसे मुक़दमे का जिसमें अपील न हो सकती हो, अभिलेख अपने यहां मंगा सकता है और यदि, यह प्रतीत हो कि उक्त प्रतिकर अधिकारी ने :

(क) किसी ऐसे अधिक्षेत्र का प्रयोग किया है, जो उसे विधितः प्राप्त नहीं था, या

(ख) विधितः प्राप्त किसी अधिक्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है, या

(ग) अपने अधिक्षेत्र का प्रयोग करने में अवैध रूप से (इल्लीगली) या वास्तविक अनियमितता के साथ (विद मिटीरियल इर्रेगुलैरिटी) आचरण किया है, तो हाईकोर्ट ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उपयुक्त समझे।

अन्तिम प्रतिकर निर्धारण तालिका।

३५—(१) यदि धारा २८ के अधीन नोटिस जारी होने पर प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका के सम्बन्ध में कोई आपत्ति (उज्रदारी) न की गयी हो या यदि ऐसी आपत्तियां प्रस्तुत होकर निस्तारित हो गयी हों और तदनुसार प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका में संशोधन, परिवर्तन या परिष्कार कर दिया गया हो, तो प्रतिकर अधिकारी, उस पर अपने हस्ताक्षर कर देगा और अपनी मुहर भी लगा देगा।

(२) इस प्रकार हस्ताक्षर किये गये और मुहर लगाये जाने पर प्रतिकर निर्धारण तालिका अन्तिम हो जायगी।

तालिका की प्रतिलिपि का मध्यवर्ती को दिया जाना।

३६—प्रतिकर अधिकारी प्रतिकर निर्धारण तालिका की एक प्रतिलिपि बिना शुल्क उससे सम्बन्ध रखने वाले मध्यवर्ती को दे देगा और एक प्रतिलिपि उस परगना के, जिसमें वह कृषि-क्षेत्र स्थित हो जिसका प्रतिकर निर्धारण तालिका से सम्बन्ध है, अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर (असिस्टेंट कलेक्टर इन्चार्ज आफ दि सब-डिवीजन) के कार्यालय के सूचना-पट्ट (नोटिस बोर्ड) पर भी लगवा देगा।

प्रतिकर की मात्रा का अनुसूची में दिये गुणनफल के अनुसार होना।

३७—ऐसे कृषि क्षेत्रों में जिनसे प्रतिकर निर्धारण तालिका का सम्बन्ध है, किसी मध्यवर्ती के स्वत्वों के निमित्त उसे प्रतिकर रूप में देय धनराशि, ऐसी दशा को छोड़ कर जहां मध्यवर्ती का स्वत्व ठेकेदार के पास हो या जहां मध्यवर्ती स्वयं ठेकेदार हो, धारा ३५ के अधीन तैयार की गयी प्रतिकर निर्धारण तालिका में लिखित पक्की निकासी का [ऐसा गुणनफल] बारह गुना होगा [जो अनुसूची ७ के अनुसार लागू होता हो]।

ठेकेदार को देय प्रतिकर की मात्रा।

३८—जहां हस्तागत किये गये कृषि-क्षेत्र में मध्यवर्ती का स्वत्व किसी ठेकेदार के पास हो, वहां ऐसे मध्यवर्ती का प्रतिकर निर्धारण तालिका में दी हुई पक्की निकासी पर धारा ३७ में दिये सिद्धान्तों के अनुसार लगाया

गया प्रतिकर उक्त क्षेत्र में मध्यवर्ती और ठेकेदार के स्वत्वों के सम्बन्ध में उन दोनों को संयुक्त रूप में देय प्रतिकर होगा और प्रतिकर अधिकारी उक्त धनराशि को निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखते हुये उन दोनों में बांट देगा :

(क) नजराना, (प्रीमियम), यदि ठेके के आरम्भ में कोई दिया गया हो,
(ख) ठेके की कुल अवधि और उसका शेष अंश,
(ग) ठेके के अन्तर्गत क्षेत्र का हस्तगत किया गया अंश,
(घ) ठेके के अन्तर्गत शेष अश की कच्ची और पक्की निकासी,
(ङ) ठेकेदार द्वारा प्रतिवर्ष देय धनराशि, और
(च) ऐसे अन्य विषय जो नियत किये जायं।

मध्यवर्ती और ठेकेदार के बीच प्रतिकर का विभाजन।

३९—मध्यवर्ती और ठेकेदार के बीच प्रतिकर विभाजन करने में प्रतिकर अधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो नियत की जाय।

धारा ३८ के अधीन आज्ञा का दीवानी न्यायालय की डिक्री समझा जाना।

४०—(१) मध्यवर्ती और ठेकेदार के बीच प्रतिकर विभाजित करने के सम्बन्ध में प्रतिकर अधिकारी की आज्ञा अधिक्षेत्र प्राप्त (आफ़ काम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन) दीवानी न्यायालय की डिक्री समझी जायगी।

(२) समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के रहते हुए भी, उपधारा (१) में उल्लिखित डिक्री के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट जज के सामने अपील हो सकेगी और अपील में दी गयी आज्ञा, उस दशा को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था उपधारा (३) में की गयी है, निश्चयाक होगी।

(३) हाई कोर्ट उपधारा (१) के अधीन दी गयी आज्ञा का धारा ३४ में उल्लिखित आधार (क) से (ग) तक में से किसी आधार पर पुनरीक्षण (रिवीजन) कर सकता है।

अपील के स्मरण-पत्र पर देय न्याय शुल्क। ऐक्ट सं० १, १८७० ई०।

४१—कोर्ट फ़ीस ऐक्ट, १८७० में किसी बात के रहते हुए भी धारा ५ क, ३२, ३३ और ४० के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली अपील की स्मरण पत्र (मैमोरैंडम) पर देय न्याय-शुल्क (कोर्ट फ़ी) वह होगा, जो नियत किया जाय।

ऐसी अशुद्धियों का ठीक किया जाना जो अकामतः हुई हों।

४२—(१) प्रतिकर निर्धारण तालिका के अन्तिम (फ़ाइनल) हो जाने पर, ऐसी दशा को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था इसी विधान में आगे चल कर इस अधिनियम [विधान] के द्वारा या अधीन की गयी हो, उसमें कोई संशोधन नहीं किया जायगा।

(२) अधिक्षेत्र प्राप्त प्रतिकर अधिकारी प्रतिकर दिये जाने के समय से पूर्व किसी समय भी चाहे स्वतः या स्वत्व रखने वाले किसी व्यक्ति (ए परसन इंटरेस्टेड) की प्रार्थना पर अन्तिम रूप से प्रकाशित प्रतिकर निर्धारण तालिका में किसी लेख सम्बन्धी या गणना सम्बन्धी अशुद्धियों (क्लेरिकल और अरिथमेटिकल मिस्टेक्स) को या किसी ऐसी अशुद्धि को, जो उसमें किसी आकस्मिक भूल या चूक (एक्सीडेंटल स्लिप आर ओमिशन) से हो गयी हो, ठीक कर सकता है।

अध्याय ५

प्रतिकर का भुगतान (पेमेंट आफ़ कम्पेंसेशन)

तालिका में दर्ज प्रतिकर का मध्यवर्ती को दिया जाना।

४३—मध्यवर्ती को इस अधिनियम [विधान] के अधीन हस्तगत किये गये कृषि-क्षेत्र में उसके अधिकार, आगम और स्वत्व के हस्तगत किये जाने के निमित्त प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि दी जायगी, जो धारा ३७ के अधीन इस सम्बन्ध में प्रख्यापित की गयी हो।

तालिका में दर्ज मध्यवर्ती का प्रतिकर पाना।

४४—धारा ४८ के निदेशों को बाधित न करते हुये, ऐसा मध्यवर्ती जिसका नाम प्रतिकर निर्धारण तालिका में दर्ज हो, इस अधिनियम [विधान] के अधीन देय प्रतिकर पाने का अधिकारी होगा।

प्रतिकर का विधिक प्रतिनिधि को देय होना।

४५—यदि प्रतिकर पाने का अधिकारी मध्यवर्ती प्रतिकर पाने के पहले ही मर जाय तो प्रतिकर उसके विधिक प्रतिनिधि को देय होगा।

प्रतिकर के भुगतान का रूप।

४६—इस अधिनियम [विधान] के अधीन देय प्रतिकर नक़द या बंधों के रूप में या अंशतः बंधों के रूप में [ऐसे रूप में] जैसा भी नियत किया जाय दिया जायगा [जो नियत किया जाय।]

कुछ दशाओं में बैंक या अन्य आधिकारिक के पास प्रतिकर का जमा किया जाना।

४७—(१) जहां, प्रतिकर पाने का अधिकारी वक़्फ़, न्यास (ट्रस्ट) या निबन्ध (एन्डाउमेंट) हो अथवा वह अवयस्क हो, किसी व्यावहारिक अक्षमता (लीगल डिसेबिलिटी) के अधीन हो, या कोई सीमित स्वाम्य वाला व्यक्ति (लिमिटेड ओनर) हो, वहां किसी विधि (ला) में किसी बात के रहते हुए भी, किन्तु ऐसे व्यापक निदेशों (जनरल डाइरेक्शन) को बाधित न करते हुए जो [प्रान्तीय] राज्य सरकार के, प्रतिकर उस व्यक्ति के लिए और उसकी ओर से ऐसे आधिकारिक या बैंक के पास, जो नियत किया जाय, जमा कर दिया जा सकेगा।

(२) ऐसे किसी व्यक्ति के, जिसके लिए या जिसकी ओर से प्रतिकर जमा किया गया हो, उक्त प्रतिकर के उपयोग (युटिलाइजेशन) और विनियोग (डिस्पोज़ल) करने के अधिकारों को नियमित करने वाली विधि के अनुसार उसका उपयोग और विनियोग करने का अधिकार उपधारा (१) में कही गयी किसी बात से बाधित होता न समझा जायगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण सीमित स्वाम्य वाला व्यक्ति न समझा जायगा कि अवध सेटेल्ड स्टेट्स ऐक्ट, १९१७ या यूनाइटेड प्राविंसेज स्टेट्स ऐक्ट, १९२० के निदेशों के अधीन उस कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसके लिए प्रतिकर देय है, प्रख्यापन कर दिया गया है।

प्रतिकर का न्यायालय या आधिकारिक के हाथ में दिया जाना।

४८—जहां किसी न्यायालय या आधिकारिक के सामने ऐसा कोई वाद या व्यवहार विचाराधीन हो जिसका किसी व्यक्ति के अध्याय ४ के अधीन अवधारित कुल प्रतिकर या उसका भाग पाने के अधिकार पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हो या

पड़ सकता हो, वहां उक्त न्यायालय या आधिकारिक को अधिकार होगा कि प्रतिकर अधिकारी को आदेश दे कि वह इस प्रकार देय धनराशि उसके आधिकार में दे दे (प्लेस ऐट हिज़ डिस्पोज़ल) और तब उस धनराशि का विनियोग (डिस्पोज़ल) ऐसे न्यायालय या आधिकारिक की आज्ञा के अनुसार ही किया जायगा।

अध्याय ६

प्रकीर्ण (मिस्सेलेनियस)

अधिकारियों की नियुक्ति।

४९—इस अधिनियम [विधान] के प्रयोजनों के लिये [प्रान्तीय] राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारी नियुक्त कर सकती है :

(क) एक प्रतिकर कमिश्नर (कम्पन्सेशन कमिश्नर),

(ख) एक परिच्छेद कमिश्नर (डिमार्केशन कमिश्नर),

(ग) प्रतिकर अधिकारी (कम्पसेशन आफ़िसर्स), तथा

(घ) परिच्छेद अधिकारी (डिमार्केशन आफ़िसर्स)।

अतिरिक्त प्रतिकर कमिश्नर।

४९-क राज्य सरकार ऐसे एक या अधिक अतिरिक्त प्रतिकर कमिश्नर नियुक्त कर सकती है जो प्रतिकर कमिश्नर के ऐसे अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेंगे जिनके लिये राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे।

अतिरिक्त परिच्छेद कमिश्नर।

४९-ख राज्य सरकार ऐसे एक या अधिक अतिरिक्त परिच्छेद कमिश्नर नियुक्त कर सकती है जो परिच्छेद कमिश्नर के ऐसे अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेंगे जिनके लिये राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे।

अधिकार और कर्तव्य।

५०—(१) प्रतिकर कमिश्नर और परिच्छेद कमिश्नर ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे और प्रतिकर अधिकारियों और परिच्छेद अधिकारियों के कार्य के पर्यवेक्षण (सुपरवीज़न) और अधीक्षण (सुपरिन्टेंडेंस) के ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो नियत किये जायं।

(२) प्रतिकर अधिकारी और परिच्छेद अधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो इस [विधान] अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों के द्वारा या अधीन उन्हें दिये गये या उन पर लगाये गये हों।

अधिकारों का प्रतिनिधान।

५१—गज़ट में विज्ञप्ति द्वारा [प्रान्तीय] राज्य सरकार इस [विधान] अधिनियम द्वारा मिले अपने अधिकारों में से कोई भी अधिकार अपने अधीन किसी भी अधिकारी (आफ़िसर) या आधिकारिक (अथारिटी) को विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जाने वाले किन्हीं भी प्रतिबन्धों (कन्डीशन्स) और निरोधों (रेस्ट्रिक्शन्स) के अधीन प्रयोग करने के लिए सौंप सकती है।

कुछ विषयों में साक्षियों को उपस्थित करने का अधिकार।

५२—निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में किसी भी प्रतिकर अधिकारी या परिच्छेद अधिकारी को ऐसे सब सामर्थ्य (पावर्स), अधिकार (राइट्स) और विशेषाधिकार (प्रिविलेजेज़) प्राप्त होंगे, जो किसी व्यवहार (ऐक्शन) के सम्बन्ध में दीवानी न्यायालयों (सिविल कोर्ट्स) को हैं :

(क) साक्षियों को उपस्थित कराना और उनको शपथ देकर, प्रकथन (अफ़र्मेशन) करा के, या अन्य प्रकार से उनके वक्तव्य लेना और अपने अधिक्षेत्र से बाहर साक्षियों का वक्तव्य लेने के लिए कमीशन या निवेदन-पत्र (लेटर आफ़ रिक्वेस्ट) जारी करना;

(ख) लेख्य (डाकुमेंट) प्रस्तुत करने को बाध्य करना;

(ग) नोटिस की तामील;

(घ) न्यायालय के अपमान (कण्टेम्प्ट) के लिए लोगों को दण्ड देना,

और किसी भी व्यवहार (एक्शन) में साक्षियों को उपस्थित कराने और लेख्यों को प्रस्तुत कराने के लिये दीवानी न्यायालय द्वारा जारी किये जा सकने वाले किसी भी रीतिक प्रसर (फ़ार्मल प्रोसेस) के स्थान पर ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ सम्मन भेजा जा सकता है और वह उस ही के बराबर समझा जायगा।

लेख इत्यादि प्रस्तुत कराने का अधिकार।

५३—(१) नियत किये जाने वाले किन्हीं भी प्रतिबन्धों या निरोधों को बाधित न करते हुए, प्रतिकर अधिकारी या परिच्छेद कमिश्नर लिखित आज्ञा द्वारा किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह ऐसे लेख्य पत्र और रजिस्टर प्रस्तुत करे या ऐसी सूचना दे जो ऐसा अधिकारी इस [विधान] अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों का उचित प्रयोग या अपने कर्तव्यों का उचित पालन करने के लिये आवश्यक समझे।

(२) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसे इस धारा के अधीन कोई लेख्य पत्र या रजिस्टर प्रस्तुत करने या कोई सूचना देने का आदेश दिया गया हो, यह समझा जायगा कि वह इंडियन पीनल कोड, १८६० की धारा १७५ और १७६ के अर्थ में विधितः ऐसा करने को बाध्य (लीगली बाउण्ड) है।

भूमि पर प्रवेश करने और पर्यालोकन इत्यादि का अधिकार।

५४—ऐसे प्रतिबन्धों या निरोधों पर उपाश्रित रहते हुये जो नियत किये जायं, इस [विधान) अधिनियम के अधीन नियुक्त प्रत्येक अधिकारी इस (विधान) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी समय, किसी भूमि पर, ऐसी जनसेवकों (पब्लिक सर्वेंटस) सहित जिन्हें वह आवश्यक समझे, प्रवेश कर सकता है और उसका पर्यालोकन (सर्वे) या पैमाइश (मेज़रमेंट) कर सकता है या अन्य ऐसा कार्य कर सकता है, जो वह इस (विधान) अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे।

५५—किसी प्रतिकर अधिकारी या परिच्छेद कमिश्नर के सामने चलने वाले व्यवहार (प्रोसीडिंग्स) के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह इंडियन पीनल कोड, १८६० की धारा १९३ और २२८ के अर्थ में और धारा १९६ के प्रयोजनों के लिए एक वैचारिक व्यवहार (जूडिशियल प्रोसीडिंग) है।

प्रतिकर अधिकारी और परिच्छेद कमिश्नर के सामने वाले व्यवहारों का वैचारिक व्यवहार माना जाना।

५६—इस अधिनियम [विधान] के अधीन प्रतिकर अधिकारी या परिच्छेद कमिश्नर द्वारा वाद-व्यय (कास्ट्स) के सम्बन्ध में दी गयी आज्ञा, ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उक्त वाद-व्यय पाने का अधिकारी हो, उस आज्ञा की एक प्रतिलिपि सहित अधिक्षेत्र प्राप्त मुंसिफ को प्रार्थना-पत्र देकर कार्यान्वित करायी जा सकती है और मुंसिफ उसे इस प्रकार निष्पादित करेगा मानों वह उस मुंसिफ द्वारा दिये गये रुपये की डिक्री के निष्पादन (ऐक्ज़ीक्युशन) का प्रार्थना-पत्र हो।

वाद-व्यय।

५७—इस अधिनियम [विधान] या इसके अधीन बने नियमों के अनुसार रक्खे जाने वाले सब लेख्यों, विवरणों, और रजिस्टरों का निरीक्षण ऐसे समय पर, ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन और ऐसा शुल्क देने पर, जो नियत किया जाय, किया जा सकेगा, और ऐसा शुल्क देने पर प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा कि किसी ऐसे लेख्य, विवरण या रजिस्टर या उसके किसी अंश की प्रतिलिपि ले सके।

लेख्यों, विवरणों और रजिस्टरों के निरीक्षण करने और प्रतिलिपि लेने का अधिकार।

५८—(१) किसी फ़रीक़ (पार्टी) के प्रार्थना-पत्र पर और दूसरे फ़रीक़ों को नोटिस देकर तथा ऐसे फ़रीक़ की सुनवाई करके, जो अपनी सुनवाई चाहता हो, या ऐसे नोटिस बिना स्वयं ही, डिस्ट्रिक्ट जज अपने अधिक्षेत्र के किसी प्रतिकर अधिकारी के सामने चल रहे किसी व्यवहार (प्रोसीडिंग) को अपने यहां मंगा सकता है और अपने अधिक्षेत्र में नियुक्त और उस व्यवहार के निस्तारण में समर्थ (काम्पिटेंट टु डिस्पोज़ आफ) किसी अन्य प्रतिकर अधिकारी के यहां उसे निस्तारण (डिस्पोज़ल) के लिए संक्रामित (ट्रांस्फ़र) कर सकता है।

व्यवहार का संक्रामण।

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी व्यवहार के संक्रामित होने पर उस अधिकारी को, जो उसके बाद उस व्यवहार का निस्तारण करे, अधिकार होगा कि, यदि संक्रामण (ट्रांस्फ़र) की आज्ञा में कोई विशेष निर्देश हो तो उसे बाधित न करते हुए, चाहे वह उसकी कुल सुनवाई आदि फिर भी करे या उस अवस्थान (प्वाइण्ट) से प्रारम्भ करे जिस पर वह व्यवहार संक्रामित हुआ था।

५९—उस दशा को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था स्पष्ट रूप से इस अधिनियम [विधान] के द्वारा या अधीन किसी अन्य प्रकार से की गयी हो, ऐसा कोई वाद या दूसरा व्यवहार किसी दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा, जिसका सम्बन्ध प्रतिकर निर्धारण तालिका में किसी इन्दराज के होने या न होने से या इस अधिनियम [विधान] के अधीन दी गयी किसी आज्ञा से हो।

कुछ विषयों में दीवानी न्यायालय का अधिक्षेत्र न होना।

इस विधान के अधीन किये गये कार्यों के लिये परित्राण।

६०—(१) यदि इस अधिनियम [विधान] के या उसके अधीन बने किसी नियम के अधीन किया गया [या किया गया प्रतीत होने वाला] कोई कार्य सद्भाव से और इस अधिनियम [विधान] के द्वारा या अधीन लगाये गये कर्त्तव्यों के पालन या सौंपे गये कार्यों के सम्पादन में किया गया हो, तो उसके विषय में किसी आधिकारी या सरकारी सेवक पर कोई दीवानी या फौजदारी व्यवहार न चल सकेगा।

(२) इस अधिनियम [विधान] के किसी निदेश के कारण या इस अधिनियम [विधान] के या उसके अधीन बने नियमों के अनुसार सद्भाव से की गयी या की जाने वाली किसी बात से हुई या हो सकने वाली क्षति (डैमेज) या अन्य हानि (इंजरी) के सम्बन्ध में राज्य [प्रान्तीय] सरकार के विरुद्ध कोई वाद या कोई दूसरा व्यवहार नहीं चल सकेगा।

राज्य [प्रान्तीय] सरकार के दायित्व की भरपाई।

६१—इस अधिनियम (विधान) के निर्देशों के अनुसार प्रतिकर देने पर राज्य [प्रान्तीय] सरकार ऐसे व्यक्ति को, जिसे वास्तविक अधिकार हो, प्रतिकर देने के अपने दायित्व से पूर्णतया मुक्त हो जायगी, किन्तु यदि किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसे प्रतिकर के सम्बन्ध में कोई ऐसा अधिकार हो, जिसे वह उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसे प्रतिकर दिया गया है, उचित व्यवहार द्वारा (बाई ड्यू प्रोसेस आफ़ ला) कार्यान्वित कर सके, तो प्रतिकर के ऐसे प्रदान का उस दूसरे व्यक्ति के अधिकारों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्याय ४ और ५ के अधीन व्यवहारों में राज्य [प्रान्तीय] सरकार का फ़रीक़ होना।

६२—(१) अध्याय ४ और ५ के अधीन प्रतिकर अधिकारी के सामने प्रत्येक व्यवहार में राज्य [प्रान्तीय] सरकार फ़रीक़ होगी और फ़रीक़ समझी जायगी और राज्य [प्रान्तीय] सरकार पर तामील किया जाने वाला या तामील किये जाने के लिये अभिप्रेत (इन्टेन्डेड) प्रत्येक नोटिस कलेक्टर या ऐसे अधिकारिक पर तामील किया जा सकेगा, जिसे कलेक्टर नामांकित (नामिनेट) कर दे।

(२) उक्त अध्यायों या धारा ६३ [६६] की उपधारा (३) के खंड (४) में किसी बात के रहते हुए भी, राज्य (प्रान्तीय) सरकार द्वारा या उसकी ओर से अपील प्रस्तुत करने की कालावधि (पीरियड आफ़ लिमिटेशन) उस आज्ञा के दिनांक, से, जिसके विरुद्ध अपील की जाय, नब्बे दिन में होगी।

नियम बनाने का अधिकार।

६३—(१) राज्य (प्रान्तीय) सरकार इस अधिनियम (विधान) के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुए ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं :

(क) धारा ३ के अधीन परिच्छेद अधिकारी द्वारा स्थानिक अधिकारियों के साथ परामर्श करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(ख) धारा ३ के अधीन परिच्छेद अधिकारी द्वारा (नगर क्षेत्र) के पर्यालोकन (सर्वे) कृषि क्षेत्रों के अवधारण तथा परिच्छेद की रीति,

(ग) वह आकार जिसमें परिच्छेद के प्रस्ताव किये जायंगे,

(घ) वह आकार और रीति जिसमें परिच्छेद के प्रस्ताव और अन्तिम रूप से परिच्छेद किये हुये कृषि क्षेत्रों के ब्यौरे क्रमशः धारा ४ और ५ के अधीन (प्रकाशित किये जायेंगे,) निरीक्षण के लिए प्राप्त हो सकेंगे;

(ङ) धारा ४ के अधीन आपत्ति प्रस्तुत करने तथा धारा ५ के अधीन निस्तारण (डिस्पोजल) की रीति,

(च) धारा ७ के अधीन कृषि-क्षेत्र के स्वत्वाधिकार में आने से पूर्व की जाने वाली कार्यवाही,

(छ) इस (विधान) अधिनियम के अधीन स्थागित वादों और व्यवहारों का निस्तारण (डिस्पोजल);

(ज) धारा (१४) १३ के अधीन कृषि-क्षेत्रों के अवधान में लिये जाने से सम्बन्ध रखने वाले विषय,

(झ) वह रीति और आकार जिसमें धारा १९ के अधीन प्रतिकर निर्धारण तालिका तैयार की जायगी,

(ञ) वह रीति और आकार जिसमें धारा २८ के अधीन आपत्ति (आब्जेक्शन) प्रस्तुत की जायगी,

(ट) धारा ४८ के अधीन प्रतिकर को धनराशि के न्यायालय या आधिकारिक के अधिकार में देने की प्रक्रिया,

(ठ) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हैं और नियत किये जायं।

(३) नियम बनाने के सम्बन्ध में इस (विधान) अधिनियम द्वारा दिये गये अधिकार के विषय में यह समझा जायगा कि निम्नलिखित की व्यवस्था करने का अधिकार उसके अन्तर्गत है :

(क) ऐसी कालावधि (टाइम लिमिट) लगाने के लिए जिनके भीतर नियमों के प्रयोजनों के लिये की जाने वाली बात अवश्य की जायं, लगायी हुई अवधि को बढ़ाने के सम्बन्ध में नियमों में निर्दिष्ट किसी आधिकारिक को अधिकार देकर या न देकर,

(ख) ऐसी दशाओं में, जिनके विषय में इस (विधान) अधिनियम कोई विशेष निर्देश नहीं बनाया गया है, इस विधान अधिनियम के अधीन किसी बाद या दूसरे व्यवहार में अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया,

(ग) इस (विधान) अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिक्षेत्र वाले किसी अधिकारी या आधिकारिक के कर्त्तव्य और ऐसे अधिकारी और आधिकारिक द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(घ) ऐसी दशाओं में जिनके विषय में इस सम्बन्ध में (विधान) अधिनियम में कोई विशेष निदेश नहीं बनाया गया है, इस (विधान) अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्र देने और अपील करने की कालावधि,

(ङ) ऐसी दशाओं में जिनके विषय में इस सम्बन्ध में इस (विधान) अधिनियम में कोई विशेष निदेश नहीं बताया गया है, इस (विधान) अधिनियम के अधीन अपील और प्रार्थना-पत्रों पर देय शुल्क,

(च) इस (विधान) अधिनियम के अधीन दिये जाने वाली प्रार्थना-पत्रों (ऐप्लिकेशन्स), अपीलों और व्यवहारों (प्रोसीडिंग्स) पर इन्डियन लिमिटेशन ऐक्ट १९०८ के निर्देशों का लागू किया जाना (ऐप्लिकेशन),

(छ) इस (विधान) अधिनियम द्वारा (प्रान्तीय) राज्य सरकार या किसी दूसरे आधिकारिक, अधिकारी या व्यक्ति को मिले अधिकारों का प्रतिनिधान (डेलिगेशन), तथा

(ज) एक आधिकारिक या अधिकारी के यहां से दूसरे आधिकारिक या अधिकारी के यहां व्यवहारों का संक्रामण।

(४) इस (विधान) अधिनियम द्वारा दिया गया नियम बनाने का प्रत्येक अधिकार इस प्रतिबन्ध के अधीन रहेगा कि नियम पूर्व प्रकाशन (प्रीवियस पब्लिकेशन) के बाद ही बनाये जायं।

(५) इस (विधान) अधिनियम के अधीन बने सब नियम सरकारी गजट (आफ़िशियल गजट) में प्रकाशित किये जायंगे, और यदि कोई आगे का दिनांक (लेटर डेट) निर्दिष्ट न किया जाय तो वे ऐसे प्रकाशन के दिनांक ही पर प्रचलित हो जायेंगे (कम इन्टु फ़ोर्स)।

(६) इस (विधान) अधिनियम के अधीन बनाये गये सब नियम बनाये जाने पर यथाशीघ्र (प्रान्तीय) राज्य विधायिका के सामने कम से कम चौदह दिन तक रक्खे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधायिका (लेजिस्लेचर) अपने उस अधिवेशन में करें जिनमें वह इस प्रकार रक्खें जायं।

परिशिष्ट

धारा ३७

स्थानिक संस्था की श्रेणी	स्थानिक संस्था का नाम	धारा ३७ के प्रयोजनों के लिए गुणक
१	कानपुर, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, और उनके कन्टूनमेंट्स	२५
२	देहरादून और देहरादून कन्टूनमेंट, मसूरी, सहारनपुर, हरिद्वार यूनियन, मेरठ और मेरठ कन्टूनमेंट, कोयल (अलीगढ़), मथुरा और मथुरा कन्टूनमेंट, बरेली और बरेली कण्टूनमेंट, मुरादाबाद रेलवे सेटिल्मेंट, के सहित, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर कंटूनमेंट, झांसी रेलवे सेटिल्मेंट और झांसी कंटूनमेंट सहित, गोरखपुर, फ़ैजाबाद, चारबाग़, आलमबाग़ नोटिफ़ाइड एरिया।	२२
३	मुज़फ़्फ़रनगर, ग़ाज़ियाबाद, हापुड़, हाथरस, फ़िरोज़ाबाद, पीलीभीत, फ़र्रुख़ाबाद तथा फ़तेहगढ़ और फ़तेहगढ़ कंटूनमेंट, मिर्ज़ापुर, जौनपुर।	२०
४	रुड़की और रुड़की कैंटूनमेंट, बुलन्दशहर, खुर्जा, सिकन्दराबाद, बृन्दावन, मैनपुरी, एटा, कासगंज, बिजनौर, नजीबाबाद, बदायूं, उझानी, चन्दौसी, अमरोहा, सम्भल, इटावा, ललितपुर, बांदा, ग़ाज़ीपुर, बलिया, आज़मगढ़, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, शाहाबाद, लखीमपुर, बहराइच, नवाबगंज (बाराबंकी)।	१८
५	ऋषिकेश, देवबन्द, कैराना, शामली बरौत, पिलकुआ, मवाना, दिवाई, अतरौली, सिकन्दराराउ, कोसी, फ़तेहपुर, सीकरी, शिकोहाबाद, सोरों, जलेसर, आंवला, चांदपुर, धामपुर, नगीना, सहसवा हसनपुर, तिलहर, बीसलपुर, कन्नौज,, कायमगंज, औरया, फ़तेहपुर, बिंदकी, मऊ ओरई, काल्पी, कूंच, हमीरपुर, महोबा, रैथ, चुनार, देवरिया, गौरा, बरहज, बस्ती, मऊ (ज़िला आज़मगढ़) काशीपुर, खैराबाद, सण्डीला, पिहानी, बिलग्राम, गोलागोकरननाथ, टांडा, कर्नलगंज-सिकरौरा नोटिफाइड एरिया सहित, बलरामपुर, सुल्तानपुर, बेला (प्रतापगढ़)।	१६
६	मंगलौर, गंगोह, कान्धला, खातौली, अनूपशहर, गंजडुंडवारा, बहेरी, बिल्सी, कर्बी, जालौन, मुग़लसराय, अहरौरा, शाहगंज, रसरा, मिसरिख, नीमसारण्य, बिसवां, मोहम्मदी, नवाबगंज (गोंडा), नानपारा, रुदौली।	१४
७	सर्धना, बाग़पत, मरेहरा, ककराला, नेहतौर, बादशाहपुर, दोगड्ढा, रामनगर, सौदी, उतरौला, भिंगा।	१२
	सभी ऐसे क्षेत्र जो यू० पी० टाउन एरियाज़ ऐक्ट, १९१४ के निदेशों के अन्तर्गत किसी भी टाउन एरिया में सम्मिलित हैं।	

उद्देश्य और कारण

संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल, १९४९ के परिशिष्ट में दिए हुए उद्देश्य और कारणों के विवरण के अन्तिम अनुच्छेद, में यह कहा गया था कि म्युनिसिपैलिटी, कैन्टूनमेंट, नोटिफ़ाइड एरिया और टाउन एरिया की सीमा के अन्तर्गत कृषि-क्षेत्रों के सम्बन्ध में एक भिन्न विधान विचाराधीन है। तदनुसार यह विधेयक (बिल) प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विधेयक का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों के, जिन पर कोई इमारत बनी हो, या ऐसे अकृषिक-क्षेत्रों के, जिन पर कोई काश्तकार न हो, और जमींदारों की सीर और खुदकाश्त और उनके बागों के क़ब्जे और अधिकार के विषय में हस्तक्षेप करने का नहीं है। केवल ऐसी ही भूमि में जो शरह मुअइयन काश्तकार, साक़ितुलमिल्कियत काश्तकार, दखीलकार काश्तकार, अवध में विशेष शर्तों वाले काश्तकार, माफीदार रियायती लगान के काश्तकार और मौरूसी काश्तकार के पास हैं, मध्यवर्तियों के अधिकार और स्वत्व हस्तगत किये जायेंगे।

नागर-क्षेत्र में भूमि के मूल्य का अवधारण उसकी उपज से नहीं प्रत्युत किसी विशेष स्थान के सन्निकट होने के आधार पर ही किया जाता है। ऐसी भूमि के सम्बन्ध में संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल, १९४९ में दिये हुए प्रतिकर लगाने के सिद्धान्त लागू नहीं हो सकते। अतः नगर, नगरियों और छावनियों का विभाजन उनकी जनसंख्या तथा महत्व को दृष्टि में रख कर सात वर्गों में किया गया है। मध्यवर्तियों को उस स्थान विशेष के वर्ग के अनुसार जिसमें हस्तगत किये जाने वाले उनके अधिकार और स्वत्व स्थित हों, पक्की निकासी का १२ से २५ गुना तक प्रतिकर दिया जायगा। संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल, १९४९ के विधान बन जाने पर नागर-क्षेत्र में काश्तकारों के अधिकार के सुधार के लिए एक अलग विधान प्रस्तुत किया जायगा।

हुकुम सिंह, विश्वेन,
माल सचिव।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१०९ एल—१९५२—८५०